सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक रिपोर्ट

2023–24

4थी , 5वीं , 6ठी और 7वीं मंजिल, टॉवर – एफ,
एनबीसीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029
टेलीफोन: 91–11–26769666
वेबसाइट: http://www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार को

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2023-24 की 27वीं वार्षिक रिपोर्ट रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार को अग्रेषित करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है।

इस रिपोर्ट में दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों के परिदृश्य तथा अधिनियम के तहत इसके लिए अनिवार्य कार्यों के विशिष्ट संदर्भ के साथ भादूविप्रा द्वारा विनियामक मुद्दों पर की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल है।

(अनिल कुमार लाहोटी)
अध्यक्ष

दिनांक : 16 दिसम्बर, 2024

विषयसूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य	1–10
भाग – I	**नीतियां एवं कार्यक्रम**	11–52
	(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य वातावरण की समीक्षा	
	(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा	
	(ग) प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	(घ) भाग–I के अनुलग्नक	
भाग – II	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा**	53–148
भाग – III	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य**	149–160
भाग – IV	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले और वित्तीय कार्य निष्पादन**	161–237
	(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	
	(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2023–24 के लेखापरीक्षित लेखा	
	(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2023–24 के लिए भादूविप्रा के लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा	

दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य

परिदृश्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने भारत में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों को विनियमित करने की लगभग तीन दशकों की सफल यात्रा पूरी कर ली है। देश में इन क्षेत्रों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विकसित करने के अपने मिशन को पूरा करते हुए, भादूविप्रा ने भारत के दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों को आकार देने और विनियामक वातावरण की परिपक्वता के संदर्भ में देश की वैश्विक स्थिति में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भादूविप्रा का उद्देश्य सभी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखते हुए निष्पक्ष और निर्बाध नीतिगत माहौल के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

दोनों क्षेत्रों में न केवल सब्सक्रिप्शन और भौगोलिक पहुंच के मामले में बल्कि उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवा की गुणवत्ता के मामले में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो भादूविप्रा द्वारा की गई पहलों का स्पष्ट प्रमाण है। इन क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बिठाकर और विभिन्न विकासों के प्रभाव का अनुमान लगाकर तथा समय पर समाधान पेश करके, भादूविप्रा ने इन क्षेत्रों में व्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया है।

भारत ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, नए सेवा प्रदाताओं के आसान प्रवेश और प्रौद्योगिकी तटस्थ नीतियों के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की एक मजबूत नीति का पालन किया है। भादूविप्रा ने सेवाधीन प्रशुल्क और हल्के–फुल्के विनियमन की नीति का पालन किया है।

दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में भादूविप्रा का योगदान विभिन्न स्तरों पर रहा है, जिसमें लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धा जैसे प्रमुख मुद्दों पर सरकार को अनुशंसाएँ देने से लेकर टैरिफ, सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण पर विनियमन तक शामिल है। भादूविप्रा परामर्श प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, दृष्टिकोण की बहुलता और हितधारकों के हितों के सामंजस्य पर विशेष ध्यान देता है, जो एक अच्छी विनियामक प्रणाली की आधारशिला हैं।

हाल के वर्षों में डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग कई गुना बढ़ गई है। डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे दैनिक जीवन में जुड़ने के तरीके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंटरनेट दुनिया भर के लोगों के दैनिक जीवन में शामिल हो गया है। बाज़ारों या स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने से लेकर मोबाइल भुगतान करने तक, इंटरनेट ने हर काम को बहुत आसान बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार और आर्थिक विकास को अपनाने के लिए तेज़ और विश्वसनीय मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आवश्यक है।

भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 825 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हैं और प्रत्येक मोबाइल डेटा उपयोगकर्ता औसतन प्रति माह 17 जीबी से अधिक डेटा का उपभोग करता है। मोबाइल उद्योग दुनिया भर के लोगों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने में सहायक रहा है। भविष्य में मोबाइल स्वामित्व और इंटरनेट उपयोग में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि मोबाइल तकनीक पहले से कहीं अधिक सस्ती और सुलभ होती जा रही है। मोबाइल इंटरनेट अपनाने में यह ऊपर की ओर रुझान विशेष रूप से विकासशील डिजिटल बाजारों में दिखाई देता है जहां मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस का प्राथमिक साधन है।

भारत शासन के हर एक तत्व को फिर से परिभाषित करने और उसे पुनः आविष्कृत करने के उद्देश्य से डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जो कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। तेज़ और विश्वसनीय मोबाइल संचार तकनीकें सरकार को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में मदद कर रही है।

5जी मोबाइल तकनीक के विकास के साथ दूरसंचार का भविष्य आशाजनक लग रहा है। देश में 5जी सेवाओं के शुरू होने के साथ, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक स्वचालन में अनुप्रयोगों के अवसर बहुत बढ़ गए हैं।

भारत में 5जी सेवा दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी। लॉन्च होने के 18 महीनों में, यानी दिनांक 31 मार्च 2024 तक, 700 से अधिक जिलों को कवर करते हुए 4,38,000 से अधिक साइटों पर इसे स्थापित किया गया। 5जी नेटवर्क को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रोल आउट किया गया है, जिससे यह दुनिया में सबसे तेज़ 5जी रोलआउट में से एक बन गया है।

सरकार की पहलों में 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर प्रभावी अनुसंधान एवं विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाने से लेकर 5जी में निवेश बढ़ाने तक के कई कारक शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और उपयोगिताएँ, विनिर्माण और खुदरा जैसे क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर 5जी अपनाने से सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है।

वर्ष 2023–24 प्रसारण और केबल सेवा उद्योग के लिए भी एक और गतिशील और हलचल भरा दौर साबित हुआ। भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र हमारे देश की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। भारतीय प्रसारण और केबल टीवी बाजार की परिभाषित विशेषताओं में से एक इसका विशाल आकार है। भारत का मीडिया और मनोरंजन (M&E) क्षेत्र 2023 में 8 प्रतिशत से अधिक बढ़ा, जिसमें 70 प्रतिशत वृद्धि नए मीडिया से हुई।

वर्ष के दौरान, कई विषयों पर परामर्श प्रक्रियाएं शुरू की गईं, जैसे एक से अधिक एनएसओ से सेवा वीएनओ तक पहुंच के लिए कनेक्टिविटी; भारतीय रेलवे को इसके बचाव और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन; 5जी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से डिजिटल परिवर्तनय दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 का प्रारूप; टेरा हर्ट्ज रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग उत्पादन के लिए अप्रयुक्त या सीमित प्रयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड का खुला और डी–लाइसेंस उपयोग; भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग ढांचे पर विनियमन; ईएंडवी बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन, और माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) के लिए स्पेक्ट्रम; दूरसंचार, प्रसारण और आईटी (आईसीटी) क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना एक्सेस सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानकों की समीक्षा; प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं; दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2023; ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए नियामक तंत्र, और ओटीटी सेवाओं का चयनात्मक प्रतिबंध; डिजिटल संचार क्षेत्र में नियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करना; इंटरनेशनल ट्रैफिक की परिभाषा; लो पॉवर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे; और अंतरिक्ष–आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन।

इसके साथ ही, भादूविप्रा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने वर्ष में कई सेमिनार और विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए। भादूविप्रा द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से समाज के विभिन्न वंचित/हाशिए पर पड़े वर्गों जैसे किसान, मछुआरे, दिव्यांग, स्वरोजगार वाली ग्रामीण महिलाएं, बुनकर और आदिवासी क्षेत्रों के छात्र, आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं आदि के लिए विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए गए।

भादूविप्रा द्वारा आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रमों ने उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी मदद की है, जिससे उन्हें अपनी दूरसंचार सेवाओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में सशक्त बनाया गया है।

दिनांक 4 से 8 मार्च 2024 तक नई दिल्ली, भारत में "नीति, विनियमन और विकास में क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना" विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आसियान के सदस्य देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह क्षमता निर्माण परियोजना भारत–आसियान डिजिटल वार्ता के तहत आसियान–भारत डिजिटल कार्य योजना 2023 के एक भाग के रूप में आयोजित की गई थी।

इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) ने संयुक्त रूप से दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को "डेटा सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए लागत मॉडल" पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसके बाद आईटीयू–टी फोकस समूह की पहली बैठक हुई। कार्यशाला में वक्ताओं में प्रमुख विनियामक संगठनों, सरकारी मंत्रालयों, आईटीयू (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ), विश्व बैंक, उद्योग जगत के नेताओं, भारत और विदेशों के प्रमुख सेवा प्रदाताओं के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात विशेषज्ञ शामिल थे।

भादूविप्रा ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तकनीकी प्रगति से उत्पन्न क्रॉस सेक्टरल मुद्दों और चुनौतियों के सहयोगात्मक संचालन के लिए अन्य क्षेत्र के विनियामकों के साथ सक्रिय रूप से काम किया है। फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स (FOIR) की 24वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में FOIR में प्रतिनिधित्व किए गए विभिन्न वर्टिकल क्षेत्रों में 5जी और संबंधित तकनीकों को तेजी से अपनाने पर विचार–विमर्श किया गया। 5जी बुनियादी ढांचे की तैनाती की दिशा में "भादूविप्रा और बिजली विनियामकों के बीच क्रॉस सेक्टर सहयोगी विनियमन" पर कार्य समूह की सफलता से उत्साहित होकर, भादूविप्रा ने FOIR में प्रतिनिधित्व किए गए विभिन्न वर्टिकल क्षेत्रों में 5जी और संबंधित तकनीकों को तेजी से अपनाने पर अध्ययन करने और अनुशंसाएँ देने के लिए एक और कार्य समूह के गठन का प्रस्ताव रखा। 5जी की अपार क्षमता और संभावित योगदान को देखते हुए, यह समूह में प्रतिनिधित्व वाले विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली क्षेत्र, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रियल एस्टेट, खाद्य उद्योग आदि जैसे 5जी और संबंधित तकनीकों को अपनाने से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन में क्षेत्र–विशिष्ट अनुप्रयोगों के साथ–साथ विनियामकों के लिए डेटा एनालिटिक्स, कार्यालय प्रबंधन, एमआईएस आदि में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए है।

भादूविप्रा ने पहल करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), उपभोक्ता मामले मंत्रालय (एमओसीए), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सदस्यों के साथ विनियामकों की एक संयुक्त समिति (जेसीओआर) का गठन किया है। वर्ष 2023–24 के दौरान जेसीओआर की आवधिक बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। जेसीओआर डिजिटल युग में विनियामक निहितार्थों की जांच करने और विनियामक ढांचे पर सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है। समिति ने दूरसंचार संसाधनों के माध्यम से यूसीसी और धोखाधड़ी को संबोधित करने के लिए संभावित सहयोगी प्रयास और रणनीति बनाई।

वर्ष 2023–24 के दौरान दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षेप में उल्लेख नीचे किया गया है:

I. दूरसंचार क्षेत्र

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति और बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलावों के कारण बड़े बदलावों की ओर अग्रसर है। इस क्षेत्र ने दूरियों को मिटा दिया है, बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से देश को करीब लाया है, लोगों के एक–दूसरे से बातचीत करने और सामाजिक मेलजोल के नए तरीके बनाए हैं। दूरसंचार क्षेत्र के विकास की उन्मत्त गति देश के समग्र आर्थिक विकास में इसके योगदान से मेल खाती है। सब्सक्राइबरों की बढ़ती संख्या के साथ, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिस्पर्धी बाजारों में से एक बन गया है। भारत में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे को आकार देने में भादूविप्रा एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल परिवर्तन में उल्लेखनीय यात्रा की है और दूरसंचार सब्सक्राइबरों के मामले में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। अर्थव्यवस्था और समाज का डिजिटलीकरण अपरिवर्तनीय हो गया है और इसने अर्थव्यवस्था और मानव जीवन के हर क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया है। डिजिटलीकरण दूरियों के बावजूद और किसी भी समय सूचना तक पहुँचने, स्वास्थ्य सेवा सहित बुनियादी सेवाएँ प्राप्त करने, घर से काम करने या अध्ययन करने, वित्तीय लेन–देन करने, दोस्तों और परिवार के साथ संपर्क में रहने, मनोरंजन आदि के लिए जुड़े रहने में मदद करता है।

पिछले कुछ दशकों में दूरसंचार उद्योग ने मोबाइल प्रौद्योगिकियों की विभिन्न पीढ़ियों से संक्रमण किया है और आवाज़ से लेकर सामग्री, सामग्री से लेकर वाणिज्य और औद्योगिक अनुप्रयोगों तक का रुख किया है। 5जी तकनीक में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में अभूतपूर्व लचीलापन, उत्पादकता और दक्षता लाने की क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), AR/VR, स्मार्ट प्लेटफ़ॉर्म और IoT के साथ मिलकर 5जी की क्षमता उपभोक्ताओं, संगठनों और बड़े पैमाने पर समाज को बहुत अधिक मूल्य प्रदान कर सकती है। यह स्मार्ट शहरों, स्वायत्त वाहनों, स्मार्ट कारखानों आदि के निर्माण के लिए सेवाओं के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

वर्ष के दौरान, विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कार्यों का निर्वहन करते हुए, प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र के सामने आने वाले कई मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किया। सरकार को प्रमुख मुद्दों पर अनुशंसाएँ की गईं, जैसे "लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल बुनियादी ढांचे में सुधार", "स्पेक्ट्रम साझाकरण के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन के भारित औसत तरीकों के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति", "भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग ढांचा और विनियामक तंत्र", "दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाना", "एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकरण का परिचय", "अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए पहचाने गए आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी", "प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी का युक्तिकरण", "भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण (एनएटीईएम) को बढ़ावा देना", "भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार", "हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार", दूरसंचार नेटवर्क", और "मशीन–टू–मशीन (एम2एम) संचार के लिए एम्बेडेड सिम का उपयोग"। इस अवधि के दौरान दूरसंचार अनुशंसाओं और विभिन्न दूरसंचार विनियमों में संशोधनों पर दूरसंचार विभाग को प्राप्त पिछले संदर्भों पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया भी जारी की गई।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत में, कुल दूरसंचार सब्सक्राइबर आधार दिनांक 31 मार्च 2023 को 1172.34 मिलियन के सब्सक्राइबर आधार की तुलना में 1199.28 मिलियन तक पहुंच गया, जिससे वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 26.94 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि दर्ज की गई। दिनांक 31 मार्च 2024 के अंत तक वायरलेस सब्सक्राइबर आधार 1165.49 मिलियन था, जबकि

दिनांक 31 मार्च 2023 को सब्सक्राइबर आधार 1143.93 मिलियन था, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 21.56 मिलियन सब्सक्राइबर की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 33.79 मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 को यह 28.41 मिलियन सब्सक्राइबर था, जो वर्ष 2023–24 के दौरान 18.94% की वृद्धि दर्शाता है। 33.79 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबर में से 30.92 मिलियन शहरी सब्सक्राइबर हैं और 2.88 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या 954.403 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च 2023 को यह 881.255 मिलियन थी। दिनांक 31 मार्च 2024 तक देश में कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या 924.066 मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 को यह 846.569 मिलियन थी।

II. प्रसारण क्षेत्र

वर्ष 2023–24 प्रसारण और केबल सेवा उद्योग के लिए एक और गतिशील और हलचल भरा दौर साबित हुआ। भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र हमारे देश की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है।

देश की आधी से अधिक आबादी युवा है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में सूचना और मनोरंजन सेवाओं के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है, जिससे भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें शानदार वृद्धि देखी गई है। उद्योग रिपोर्टों के अनुसार[1], भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2023 में 8.1% बढ़कर 2022 में ₹ 2.14 ट्रिलियन से ₹ 2.32 ट्रिलियन तक पहुंच गया और 10% CAGR के साथ 2026 में ₹ 3.08 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। टेलीविजन, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। यह कुल मीडिया और मनोरंजन राजस्व का लगभग 30% प्रतिनिधित्व करता है। भले ही टेलीविजन सबसे बड़ा खंड बना हुआ है, लेकिन डिजिटल मीडिया ने 2023 में डिजिटल सब्सक्रिप्शन में 38% की वृद्धि के साथ अभूतपूर्व वृद्धि देखी है।

भादूविप्रा टीवी प्रसारण और वितरण मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता, गैर–भेदभाव और समानता सुनिश्चित करने, दक्षता और विश्वास बढ़ाने और मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के बीच विवादों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए व्यवसाय के अनुकूल माहौल एक पूर्व–आवश्यकता है। एक सक्षम व्यावसायिक माहौल देश को एक पसंदीदा व्यावसायिक गंतव्य बनाता है। यह न केवल रोजगार सृजन की ओर ले जाता है बल्कि देश के विकास और वृद्धि में भी मदद करता है। भादूविप्रा प्रसारण क्षेत्र के निवेश और विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष के दौरान, दिनांक 8 अगस्त 2023 को "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। परामर्श पत्र में टैरिफ, इंटरकनेक्शन, सेवा की गुणवत्ता के साथ–साथ वित्तीय दंड से संबंधित विभिन्न मुद्दे शामिल थे।

वर्ष 2023–24 के दौरान सरकार को कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ भेजी गईं। अनुशंसाएँ इस प्रकार की गईं: क) दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी; ख) डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामले; ग) एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे; और घ) लो पावर स्मॉल रेंज के एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे। इन अनुशंसाओं के सार की चर्चा भाग II में की गई है, जो भादूविप्रा के कामकाज और संचालन की समीक्षा से संबंधित है। इसके अलावा, भादूविप्रा ने विनियामक अनुपालन में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान, भादूविप्रा और ब्रॉडकास्ट

[1] FICCI EY Report (March 2024) titled "#Reinvent -India's media & entertainment sector is innovating for the future"

इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) द्वारा पैनलबद्ध 52 ऑडिटरों द्वारा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (433–डीपीओ द्वारा और 387–ब्रॉडकास्टरों द्वारा) के कुल 820 ऑडिट किए गए हैं।

प्रसारण क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण विकास निम्नानुसार हैं:

i. प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएँ शामिल हैं। टेलीविजन सेवाएँ केबल टीवी सेवाओं, डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) सेवा, हेडएंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवाओं और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार[1], टीवी जगत में लगभग 62 मिलियन केबल टीवी सब्सक्राइबर एवं 2 मिलियन एचआईटीएस सब्सक्राइबर शामिल हैं। इसके अलावा, जैसा कि पे डीटीएच ऑपरेटरों ने भादूविप्रा को बताया है, दिनांक 31 मार्च 2024 तक 61.97 मिलियन[2] पे डीटीएच कुल सक्रिय सब्सक्राइबर थे। इसके अलावा, आईपीटीवी ऑपरेटरों द्वारा रिपोर्ट किया गया सब्सक्राइबर आधार दिनांक 31 मार्च 2024 को 0.5 मिलियन[2] था।

ii. टीवी प्रसारण क्षेत्र में दिनांक 31 मार्च 2024[3] तक 922 निजी सैटेलाइट टीवी चैनल प्रदान करने वाले लगभग 333 प्रसारक शामिल हैं। इन टेलीविजन चैनलों में 41 टेलीविजन प्रसारकों द्वारा प्रदान किए गए 258 एसडी पे टीवी चैनल और 103 एचडी पे टीवी चैनल शामिल हैं। इसके अलावा, 880 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)[4], 1 एचआईटीएस ऑपरेटर[2], 4 पे डीटीएच ऑपरेटर और 33 आईपीटीवी ऑपरेटर[3] थे। इसके अलावा, एमआईबी के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार देश में 81,706 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे।

iii. प्रसार भारती, भारत में सार्वजनिक सेवा प्रसारक है जो रेडियो नेटवर्क– ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) और टेलीविजन नेटवर्क (दूरदर्शन) का संचालन करता है। प्रसार भारती डीडी फ्री डिश भी संचालित करता है, जो एकमात्र फ्री–टू–एयर (FTA) DTH सेवा है जो भारत में सबसे बड़ा वितरित DTH प्लेटफ़ॉर्म है। डीडी फ्री डिश लाखों लोगों तक पहुँचती है, खासकर ग्रामीण, दूरदराज, दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिनकी आय कम है और इसका उपयोग न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। उद्योग के अनुमान के अनुसार, लगभग 45 मिलियन घरों में डीडी फ्री डिश थे[1]।

iv. भारतीय टेलीविजन उद्योग का राजस्व वर्ष 2023 में ₹ 69,600 करोड़[1] है, जबकि वर्ष 2022 में यह ₹ 70,900 करोड़[1] था, जिसमें लगभग 1.8% की गिरावट दर्ज की गई है। सब्सक्रिप्शन राजस्व समग्र उद्योग राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। सब्सक्रिप्शन राजस्व वर्ष 2022 में ₹ 39,200 करोड़[1] से बढ़कर वर्ष 2023 में ₹ 39,900 करोड़[1] हो गया है। इसके अलावा, विज्ञापन राजस्व वर्ष 2022 में ₹ 31,800 करोड़[2] था जो वर्ष 2023 में घटकर ₹ 29,700 करोड़[1] हो गया है।

v. निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक सेवा प्रसारक – ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) द्वारा संचालित रेडियो चैनलों के अलावा 388 सार्वजनिक निजी एफएम रेडियो स्टेशन चालू थे। जहां तक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित आंकड़ों का सवाल है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऐसे स्टेशनों की स्थापना के लिए दिनांक 31 मार्च 2024

[1]FICCI EY Report (March 2024) titled "#Reinvent -India's media & entertainment sector is innovating for the future"
[2]As reported to TRAI
[3]https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/
[4]https://www.mib.gov.in/all_broadcasting_documents

तक जारी 605–अनुमतियों में से 494 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू हो गए हैं। निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार, विज्ञापन आय वर्ष 2022–23 में ₹ 1547.13 करोड़[1] था जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर ₹ 1775.79 करोड़[1] हो गया।

III. अन्य प्रशासनिक पहल

1997 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) किराए के आवास के माध्यम से कार्य कर रहा है। नवंबर 2020 में, दूरसंचार विभाग (DoT) के माध्यम से भारत सरकार ने, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भादूविप्रा के लिए कार्यालय स्थान की खरीद के लिए मंजूरी दी, जिसे नई दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

फरवरी 2021 में, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी), नौरोजी नगर, नई दिल्ली की टॉवर–एफ में चौथी से सातवीं मंजिल तक भादूविप्रा को कुल 115,982 वर्ग फुट सुपर बिल्ट–अप एरिया (85,545 वर्ग फुट कारपेट एरिया) आवंटित किया।

भादूविप्रा और एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बीच नवंबर 2022 में भादूविप्रा के नए कार्यालय स्थल की योजना, डिजाइनिंग और इंटीरियर फिट–आउट/नवीनीकरण/फर्निशिंग कार्यों के लिए एक समझौता ज्ञापन/समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भादूविप्रा मुख्यालय कार्यालय मई 2024 के अंत में नए कार्यालय परिसर में स्थानांतरित हो जायगा।

बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य और दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में तकनीकी व्यवधानों से उत्पन्न चुनौतियों के कारण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य के बढ़ते दायरे को देखते हुए, भादूविप्रा के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया है और इस संबंध में दिनांक 10 मार्च 2023 के पत्र के माध्यम से पुनर्गठन के हिस्से के रूप में भादूविप्रा मुख्यालय और भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में वित्त मंत्रालय/मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने के लिए एक प्रस्ताव दूरसंचार विभाग को भेजा गया है।

[1]https://new.broadcastseva.gov.in/digigov.portal.web.app/

भाग – I
नीतियाँ और कार्यक्रम

क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

1.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 की समाप्ति पर कुल दूरसंचार सब्सक्राइबर आधार 1199.28 मिलियन तक पहुँच गया, जबकि 31 मार्च 2023 तक सब्सक्राइबर आधार 1172.34 मिलियन था, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 26.94 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि दर्शाता है। कुल सब्सक्राइबर आधार और दूरसंचार–घनत्व **तालिका–1** में दिखाया गया है।

तालिका–1: समग्र सब्सक्राइबर आधार और दूरसंचार–घनत्व

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल (वायरलेस +वायरलाइन)
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	1165.49	33.79	1199.28
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	634.47	30.92	665.38
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	531.02	2.88	533.90
समग्र दूरसंचार–घनत्व (%)	83.27%	2.41%	85.69%
शहरी दूरसंचार–घनत्व (%)	127.51%	6.21%	133.72%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व (%)	58.87%	0.32%	59.19%
शहरी उपभोक्ताओं का हिस्सा	54.44%	91.49%	55.48%
ग्रामीण उपभोक्ताओं का हिस्सा	45.56%	8.51%	44.52%
इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	914.13	40.27	954.40
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	884.01	40.06	924.07

वायरलेस एवं वायरलाइन खंडों में उपभोक्ता आधार का विवरण; मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए अनुरोध; टेली–घनत्व; इंटरनेट उपभोक्ताओं और तिमाही दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतकों का विवरण अगले पैराग्राफों में दिया गया है।

(क) वायरलेस

1.1.1 दिनांक 31 मार्च 2024 के अंत तक वायरलेस सब्सक्राइबर आधार 1165.49 मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 को सब्सक्राइबर आधार 1143.93 मिलियन था, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 21.56 मिलियन सब्सक्राइबर की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले पांच वर्षों के दौरान वायरलेस सब्सक्राइबर आधार की स्थिति **चित्र–1** में दर्शाई गई है।

चित्र–1: मार्च 2020 से पिछले पांच वर्षों का वायरलेस सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

(ख) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

1.1.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, 142.82 मिलियन सब्सक्राइबरों ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं को अपने पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ, जनवरी 2011 से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोधों की संचयी संख्या मार्च 2023 के अंत में 819.70 मिलियन से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 962.52 मिलियन हो गई। मार्च 2024 के अंत में सेवा क्षेत्र–वार संचयी पोर्टिंग अनुरोध **तालिका–2** में दर्शाए गए हैं ।

तालिका–2: मार्च 2024 के अंत में सेवा क्षेत्र–वार संचयी पोर्टिंग अनुरोध

मार्च 2024 के अंत में संचयी एमएनपी अनुरोध (सेवा क्षेत्रवार)				
	सेवा क्षेत्र	एमएनपी अनुरोध संसाधित किए गए		पोर्टिंग अनुरोधों की कुल संख्या
		जोन–I	जोन–II	
क्षेत्र– I	दिल्ली	43,723,156	2,532,223	46,255,379
	गुजरात	64,343,692	1,331,441	65,675,133
	हरियाणा	29,807,599	728,877	30,536,476
	हिमाचल प्रदेश	4,032,746	94,896	4,127,642
	जम्मू और कश्मीर	2,293,301	163,254	2,456,555
	महाराष्ट्र	76,591,747	2,419,973	79,011,720
	मुंबई	31,909,631	1,211,730	33,121,361
	पंजाब	30,729,658	1,644,014	32,373,672
	राजस्थान	65,330,041	806,032	66,136,073
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	88,805,296	1,416,072	90,221,368
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	68,012,753	759,639	68,772,392
जोन द्वितीय	आंध्र प्रदेश	924,606	64,144,337	65,068,943
	असम	315,938	6,588,991	6,904,929
	बिहार	3,538,285	49,624,539	53,162,824
	कर्नाटक	1,539,203	65,231,828	66,771,031
	केरल	411,069	23,047,122	23,458,191
	कोलकाता	347,244	17,556,466	17,903,710
	मध्य प्रदेश	1,982,908	72,401,760	74,384,668
	उत्तर–पूर्व	57,361	2,144,910	2,202,271
	उड़ीसा	318,473	16,722,872	17,041,345
	तमिलनाडु	629,490	61,370,651	62,000,141
	पश्चिम बंगाल	1,136,845	53,803,385	54,940,230
	कुल	**516,781,042**	**445,745,012**	
	कुल (जोन–I+जोन – II)			**962,526,054**

(ग) वायरलाइन सेवाएं

दिनांक 31 मार्च 2023 को कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 28.41 मिलियन की तुलना में, दिनांक 31 मार्च 2024 को यह 33.79 मिलियन सब्सक्राइबर था। इस प्रकार वर्ष 2023–24 के दौरान 18.94% की वृद्धि दर्ज की गई। 33.79 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबर में से 30.92 मिलियन शहरी

सब्सक्राइबर हैं और 2.88 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं। पिछले पांच वर्षों के वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार को **चित्र–2** में दर्शाया गया है।

चित्र–2: पिछले पांच वित्तीय वर्षों के वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या

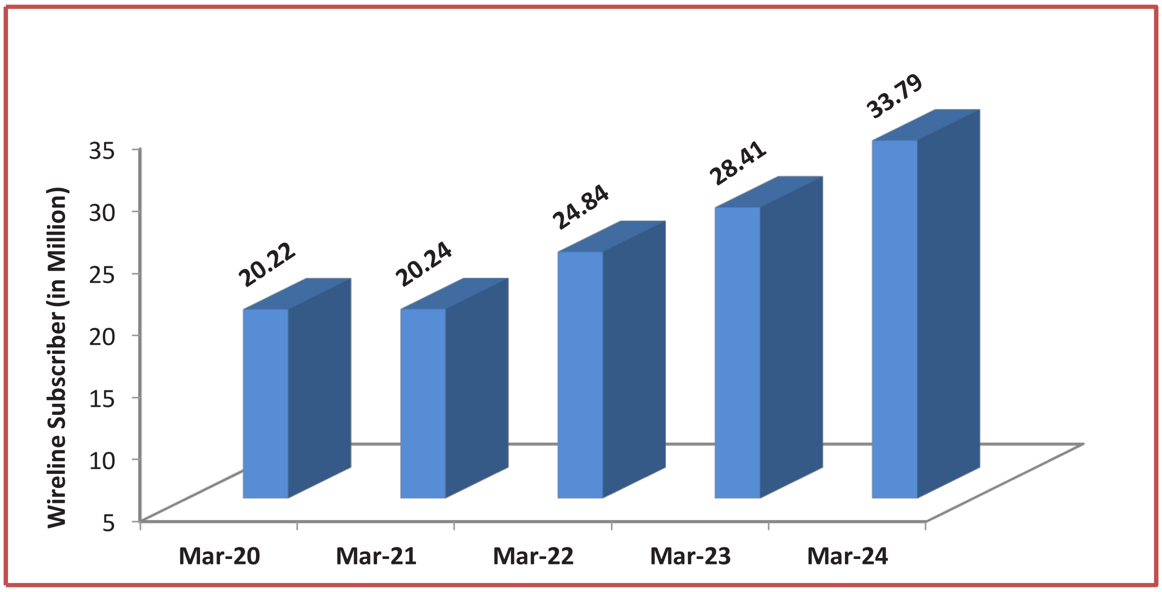

(घ) दूरसंचार–घनत्व

1.1.4 मार्च 2024 के अंत में दूरसंचार–घनत्व 85.69% था, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह 84.51% था। इस प्रकार इसमें 0.0139% की वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2020 से दूरसंचार–घनत्व का रुझान **चित्र–3** में दर्शाया गया है।

चित्र–3: दूरसंचार–घनत्व का रुझान

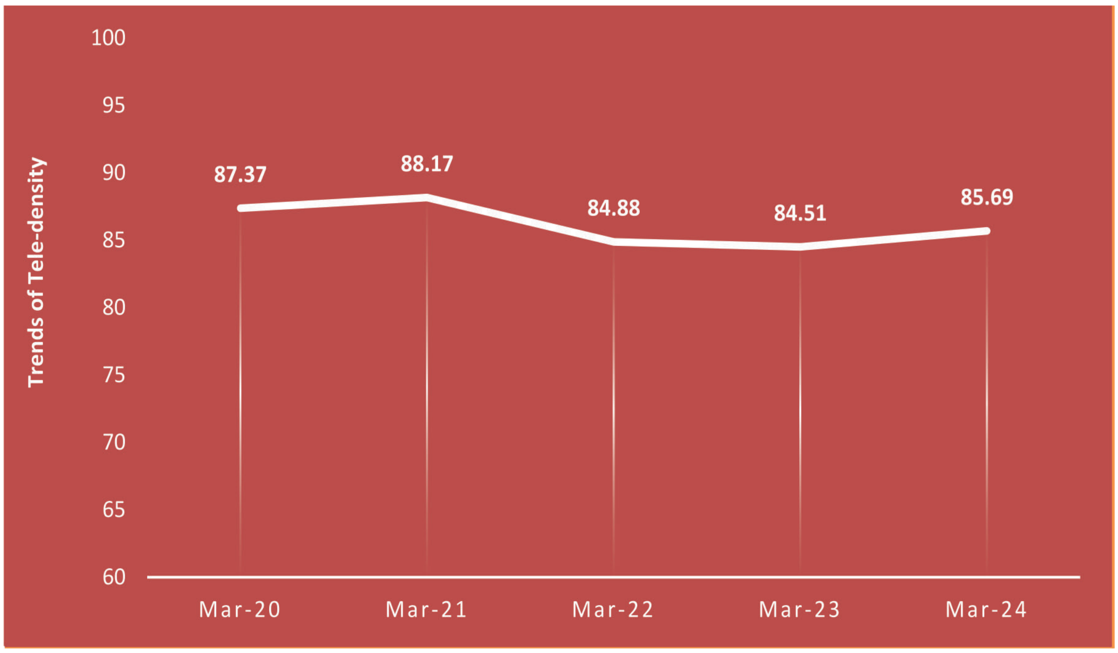

(ङ) इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

1.1.5.1 दिनांक 31 मार्च 2024 तक देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार 954.403 मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 को यह 881.255 मिलियन था। दिनांक 31 मार्च 2024 को देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार 924.066 मिलियन है, जबकि 31 मार्च 2023 तक यह 846.569 मिलियन था।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक देश में सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई इंटरनेट सब्सक्राइबर संख्या का विवरण **तालिका–3** में दर्शाया गया है।

तालिका–3: इंटरनेट सब्सक्राइबर

[मिलियन में]

खंड			वर्ग	इंटरनेट सब्सक्राइबर		% विकास
				मार्च–23	मार्च–24	
क.	वायर्ड		ब्रॉडबैंड	33.491	40.055	19.60%
			नैरोबैंड	0.450	0.22	-52.13%
			कुल	**33.941**	**40.271**	**18.65%**
ख.	वायरलेस	फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो और वीसैट)	ब्रॉडबैंड	1.093	0.790	-27.74%
			नैरोबैंड	0.008	0.003	-55.65%
			कुल	**1.101**	**0.793**	**-27.93%**
		मोबाइल वायरलेस (फोन+ डोंगल)	ब्रॉडबैंड	811.985	883.221	8.77%
			नैरोबैंड	34.228	30.119	-12.00%
			कुल	**846.213**	**913.340**	**7.93%**
कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर			ब्रॉडबैंड	846.569	924.066	9.15%
			नैरोबैंड	34.686	30.338	-12.53%
			कुल	**881.255**	**954.403**	**8.30%**

 # स्रोतः दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की रिपोर्ट।

(च) भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक

1.1.6.1 भादूविप्रा दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आकड़ों के संबंध में एक मासिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में कुल सब्सक्राइबर आधार, दूरसंचार–घनत्व, सेवा प्रदाता–वार बाजार में हिस्सेदारी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) अनुरोध, व्यस्ततम वीएलआर डेटा, वायरलेस, वायरलाइन और ब्रॉडबैंड खंड आदि में माह के दौरान निवल अभिवृद्धि से संबंधित जानकारी सम्मिलित की जाती है। दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तक दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आकड़ों के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति के मुख्य अंश **तालिका–4** में दिए गए हैं ।

तालिका–4: दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन आकड़ों का मुख्य अंश

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल (वायरलेस+ वायरलाइन)
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में)	884.01	40.06	924.07
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	634.47	30.92	665.38
मार्च 2024 में निवल अभिवृद्धि (मिलियन में)	-1.64	0.62	-1.02
मासिक वृद्धि दर	-0.26%	2.06%	-0.15%
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	**531.02**	**2.88**	**533.90**
मार्च 2024 में निवल अभिवृद्धि (मिलियन में)	2.49	0.06	2.55
मासिक वृद्धि दर	0.47%	2.21%	0.48%
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	**1165.49**	**33.79**	**1199.28**
मार्च 2024 में निवल अभिवृद्धि (मिलियन में)	0.85	0.69	1.54
मासिक वृद्धि दर	0.07%	2.07%	0.13%
समग्र दूरसंचार–घनत्व (%)	**83.27%**	**2.41%**	**85.69%**
शहरी टेली–घनत्व (%)	127.51%	6.21%	133.72%
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व (%)	58.87%	0.32%	59.19%
शहरी सब्सक्राइबरों का हिस्सा	54.44%	91.49%	55.48%
ग्रामीण उपभोक्ताओं का हिस्सा	45.56%	8.51%	44.52%

❖ मार्च 2024 में सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबरों की संख्या (शीर्ष वीएलआर की तिथि पर) 1057.71 मिलियन थी।

1.1.6.2 भादूविप्रा 'भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचकों' के संबंध में एक तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए प्रमुख मापदंडों और विकास के रुझान को प्रस्तुत करती है। उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के लिए दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचकों का सारांश **तालिका–5** में दर्शाया गया है।

तालिका–5: निष्पादन सूचक
(दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आंकड़े)

दूरसंचार सब्सक्राइबर (वायरलेस+वायरलाइन)	
कुल सब्सक्राइबर	**1,199.28 मिलियन**
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	0.75%
शहरी सब्सक्राइबर	665.38 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	533.90 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	91.70%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	8.30%
दूरसंचार–घनत्व	85.69%
शहरी दूरसंचार–घनत्व	133.72%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व	59.10%

वायरलेस सब्सक्राइबर	
कुल वायरलेस सब्सक्राइबर	1,165.49 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	0.60%
शहरी सब्सक्राइबर	634.47 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	531.02 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	92.26%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	7.74%
दूरसंचार–घनत्व	83.272
शहरी दूरसंचार–घनत्व	127.51%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व	58.87%
तिमाही के दौरान कुल वायरलेस डेटा उपयोग	52,636 पीबी
सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं (पीएमआरटीएस) की संख्या	65,880
वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनलों (वीसैट) की संख्या	2,53,250
वायरलाइन सब्सक्राइबर	
कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर	33.79 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	6.12%
शहरी सब्सक्राइबर	30.92 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	2.88 मिलियन
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	27.58%
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	72.42%
दूरसंचार–घनत्व	2.41%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व	0.32%
शहरी दूरसंचार–घनत्व	6.21%
ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की संख्या	68,606
पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की संख्या	20,652
दूरसंचार वित्तीय डेटा	
तिमाही के दौरान सकल राजस्व (जीआर)	₹ 87,926/– करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में जीआर में % परिवर्तन	4.05%
तिमाही के दौरान लागू सकल राजस्व (एपीजीआर)	₹ 83,945/– करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में एपीजीआर में % परिवर्तन	3.51%
तिमाही के दौरान समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)	₹ 70,462 करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में एजीआर में % परिवर्तन	3.87%
एक्सेस एजीआर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी	3.80%

इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर	
कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर	954.40 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	1.95%
नैरोबैंड सब्सक्राइबर	30.34 मिलियन
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर	924.07 मिलियन
वायर्ड इंटरनेट सब्सक्राइबर	40.27 मिलियन
वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइबर	914.13 मिलियन
शहरी इंटरनेट सब्सक्राइबर	556.05 मिलियन
ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर	398.35 मिलियन
प्रति 100 जनसंख्या पर कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर	68.19
प्रति 100 जनसंख्या पर शहरी इंटरनेट सब्सक्राइबर	111.75
प्रति 100 जनसंख्या पर ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर	44.16
इंटरनेट टेलीफोनी के लिए उपयोग के कुल आउटगोइंग मिनट	93.47 मिलियन
सार्वजनिक वाई–फाई हॉटस्पॉट की संख्या	1,65,147
उपभोग किया गया कुल डेटा (जीबी)	41,11,451
प्रसारण और केबल सेवाएँ	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केवल अपलिंकिंग/केवल डाउनलिंकिंग/अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दोनों के लिए अनुमति प्राप्त निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या	922
प्रसारकों द्वारा रिपोर्ट की गई पे टीवी चैनलों की संख्या	361
निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (आकाशवाणी को छोड़कर)	388
पे डीटीएच ऑपरेटरों के साथ कुल सक्रिय सब्सक्राइबरों की संख्या	61.97 मिलियन
सक्रिय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	494
पे डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	4
राजस्व और उपयोग मानदंड	
वायरलेस सेवा का मासिक एआरपीयू	₹ 153.54
प्रति माह प्रति सब्सक्राइबर उपयोग के मिनट (एमओयू) – वायरलेस सेवा	995
वायरलेस डेटा उपयोग	
प्रति वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर प्रति माह औसत वायरलेस डेटा उपयोग	20.27 जीबी
तिमाही के दौरान वायरलेस डेटा उपयोग के लिए प्रति जीबी औसत राजस्व प्राप्ति	₹ 8.74

(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा

1.2 अपनी स्थापना के बाद से ही भादूविप्रा का उद्देश्य देश में दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए ऐसी परिस्थितियाँ का निर्माण और उनका पोषण करना रहा है, जो भारत को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा। इस उद्देश्य के अनुसरण में, भादूविप्रा ने इस अवधि में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को प्रारंभ और कार्यान्वित किया है। दूरसंचार क्षेत्र के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में भादूविप्रा की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा नीचे दी गई हैः

(क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क;

(ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार;

(ग) बुनियादी और मूल्यवर्धित दोनों सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश;

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संयोजन;

(ड़) दूरसंचार प्रौद्योगिकी;

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

(छ) सेवा की गुणवत्ता; और

(ज) सार्वभौमिक सेवा दायित्व

1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

1.2.1.1 वायरलेस

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, वायरलेस ग्रामीण सब्सक्राइबरों की संख्या दिनांक 31 मार्च 2023 के 516.38 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2024 के अंत तक 531.02 मिलियन हो गई। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी कुल वायरलेस सब्सक्राइबरों का 45.57% है। मार्च 2020 से ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार को **चित्र–4** में दर्शाया गया है । सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार और उनकी बाजार हिस्सेदारी **तालिका–6** और **चित्र–5** में दर्शाई गई है।

चित्र–4: मार्च 2020 से ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

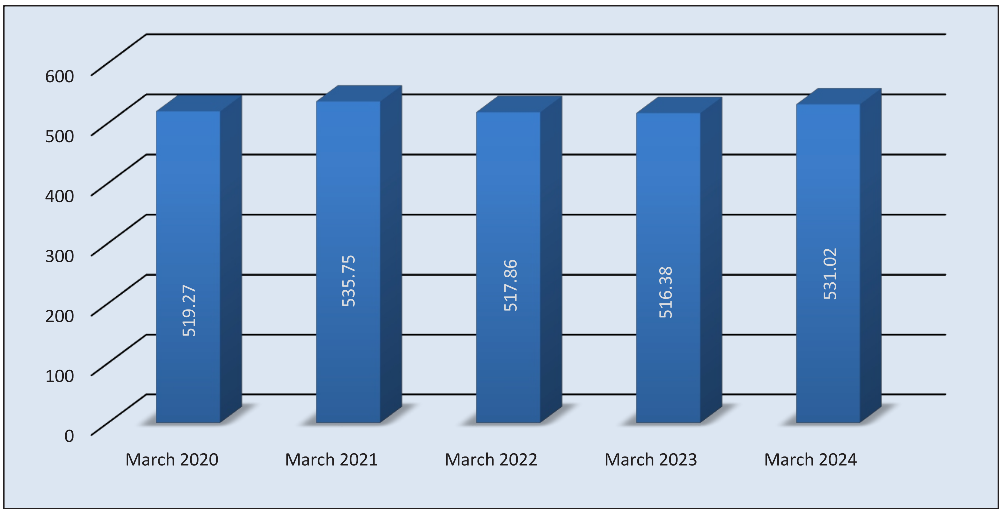

तालिका–6: सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर और बाजार हिस्सेदारी

क्र.सं.	वायरलेस समूह	वर्तमान स्थिति के अनुसार सब्सक्राइबर (मिलियन में)		ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)		ग्रामीण उपभोक्ताओं की बाजार हिस्सेदारी	
		मार्च 2023	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2024
1.	रिलायंस जियो	430.23	469.73	188.67	207.09	36.54%	39.00%
2.	भारती एयरटेल	370.91	385.76	179.79	188.85	34.82%	35.56%
3.	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	236.75	219.82	115.37	107.30	22.34%	20.21%
4.	बीएसएनएल (@)	103.68	88.25	32.52	27.75	6.30%	5.23%
5.	एमटीएनएल	2.35	1.93	0.04	0.04	0.01%	0.01%
6.	आरसीएल (&)	0.0027	0.000	0	0	0.00%	0%
	कुल	1143.93	1165.49	516.38	531.02	100.00	100.00

स्रोतः दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार

(@) बीएसएनएल के वीएनओ द्वारा बताए गए वायरलेस सब्सक्राइबर आधार के आंकड़े बीएसएनएल के वायरलेस सब्सक्राइबर आधार शामिल हैं।

(&) मेसर्स आरसीएल/आरटीएल ने खुदरा सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया है, तथापि, वे बी2बी सेवाएं प्रदान करना जारी रखे हुए हैं।

चित्र–5: दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सब्सक्राइबर आधार की बाजार हिस्सेदारी

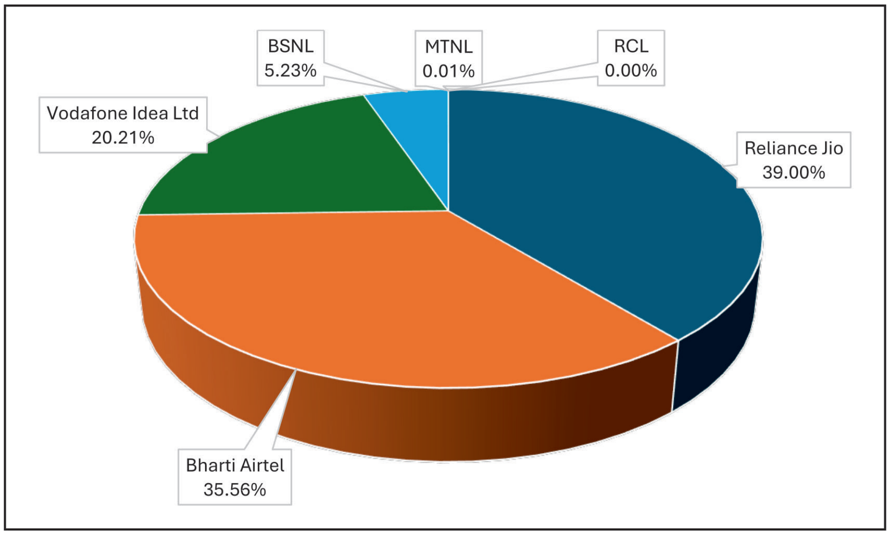

1.2.1.2 वायरलाइन सेवाएँ

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 2.88 (28,75,867) मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 के अंत तक यह 2.25 (22,47,975) मिलियन था, जो पिछले साल की तुलना में 27.93% की वृद्धि दर्शाता है। सेवा प्रदाता–वार वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार और उनकी बाजार हिस्सेदारी **तालिका–7** में दर्शाई गई है।

तालिका–7: सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार और बाजार हिस्सेदारी

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर		ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर		ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों की बाजार हिस्सेदारी (% में)	
		मार्च–23	मार्च–24	मार्च–23	मार्च–24	मार्च–23	मार्च–24
1	बीएसएनएल	71,05,823	64,99,472	20,34,776	21,03,569	90.52%	73.15%
2	एमटीएनएल	23,12,553	21,77,547	34	32	0.00%	0.00%
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	71,47,472	87,77,711		2,478	0	0.09%
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड.	3,37,922	4,11,487	19,442	16,553	0.86%	0.58%
5	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड.	15,41,152	22,86,004	24,831	7,553	1.10%	0.26%
6	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड.	1,45,706	1,27,285	362	355	0.02%	0.01%
7	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड.	7,03,179	7,81,857			0	0.00%
8	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड.	91,15,969	1,20,32,750	1,68,530	2,69,068	7.50%	9.36%
9	आंध्र प्रदेश स्टेट फ़ाइबरनेट लिमिटेड		6,43,593		4,76,259	0.00%	16.56%
10	वी–कॉन मोबाइल एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड		53,308			0.00%	0.00%
	कुल	2,84,09,776	3,37,91,014	22,47,975	28,75,867	100%	100%

(ii) पिछले चार तिमाहियों के लिए ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों की स्थिति **चित्र–6** में दर्शाई गई है।

चित्र–6: ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों को दर्शाने वाला बार चार्ट

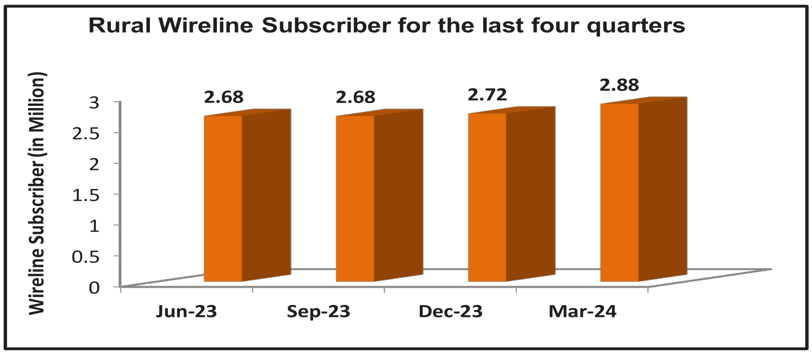

(iii) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों की स्थिति **चित्र–7** में दर्शाई गई है।

चित्र–7: 2020–2024 के दौरान ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों को दर्शाने वाला बार चार्ट

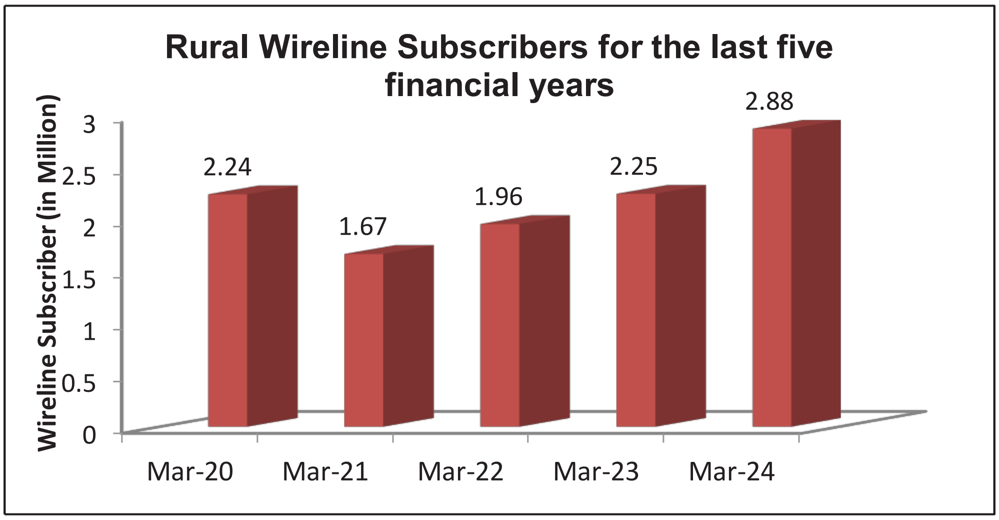

1.2.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

देश में दूरसंचार नेटवर्क का पर्याप्त विस्तार हुआ है, जिसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित बेस स्टेशनों की बढ़ती संख्या से देखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने देश में 5जी नेटवर्क लॉन्च किए। मार्च 2020 से मार्च 2024 तक बेस स्टेशनों (जिसमें 2जी BTS, 3जी नोड्स बी, 4जी ईनोड्स बी और 5जी जीनोड्स बी शामिल हैं) की कुल संख्या की वार्षिक वृद्धि **चित्र–8** में देखी जा सकती है।

चित्र–8: संस्थापित बीटीएस

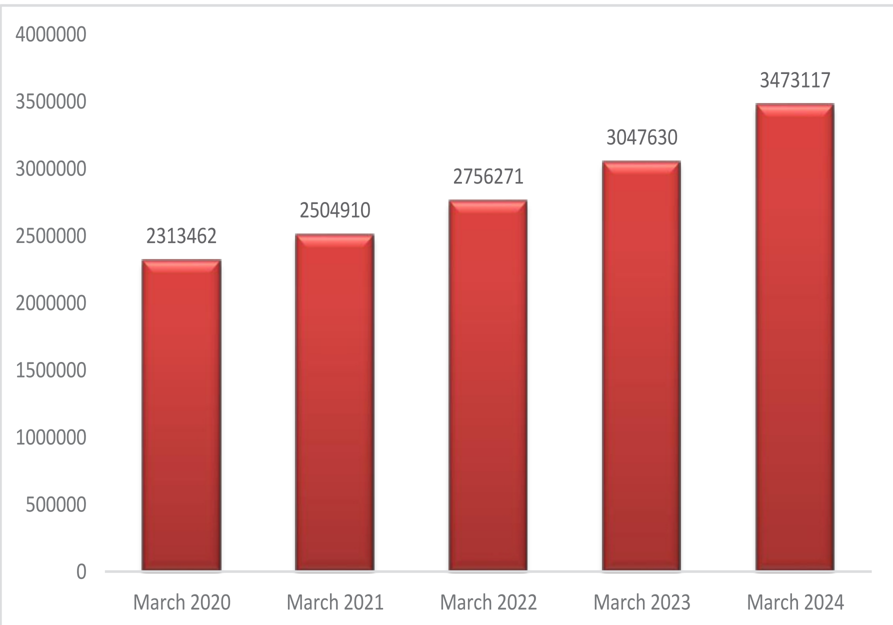

नोटः 5जी सेवाएँ अक्टूबर 2022 में शुरू हुईं।

1.2.2.1 वायरलेस सेवाएँ

दिनांक 31 मार्च 2023 तक वायरलेस सब्सक्राइबर आधार 1143.93 मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को सब्सक्राइबर आधार 1165.49 मिलियन था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सब्सक्राइबर आधार में 21.56 मिलियन की वृद्धि हुई। मार्च 2020 से मार्च 2024 तक सब्सक्राइबर आधार का रुझान **चित्र–9** में दर्शाया गया है।

चित्र–9: वायरलेस सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

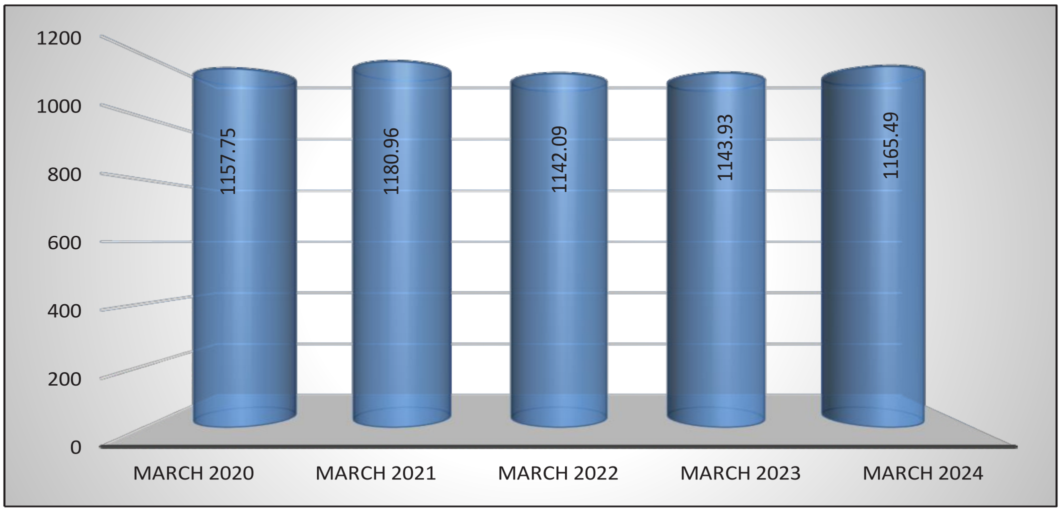

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक वायरलेस सेवा प्रदाताओं का सब्सक्राइबर आधार और वित्तीय वर्ष 2022–23 के तुलना में 2023–24 में उनकी प्रतिशत वृद्धि **तालिका–8** में दी गई है। 31 मार्च 2024 तक विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–10** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका–8: 2019–20 से 2023–24 तक वायरलेस सेवाओं का सब्सक्राइबर आधार

सेवा प्रदाताओं	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि / कमी
रिलायंस जियो	387.52	422.92	403.99	430.23	469.73	9.18
भारती एयरटेल	327.81($)	352.39	360.33	370.91	385.76	4.00
वोडाफोन आइडिया	319.17(^)	283.71	260.77	236.75	219.82	-7.15
बीएसएनएल	119.87(~)	118.63(~)	113.74	103.68	88.25	-14.88
एमटीएनएल	3.36	3.3	3.25	2.35	1.93	-17.87
रिलायंस कम्युनिकेशंस@ रिलायंस टेलीकॉम(%)	0.0178	0.01	0.0033	0.0027	0	0.00
कुल	**1157.11**	**1180.96**	**1142.09**	**1143.93**	**1165.49**	**1.88**

स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई जानकारी

($) मेसर्स टेलीनॉर और मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड का क्रमशः 14 मई 2018 और 6 फरवरी 2020 को मेसर्स भारती एयरटेल में विलय हो गया है।

(^) मेसर्स वोडाफोन और मेसर्स आइडिया सेल्युलर ने 31 अगस्त 2018 से अपनी वाणिज्यिक सेवा का विलय कर दिया।

(~) बीएसएनएल के वीएनओ द्वारा रिपोर्ट किए गए वायरलेस सब्सक्राइबर आधार के आंकड़े बीएसएनएल के वायरलेस सब्सक्राइबर आधार में शामिल हैं।

(#) मेसर्स आरसीएल/आरटीएल ने खुदरा सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया है, तथापि, वे बी2बी सेवाएं प्रदान करना जारी रखे हुए हैं।

चित्र–10: वायरलेस सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार)

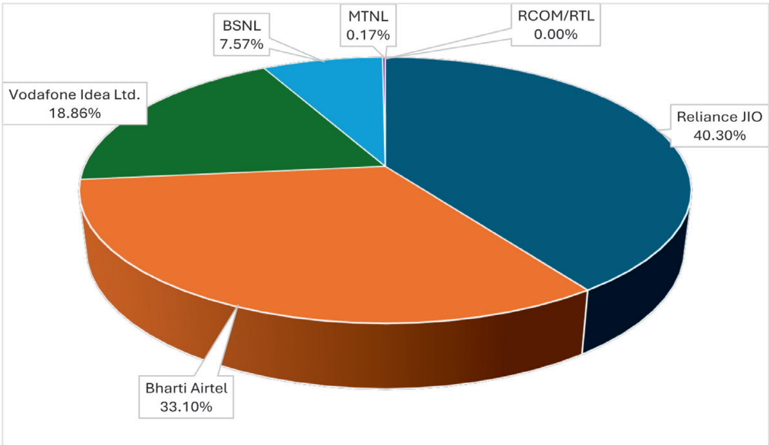

वायरलेस सेवाओं के सब्सक्राइबर आधार के संदर्भ में, मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड 469.73 मिलियन सब्सक्राइबरों के साथ सबसे बड़ा सेवा प्रदाता था; इसके बाद क्रमशः 385.76 मिलियन, 219.82 मिलियन, 88.25 मिलियन और 1.93 मिलियन सब्सक्राइबरों के साथ मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, मेसर्स बीएसएनएल और मेसर्स एमटीएनएल का स्थान था।

मार्च 2020 से मार्च 2024 की अवधि के लिए सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में वायरलेस सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर आधार को **चित्र–11** में ग्राफिक रूप से दर्शाया गया है।

चित्र–11: मार्च 2020 से मार्च 2024 तक वायरलेस सेवाओं के लिए सर्किल–श्रेणीवार सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

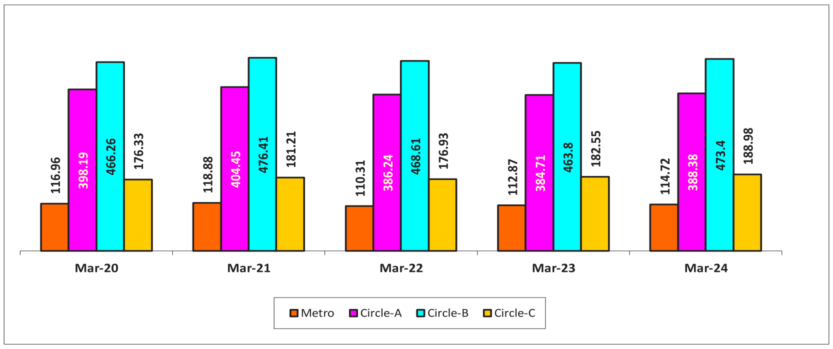

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की सूची **तालिका–9** और **तालिका–10** में दी गई है।

तालिका–9: दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार वायरलेस सेवा प्रदाता

क्र. सं.	सेवा प्रदाताओं	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	भारती एयरटेल समूह	अखिल भारतीय
2	बीएसएनएल	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे भारत में
3	एमटीएनएल	दिल्ली, मुंबई
4	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	अखिल भारत (असम एवं पूर्वोत्तर को छोड़कर)
5	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	अखिल भारतीय
6	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	अखिल भारतीय

स्रोतः दूरसंचार विभाग की वेबसाइट.

तालिका–10: दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार वायरलेस सेवाएं प्रदान करने वाले एक्सेस सेवा प्राधिकार वाले यूएल (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर) (वीएनओ) लाइसेंसधारी

क्र. सं.	सेवा प्रदाताओं	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	एडपे मोबाइल पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
2	सर्फटेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड.	तमिलनाडु

स्रोतः सेवा प्रदाता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

1.2.2.2 वायरलाइन सेवाएँ

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 33.79 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से ग्रामीण और शहरी सब्सक्राइबरों के संदर्भ में सेवा प्रदाता–वार ब्योरा नीचे **तालिका–11** में दिखाया गया है। मौजूदा बीएसएनएल, एमटीएनएल और एपीएसएफएल के पास वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार में क्रमशः 19.23%, 6.44% और 1.90% बाजार हिस्सेदारी है, जबकि सभी सात निजी ऑपरेटरों के पास कुल मिलाकर 72.42% हिस्सेदारी है। निजी ऑपरेटरों की हिस्सेदारी 31 मार्च 2023 को 66.85% से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 72.42% हो गई है, जिसमें 5.57% की वृद्धि दर्ज की गई है।

तालिका–11: दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सेवा–प्रदाता वार वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार का विवरण

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	शहरी	ग्रामीण	# कुल सब्सक्राइबर (वायरलाइन)	बाजार हिस्सेदारी (% में)
1	आंध्र प्रदेश स्टेट फ़ाइबरनेट लिमिटेड	1,67,334	4,76,259	6,43,593	1.90
2	भारती एयरटेल लिमिटेड.	87,75,233	2,478	87,77,711	25.98
3	भारत संचार निगम लिमिटेड.	43,95,903	21,03,569	64,99,472	19.23
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	21,77,515	32	21,77,547	6.44
5	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर लिमिटेड.	3,94,934	16,553	4,11,487	1.22
6	रिलायंस कम्युनिकेशंस	1,26,930	355	1,27,285	0.38
7	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड.	1,17,63,682	2,69,068	1,20,32,750	35.61
8	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड.	22,78,451	7,553	22,86,004	6.77
9	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड.	7,81,857		7,81,857	2.31
10	वी–कॉन मोबाइल एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	53,308		53,308	0.16
	कुल	**3,09,15,147**	**28,75,867**	**3,37,91,014**	**100.00**

 # स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

1.2.2.3 वायरलाइन सब्सक्राइबरों में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी

(i) दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कुल वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से 27.58% बीएसएनएल, एमटीएनएल और एपीएसएफएल के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और शेष वायरलाइन कनेक्शन विभिन्न निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए हैं। कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार में विभिन्न सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–12** में दर्शाई गई है ।

चित्र–12: सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

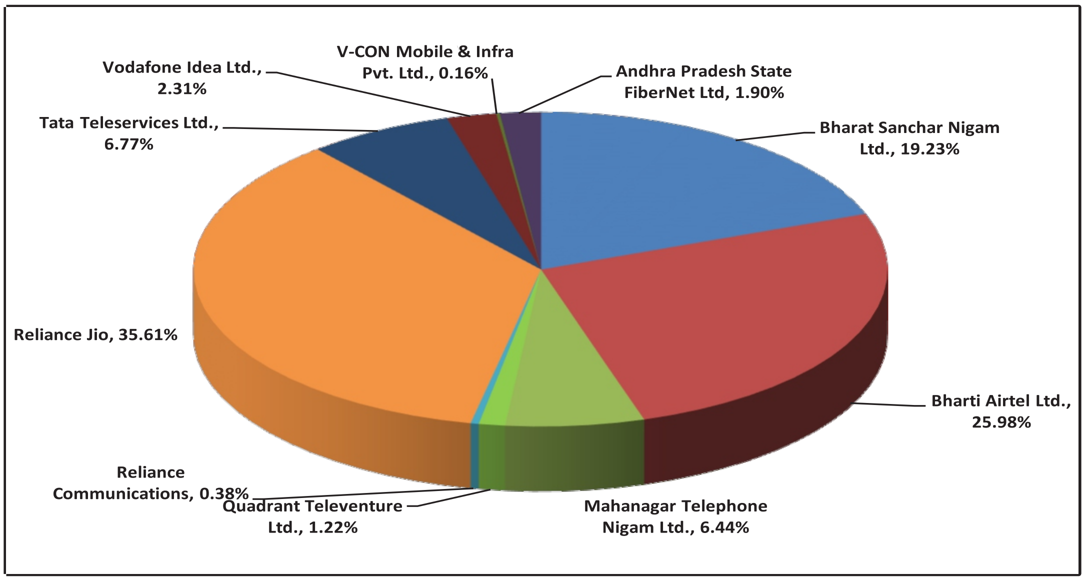

(ii) दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कुल शहरी वायरलाइन सब्सक्राइबर 30.92 मिलियन थे,जिनमें से लगभग 21.80% बीएसएनएल, एमटीएनएल और एपीएसएफएल द्वारा प्रदान किए गए थे। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–13** में दर्शाई गई है।

चित्र–13: शहरी क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं के आधार की हिस्सेदारी की संरचना

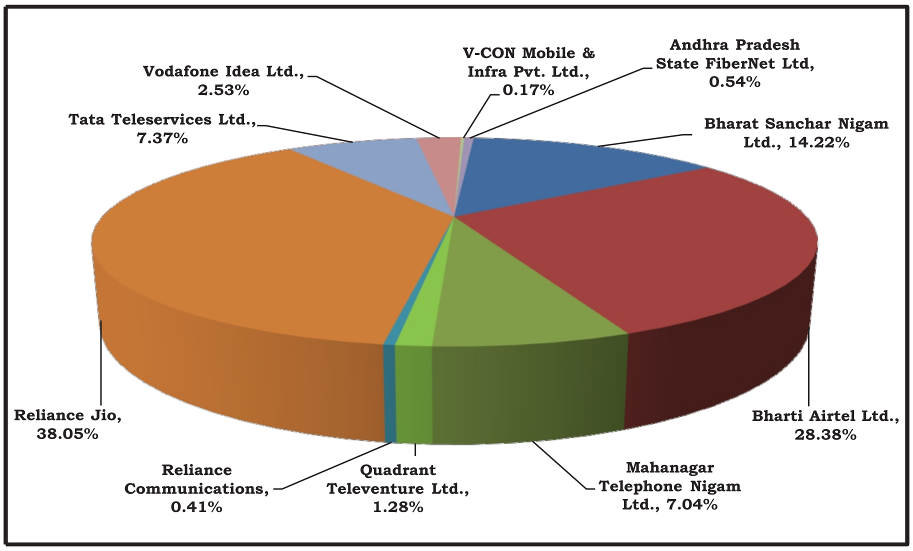

(iii) दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कुल ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर 2.88 मिलियन थे। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–14** में दर्शाई गई है।

चित्र – 14: ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

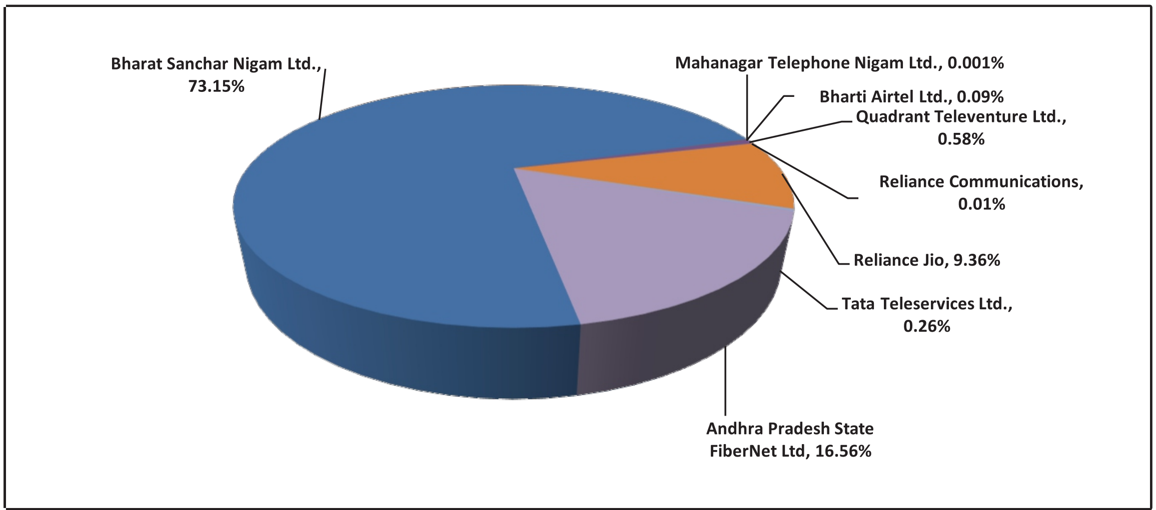

1.2.2.4 पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ)

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार पीसीओ की कुल संख्या 0.021 मिलियन है, जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार यह 0.042 मिलियन थी। बीएसएनएल, एमटीएनएल और निजी ऑपरेटरों द्वारा प्रदान किए गए पीसीओ की संख्या **तालिका–12** में दर्शाई गई है।

तालिका–12: भारत में पब्लिक कॉल ऑफिस

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
1	बीएसएनएल	32,301	15,411
2	एमटीएनएल	9,492	4,957
3	क्वाड्रेंन्ट	342	284
	कुल	**42,135**	**20,652**

1.2.2.5 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की कुल संख्या 0.69 लाख थी। नीचे दी गई **तालिका–13** में देश में कार्यरत वीपीटी की संख्या दी गई है।

तालिका–13: भारत में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
1	बीएसएनएल	68,606	68,606
	कुल	**68,606**	**68,606**

1.2.2.6 सुसज्जित स्विचिंग क्षमता

मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाता–वार कुल सुसज्जित स्विचिंग क्षमता और कार्यशील कनेक्शनों का ब्योरा **तालिका–14** में दर्शाए गए हैं।

तालिका–14: सेवा प्रदाता–वार सुसज्जित स्विचिंग क्षमता

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सुसज्जित स्विचिंग क्षमता (लाइनों की संख्या)	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कार्यशील कनेक्शन
1.	आंध्र प्रदेश स्टेट फ़ाइबरनेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	17,00,000	6,43,593
2.	भारती एयरटेल लिमिटेड.	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), यूपी–पूर्व, यूपी–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	1,48,99,916	87,77,711
3.	भारत संचार निगम लिमिटेड.	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे भारत में	1,32,72,937	64,99,472
4.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई	43,88,107	21,77,547
5.	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड.	पंजाब	3,88,000	4,11,487
6.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), यूपी–पूर्व, यूपी–पश्चिम और पश्चिम बंगाल	7,68,000	1,27,285

7.	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड.	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर पूर्व, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), यूपी–पूर्व, यूपी–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	2,39,28,000	1,20,32,750
8.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), यूपी–पूर्व, यूपी–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	42,02,559	22,86,004
9.	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड.	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर–पूर्व, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), यूपी–पूर्व, यूपी–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	9,41,000	7,81,857
10.	वी–कॉन मोबाइल एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	पंजाब	50,000	53,308

 # स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

1.2.2.7 इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार में मार्च 2023 के संदर्भ में 8.30% की वृद्धि देखी गई है। दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार देश में कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार में दिनांक 31 मार्च 2023 की तुलना में 9.15% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले एक साल में नैरोबैंड सेगमेंट में (–) 12.53% की गिरावट आई है।

1.2.2.8 वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा संसूचित तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन का विवरण **चित्र–15** में दर्शाया गया है।

चित्र–15: तिमाही–वार इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

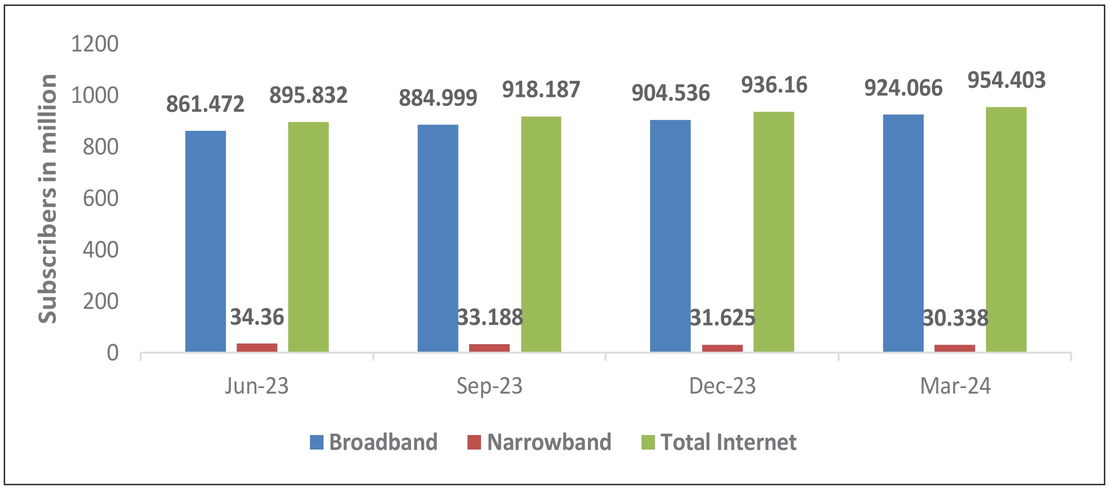

1.2.2.9 पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान देश में इंटरनेट (ब्रॉडबैंड+नैरोबैंड) सेवा का विस्तार **चित्र–16** में दर्शाया गया है।

चित्र–16: पिछले पांच वित्तीय वर्षों के इंटरनेट सब्सक्राइबर

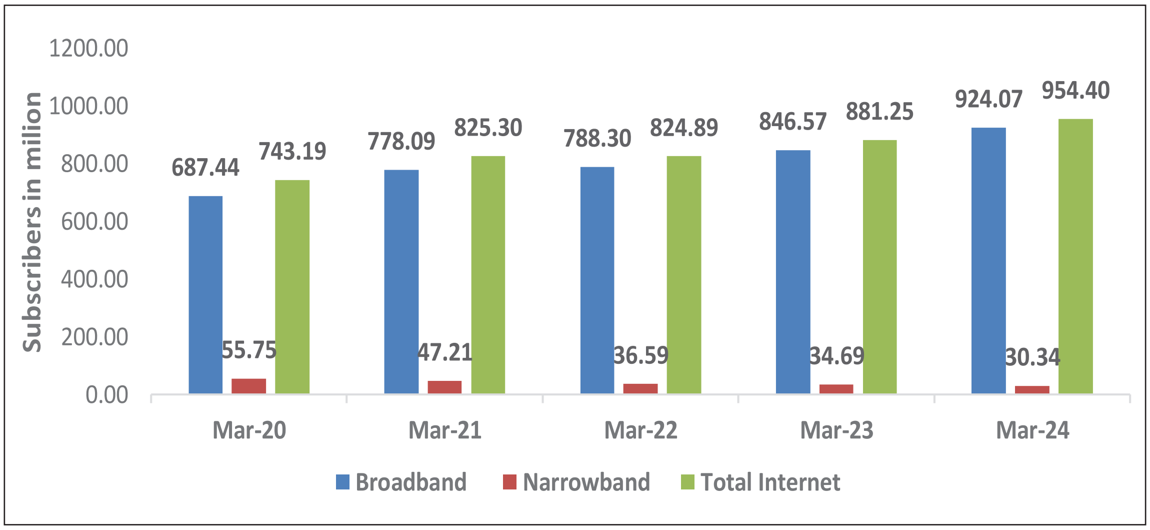

1.2.2.10 पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएँ (पीएमआरटीएस)

पीएमआरटीएस का सब्सक्राइबर आधार दिनांक 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 67,820 से घटकर दिनांक 31 मार्च 2024 के अंत में 65,880 हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 2.86% की दर से 1,940 सब्सक्राइबरों की कमी दर्शाता है। सेवा प्रदाता–वार पीएमआरटीएस सब्सक्राइबर आधार **तालिका–15** में दर्शाया गया है।

तालिका–15: पीएमआरटीएस सब्सक्राइबर आधार – सेवा प्रदाता–वार

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	सब्सक्राइबर आधार समाप्ति	
		मार्च 2023	मार्च 2024
1	एयरटॉक सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	785	1,310
2	आर्य ओमनीटॉक रेडियो ट्रंकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	55,506	53,076
3	भीलवाड़ा टेलीनेट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	883	823
4	इनेटिव नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	1,820	1,820
5	प्रोकॉल लिमिटेड.	4,246	4,320
6	क्विककॉल	1,836	1,982
7	स्मार्टॉक प्राइवेट लिमिटेड	1,691	1,403
8	विवानेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	1,053	1,146
	कुल योग	**67,820**	**65,880**

1.2.2.11 वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) सीयूजी सेवा

वीसैट सब्सक्राइबरों की कुल संख्या दिनांक 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 2,56,170 से मामूली रूप से घटकर दिनांक 31 मार्च 2024 के अंत में 2,53,250 हो गई। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान वीसैट सब्सक्राइबरों की शुद्ध कमी 1.14% की गिरावट दर पर 2,920 थी। सेवा प्रदाता–वार वीसैट सब्सक्राइबर आधार **तालिका–16** में दर्शाया गया है।

तालिका–16: वर्तमान में सेवा प्रदान करने वाले वीसैट (सीयूजी) सेवा प्रदाता और उनका सब्सक्राइबर आधार

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सब्सक्राइबर आधार समाप्ति	
		मार्च 2023	मार्च 2024
1.	ह्यूजेस कम्युनिकेशंस लिमिटेड.	1,76,150	1,79,732
2.	नेल्को लिमिटेड.	70,750	65,484
3.	बीएसएनएल	6,556	5,333
4.	इन्फोटेल सैटकॉम	2,707	2,694
5.	क्लाउडकास्ट डिजिटल लिमिटेड.	7	7
	कुल	**2,56,170**	**2,53,250**

मेसर्स ह्यूजेस कम्युनिकेशंस लिमिटेड 70.97% की बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार में अग्रणी है, जिसके बाद मेसर्स नेल्को लिमिटेड 25.86% और मेसर्स बीएसएनएल 2.11% के साथ दूसरे स्थान पर है।

1.2.3 बुनियादी और मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

1.2.3.1 विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की सूची **तालिका–17** और **तालिका–18** में दर्शाई गई है।

तालिका–17: दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार एक्सेस सर्विसेज प्रदान करने वाले यूएल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंसधारी

क्र. सं.	सेवा प्रदाताओं	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	एडपे मोबाइल पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
2	सर्फ टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु

स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार

तालिका–18: दिनांक 30 जून 2023 तक यूएल/यूएएसएल/यूएल(वीएनओ) लाइसेंसधारियों की संख्या

क्रम सं.	लाइसेंस का प्रकार	30 जून 2023 तक लाइसेंसधारियों की कुल संख्या*	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जोड़े गए लाइसेंसधारियों की संख्या (30 जून 2023 तक *)
1	यूएल	43	01
2	यूएएसएल	06	0
3	यूएल(वीएनओ)	199	04

**डेटा दूरसंचार विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किया गया।*

1.2.4 सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संयोजन

1.2.4.1 अंतर्संयोजन दूरसंचार सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि दूरसंचार सेवाओं के सब्सक्राइबर एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं या अपनी ज़रूरत की सेवाओं से जुड़ नहीं सकते हैं जब तक कि आवश्यक अंतर्संयोजन व्यवस्था न हो। प्रभावी और त्वरित अंतर्संयोजन सुनिश्चित करना दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय वर्ष यानी 2020–21 के दौरान, प्राधिकरण ने दिनांक 10 जुलाई 2020 को "दूरसंचार अंतर्संयोजन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020" को अधिसूचित किया, जिससे किसी भी दो सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (आमतौर पर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के रूप में संदर्भित) और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) और राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) नेटवर्क के बीच अंतर्संयोजन को आसान बनाने के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए।

इन विनियमों का विवरण रिपोर्ट के भाग–II में उपलब्ध है।

1.2.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ प्राधिकरण की पहुंच और संपर्क बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित तकनीकी उपाय किए गएः

i. भादूविप्रा को आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन सेवा प्रदाता का पैनल तैयार करनाः

आईटी प्रभाग ने भादूविप्रा को विभिन्न आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने के लिए 10 एप्लीकेशन सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया है, जिससे भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

ii. भादूविप्रा वेबसाइट का पुनर्विकासः

नवीनतम सुरक्षा सुविधाओं, गतिशील सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस), सोशल मीडिया एकीकरण के साथ मौजूदा भादूविप्रा वेबसाइट को नया रूप देने तथा विभिन्न प्लेटफार्मों से पहुंच सुविधाओं में और सुधार करने और नवीनतम सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भादूविप्रा के पैनल में शामिल एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं में से एक को कार्य करने का आदेश दिया गया है।

iii. डेटा रिपोर्टिंग, विश्लेषण और प्रक्रिया स्वचालन के लिए व्यापक आईटी पारिस्थितिकी तंत्रः

एनआईसीएसआई पैनल वाली एजेंसी को स्टेज–1 यानी डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के लिए लगाया गया है। डीपीआर में मौजूदा प्रक्रियाओं, विभिन्न मौजूदा/नई प्रक्रियाओं/पोर्टल/डेटा, एनालिटिक्स, सुरक्षा, रूपरेखा, हितधारकों द्वारा डेटा प्रस्तुत करने के लिए प्रोटोकॉल आदि के एकीकरण के लिए रोडमैप शामिल होगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आधार बनेगा।

iv. स्पैरो (एसपीएआरआरओडब्ल्यू):

दिनांक 1 जून 2023 से भादूविप्रा ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक आईटी एप्लीकेशन लागू किया है, जिसे एनआईसी द्वारा विकसित स्पैरो (स्मार्ट परफॉरमेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) नाम दिया गया है। वर्ष 2023–24 के लिए स्पैरो पर कुल 220 उपयोगकर्ताओं के खाते बनाए गए हैं।

v. रिपोर्टिंग स्वचालनः

विनियमन/निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न हितधारकों द्वारा भादूविप्रा को डेटा रिपोर्टिंग एक नियमित गतिविधि है। हितधारकों से ऑनलाइन डेटा एकत्र करने की एक प्रणाली लागू है। नई रिपोर्ट, यूआई परिवर्तन और सुरक्षा संवर्द्धन को शामिल करके डेटा प्रस्तुत करना आसान बनाने के लिए सिस्टम को अपडेट किया गया है। एनएसएल/बीबीएंडपीए प्रभागों की विभिन्न रिपोर्टों को अपडेट किया गया है और सीए प्रभाग के लिए नई रिपोर्ट विकसित की गई है।

vi. ऐप्स और पोर्टल्स का क्लाउड प्रबंधन और रखरखावः

भादूविप्रा ने विभिन्न पोर्टल और ऐप लागू किए हैं। पोर्टल और बैक–एंड सेवाएँ क्लाउड पर होस्ट की जाती हैं। सभी पोर्टल/ऐप का रखरखाव किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्षमता अपडेट, सिस्टम पैच आदि शामिल हैं। CERT-IN विक्रेताओं के माध्यम से नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट किए जा रहे हैं। NIC, CERT-IN और अन्य संगठनों से प्राप्त अलर्ट के आधार पर उन्हें साइबर हमले से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

vii. अवसंरचना उन्नयनः

क. अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, भादूविप्रा ने वायरस, वर्म्स, स्पाइवेयर और अन्य मैलवेयर आदि सहित खतरों से सुरक्षा के लिए एंडपॉइंट सुरक्षा समाधान लागू किया है। यह सुरक्षा, प्रदर्शन, प्रबंधन और अनुपालन क्षमताओं को जोड़ता है, जिससे प्रशासक के लिए भादूविप्रा में संपूर्ण एंडपॉइंट्स का प्रबंधन करना आसान हो जाता है।

ख. आईटी प्रभाग ने कार्यप्रणाली की कुशलता के लिए भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों के लिए 104 डेस्कटॉप खरीदे हैं।

ग. आईटी टीम ने सलाहकार के साथ मिलकर नए भवन के लिए आईटी अवसंरचना की आवश्यकता को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें एंडपॉइंट नेटवर्क (वायर्ड/वायरलेस), सुरक्षा, भंडारण, अतिरेक आदि शामिल हैं। इससे भादूविप्रा को अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना बनाने में मदद मिलेगी, जो भविष्य के लिए तैयार होगी।

घ. भादूविप्रा में सभी सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए, विभिन्न लाइसेंसों जैसे टेबल्यू, एडोब एक्रोबैट, एमएस ऑफिस 365, एसएसएल सर्टिफिकेट आदि की समय पर निगरानी की जा रही है और इनकी समाप्ति पर आवश्यक नवीनीकरण किया जा रहा है।

1.2.6. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

1.2.6.1 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी)–2018 डिजिटल सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल संचार नेटवर्क की परिवर्तनकारी शक्ति को अनलॉक करने की मांग करती है। एनडीसीपी–2018 चौथी औद्योगिक क्रांति को उत्प्रेरित करने के लिए 5जी, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), क्लाउड और बीडी सहित उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का दोहन करने की दिशा में प्रेरित करती है। एआई, उभरती प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में इसके उपयोग के लिए एक रोडमैप बनाने के लिए दिनांक 6 जून 2019 के पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एनडीसीपी–2018 के प्रावधान संख्या 2.2(जी) यानी "सेवा की समग्र गुणवत्ता, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, नेटवर्क सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक समन्वित और प्रभावी तरीके से आर्टिफिशियल/इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाना" पर भादूविप्रा की अनुशंसा मांगी थी। भादूविप्रा ने दिनांक 5 अगस्त 2022 को "दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाने" पर परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। परामर्श पत्र (सीपी) में सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया।

हितधारकों की टिप्पणियों, ओपन हाउस चर्चा और उसके विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 20 जुलाई 2023 को "दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाने" पर अपनी अनुशंसाएँ दीं। सभी क्षेत्रों में एआई के प्रभाव को देखते हुए, दूरसंचार के लिए सुझाए जाने वाले ढांचे को अलग–थलग नहीं माना जा सकता है और इसलिए अनुशंसाओं में सभी क्षेत्रों को कवर करने वाला एक सामान्य ढांचा सुझाया गया है। अनुशंसाओं का विवरण रिपोर्ट के भाग II में शामिल किया गया है।

1.2.6.2 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 (NDCP–2018) घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके, निर्यात को बढ़ाकर और नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरणों के संबंध में आयात बोझ को कम करके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के योगदान को अधिकतम करने की परिकल्पना करती है, जिसे संक्षेप में NATE कहा जाता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्रमुख जोर क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति, 2019 (NEP) में वैश्विक व्यापार के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) के आधार पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधाजनक कार्यक्रम और प्रोत्साहन ढांचे का निर्माण करने की भी परिकल्पना की गई है।

एनडीसीपी–2018 के उद्देश्यों और दूरसंचार विभाग (डीओटी) से एनएटीई के निर्माण के कुछ पहलुओं पर प्राप्त संदर्भ के आधार पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने इस विषय पर समग्रता से विचार किया और दिनांक 22 सितंबर 2023 को "भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण (एनएटीईएम) को बढ़ावा देने" पर अनुशंसाएँ जारी कीं। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य 'घरेलू उत्पादन बढ़ाने' की अवधारणा से आगे बढ़ना और 'वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में स्थानीय मूल्य संवर्धन' पर ध्यान केंद्रित करना है। अनुशंसाओं में शामिल कुछ फोकस क्षेत्र इस प्रकार हैं:

(i) देश भर में मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भागीदारी में स्थानीय मूल्य संवर्धन को सुविधाजनक बनाना;

(ii) नई पीढ़ी के नेटवर्क में नेटवर्क तत्वों के समकालीन सॉफ्टवेयरीकरण के अनुसार एक अलग उत्पाद लाइन के रूप में "दूरसंचार सॉफ्टवेयर" पर उचित जोर;

(iii) भारत से निर्यात को सुविधाजनक बनाना

(iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट–अप को बढ़ावा देकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

(v) भारत में एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना

अनुशंसाओं का विवरण रिपोर्ट के भाग II में दिया गया है।

1.2.7 सेवा की गुणवत्ता (QoS)

1.2.7.1 वर्ष 2023–24 के दौरान, सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और सेवा की गुणवत्ता पर सूचना के प्रसार के फोकस में बदलाव आया है तथा प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों पर अधिक ध्यान दिया गया है।

रिपोर्ट के भाग–II में विस्तृत जानकारी दी गई है।

1.2.8 सार्वभौमिक सेवा दायित्व

1.2.8.1 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (यथा संशोधित) के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा दायित्व को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सस्ती और उचित कीमतों पर टेलीग्राफ सेवाओं तक पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है। देश के वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 के तहत दिनांक 1 अप्रैल 2002 को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की स्थापना की गई थी ।

तब से, सरकार ने ब्रॉडबैंड के प्रसार और आम लोगों तक इंटरनेट की पहुँच में सुधार के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का उपयोग करके कई योजनाएँ शुरू की हैं। प्राधिकरण देश के सुदूर और दूर–दराज के इलाकों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने इस अवधि के दौरान दिनांक 24 अप्रैल 2023 को "लद्दाख के दूर–दराज के इलाकों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" पर अनुशंसाएँ जारी की। यह अनुशंसा की गई है कि लद्दाख के 3 अछूते गांवों को '4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति' परियोजना के 20% विस्तार प्रावधान के तहत यूएसओएफ द्वारा शामिल किया जाना चाहिए। लद्दाख के 19 गांवों में मौजूदा गैर–4जी आधारित सेलुलर मोबाइल बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए कैपेक्स और ओपेक्स व्यय यूएसओएफ द्वारा 20% अतिरिक्त दायरे के प्रावधानों के तहत किया जाना है, जो यूएसओएफ प्रायोजित "देश भर में बिना कवरेज वाले गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति" में मौजूद है, ताकि इस सेलुलर बुनियादी ढांचे को 4जी आधारित सेवा में अपग्रेड किया जा सके। इसके अलावा, भादूविप्रा ने दिनांक 22 सितंबर 2023 को "भारत के पूर्वोत्तर राज्य में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार" पर अनुशंसाएँ भी जारी की है। अपनी अनुशंसाओं में, भादूविप्रा द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि दूरसंचार विभाग/यूएसओएफ को उन सभी बीएचक्यू को ओएफसी कनेक्टिविटी के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) मॉडल पर कैपेक्स सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए, जिनके पास ओएफसी कनेक्टिविटी नहीं है। प्राधिकरण ने दिनांक 29 सितंबर 2023 को "हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार" पर अनुशंसाएँ भी जारी की हैं, जिसमें क्रमशः चंबा और लाहौल और स्पीति जिलों में एक–एक ब्लॉक मुख्यालय को यूएसओएफ का उपयोग करके ओएफसी से जोड़ने की अनुशंसा की गई है।

(ग) प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

(i) प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएँ शामिल हैं। टेलीविजन सेवाएँ केबल टीवी सेवाओं, डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) सेवा, हेडएंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवाओं और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, टीवी जगत में लगभग 62 मिलियन केबल टीवी घर, 2 मिलियन एचआईटीएस सब्सक्राइबर शामिल हैं। इसके अलावा, जैसा कि पे डीटीएच ऑपरेटरों ने भादूविप्रा को बताया है, दिनांक 31 मार्च 2024 तक 61.97 मिलियन पे डीटीएच कुल सक्रिय सब्सक्राइबर थे। इसके अलावा, आईपीटीवी ऑपरेटरों द्वारा रिपोर्ट किया गया सब्सक्राइबर आधार दिनांक 31 मार्च 2024 तक 0.5 मिलियन था ।

(ii) टीवी प्रसारण क्षेत्र में दिनांक 31 मार्च 2024 तक 922 निजी सैटेलाइट टीवी चैनल प्रदान करने वाले लगभग 333 प्रसारक शामिल हैं। इन टेलीविजन चैनलों में 41 टेलीविजन प्रसारकों द्वारा प्रदान किए गए 258 एसडी पे टीवी चैनल और 103 एचडी पे टीवी चैनल शामिल हैं। इसके अलावा, 880 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), 1 हिट्स ऑपरेटर, 4 पे डीटीएच ऑपरेटर और 33 आईपीटीवी ऑपरेटर थे। इसके अलावा, एमआईबी के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार देश में 81,706 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे।

(iii) भारतीय टेलीविजन उद्योग का राजस्व वर्ष 2023 में ₹ 69,600 करोड़ का है, जबकि वर्ष 2022 में यह ₹ 70,900 करोड़ था, जिसमें लगभग 1.8% की गिरावट दर्ज की गई है। सब्सक्रिप्शन राजस्व समग्र उद्योग राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। सब्सक्रिप्शन राजस्व वर्ष 2022 में ₹ 39,200 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023 में ₹ 39,900 करोड़ हो गया है। इसके अलावा, विज्ञापन राजस्व वर्ष 2022 में ₹ 31,800 करोड़ से घटकर वर्ष 2023 में ₹ 29,700 करोड़ हो गया है।

(iv) निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक सेवा प्रसारक– ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) द्वारा संचालित रेडियो चैनलों के अलावा 388 निजी एफएम रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे थे। जहां तक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित आंकड़ों का सवाल है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऐसे स्टेशनों की स्थापना के लिए दिनांक 31 मार्च 2024 तक जारी की गई 605 लाइसेंसों में से 494 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्यरत थे। निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा रिपोर्ट की गई विज्ञापन आय ₹ 1547.13 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 1775.79 करोड़ हो गई है।

1.3 इस क्षेत्र में केबल टीवी सेवाएँ, डीटीएच सेवाएँ, एचआईटीएस सेवाएँ, आईपीटीवी सेवाएँ और रेडियो प्रसारण सेवाएँ शामिल हैं। प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

1.3.1 सैटेलाइट टीवी चैनल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त सैटेलाइट टीवी चैनलों की कुल संख्या मार्च 2024 के अंत तक 922 तक पहुंच गई है। **चित्र–17** पिछले पांच वर्षों के दौरान टीवी चैनलों की वर्षवार कुल संख्या दर्शाता है। स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) पे टीवी चैनलों की संख्या मार्च 2020 के अंत में 235 से बढ़कर मार्च 2024 के अंत तक 258 हो गई है। **चित्र–18** पिछले पांच वर्षों के दौरान एसडी पे टीवी चैनलों की वर्षवार कुल संख्या दर्शाता है। **चित्र–19** पिछले पांच वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए

गए एचडी चैनलों की वर्षवार संख्या दर्शाता है। मार्च 2024 के अंत तक कुल 103 ऑपरेशनल एचडी चैनल थे। प्रसारकों और उनके पे टीवी चैनलों (एसडी और एचडी) की सूची इस रिपोर्ट के एक अंत में अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

चित्र–17: भारत में सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या

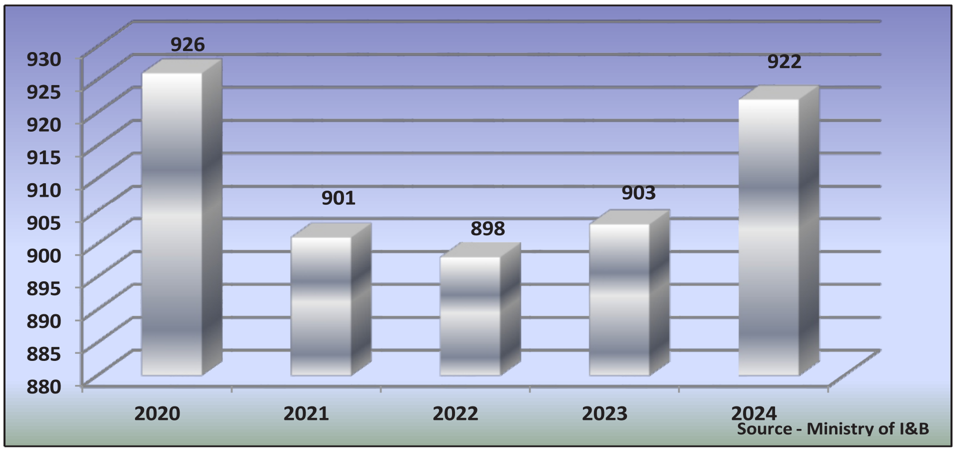

चित्र–18 : एसडी सैटेलाइट पे टीवी चैनलों की संख्या

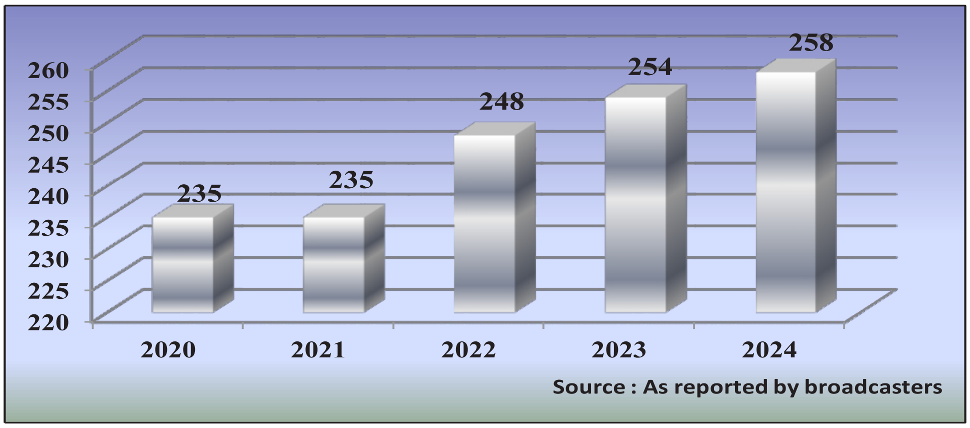

चित्र–19: एचडी सैटेलाइट पे टीवी चैनलों की संख्या

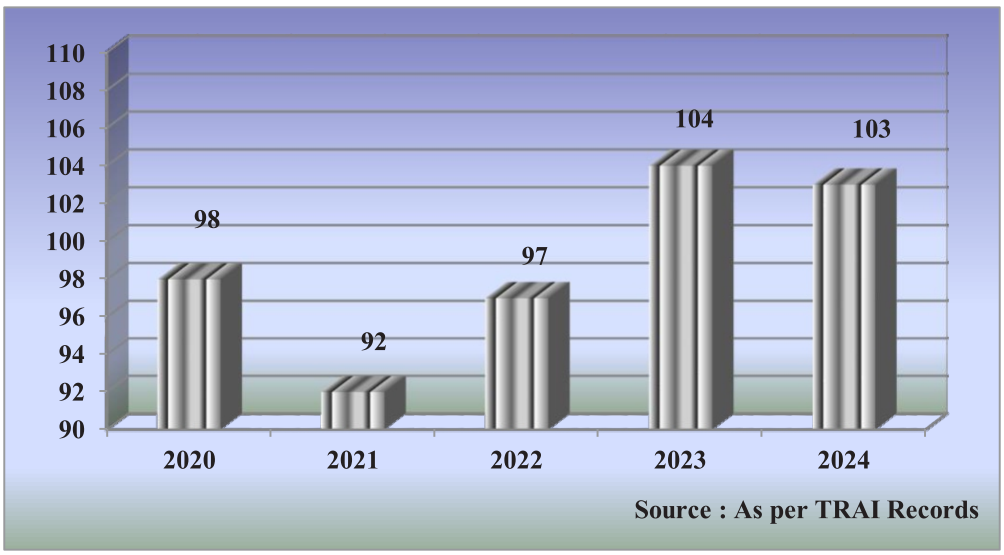

1.3.2 डीटीएच सेवाएं

पे डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा भादूविप्रा को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, पे डीटीएच ने मार्च 2024 के अंत तक लगभग 61.97 मिलियन का कुल सक्रिय सब्सक्राइबर आधार प्राप्त कर लिया था। यह डीडी फ्री डिश (दूरदर्शन की मुफ्त डीटीएच सेवाएं) के सब्सक्राइबरों के अतिरिक्त है। मार्च 2024 के अंत तक, इस सब्सक्राइबर आधार को पूरा करने वाले 4 पे डीटीएच सेवा प्रदाता थे। पे डीटीएच ऑपरेटरों की सूची अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न है। निवल सक्रिय सब्सक्राइबर आधार के संदर्भ में इस क्षेत्र की वार्षिक स्थिति को **चित्र–20** में दर्शाया गया है।

चित्र–20: पे डीटीएच क्षेत्र का कुल सक्रिय सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

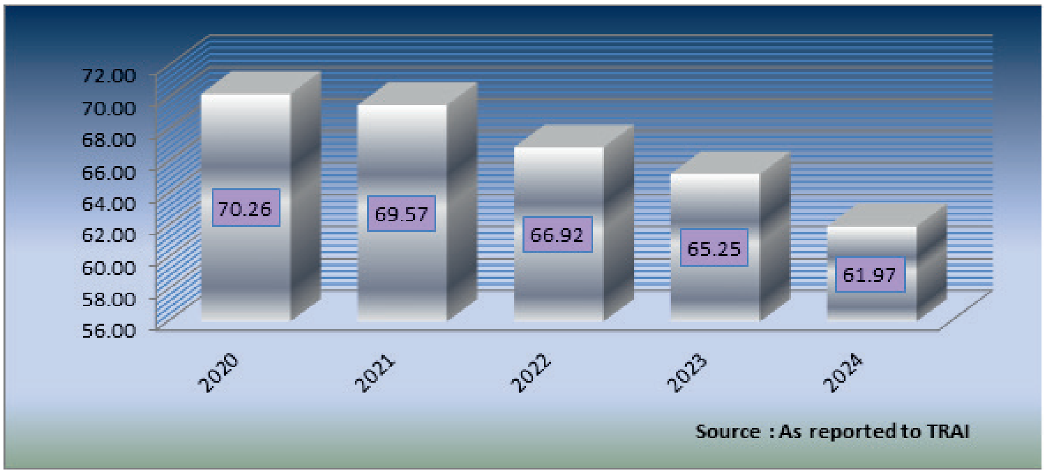

पारंपरिक टीवी चैनलों की उपलब्धता में वृद्धि के अलावा, पे डीटीएच ऑपरेटरों ने कई नवीन पेशकश और मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएस) जैसे मूवी–ऑन–डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग, शिक्षा आदि को जोड़ना जारी रखा है।

1.3.3 एफएम रेडियो

रेडियो अपनी विस्तृत कवरेज, पोर्टेबिलिटी, सेट–अप की कम लागत और किफायत जैसे व्यापक गुणों के कारण जनसंचार का एक लोकप्रिय साधन है। भारत में, रेडियो कवरेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन (AM) मोड और फ़्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (FM) मोड में शॉर्ट–वेव (SW) और मीडियम–वेव (MW) बैंड में उपलब्ध है। FM रेडियो प्रसारण आज, जनता को मनोरंजन, सूचना और शिक्षा प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय और व्यापक माध्यम है। निजी FM रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक सेवा प्रसारक – ऑल इंडिया रेडियो (AIR) द्वारा संचालित रेडियो चैनलों के अलावा 388 निजी FM रेडियो स्टेशन चालू थे।

निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को दी गई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2024 तक 36 निजी एफएम प्रसारकों द्वारा 113 शहरों में 388 एफएम रेडियो स्टेशन चालू किए गए हैं। रेडियो प्रसारण क्षेत्र में निजी एफएम प्रसारकों की शुरूआत ने श्रोताओं को अच्छी गुणवत्ता का रिसेप्शन और सामग्री प्रदान करते हुए रेडियो कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ–साथ इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। वर्ष 2023–24 में निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को सूचित विज्ञापन राजस्व ₹ 1775.79 करोड़ था। निजी एफएम रेडियो स्टेशनों का वर्षवार कुल विज्ञापन राजस्व **चित्र–21** में दर्शाया गया है।

चित्र–21 : एफएम रेडियो विज्ञापन राजस्व

(₹ करोड़ में)

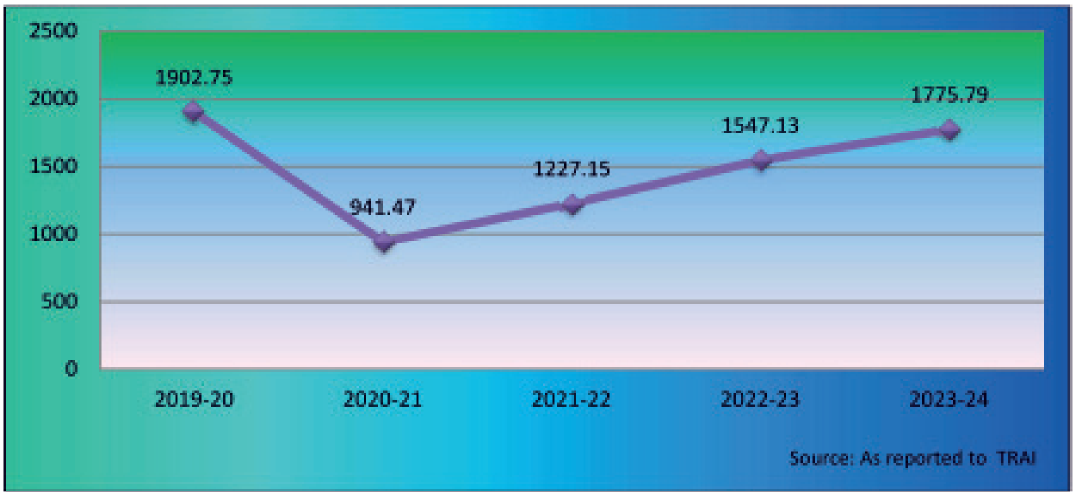

1.3.4 सामुदायिक रेडियो

रेडियो परिदृश्य में विकास का एक अन्य क्षेत्र देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की संख्या में विस्तार है। इस देश के विशाल परिदृश्य, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को देखते हुए सीआरएस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। सामुदायिक रेडियो प्रसारण छोटे समूहों और समुदायों के नेटवर्किंग के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर सकता है, जिसका विशेष ध्यान आम आदमी की दैनिक चिंताओं पर होता है और उन्हें स्थानीय आकांक्षाओं को साकार करने में मदद करता है। सीआरएस की स्थापना गैर–लाभकारी समुदाय–आधारित संगठनों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों में भी की जाती है। इसमें नागरिक समाज और स्वैच्छिक संगठन, राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, पंजीकृत सोसायटी और स्वायत्त निकाय और सोसायटी अधिनियम या इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक किसी अन्य ऐसे अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 494 सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रचालनरत थे। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वार्षिक वृद्धि **चित्र–22** में दर्शाई गई है।

चित्र–22: सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या

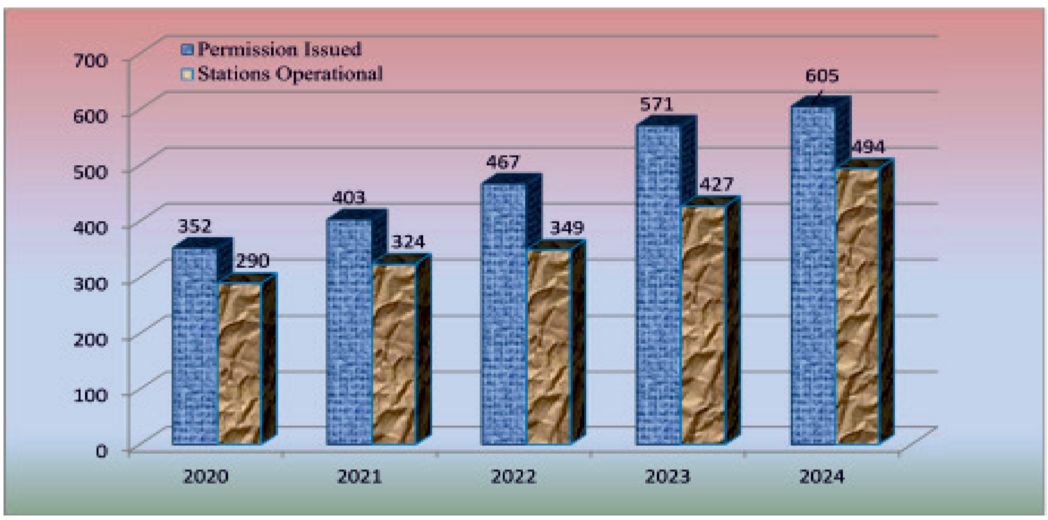

देश में प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति **तालिका–19** में दी गई है ।

तालिका–19: प्रसारण एवं केबल सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति

(दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त प्रसारकों की संख्या (लगभग)	333
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों की संख्या	880
स्थानीय केबल ऑपरेटरों की संख्या (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार)	81,706
पे डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	4
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या	922
एसडी पे टीवी चैनलों की संख्या	258
एचडी टीवी चैनलों की संख्या	103
एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (आकाशवाणी को छोड़कर)	388
प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	494

अनुलग्नक – I

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार पे टीवी चैनलों की सूची

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	SD या HD के रूप में घोषित
1	एईटीएन 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	द हिस्ट्री चैनल	एसडी
		2	हिस्ट्री टीवी 18 एचडी	एचडी
2	बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	3	सोनी AATH	एसडी
		4	सोनी मराठी	एसडी
3	बीबीसी ग्लोबल न्यूज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5	बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़	एसडी
		6	सीबीबीज़	एसडी
4	बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड	7	ज़ूम	एसडी
		8	रोमेडी नाउ	एसडी
		9	एमएन + (एचडी)	एचडी
		10	मिरर नाउ	एसडी
		11	ईटी नाउ	एसडी
		12	टाइम्स नाउ	एसडी
		13	टाइम्स नाउ नवभारत एचडी	एचडी
		14	मूवीज़ नाउ एचडी	एचडी
		15	एमएनएक्स एचडी	एचडी
		16	ईटी नाउ स्वदेश	एसडी
		17	एमएनएक्स	एसडी
		18	टाइम्स नाउ वर्ल्ड (एचडी)	एचडी
5	सेलेब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	19	ट्रैवल एक्सपी एचडी	एचडी
		20	ट्रैवल एक्सपी तमिल	एसडी
		21	फ़ूडएक्सपी	एसडी
6	सीएसएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	22	जन टीवी प्लस	एसडी
7	डायरेक्ट न्यू प्राइवेट लिमिटेड	23	न्यूज़एक्स	एसडी
		24	न्यूज़एक्स वर्ल्ड	एसडी
8	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया	25	एनिमल प्लैनेट	एसडी
		26	डिस्कवरी चैनल	एसडी
		27	डीटीएमिल	एसडी
		28	डिस्कवरी किड्स चैनल	एसडी
		29	डिस्कवरी साइंस	एसडी
		30	डिस्कवरी टर्बो	एसडी
		31	इंवेस्टिगेशन डिस्कवरी	एसडी
		32	डिस्कवरी एचडी	एचडी
		33	एनिमल प्लैनेट एचडी	एचडी
		34	टीएलसी एचडी	एचडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	SD या HD के रूप में घोषित
		35	इंवेस्टिगेशन डिस्कवरी एचडी	एचडी
		36	टीएलसी	एसडी
		37	यूरोस्पोर्ट एचडी	एचडी
		38	यूरोस्पोर्ट	एसडी
9	डिज्नी ब्रॉडकास्टिंग (इंडिया) लिमिटेड	39	डिज्नी जूनियर	एसडी
		40	सुपर हंगामा (मार्वल एचक्यू)	एसडी
		41	डिज्नी इंटरनेशनल एचडी	एचडी
		42	हंगामा टीवी	एसडी
		43	डिज्नी चैनल	एसडी
		44	बिंदास	एसडी
		45	डिज्नी चैनल एचडी	एचडी
10	ईनाडु टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	46	ईटीवी तेलुगु	एसडी
		47	ईटीवी आंध्र प्रदेश	एसडी
		48	ईटीवी – तेलंगाना	एसडी
		49	ईटीवी सिनेमा	एसडी
		50	ईटीवी लाइफ	एसडी
		51	ईटीवी प्लस	एसडी
		52	ईटीवी अभिरुचि	एसडी
		53	ईटीवी एचडी	एचडी
		54	ईटीवी प्लस एचडी	एचडी
		55	ईटीवी सिनेमा एचडी	एचडी
		56	ईटीवी बालभारत हिंदी	एसडी
		57	ईटीवी बालभारत इंग्लिश	एसडी
		58	ईटीवी बालभारत एचडी	एचडी
		59	ईटीवी बालभारत एसडी	एसडी
11	आईएन 10 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	60	एपिक टीवी	एसडी
		61	फिलमची	एसडी
		62	गुब्बारे	एसडी
		63	शोबॉक्स	एसडी
		64	इशारा टीवी	एसडी
12	इनफार्मेशन टीवी प्राइवेट लिमिटेड	65	भारत समाचार	एसडी
१३	फेम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	66	फोर टीवी न्यूज़	एसडी
14	ग्रेसेल्स18 मीडिया लिमिटेड	67	टॉपर टीवी	एसडी
15	आईबीएन लोकमत न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	68	न्यूज़ 18 लोकमत	एसडी
16	लाइफस्टाइल एंड मीडिया ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड	69	गुड टाइम्स	एसडी
17	मेविस सैटकॉम लिमिटेड	70	जे मूवीज़	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	SD या HD के रूप में घोषित
		71	जया मैक्स	एसडी
		72	जया प्लस	एसडी
		73	जया टीवी एचडी	एचडी
18	एमएसएम वर्ल्डवाइड फैक्टुअल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	74	सोनी बीबीसी अर्थ	एसडी
		75	सोनी बीबीसी अर्थ एचडी	एचडी
19	मीडिया वर्ल्डवाइड लिमिटेड	76	ट्रैवल एक्सपी	एसडी
		77	वुमन	एसडी
20	न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड	78	एनडीटीवी 24x7	एसडी
		79	एनडीटीवी इंडिया	एसडी
		80	एनडीटीवी प्रॉफिट	एसडी
21	एनजीसी नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	81	स्टार लाइफ	एसडी
		82	नेशनल जियोग्राफिक चैनल (एनजीसी)	एसडी
		83	स्टार लाइफ एचडी	एचडी
		84	नेट जियो वाइल्ड	एसडी
		85	नेशनल ज्योग्राफिक एचडी	एचडी
		86	नेट जियो वाइल्ड एचडी	एचडी
22	पोलिमर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	87	ज्योति टीवी	एसडी
23	तरंग ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड	88	प्रार्थना	एसडी
		89	तरंग	एसडी
		90	तरंग म्यूजिक	एसडी
		91	अलंकार	एसडी
24	ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड	92	तरंग एचडी	एचडी
25	राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड	93	राज डिजिटल प्लस	एसडी
		94	राज म्यूजिक्स	एसडी
		95	राज न्यूज़	एसडी
		96	राज टीवी	एसडी
		97	राज नागाइचुवई	एसडी
		98	राज परिवार	एसडी
26	सिल्वरस्टार कम्युनिकेशंस लिमिटेड	99	मेगा 24	एसडी
		100	मेगा म्यूज़िकि	एसडी
		101	मेगा टीवी	एसडी
27	कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	102	सोनी याय!	एसडी
		103	सोनी मैक्स	एसडी
		104	सोनी सब	एसडी
		105	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल (सेट)	एसडी
		106	सोनी पिक्स	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	SD या HD के रूप में घोषित
		107	सोनी मैक्स 2	एसडी
		108	सोनी पल	एसडी
		109	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल एचडी	एचडी
		110	पिक्स एचडी	एचडी
		111	मैक्स एचडी	एचडी
		112	सोनी स्पोर्ट्स टेन 2 एचडी	एचडी
		113	सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 एचडी	एचडी
		114	सोनी स्पोर्ट्स टेन 2	एसडी
		115	सोनी स्पोर्ट्स टेन 1	एसडी
		116	सोनी स्पोर्ट्स टेन 3	एसडी
		117	सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 एचडी	एचडी
		118	सोनी वाह	एसडी
		119	सब एचडी	एचडी
		120	सोनी स्पोर्ट्स टेन 4	एसडी
		121	सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 एचडी	एचडी
		122	सोनी स्पोर्ट्स टेन 5	एसडी
		123	सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 एचडी	एचडी
28	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	124	स्टार स्पोर्ट्स 3	एसडी
		125	स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल	एसडी
		126	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2	एसडी
		127	स्टार भारत	एसडी
		128	स्टार गोल्ड 2 (मूवीज ओके)	एसडी
		129	स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी	एसडी
		130	स्टार गोल्ड	एसडी
		131	स्टार जलसा	एसडी
		132	स्टार मूवीज़	एसडी
		133	स्टार गोल्ड सेलेक्ट	एसडी
		134	स्टार प्लस	एसडी
		135	स्टार प्रवाह	एसडी
		136	स्टार स्पोर्ट्स 1	एसडी
		137	स्टार स्पोर्ट्स 2	एसडी
		138	जलसा मूवीज	एसडी
		139	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 2	एचडी
		140	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 1	एचडी
		141	स्टार भारत एचडी	एचडी
		142	स्टार गोल्ड एचडी	एचडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	SD या HD के रूप में घोषित
		143	स्टार मूवीज़ एचडी	एचडी
		144	स्टार प्लस एचडी	एचडी
		145	स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी हिंदी	एचडी
		146	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1	एसडी
		147	स्टार मूवीज सेलेक्ट एचडी	एचडी
		148	स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट	एसडी
		149	माँ गोल्ड	एसडी
		150	माँ मूवीज़	एसडी
		151	माँ म्यूजिक	एसडी
		152	माँ टीवी	एसडी
		153	स्टार प्रवाह एचडी	एचडी
		154	स्टार जलशा एचडी	एचडी
		155	जलशा मूवीज एचडी	एचडी
		156	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट एचडी 1	एचडी
		157	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट एचडी 2	एचडी
		158	माँ एचडी	एचडी
		159	स्टार गोल्ड सेलेक्ट एचडी	एचडी
		160	माँ मूवीज एचडी	एचडी
		161	स्टार स्पोर्ट 1 तेलुगु	एसडी
		162	स्टार स्पोर्ट 1 कन्नड़	एसडी
		163	स्टार उत्सव	एसडी
		164	स्टार उत्सव मूवीज़	एसडी
		165	स्टार गोल्ड रोमांस	एसडी
		166	स्टार गोल्ड थ्रिल्स	एसडी
		167	प्रवाह पिक्चर्स	एसडी
		168	स्टार किरण	एसडी
		169	स्टार मूवीज़ सेलेक्ट	एसडी
		170	स्टार गोल्ड 2 एचडी	एचडी
		171	स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल एचडी	एचडी
		172	स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु एचडी	एचडी
		173	स्टार किरण एचडी	एचडी
		174	प्रवाह पिक्चर्स एचडी	एचडी
		175	विजय टीवी	एसडी
		176	विजय सुपर	एसडी
		177	विजय एचडी	एचडी
		178	विजय टक्कर (विजय म्यूजिक)	एसडी
		179	एशियानेट	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	SD या HD के रूप में घोषित
		180	एशियानेट प्लस	एसडी
		181	एशियानेट मूवीज़	एसडी
		182	सुवर्णा प्लस	एसडी
		183	स्टार सुवर्णा एचडी	एचडी
		184	एशियानेट एचडी	एचडी
		185	स्टार सुवर्णा	एसडी
		186	विजय सुपर एचडी	एचडी
		187	एशियानेट मूवीज़ एचडी	एचडी
29	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	188	आदित्य टीवी	एसडी
		189	चिंटू टीवी	एसडी
		190	छुट्टी टीवी	एसडी
		191	जेमिनी कॉमेडी	एसडी
		192	जेमिनी लाइफ	एसडी
		193	जेमिनी मूवीज़	एसडी
		194	जेमिनी म्यूजिक	एसडी
		195	जेमिनी टीवी	एसडी
		196	केटीवी	एसडी
		197	सूर्या मूवीज़	एसडी
		198	कुशी टीवी	एसडी
		199	सन लाइफ	एसडी
		200	सन म्यूजिक	एसडी
		201	सन न्यूज़	एसडी
		202	सूर्या म्यूजिक	एसडी
		203	सन टीवी	एसडी
		204	सूर्या कॉमेडी	एसडी
		205	सूर्या टीवी	एसडी
		206	उदय कॉमेडी	एसडी
		207	उदय मूवीज़	एसडी
		208	उदय म्यूजिक	एसडी
		209	उदय टीवी	एसडी
		210	कोचू टीवी	एसडी
		211	सन टीवी एचडी	एचडी
		212	केटीवी एचडी	एचडी
		213	सन म्यूजिक एचडी	एचडी
		214	जेमिनी टीवी एचडी	एचडी
		215	जेमिनी म्यूजिक एचडी	एचडी
		216	जेमिनी मूवीज एचडी	एचडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	SD या HD के रूप में घोषित
		217	सूर्या टीवी एचडी	एचडी
		218	उदय टीवी एचडी	एचडी
30	सूर्यांश ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	219	फ्लावर्स	एसडी
31	वार्नर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	220	कार्टून नेटवर्क	एसडी
		221	सीएनएन इंटरनेशनल	एसडी
		222	पोगो	एसडी
		223	कार्टून नेटवर्क एचडी.	एचडी
32	टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड	224	सीएनएन न्यूज 18	एसडी
		225	सीएनबीसी बाजार	एसडी
		226	सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम एचडी	एचडी
		227	सीएनबीसी आवाज़	एसडी
		228	न्यूज़ 18 तमिलनाडु	एसडी
		229	न्यूज़ 18 केरल	एसडी
		230	न्यूज़ 18 असम / उत्तर पूर्व	एसडी
		231	न्यूज़ 18 इंडिया	एसडी
		232	सीएनबीसी टीवी 18	एसडी
		233	न्यूज 18 बिहार/झारखंड	एसडी
		234	न्यूज 18 मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़	एसडी
		235	न्यूज़ 18 राजस्थान	एसडी
		236	न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश/ उत्तराँचल	एसडी
		237	न्यूज़ 18 जम्मू/कश्मीर/ लद्दाख/हिमाचल	एसडी
		238	न्यूज़ 18 कन्नड़	एसडी
		239	न्यूज़ 18 बांग्ला	एसडी
		240	न्यूज़ 18 पंजाब/हरियाणा	एसडी
		241	न्यूज़ 18 गुजराती	एसडी
		242	न्यूज़ 18 उड़िया	एसडी
33	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड	243	आजतक	एसडी
		244	इंडिया टुडे	एसडी
		245	आज तक एचडी	एचडी
		246	गुड न्यूज टूडे	एसडी
34	वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	247	कलर्स	एसडी
		248	कॉमेडी सेंट्रल (एचडी)	एचडी
		249	एमटीवी	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	SD या HD के रूप में घोषित
		250	निक	एसडी
		251	निक जूनियर	एसडी
		252	सोनिक	एसडी
		253	वीएच 1 (एचडी वितरण)	एचडी
		254	कलर्स इन्फिनिटी एचडी	एचडी
		255	कलर्स इन्फिनिटी	एसडी
		256	कलर्स एचडी	एचडी
		257	निक्स एचड़ी	एचडी
		258	कलर्स सिनेप्लेक्स	एसडी
		259	एमटीवी बीट्स	एसडी
		260	कलर्स कन्नड़ एचडी	एचडी
		261	कलर्स मराठी एचडी	एचडी
		262	कलर्स बांग्ला एचडी	एचडी
		263	कलर्स सुपर	एसडी
		264	कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड	एसडी
		265	खेल 18 1	एसडी
		266	खेल 18 1 एचडी	एचडी
		267	खेल 18 2	एसडी
		268	खेल 18 3	एसडी
		269	कलर्स बांग्ला	एसडी
		270	कलर्स गुजराती	एसडी
		271	कलर्स कन्नड़	एसडी
		272	कलर्स मराठी	एसडी
		273	कलर्स ओडिया	एसडी
		274	एमटीवी बीट्स एचडी	एचडी
		275	कलर्स तमिल	एसडी
		276	कलर्स सिनेप्लेक्स एचडी	एचडी
		277	वीएच 1	एसडी
		278	कलर्स तमिल एचडी	एचडी
		279	एमटीवी एचडी	एचडी
		280	कलर्स रिश्ते	एसडी
		281	कलर्स कन्नड़ सिनेमा	एसडी
		282	कलर्स गुजराती सिनेमा	एसडी
		283	कॉमेडी सेंट्रल	एसडी
		284	कलर्स बांग्ला सिनेमा	एसडी
		285	कलर्स सिनेप्लेक्स सुपरहिट	एसडी
35	ज़ी आकाश न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड	286	ज़ी 24 घंटा	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	SD या HD के रूप में घोषित
36	ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड	287	ज़ी बॉलीवुड	एसडी
		288	एक्शन सिनेमा	एसडी
		289	ज़ी बांग्ला सिनेमा	एसडी
		290	ज़ी कैफ़े एचडी	एचडी
		291	ज़ी कैफ़े	एसडी
		292	ज़ी सिनेमा	एसडी
		293	ज़ी टॉकीज़	एसडी
		294	जी टीवी	एसडी
		295	जिंग	एसडी
		296	& पिक्चर्स	एसडी
		297	ज़ी बांग्ला	एसडी
		298	ज़ी मराठी	एसडी
		299	ज़ी ज़ेस्ट एचडी	एचडी
		300	ज़ी जेस्ट	एसडी
		301	ज़ी टीवी एचडी	एचडी
		302	ज़ी सिनेमा एचडी	एचडी
		303	& टीवी	एसडी
		304	& टीवी एचडी	एचडी
		305	ज़ी कन्नड़	एसडी
		306	ज़ी तेलुगु	एसडी
		307	& पिक्चर्स एचडी	एचडी
		308	ज़ी सिनेमालू	एसडी
		309	ज़ी युवा	एसडी
		310	ज़ी मराठी एचडी	एचडी
		311	& प्राइव एचडी	एचडी
		312	ज़ी बांग्ला एचडी	एचडी
		313	ज़ी तमिल एच.डी.	एचडी
		314	ज़ी सिनेमालू एचडी	एचडी
		315	ज़ी तेलुगु एचडी	एचडी
		316	ज़ी तमिल	एसडी
		317	ज़ी कन्नड़ एचडी	एचडी
		318	ज़ी अनमोल सिनेमा	एसडी
		319	& फ्लिक्स एचडी	एचडी
		320	& फ्लिक्स	एसडी
		321	ज़ी केरलम एचडी	एचडी
		322	ज़ी केरलम	एसडी
		323	ज़ी अनमोल	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	SD या HD के रूप में घोषित
		324	बिग म्यूजिक	एसडी
		325	ज़ी गंगा	एसडी
		326	ज़ी क्लासिक	एसडी
		327	& एक्सप्लोर एचडी	एचडी
		328	ज़ी सार्थक	एसडी
		329	ज़ी टॉकीज़ एचडी	एचडी
		330	ज़ी पंजाबी	एसडी
		331	ज़ी थिराई	एसडी
		332	ज़ी पिचर	एसडी
		333	ज़ी थिराई एचडी	एचडी
		334	ज़ी पिचर एचडी	एचडी
		335	ज़ी बाइस्कोप	एसडी
37	ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	336	ज़ी 24 तास	एसडी
		337	ज़ी दिल्ली एनसीआर हरियाणा (ज़ी ओडिशा)	एसडी
		338	ज़ी बिज़नेस	एसडी
		339	ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल	एसडी
		340	ज़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	एसडी
		341	सलाम टीवी	एसडी
		342	ज़ी 24 कलक	एसडी
		343	विओन	एसडी
		344	ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड	एसडी
		345	ज़ी भारत	एसडी
		346	ज़ी बिहार झारखंड	एसडी
		347	जी न्यूज	एसडी
		348	ज़ी राजस्थान समाचार	एसडी
		349	ज़ी न्यूज़ एचडी	एचडी
		350	ज़ी कन्नड़ समाचार	एसडी
		351	ज़ी तेलुगु समाचार	एसडी
38	ज़ूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड	352	मूवीज नाउ	एसडी
39	सिद्धार्थ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	353	सिद्धार्थ टीवी	एसडी
40	सार्थक म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड	354	सिद्धार्थ भक्ति	एसडी
		355	जय जगन्नाथ	एसडी
		356	सिद्धार्थ गोल्ड	एसडी
41	कलैग्नार टीवी प्राइवेट लिमिटेड	357	कलैग्नार टीवी	एसडी
		358	कलैग्नार इसाई अरुवी	एसडी
		359	कलैग्नार सिरिपोली	एसडी
		360	कलैग्नार मुरासु	एसडी
		361	कलैग्नार सेथिगल	एसडी

अनुलग्नक – II

पे डीटीएच ऑपरेटरों की सूची

क्र. सं.	डीटीएच ऑपरेटर
1.	मेसर्स टाटा प्ले लिमिटेड
2.	मेसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
3.	मेसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड
4.	मेसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड

भाग–II
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

2.1 रिपोर्ट के भाग–I में 2023–24 के दौरान दूरसंचार, टीवी प्रसारण और रेडियो सेवाओं के क्षेत्र में प्रचलित सामान्य वातावरण का एक परिचय दिया गया है। भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के अनुरूप, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। भादूविप्रा एक निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

2.2 भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 36 के अंतर्गत, प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है ताकि इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 39 के अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं।

2.3 अनुशंसाएँ तैयार करने और नीतिगत पहलों के संबंध में सुझाव देने के लिए, भादूविप्रा विभिन्न हितधारकों जैसे सेवा प्रदाताओं, उद्योग संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) / उपभोक्ता संगठनों और क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ संपर्क करता है। इसने एक प्रक्रिया विकसित की है, जिसके अंतर्गत सभी हितधारकों और आम जनता को नीति निर्माण के संबंध में विचार–विमर्श में भाग लेने की अनुमति देती है और अनुशंसाएँ तैयार करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया में संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए एक परामर्श पत्र जारी करना और मुद्दों पर हितधारकों के मत प्राप्त करना, देश के विभिन्न शहरों में ऑनलाइन या भौतिक रूप से ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) बैठकें आयोजित करना, ई–मेल और पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना, और नीतिगत मुद्दों पर विभिन्न विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श के सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए विनियमन/आदेश में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी शामिल होता है, जो उन आधारों की व्याख्या करता है, जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई भागीदारीपूर्ण एवं पारदर्शी प्रक्रिया को व्यापक सराहना मिली है।

2.4 भादूविप्रा, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विचारों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ भी संपर्क करता है। इसके पास दूरसंचार सेवाओं से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/एनजीओ को पंजीकृत करने और नियमित अंतराल पर उनके साथ संपर्क करने की एक प्रणाली मौजूद है। भादूविप्रा उपभोक्ता संगठनों को मजबूत बनाने के उपायों को लगातार अपनाता रहता है। यह विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ सम्मलनों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है और इन सम्मलनों में हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य अनुसंधान संस्थानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

2.5 भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत प्राधिकरण को या तो स्व विवेक से या लाईसेंस प्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा प्रसारण और

केबल सेवाओं के मामले में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर अनुशंसाएँ करनी होती हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान सरकार को भेजी गई अनुशंसाएँ नीचे दी गई हैं।

2.5.1 दूरसंचार क्षेत्र

क्र. सं.	अनुशंसाएँ और बैक रेफरेंस एवं प्रतिक्रियाओं की सूची
1	"लद्दाख के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल बुनियादी ढांचे में सुधार" पर दिनांक 24 अप्रैल 2023 की अनुशंसाएँ।
2	स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन के भारित औसत तरीकों के अंतर्गत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 27 जनवरी 2023 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 2 मई 2023 की प्रतिक्रिया।
3	"भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र" पर दिनांक 19 जून 2023 की अनुशंसाएँ।
4	"दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाने" पर दिनांक 20 जुलाई 2023 की अनुशंसाएँ।
5	"एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकार की शुरूआत" पर दिनांक 8 अगस्त 2023 की अनुशंसाएँ।
6	"अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए पहचाने गए आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 2 अगस्त 2023 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 1 सितंबर 2023 की प्रतिक्रिया।
7	"प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण" पर दिनांक 19 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ।
8	"भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण (एनएटीईएम) को बढ़ावा देने" पर दिनांक 22 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ।
9	"भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार" पर दिनांक 22 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ।
10	"हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार" पर दिनांक 29 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ।
11	"क्लाउड सेवाओं" पर भादूविप्रा की दिनांक 14 सितंबर 2020 को की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 13 अप्रैल 2023 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 29 सितंबर 2023 की प्रतिक्रिया।
12	"भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरूआत" पर दिनांक 23 फरवरी 2024 की अनुशंसाएँ।
13	"मशीन–टू–मशीन (एम2एम) संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग" पर दिनांक 21 मार्च 2024 की अनुशंसाएँ।

अनुशंसाएँ और बैक रेफरेंस पर प्रतिक्रियाएँ

2.5.1.1 "लद्दाख के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल बुनियादी ढांचे में सुधार" पर दिनांक 24 अप्रैल 2023 की अनुशंसाएँ

प्राधिकरण ने कुछ मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान दिया, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास रहने वाले लद्दाख के लोगों की हाई–स्पीड इंटरनेट की मांग पर प्रकाश डाला गया था। बताया गया कि LAC के साथ रहने वाले लोगों को डिजिटल वित्तीय सेवाएँ प्राप्त करने और ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त

करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यह भी बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश (UT) लद्दाख के बाहरी इलाकों में बहुत अधिक सेल टावर नहीं हैं और नेटवर्क की समस्याएँ उन लोगों के लिए एक नियमित समस्या है जो नियंत्रण रेखा (LoC) और LAC के करीब रहते हैं।

भादूविप्रा ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क कवरेज और बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट डेटा की वर्तमान स्थिति के साथ–साथ उक्त केंद्र शासित प्रदेश में चल रही यूएसओएफ प्रायोजित दूरसंचार परियोजनाओं की जानकारी संचालित टीएसपी के साथ–साथ यूएसओएफ से प्राप्त की। बिजली वितरण कंपनी से राज्य में ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई।

इस डेटा के विश्लेषण और सरकार द्वारा प्रायोजित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) योजनाओं के तहत चल रहे प्रयासों के आधार पर, भादूविप्रा ने लद्दाख के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अनुशंसाएँ तैयार कीं।

इन अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: –

क) लद्दाख में तीन ऐसे गांव हैं, जिनका न तो कोई कवरेज है और न ही उन्हें चल रही योजनाओं में शामिल किया गया है। प्राधिकरण के साथ चर्चा के दौरान, बीएसएनएल ने संकेत दिया कि इन गांवों को '4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति' परियोजना के तहत शामिल किया जाएगा। हालांकि, यूएसओएफ को लद्दाख के तीन कवर न किए गए गांवों को '4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति' परियोजना के तहत शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए।

ख) लद्दाख में 19 गांव ऐसे हैं, जिनमें न तो 4जी कवरेज है और न ही वे 4जी कवरेज प्रदान करने के लिए चल रही योजनाओं में शामिल हैं। इन 19 गांवों में मौजूदा गैर–4जी आधारित सेलुलर मोबाइल बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए किए जाने वाले CAPEX और OPEX व्यय को यूएसओएफ के माध्यम से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने अनुशंसा की कि इन 19 गांवों में से 12 में भारतनेट के तहत प्रदान की गई VSAT कनेक्टिविटी 4जी कनेक्टिविटी के लिए बैकहॉल के रूप में भी काम कर सकती है, शेष 7 कवर किए गए गांवों में, OFC मीडिया पर कनेक्टिविटी इन गांवों तक विस्तारित होने तक साझा आधार पर VSAT कनेक्टिविटी पर विचार किया जाना चाहिए।

ग) लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सभी संचालित टीएसपी को अन्य टीएसपी/आईएसपी को पट्टे/किराए के माध्यम से या पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अपने अतिरिक्त बैकहॉल ट्रांसमिशन मीडिया संसाधन क्षमता तक निष्पक्ष और गैर–भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करनी चाहिए। टीएसपी में संसाधन पूलिंग में मदद करने के लिए जम्मू–कश्मीर की टीईआरएम फील्ड यूनिट और सभी टीएसपी के प्रतिनिधियों की एक समिति जल्द से जल्द बनाई जानी चाहिए। किसी भी प्रभावित इकाई द्वारा अनुभव की जा रही किसी भी बाधा की समय–समय पर समीक्षा और समाधान के लिए दूरसंचार विभाग मुख्यालय में एक दूसरे स्तर की समिति का गठन किया जाना चाहिए।

घ) प्राधिकरण ने अनुशंसा की है कि पट्टेदार (टीएसपी) द्वारा किसी पट्टादाता टीएसपी को अतिरिक्त बैकहॉल मीडिया ट्रांसमिशन संसाधन क्षमता के उपयोग के लिए भुगतान किए गए शुल्क को पट्टादाता के सकल राजस्व से घटाकर लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) निकाला जाना चाहिए।

ङ) एक ब्लॉक मुख्यालय (रूपशु) है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है। यूएसओएफ को रूपशु ब्लॉक मुख्यालय से न्योमा/चुमाथांग तक ऑप्टिकल फाइबर पर बैकहॉल कनेक्टिविटी के लिए धन मुहैया कराना चाहिए।

च) लाइसेंस प्राप्त टीएसपी को सेवा मांग की प्रतीक्षा सूची बनाए रखनी चाहिए। दूरसंचार विभाग को सभी टीएसपी से प्रतीक्षा सूची का डेटा प्राप्त करने, उसकी जांच करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

छ) दूरसंचार विभाग को लद्दाख के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को जोड़ने के लिए टीएसपी/आईपी–आई से आरओडब्ल्यू शुल्क न वसूलने के मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाना चाहिए। आरओडब्ल्यू नियमों को आरओडब्ल्यू नियम 2016 के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

ज) दूरसंचार विभाग को लद्दाख सहित देश के सभी सामरिक महत्व के सीमावर्ती क्षेत्रों में वीसैट आधारित वैकल्पिक संचार ओवरले की योजना बनानी चाहिए, जो स्थलीय संपर्क के साथ–साथ ऐसे सभी क्षेत्रों में बैकअप संचार माध्यम के रूप में मौजूद होना चाहिए। इससे ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा और/या सीमा संघर्ष के कारण उत्पन्न गंभीर स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण संचार सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित होगी।

झ) भादूविप्रा ने हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के इलाकों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार को अनुशंसाएँ की हैं, जिनमें से कई लद्दाख के लिए भी मान्य हैं। यूटिलिटी/इंडस्ट्रियल टैरिफ पर प्राथमिकता के तौर पर दूरसंचार साइटों को बिजली उपलब्ध कराने, दूरसंचार साइटों तक बिजली कनेक्शन बढ़ाने के लिए अंतिम मील स्थापना शुल्क माफ करने आदि की अनुशंसाएँ लद्दाख पर भी यथावत लागू होनी चाहिए।

ञ) दूरसंचार विभाग को सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रणनीतिक दूरसंचार स्थलों पर सौर पैनल लगाने के लिए धन जुटाने की योजना बनाने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ बातचीत करनी चाहिए।

ट) दूरसंचार विभाग को लद्दाख यूटी प्रशासन, एनएचएआई और बीआरओ के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि सभी सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण या अन्य संबंधित कार्य टीएसपी के साथ पूर्व समन्वय के साथ किए जाने चाहिए, और टीएसपी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी को अनुबंधों में शुरू से ही शामिल किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग को भविष्य में सड़क चौड़ीकरण और नई सड़क निर्माण परियोजनाओं में यूटिलिटी डक्टस के निर्माण की संभावना का भी पता लगाना चाहिए, और दोष देयता अवधि के दौरान उपयोगिता सेवा प्रदाताओं को आरओडब्ल्यू अनुमति देने पर किसी भी प्रतिबंध का पता लगाना चाहिए।

ठ) दूरसंचार विभाग को ऐसी सभी साइटों का साइट–वार विश्लेषण करना चाहिए जो बीएसएनएल या किसी अन्य टीएसपी द्वारा लद्दाख के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में वीसैट पर चलाई जा रही हैं। ऐसी सभी साइटों के लिए जो सरकार की रणनीतिक या सेवा वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाई जा रही हैं, इन साइटों को चलाने की पूरी परिचालन लागत सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए।

"लद्दाख के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल बुनियादी ढांचे में सुधार" पर अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.1.2 स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन के भारित औसत तरीकों के अंतर्गत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 27 जनवरी 2023 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 2 मई 2023 की प्रतिक्रिया

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 27 जनवरी 2023 के अपने पत्र के माध्यम से, "स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लगाने की पद्धति" पर भादूविप्रा की अनुशंसा को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11 के तहत भादूविप्रा के पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया।

दूरसंचार विभाग की टिप्पणियों की जांच करने के बाद, भादूविप्रा ने बैक रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और इसे दिनांक 2 मई 2023 को सरकार को भेज दिया। प्राधिकरण द्वारा दी गई प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.3 "भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र" पर दिनांक 19 जून 2023 की अनुशंसाएँ

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र संख्या 10–54/2010–सीएस–III (पीटी) दिनांक 12 अगस्त 2022 के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(एल)(क) के तहत मौजूदा यूएल–आईएलडी/स्टैंडअलोन आईएलडी लाइसेंस के साथ "भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग ढांचे और विनियामक तंत्र" पर भादूविप्रा की अनुशंसाएँ मांगी हैं।

प्राधिकरण ने, स्वतः संज्ञान लेते हुए, सबमरीन केबलों से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों की पहचान की, जैसे (i) सबमरीन केबल संचालन और रखरखाव के लिए भारतीय ध्वजवाहक पोत (ii) भारत के समुद्र तट पर दो या दो से अधिक शहरों के बीच घरेलू सबमरीन केबल (iii) स्टब–केबल – आगामी नई केबलों के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) से समुद्र तट मैनहोल (बीएमएच) के माध्यम से प्रादेशिक जल में पूर्व–बिछाए गए 'डार्क फाइबर' को रखने की नई अवधारणा (iv) विभिन्न स्थित केबल लैंडिंग स्टेशनों के बीच स्थलीय संपर्क।

उपर्युक्त संदर्भ और ऊपर उल्लिखित कुछ अन्य मुद्दों के अनुसरण में, भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति–टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए दिनांक 23 दिसंबर 2022 को "भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग ढाँचा और विनियामक तंत्र" पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इसके बाद, दिनांक 19 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर विचार करने और मुद्दों के आगे विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और निम्नानुसार इसे दिनांक 19 जून 2023 को सरकार को भेजाः

नई पीढ़ी की सबमरीन केबल प्रणाली के मद्देनजर लाइसेंसिंग/विनियामक व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है

(i) केबल लैंडिंग स्टेशन (CLS) स्थानों की दो श्रेणियां हो सकती हैं – (a) मुख्य CLS और (b) CLS पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस (CLS-PoPs)। मुख्य CLS के मालिक भारत में अपने CLS में SMC लैंडिंग से संबंधित सभी अनुमतियाँ/मंजूरी प्राप्त करेंगे। CLS-PoP के मालिकों को ऐसी अनुमतियाँ/मंजूरी

लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, CLS-PoP के मालिकों को LIM सुविधा की स्थापना सहित सभी सुरक्षा और विनियामक/लाइसेंस दायित्व को पूरा करना होगा। उन्हें लाइसेंसकर्ता/TRAI को सभी CLS&PoP स्थानों और उनके मालिकों के बारे में सूचित करना भी आवश्यक होगा।

(ii) आईएलडी/आईएसपी श्रेणी 'ए' (अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे के साथ) लाइसेंसधारियों को मुख्य सीएलएस से अपने संबंधित सीएलएस–पीओपी स्थान तक सबमरीन केबल में अपने स्वामित्व वाले या पट्टे पर दिए गए डार्क फाइबर जोड़े तक पहुंचने और उनका विस्तार करने की अनुमति होगी। हालांकि, सीएलएस–पीओपी के मालिकों को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और एलआईएम सुविधा की स्थापना सहित अन्य सभी सुरक्षा और विनियामक/लाइसेंस दायित्व को पूरा करना होगा।

(iii) संबंधित आईएलडी और आईएसपी लाइसेंस/प्राधिकरण के तहत भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए मुख्य सीएलएस और सीएलएस–पीओपी स्थापित करने के लिए संशोधित विस्तृत दिशानिर्देश और आवेदन जारी किए जाएं।

भारत में सबमरीन केबल बिछाने का स्वामित्व

(iv) आईएलडी या आईएसपी श्रेणी 'ए' प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे के साथ) लाइसेंसधारक जो मुख्य केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, उसे एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी चाहिए कि वे भारतीय प्रादेशिक जल (आईटीडब्ल्यू) और सीएलएस में संपत्ति के मालिक हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं। इस तरह के वचनबद्धता को सबमरीन केबल (एसएमसी) परिसंपत्तियों के स्वामित्व के प्रमाण के साथ–साथ सीएलएस में परिसंपत्तियों या इस आशय के लिए एससीएम मालिक/संघ के साथ हस्ताक्षरित समझौते द्वारा समर्थित होना चाहिए।

सबमरीन केबल संचालन और रखरखाव के लिए भारतीय ध्वज वाला पोत

(v) दूरसंचार विभाग को सरकारी प्रतिनिधियों (दूरसंचार विभाग, जहाजरानी मंत्रालय, कोच्चि/विशाखापत्तनम/मुंबई के शिपयार्ड, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग) और एसएमसी में हिस्सेदारी रखने वाले प्रमुख आईएलडीओ को शामिल करते हुए एक समिति गठित करनी चाहिए, जो सरकार से संभावित प्रोत्साहनों सहित भारतीय ध्वजांकित मरम्मत जहाजों के लिए विभिन्न वित्तीय व्यवहार्यता मॉडलों का अध्ययन और अनुशंसा करें।

(vi) एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में, भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सक्रिय एसएमसी जहाज मरम्मत परिचालकों से भी इस समिति द्वारा संपर्क किया जा सकता है, ताकि उन्हें आवश्यकतानुसार उपयुक्त भारतीय बंदरगाहों पर अपने मरम्मत जहाजों को स्थानांतरित करने और पुनः ध्वज लगाने के लिए राजी किया जा सके।

(vii) सबमरीन केबल और केबल मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण/किट के भंडारण के लिए पश्चिमी और पूर्वी तटरेखा दोनों में केबल डिपो की पहचान की जानी चाहिए।

(viii) उपरोक्त प्रस्तावित समिति को इन 'केबल डिपो' की स्थापना के लिए सुविधा और प्रोत्साहन (विशेष आर्थिक क्षेत्रों और भूमि के समान दर्जा) के तरीके और साधन सुझाने का कार्य भी सौंपा जाना चाहिए।

(ix) सबमरीन बिछाने और मरम्मत कार्य के लिए सर्वेक्षण/मरम्मत पोत के चालक दल के सदस्यों को, जिनके पास भारत का वैध कार्य परमिट है, परमिट अवधि के दौरान बार–बार मंजूरी प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है।

घरेलू सबमरीन केबल

(x) भारतीय तट पर दो या दो से अधिक शहरों को जोड़ने वाली घरेलू सबमरीन केबल और ऐसी केबलों के लिए सीएलएस स्थापित करने के लिए एनएलडी लाइसेंस के तहत निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी –

क) सबमरीन केबल के माध्यम से घरेलू यातायात की अनुमति दी जाएगी।

ख) जहां भी आवश्यक हो, तकनीकी–वाणिज्यिक लाभ के लिए घरेलू सबमरीन केबल को भारत के आईटीडब्ल्यू या ईईजेड से आगे जाने की अनुमति दी जा सकती है।

ग) गैर–भेदभाव के आधार पर अन्य एनएलडी लाइसेंस ऑपरेटरों की सबमरीन केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाओं सहित केबल लैंडिंग स्टेशनों (सीएलएस) पर सुविधाओं तक समान पहुंच अनिवार्य होगी।

घ) सीएलएस में पहुंच/सह–स्थान का नियंत्रण समय–समय पर भादूविप्रा द्वारा जारी आदेशों/विनियमों/निर्देशों द्वारा किया जाएगा।

(xi) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल एक ही सीएलएस पर समाप्त हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक केबल का अपना अलग नेटवर्क तत्व/उपकरण होता है।

(xii) आवश्यक एलआईएम की आवश्यकता यातायात की प्रकृति पर आधारित होनी चाहिए, चाहे वह एनएलडी हो या आईएलडी और सीएलएस के मालिकों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यातायात को समाप्त करने के लिए भौतिक पृथक्करण बनाए रखना चाहिए।

(xiii) अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल को दो भारतीय शहरों के बीच प्रावधानित समर्पित फाइबर जोड़ों पर घरेलू यातायात ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह का ट्रैफ़िक भारत के बाहर किसी अन्य देश से होकर न गुज़रे/मार्गित न हो।

दो अलग–अलग केबल लैंडिंग स्टेशनों के बीच स्थलीय लिंक

(xiv) आईएलडी और एनएलडी लाइसेंसों में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि विभिन्न सीएलएस के बीच स्थलीय कनेक्टिविटी की अनुमति है।

(xv) आईएलडी लाइसेंस में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भारत में समाप्त न होने वाले पारगमन अंतर्राष्ट्रीय यातायात को स्थलीय तथा सबमरीन केबल लिंक के माध्यम से अन्य सबमरीन केबलों तक पारगमन की अनुमति दी जाएगी।

स्टब–केबल (पूर्व–बिछाई गई डार्क फाइबर सबमरीन केबल)

(xvi) आईएलडी/आईएसपी श्रेणी 'ए' लाइसेंस/प्राधिकरण, लाइसेंसकर्ता की पूर्व अनुमति से, स्टब–केबल बिछाने और उन्हें या तो उनके मौजूदा सीएलएस में समाप्त करने या ऐसे स्टब–केबल

के लिए नए सीएलएस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए होना चाहिए, निम्नलिखित शर्तों के साथ–

क) स्टब केबल को ईईजेड के भीतर किसी भी दूरी तक बिछाया जा सकता है।

ख) स्टब–केबल के मालिक को प्रयुक्त और अप्रयुक्त डार्क फाइबर युग्मों का विवरण लाइसेंसकर्ता/भादूविप्रा को प्रतिवर्ष बताना होगा तथा इन डार्क फाइबरों को अन्य आईएलडीओ के साथ उपयोग/साझा करने के लिए लाइसेंसकर्ता से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

ग) स्टब के मालिक को निष्पक्ष और गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर स्टब–फाइबर जोड़ी तक पहुंच प्रदान करनी होगी।

घ) स्टब के स्वामी को, लाइसेंसकर्ता की पूर्व अनुमति से, यदि आवश्यक हो, स्टब का स्वामित्व अन्य पात्र आवेदक आईएलडीओ/आईएसपी को हस्तांतरित करने की अनुमति होगी, जो एलआईएम और अन्य लागू नियामक अनुपालनों के लिए जिम्मेदार होंगे।

<u>**अन्य मामले**</u>

(xvii) सीएलएस और सबमरीन केबल संचालन और रखरखाव सेवाओं को 'आवश्यक सेवाओं' का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही, इन महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

(xviii) सीएलएस तथा सबमरीन संचालन एवं रखरखाव के लिए आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं पर सीमा शुल्क और जीएसटी से छूट।

(xix) केबल जहाज मरम्मत जहाजों द्वारा सीमा शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए बांड की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है।

(xx) एसएमसी और सीएलएस के लिए आवश्यक पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और तटीय क्षेत्र जोन (सीआरजेड) से संबंधित मंजूरियां भी सरल संचार पोर्टल के एक भाग के रूप में ऑनलाइन की जा सकती हैं।

(xxi) जहाज पर दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के स्थान पर, दूरसंचार विभाग रक्षा मंत्रालय के साथ यह मांग कर सकता है कि सर्वेक्षण डेटा रक्षा मंत्रालय और भारतीय प्रतिनिधियों/जिम्मेदार लाइसेंसधारी अधिकारियों की देखरेख में एकत्र किया जाए, जो उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेंगे।

(xxii) सबमरीन केबल और सीएलएस एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति होने के कारण, भारत में 'केबल लैंडिंग स्टेशन' और 'सबमरीन केबल' को बढ़ावा देने, संरक्षण देने और प्राथमिकता देने के लिए भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 में एक खंड जोड़ा जाना चाहिए।

"भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र" पर अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.4 "दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाने" पर दिनांक 20 जुलाई 2023 की अनुशंसाएँ

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी)–2018 डिजिटल सशक्तीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल संचार नेटवर्क की परिवर्तनकारी शक्ति को अनलॉक करने की मांग करती है। एनडीसीपी–2018 चौथी औद्योगिक क्रांति को उत्प्रेरित करने के लिए 5जी, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), क्लाउड और बीडी सहित उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का दोहन करने की दिशा में प्रेरित करती है। एआई, उभरती प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में इसके उपयोग के लिए रोडमैप बनाने के लिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 6 जून 2019 के पत्र के माध्यम से, एनडीसीपी–2018 के प्रावधान संख्या 2.2(जी) यानी "सेवा की समग्र गुणवत्ता, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, नेटवर्क सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए समन्वित और प्रभावी तरीके से आर्टिफिशियल/इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाना" पर भादूविप्रा की अनुशंसा मांगी।

एआई का प्रभाव केवल दूरसंचार क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। एआई में स्वास्थ्य सेवा, वित्त, परिवहन, शिक्षा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित करने की क्षमता है। इसलिए, केवल दूरसंचार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सभी क्षेत्रों में एआई के प्रभाव की जांच करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। चूंकि एआई तकनीक अभी भी विकसित हो रही है, इसलिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन करके दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों में एआई/एमएल के कई पहलुओं की जांच करने और उन्हें सामने लाने में समय लगा, जो अभी भी शुरुआती चरण में हैं। भादूविप्रा ने दिनांक 5 अगस्त 2022 को "दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाने" पर परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। परामर्श पत्र (सीपी) में सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया था।

हितधारकों की टिप्पणियों, ओपन हाउस चर्चा के दौरान चर्चा और उसके विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 20 जुलाई 2023 को अपनी अनुशंसाएँ दीं। सभी क्षेत्रों में एआई के प्रभाव को देखते हुए, दूरसंचार के लिए जो रूपरेखा सुझाई जानी है, उसे अलग से नहीं देखा जा सकता है और इसलिए अनुशंसाओं में सभी क्षेत्रों को कवर करने वाली एक सामान्य रूपरेखा का सुझाव दिया गया है।

अनुशंसाओं की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.1.5 "एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकार की शुरूआत" पर दिनांक 8 अगस्त 2023 की अनुशंसाएँ

भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ मिला जिसमें एक नई श्रेणी के लाइसेंस के निर्माण पर अनुशंसाएँ मांगी गई थीं, जिसके तहत सिवाय मुख्य उपकरण और स्पेक्ट्रम होल्डिंग के, वायरलाइन एक्सेस, रेडियो एक्सेस और ट्रांसमिशन लिंक के लिए सभी उपकरणों को स्थापित करने, बनाए रखने और उन पर काम करने की अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 9 फरवरी 2023 को "एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकार की शुरूआत" पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इसके बाद, दिनांक 20 जून 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) भी आयोजित की गई।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ इनपुट पर विचार करने और मुद्दों के आगे विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने "एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रदाता प्राधिकार की शुरूआत" पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और इसे दिनांक 8 अगस्त 2023 को सरकार को भेज दिया।

अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः

(i) प्राधिकरण ने लाइसेंस की एक नई श्रेणी बनाने की अनुशंसा की है जो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की अनुमति देता है। यह डीसीआईपी लाइसेंस स्टैंडअलोन लाइसेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि एकीकृत लाइसेंस के तहत एक प्राधिकरण होना चाहिए। इस लाइसेंस प्राधिकरण को 'डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) लाइसेंस' कहा जाना चाहिए। डीसीआईपी प्राधिकरण पर कोई लाइसेंस शुल्क लागू नहीं होना चाहिए।

(ii) प्रस्तावित डीसीआईपी प्राधिकरण के दायरे में ऐसे सभी उपकरणों, उपकरणों, यंत्रों, उपकरणों और प्रणालियों का स्वामित्व, स्थापना, रखरखाव और संचालन शामिल है जो सभी वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), वाई–फाई सिस्टम और ट्रांसमिशन लिंक स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, इसमें स्पेक्ट्रम और कोर नेटवर्क तत्व जैसे स्विच, एमएससी, एचएलआर, आईएन आदि शामिल नहीं होंगे। डीसीआईपी लाइसेंस के दायरे में भारत के किसी भी हिस्से में राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, डार्क फाइबर, पोल, टावर, फीडर केबल, एंटीना, बेस स्टेशन, इन–बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस), डिस्ट्रिब्यूटेड एंटीना सिस्टम (डीएएस) आदि भी शामिल हैं। डीसीआईपी प्राधिकरण के दायरे में किसी भी सब्सक्राइबर को या अपने स्वयं के उपयोग के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग करके एंड–टू–एंड बैंडविड्थ का प्रावधान शामिल नहीं है। हालाँकि, डीसीआईपी को अपने स्वयं के बीबीयू (बेसबैंड यूनिट)/आरयू (रेडियो यूनिट)/एंटीना से कनेक्ट करने के लिए वायर्ड ट्रांसमिशन लिंक (परन्तु वायरलेस नहीं) स्थापित करने की अनुमति होगी।

(iii) डीसीआईपी प्राधिकरण के लिए प्रवेश शुल्क ₹ 2 लाख और आवेदन प्रसंस्करण शुल्क ₹ 15,000 रखा जाना चाहिए। उल्लंघन के लिए जुर्माना आईएसपी श्रेणी 'बी' प्राधिकरण के लिए निर्धारित स्तर पर रखा जाना चाहिए। डीसीआईपी पर कोई प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) नहीं लगाई जानी चाहिए। एकीकृत लाइसेंस में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किराएदार (सेवा का किराएदार डीसीआईपी से डीसीआई प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है) पर लागू विभिन्न लाइसेंस शर्तें, जिसमें डीसीआईपी के डीसीआई के उपयोग के कारण परिचालन और सुरक्षा शर्तें शामिल हैं, का उल्लंघन न हो।

(iv) यूएल के तहत प्राधिकरण को सरल बनाए रखने के लिए, एकीकृत लाइसेंस के भाग–I की कई शर्तों को डीसीआईपी प्राधिकरण पर लागू होने से छूट दी गई है।

(v) लाइसेंस की सुरक्षा शर्तों, सेवा की गुणवत्ता, अंतर्संयोजन, गैर–भेदभाव आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, डीसीआईपी और लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं के बीच प्रिंसिपल–एजेंट संबंध का उपयोग स्व–नियमन के लिए किया गया है, जिसके तहत डीसीआईपी को डीसीआई आइटम, उपकरण और प्रणालियों को इस तरह से स्थापित करने के लिए बाध्य किया गया है कि उनके बुनियादी ढांचे का किराएदार उनके डीसीआई आइटम, उपकरण और प्रणालियों पर सवारी करते समय तकनीकी, परिचालन, सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) और सुरक्षा शर्तों सहित लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा करने में सक्षम हो; ऐसे अन्य निर्देशों के अधीन, जिन्हें लाइसेंसकर्ता या भादूविप्रा समय–समय पर दे सकते हैं। डीसीआईपी को यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य किया गया

है कि वे लीज/किराए/बिक्री के आधार पर डीसीआई आइटम, उपकरण और प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करने से पहले पात्र संस्थाओं के साथ एक औपचारिक लिखित समझौता करें। इन समझौतों में अनिवार्य रूप से ऐसे खंड शामिल होने चाहिए जो डीसीआईपी को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करें कि उनके डीसीआई आइटम, उपकरण और प्रणालियों का किरायेदार उनके डीसीआई पर यात्रा करते समय तकनीकी, परिचालन, गुणवत्ता और सुरक्षा शर्तों सहित लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा करने में सक्षम है।

(vi) डीसीआईपी लाइसेंसधारियों को उनके प्राधिकरण के दायरे में उनके स्वामित्व वाली, स्थापित और संचालित सभी अवसंरचना को यूएल (डीसीआईपी को छोड़कर) के तहत अन्य लाइसेंसधारियों और आईएसपी (यूएल में नहीं) के साथ साझा करने की अनुमति दी गई है, इस शर्त के अधीन कि केवल ऐसी अवसंरचना ही साझा की जाएगी जिसे अन्य लाइसेंसधारी द्वारा अपने लाइसेंस में स्थापित करने की अनुमति है। इस आशय से, इस खंड के प्रावधानों का यूएल के भाग–I के खंड 33 पर अधिभावी प्रभाव होगा।

(vii) यह अनुशंसा की गई है कि डीसीआईपी लाइसेंसधारक टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के तहत वैध लाइसेंस रखने वाली किसी भी इकाई (अन्य डीसीआईपी को छोड़कर) और इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थाओं को लीज/किराए/बिक्री के आधार पर डीसीआई आइटम, उपकरण और सिस्टम प्रदान करेंगे। डीसीआईपी लाइसेंसधारक जिन्हें बिजली अधिनियम के तहत भी लाइसेंस प्राप्त है, उन्हें एक्सेस राइट्स के आधार पर ऐसे बुनियादी ढांचे (जो इस प्राधिकरण के दायरे में अनुमत हैं) की पेशकश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण ने यह भी अनुशंसा की है कि दूरसंचार विभाग को आईपी–आई पंजीकरण समझौते में एक समान खंड जोड़ना चाहिए।

(viii) यह भी अनुशंसा की गई है कि डीसीआईपी लाइसेंसधारक को भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के तहत ऐसे वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण (बिना किसी स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट के) रखने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने और जारी करने का पात्र होना चाहिए, जिसकी डीसीआईपी प्राधिकरण के दायरे में अनुमति है। हालांकि, डीसीआईपी प्राधिकरण धारक को किसी भी तरह के लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करने और असाइनमेंट के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।

(ix) प्राधिकरण ने इससे पहले दिनांक 29 नवंबर 2022 को "स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग" पर अपनी अनुशंसाओं के माध्यम से अनुशंसा की थी कि सभी दूरसंचार लाइसेंसों और आईपी–आई पंजीकरण समझौते में सक्षम प्रावधान या उपयुक्त नियम और शर्तें पेश की जाएं, जो टीएसपी/आईपी–आई प्रदाताओं को बुनियादी ढांचे के मालिकों/सीएए (नियंत्रण प्रशासनिक प्राधिकरण) या किसी अन्य प्राधिकरण के साथ किसी भी विशेष अनुबंध या अधिकार में प्रवेश करने से रोकें। प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसा दोहराई है। उसी के अनुरूप, डीसीआईपी प्राधिकरण में, यह अनुशंसा की गई है कि डीसीआईपी को विशिष्ट पात्र इकाई(यों) को अपने डीसीआई के अविभाज्य उपयोग के अधिकार (आईआरयू) प्रदान करने वाले कानूनी रूप से बाध्यकारी संविदात्मक समझौतों में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए, जिससे अन्य का बहिष्कार हो सकता है।

"एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकार की शुरूआत" पर अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.1.6 "अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए पहचाने गए आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 2 अगस्त 2023 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 1 सितंबर 2023 की प्रतिक्रिया

दूरसंचार विभाग (डीओटी) के दिनांक 13 सितंबर 2021 के संदर्भ के जवाब में, भादूविप्रा ने 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर 11 अप्रैल 2022 को अपनी अनुशंसाएँ प्रदान कीं; भादूविप्रा की दिनांक 11 अप्रैल 2022 की अनुशंसाओं और दूरसंचार विभाग के बैक रेफरेंस पर दिनांक 9 मई 2022 की उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर, सरकार ने जुलाई – अगस्त 2022 के दौरान उपरोक्त आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी की।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 2 अगस्त 2023 को लिखे पत्र के माध्यम से, जुलाई–अगस्त 2022 के दौरान स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी होने के बाद हुए घटनाक्रमों का उल्लेख किया। दूरसंचार विभाग ने आईएमटी के लिए नए फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे 37–37.5 GHz, 37.5–40 GHz और 42.5–43.5 GHz उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया, जिन्हें अगली नीलामी में बोली लगाने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सरकार के पास उपलब्ध एलएसए–वार स्पेक्ट्रम की मात्रा और प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम का विवरण भी प्रदान किया, जो वर्ष 2024 में समाप्त हो जाएगा, जिसे अगली नीलामी में भी शामिल किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से अनुरोध किया कि –

क) आईएमटी के लिए 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज, 37– 37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5–40 गीगाहर्ट्ज और 42.5–43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और संबंधित शर्तों पर अनुशंसाएँ प्रदान करना।

ख) इन आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसा प्रदान करना, जिसमें आईटीयू के नवीनतम एनएफएपी/रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित विनियामक/तकनीकी आवश्यकताएं शामिल हों।

भादूविप्रा ने दिनांक 1 सितंबर 2023 को अपने प्रतिक्रिया में निम्नलिखित उल्लेख किया –

1. अप्रैल 2022 के बैक–रेफरेंस पर भादूविप्रा के दिनांक 9 मई 2022 के पहले के प्रतिक्रिया के मद्देनजर और मौजूदा बैंड के लिए प्राधिकरण से नए आरक्षित मूल्य मांगने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा पूर्ण और तर्कसंगत औचित्य के अभाव में, भादूविप्रा की दिनांक 11 अप्रैल 2022 की अनुशंसाओं के पैरा 6.42 (II) की अनुशंसाएँ सभी बैंडों और दूरसंचार विभाग के दिनांक 2 अगस्त 2023 के पत्र के अनुलग्नक–II और अनुलग्नक–III के माध्यम से संदर्भित सभी एलएसए के लिए लागू हैं, नए संदर्भित बैंड अर्थात 37–37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5–40 गीगाहर्ट्ज और 42.5–43.5 गीगाहर्ट्ज को छोड़कर। इसलिए, मौजूदा बैंड अर्थात। 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज के लिए नीलामी भादूविप्रा की दिनांक 11 अप्रैल 2022 की अनुशंसाओं के पैरा 6.42 (II) में दी गई अनुशंसाओं के अनुसार आयोजित की जा सकती है।

2. आईएमटी के लिए मौजूदा बैंड यानी 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए बैंड प्लान, ब्लॉक साइज और संबंधित शर्तों के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इन बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए पिछली अनुशंसाएँ दिनांक 11 अप्रैल 2022 को की गई थीं, जिसके आधार पर जुलाई–अगस्त 2022 के दौरान नीलामी आयोजित की गई थी। प्राधिकरण का मानना है कि पिछली अनुशंसाओं के बाद से इतने कम समय में, कोई भी तकनीकी विकास या बाजार में बदलाव नहीं हुआ है जो मौजूदा बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए बैंड प्लान, ब्लॉक साइज और संबंधित शर्तों में किसी भी बदलाव की मांग करता हो। प्राधिकरण ने 2022 की नीलामी में रोल–आउट दायित्वों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों पर भी ध्यान दिया है। जहां तक नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा का सवाल है, प्राधिकरण का यह रुख है कि सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी चाहिए।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण दिनांक 11 अप्रैल 2022 को आरक्षित मूल्य पर "आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर अनुशंसाओं के पैरा 6.42 (II) में अपनी अनुशंसा को दोहराता है। संदर्भित एलएसए में मौजूदा बैंड यानी 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 3100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को उसी बैंड प्लान, ब्लॉक साइज और संबंधित शर्तों के साथ नीलामी में रखा जा सकता है।

4. भादूविप्रा की दिनांक 11 अप्रैल 2022 की अनुशंसाओं के पैरा 6.42 (III) के अनुसार, प्राधिकरण नए संदर्भित बैंड अर्थात् 37– 37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5– 40 गीगाहर्ट्ज और 42.5–43.5 गीगाहर्ट्ज के लिए अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू करेगा।

5. सरकार नए बैंड अर्थात 37–37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5–40 गीगाहर्ट्ज और 42.5–43.5 गीगाहर्ट्ज के लिए प्राधिकरण की अनुशंसाओं की प्रतीक्षा किए बिना, मौजूदा बैंड अर्थात 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है।

अनुशंसाओं की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.1.7 "प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण" पर दिनांक 19 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने पत्र संख्या 20–577/2016–एएस–I खंड III दिनांक 3 मार्च 2022 के माध्यम से भादूविप्रा को एक संदर्भ भेजा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ दूरसंचार क्षेत्र में संचालित विभिन्न लाइसेंसों के प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी को युक्तिसंगत बनाने की मांग की गई।

संदर्भ के आधार पर, भादूविप्रा द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2022 को "प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र पर हितधारकों से क्रमशः दिनांक 23 अगस्त और दिनांक 6 सितंबर 2022 तक लिखित टिप्पणियाँ और प्रति–टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर दिनांक 9 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई।

दिनांक 19 सितंबर 2023 की अनुशंसाओं के अनुसार, भादूविप्रा ने विभिन्न लाइसेंस प्राधिकरणों में प्रवेश शुल्क को कम करने और बैंक गारंटी के विलय के लिए सरकार को अनुशंसाएँ कीं। उम्मीद है कि प्रवेश शुल्क में कटौती से नए खिलाड़ी बाजार में प्रवेश करेंगे, निवेश में वृद्धि होगी और दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बैंक गारंटी के विलय से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा और लाइसेंसधारक इस क्षेत्र में निवेश करने में सक्षम होंगे जिससे इस क्षेत्र में विकास होगा। इन दोनों उपायों से उपभोक्ता कल्याण बढ़ेगा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

प्राधिकरण ने लाइसेंस के नवीनीकरण के समय प्रवेश शुल्क न लेने की भी अनुशंसा की है। इस कदम से मौजूदा और नए प्रवेशकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और यह विशेष रूप से यूएल (वीएनओ) लाइसेंसधारियों के लिए फायदेमंद होगा।

अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः –

i. एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के साथ–साथ एकीकृत लाइसेंस (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर) (यूएल (वीएनओ)) लाइसेंसों के लिए प्रवेश शुल्क को वर्तमान स्तर से कम किया जाना चाहिए।

ii. एम2एम ("ए" / "बी" / "सी"), ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियोटेक्स्ट / वॉइस मेल सेवा के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं, आईएसपी "सी" अनुशंसित।

iii. निम्नलिखित यूएल प्राधिकरणों के लिए प्रवेश शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिएः (क) एक्सेस सेवाः प्रत्येक दूरसंचार सर्कल / मेट्रो क्षेत्र के लिए ₹1 करोड़ से ₹ 50 लाख तक; जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य प्रत्येक के लिए ₹ 0.5 करोड़ से ₹ 25 लाख तक। (ख) एनएलडी और आईएलडीः ₹ 2.5 करोड़ से ₹ 50 लाख तक। (ग) पीएमआरटीएसः प्रत्येक दूरसंचार सर्कल / मेट्रो क्षेत्र के लिए ₹ 50 हजार से ₹ 20 हजार तक। (घ) वीसैटः ₹ 30 लाख से ₹ 10 लाख तक। (ङ) आईएसपी "बी"ः प्रत्येक दूरसंचार सर्कल के लिए ₹ 2 लाख से ₹ 50 हजार तक और जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य प्रत्येक के लिए ₹ 25 हजार तक। (च) आईएसपी "ए"ः ₹ 30 लाख से ₹ 10 लाख तक।

iv. यूएल (वीएनओ) प्राधिकरणों के लिए प्रवेश शुल्क संबंधित यूएल प्राधिकरणों का आधा होना चाहिए।

v. लाइसेंस के नवीनीकरण के समय कोई प्रवेश शुल्क नहीं होना चाहिए।

vi. एकीकृत लाइसेंस के लिए, वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) और परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) को बकाया राशि को सुरक्षित करने, लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन को कवर करने और लाइसेंस समझौते के तहत प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एकल बैंक गारंटी में विलय कर दिया जाना चाहिए।

vii. इसी तरह, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लाइसेंस के लिए, एफबीजी और पीबीजी को एकल बैंक गारंटी में विलय कर दिया जाना चाहिए।

viii. व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ईबीजी) जमा करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

अनुशंसाओं की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.1.8 "भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण (एनएटीईएम) को बढ़ावा देने" पर दिनांक 22 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 (एनडीसीपी–2018) घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके, निर्यात में वृद्धि करके और नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरणों के संबंध में आयात के बोझ को कम करके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के योगदान को अधिकतम करने की परिकल्पना करती है, जिसे संक्षेप में एनएटीई कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति, 2019 (एनईपी) में वैश्विक व्यापार के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के आधार पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधाजनक कार्यक्रम और प्रोत्साहन ढांचे का निर्माण करने की भी परिकल्पना की गई है। उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों के तेजी से रोल–आउट के साथ–साथ डेटा केंद्रों, एज डेटा केंद्रों, स्मार्ट शहरों में IoT– आधारित नेटवर्क के संभावित प्रसार को देखते हुए, स्वदेशी उपकरण निर्माण के दायरे ने समकालीन दृष्टिकोण को अपनाया है।

एनडीसीपी–2018 के उद्देश्यों के अनुसार तथा एनएटीई के निर्माण के कुछ पहलुओं पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त संदर्भ के आधार पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने इस विषय पर समग्रता से विचार किया है तथा दिनांक 22 सितंबर 2023 को "भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण (एनएटीईएम) को बढ़ावा देने" पर अनुशंसाएँ जारी की हैं। इन अनुशंसाओं को जारी करने से पहले, भादूविप्रा ने निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं तथा संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया।

इन अनुशंसाओं का उद्देश्य 'घरेलू उत्पादन बढ़ाने' की अवधारणा से आगे बढ़कर 'वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में स्थानीय मूल्य संवर्धन' पर ध्यान केंद्रित करना है। अनुशंसाओं में शामिल केंद्रित क्षेत्र इस प्रकार हैं:

i. देश भर में मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भागीदारी में स्थानीय मूल्य संवर्धन को सुविधाजनक बनाना;

ii. नई पीढ़ी के नेटवर्क में नेटवर्क तत्वों के समकालीन सॉफ्टवेयरीकरण के अनुसार एक अलग उत्पाद लाइन के रूप में "दूरसंचार सॉफ्टवेयर" पर उचित जोर;

iii. भारत से निर्यात को सुविधाजनक बनाना;

iv. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट–अप को बढ़ावा देकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना;

v. भारत में एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना;

मुख्य अनुशंसाएँ: 'नेटवर्किंग को बढ़ावा देना और भारत में दूरसंचार उपकरण विनिर्माण'

1) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

क. पीएलआई योजना के संदर्भ में, यह अनुशंसा की जाती है कि योजना को अपने भविष्य के प्रारूप में स्थानीय मूल्य संवर्धन मानदंडों को शामिल करना चाहिए और मूल्य संवर्धन के अनुपात में उच्चतर प्रोत्साहन उपलब्ध होना चाहिए।

ख. उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए घटक चौंपियन प्रोत्साहन योजना की तर्ज पर सहयोगी विनिर्माण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए घटकों और उप–असेंबली विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक समवर्ती पीएलआई–योजना होनी चाहिए। एक विस्तृत उत्पाद सूची जिसे समवर्ती पीएलआई योजना का हिस्सा बनाया जा सकता है, की अनुशंसा भी की गई है। समवर्ती पीएलआई योजना के लिए बुनियादी पात्रता, न्यूनतम नए घरेलू निवेश मानदंड और अपनाई जाने वाली प्रोत्साहन–संरचना की अनुशंसा भी की गई है।

ग. डिजाइन आधारित पीएलआई योजना के तहत, पहले से घोषित 1% अतिरिक्त लाभ के अलावा, ऐसे उत्पाद लाइनों के लिए अतिरिक्त 2% लाभ का एक और स्लैब पेश किया जाना चाहिए, जो 75% का न्यूनतम स्थानीय मूल्य–संवर्धन प्रदान करते हैं, जिसमें विशिष्ट अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले घटकों (सेमीकंडक्टर घटकों और 8 से अधिक परतों वाले नंगे पीसीबी के अलावा) का मूल्य के संदर्भ में भारत में निर्माण किया जाना चाहिए।

घ. चूंकि सब्सक्राइबर परिसर, आईओटी, सेंसर और उद्यम खंड उपकरण जैसी कुछ उत्पाद श्रेणियों के लिए बड़ी विनिर्माण सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह अनुशंसा की गई है कि पीएलआई लाभार्थी द्वारा टर्नओवर और प्रतिबद्ध निवेश से संबंधित लागू सीमाएं एनएटीई उत्पादों के प्रकार के अनुसार अलग–अलग तरीके से लागू होनी चाहिए ताकि योजना को और अधिक समावेशी बनाया जा सके। तदनुसार, अलग–अलग स्लैब की अनुशंसा की गई है।

2) अधिमान्य बाजार पहुंच (पीएमए)/ वरीयता बनाना भारत में (पीएमआई)

क. यह अनुशंसा की गई है कि सरकार को Nudge दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को वार्षिक शुद्ध आधार पर उनके लागू सकल राजस्व को एक वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित दूरसंचार नेटवर्क में तैनात स्वदेशी एनएटीई के कुल प्रमाणित मूल्य के बराबर राशि से कम करके स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरण लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे स्वदेशी निर्माताओं के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ेगी।

ख. इस पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, यह अनुशंसा की गई है कि पीएमए/पीएमआई को (क) यूएसओएफ परियोजनाओं, (ख) भाग लेने वाली राज्य सरकारों और उनके संबंधित नियंत्रण के तहत निकायों, और (ग) भारत द्वारा सहायता प्राप्त बाहरी विकास परियोजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी सार्वजनिक खरीद पर लागू होना चाहिए।

ग. सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने, विचलन पर रोक लगाने, पीएमए/पीएमआई से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के मानचित्रण हेतु ऑनलाइन पोर्टल तथा समयबद्ध शिकायत निपटान के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं।

3) वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति

क. उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न सापेक्ष लागत अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, यह अनुशंसा की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF) की तर्ज पर एक समर्पित मास्टर फंड, NATEDF यानी नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विकास निधि की स्थापना

की जानी चाहिए। NATEDF का प्रबंधन और प्रशासन किसी बैंक की सहायक कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए। यह मौजूदा अंतर को पाटने के लिए उद्यम पूंजी निधि, ब्याज अनुदान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वित्तीय सहायता सहित उद्योग के खिलाड़ियों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

ख. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) की तर्ज पर, नई उत्पादन इकाइयों के लिए या मौजूदा इकाइयों की क्षमता वृद्धि के लिए अचल संपत्तियों, संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए उद्योग को वित्तीय सहायता बढ़ाने के विशिष्ट प्रावधान के साथ एक नई योजना की भी अनुशंसा की गई है। अनुशंसित योजना की मुख्य विशेषताओं में दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरण/घटकों का घरेलू उत्पादन करने के लिए 'संयंत्र और मशीनरी' की स्थापना के लिए समग्र पूंजीगत व्यय के 25% तक की एकमुश्त सहायता देना शामिल है। योजना का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण इकाई के प्रकार के आधार पर स्लैब–वार सीमाएं सुझाई गई हैं। स्थानीय मूल्य संवर्धन को अधिकतम करने के केंद्रीय विषय के अनुरूप, यह अनुशंसा की गई है कि पात्र आवेदनों के चयन के लिए प्राथमिकता–सूची विनिर्माण गतिविधियों के अपने दायरे में मूल्य संवर्धन में अनुमानित वृद्धि के बारे में इकाई की स्व–घोषणा पर आधारित होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का पूरा बजट कुछ बड़े NATE निर्माताओं के हाथों में न चला जाए, यह अनुशंसा की गई है कि योजना के कम से कम एक चौथाई भाग का उपयोग आवेदक लाभार्थियों की सहायता के लिए किया जाना चाहिए, जो ऐसे एमएसएमई संस्थाओं से लिए जाएं, जहां योजना की पूरी अवधि के दौरान पात्र नियोजित निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

4) राजकोषीय प्रोत्साहन के भाग के रूप में कर राहत

क. नवाचार को बढ़ावा देने और लाभकारी रूप से स्वामित्व वाले निवासी बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की ओर उद्योग के अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, 15% की दर से कम कॉर्पोरेट आयकर की अनुशंसा भी की गई है। यह तभी लागू होगा जब उद्यम लगातार अनुसंधान एवं विकास संचालित विनिर्माण में लगा हो और अपने आधे कारोबार को स्वामित्व वाले आईपीआर के आधार पर प्राप्त करता हो। अनुशंसाओं के हिस्से के रूप में इस योजना के उद्देश्य, शर्तों और लाभों को विस्तार से प्रदान किया गया है।

5) उद्यमशीलता को बढ़ावा देना – स्टार्टअप और एमएसई

क. यह अनुशंसा की गई है कि NATEDF को एक्सेलेरेटर समर्थन की आवश्यकता वाले होनहार स्टार्ट–अप को सार्वजनिक–निजी भागीदारी मोड में उद्यम पूंजी निधि प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए, NATEDF के ₹10,000 करोड़ के कुल पूल का कम से कम 15% नवाचार अभ्यास के लिए एक समर्पित डॉटर फंड के लिए प्रतिबद्ध सार्वजनिक निधि के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। 1:1 के सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुपात में लक्षित कॉर्पस को लगभग ₹ 3,000 करोड़ रखा जाना चाहिए। केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड को भाग लेने का हकदार होना चाहिए। इक्विटी और सॉफ्ट लोन दोनों मोड में वेंचर कैपिटल एक योग्य स्टार्टअप को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो इसके पूरे नवाचार चक्र के दौरान अधिकतम ₹ 20 करोड़ के अधीन है।

ख. दूरसंचार विभाग को एमएसई/स्टार्ट–अप्स को स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के अंतर्गत नवीकरण शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट देनी चाहिए।

ग. परियोजना सहायता के लिए डीसीआईएस प्रायोजित इग्निशन अनुदान को पात्र लाभार्थी के लिए वर्तमान सीमा ₹40 लाख से बढ़ाकर ₹ 1 करोड़ किया जाना चाहिए।

घ. एमएसई/स्टार्ट–अप्स को दूरसंचार मानक विकास संगठन (टीएसडीओ) और अन्य के लिए सदस्यता शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए। प्रासंगिक राष्ट्रीय मानक निर्धारण संगठनों (एसएसओ) या अंतर्राष्ट्रीय एसएसओ द्वारा आयोजित मानक निर्धारण फोरम में भाग लेने वाले एमएसई/स्टार्ट–अप्स को वास्तविक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता सहित उचित समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। सदस्यता शुल्क और भागीदारी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए क्रमशः लगभग ₹ 50 करोड़ और ₹ 100 करोड़ की निधि–सहायता निर्धारित की जानी चाहिए, जिसका प्रबंधन दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी, भारत (टीएसडीएसआई) द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना चाहिए। टीएसडीएसआई को भाग लेने वाले एमएसई/स्टार्ट–अप्स को एक ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करके सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जहाँ पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाने के बाद सभी पात्र प्रतिपूर्तियाँ 90 दिनों के भीतर निपटाई जानी चाहिए।

ङ. यह अनुशंसा भी की गई है कि NATEDF के तहत ब्याज दर में छूट के लिए एक समर्पित डॉटर फंड का गठन किया जाना चाहिए। एमएसएमई के मामले में अधिकतम छूट पांच साल की अवधि के लिए 4% रखी जानी चाहिए। प्लांट और मशीनरी के लिए कम दरों पर अधिकतम ऋण प्रति इकाई ₹ 25 करोड़ तक सीमित किया जाना चाहिए।

च. स्टार्ट–अप्स और एमएसई को मानक निर्धारण प्रक्रियाओं की दिशा में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए तथा बाजार पहुंच पहल (एमएआई) से सहायता प्राप्त कर संभावित बाजारों तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

छ. छात्रों को एनएटीईएम क्षेत्र में केंद्र/राज्य सरकार और उद्योग द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न अवसरों के बारे में जागरूक करने और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, यह अनुशंसा की गई है कि दूरसंचार विभाग को तकनीकी क्षेत्रों में स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए एक प्रारंभिक अनिवार्य पाठ्यक्रम (मामूली क्रेडिट मूल्य का) शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के साथ बातचीत करनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसी नीतियों के साथ–साथ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए। अनुशंसित पाठ्यक्रम के लिए सामग्री समर्थन दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्रों (टीसीओई) द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए।

6) दूरसंचार उत्पाद विकास क्लस्टर (टीपीडीसी)

क. संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर पर्याप्त जोर दिया गया है, इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि दूरसंचार उत्पाद विकास क्लस्टर (टीपीडीसी) को अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) के भीतर या सामान्य सुविधाओं के साथ निकट में स्थापित किया जाना चाहिए।

ख. किसी भी ईएमसी में दी गई सुविधाओं को यथोचित परिवर्तनों के आधार पर संबंधित टीपीडीसी को भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, टीपीडीसी को निम्नलिखित लाभ भी दिए जाने चाहिए:

- कम दरों पर बिजली और पानी का प्रावधान
- बिजली शुल्क में छूट
- स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण शुल्क, हस्तांतरण शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति
- इनडोर बिल्डिंग सॉल्यूशंस (आईबीएस) सहित दूरसंचार सेवाध्बुनियादी ढांचे के लिए निःशुल्क मार्गाधिकार प्रदान करना
- केंद्रीय और राज्य स्तरीय अनुपालन के लिए समयबद्ध एकल खिड़की मंजूरी
- प्लग–एन–प्ले सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएं और अनुसंधान एवं विकास केंद्र के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधा।

7) स्वदेशी उपकरणों के निर्यातकों के लिए समर्थन आवश्यक

क. व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, पहचाने गए मुद्दों को हल करने और NATE के निर्यातक–निर्माताओं और EPC में सामान्य सुविधा केंद्रों के लिए अग्रिम प्राधिकरण और EPCG योजनाओं के लाभों का विस्तार करने की अनुशंसाएँ की गई हैं। NATE उत्पादों के विनिर्माण में लगे उद्यम और जिसने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निर्यात मात्रा को पूरा किया है, उसे डीम्ड आधार पर उन्नत प्राधिकरण योजना (AAS) के तहत स्व–पुष्टि लाभ दिया जाना चाहिए।

ख. भारत में निर्मित NATE उत्पादों की 'उत्पत्ति' को प्रमाणित करने के लिए संस्थागत प्राधिकरण की भी अनुशंसा की गई है। दूरसंचार विभाग को जल्द से जल्द निर्यात के लिए घरेलू NATE उत्पादों की 'उत्पत्ति' (अधिमान्य और गैर–अधिमान्य) को प्रमाणित करने के लिए दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) को प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करना चाहिए।

ग. एनएटीईडीएफ के माध्यम से शिपमेंट–पूर्व और शिपमेंट–पश्चात ऋण सुविधाओं की भी अनुशंसा की गई है।

8) क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले व्यापार सुविधा उपाय

क. दूरसंचार विभाग को वाणिज्य मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ सभी क्षेत्रों में 12 अंकों की एचएस कोड अपनाने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए।

ख. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन की भाषा (एआई/एमएल) पर आधारित स्वचालन उपकरण विकसित किए जाने चाहिए, ताकि एंड–टू–एंड शिपमेंट के लिए तीव्र और अधिक सटीक प्रक्रियात्मक नियंत्रण की सुविधा मिल सके।

ग. एचएस कोड की गलत घोषणा के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल तत्काल आधार पर व्यापार समुदाय को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस पोर्टल को संबंधित मंत्रालयों तक पहुंच उपलब्ध कराकर शिकायतों के ऑनलाइन निपटान की सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि उचित उपचारात्मक कार्रवाई तय की जा सके और उसे लागू किया जा सके।

घ. दूरसंचार विभाग को एनएटीई से संबंधित एचएस कोड/राष्ट्रीय टैरिफ लाइनों के आवधिक अद्यतन के लिए वाणिज्य मंत्रालय, डीजीएफटी के प्रतिनिधियों सहित एक समिति का गठन करना चाहिए।

ङ. दूरसंचार विभाग को एक समिति गठित करनी चाहिए जो घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने वाले औद्योगिक इनपुट (कच्चा माल, घटक और औद्योगिक उपभोग्य वस्तुएं) की पहचान करे और घरेलू NATE विनिर्माण को बनाए रखने के लिए तर्कसंगत शुल्कों की अनुशंसा करे। इस समिति को औद्योगिक तैयार आपूर्तियों की भी पहचान करनी चाहिए जो घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और व्यापार विसंगतियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा प्रावधानों सहित शुल्कों की अनुशंसा करनी चाहिए।

9) 'दूरसंचार सॉफ्टवेयर' को एक अलग उत्पाद श्रेणी के रूप में मानना

क. नई पीढ़ी के नेटवर्कों की खुली वास्तुकला का लाभ उठाने के लिए, दूरसंचार सॉफ्टवेयर को एक स्वतंत्र कार्यात्मक प्रदेय के रूप में पहचानने की अनुशंसा की जाती है।

ख. सेबी पंजीकृत उद्यम पूंजी निधियों से भागीदारी प्राप्त करके न्यूनतम ₹ 3000 करोड़ के लक्ष्य कोष के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत ₹ 1000 करोड़ की प्रारंभिक प्रतिबद्ध निधि के साथ एक समर्पित निधि, दूरसंचार सॉफ्टवेयर विकास निधि की स्थापना की जानी चाहिए।

ग. वित्तीय सेवा विभाग के परामर्श से, लाभकारी स्वामित्व वाली अमूर्त परिसंपत्तियों जैसे दूरसंचार सॉफ्टवेयर और संबंधित आईपीआर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उचित नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि उद्यमों की पूंजी आवश्यकताओं के विरुद्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके। वित्तपोषण/ऋण सुविधा को सुगम बनाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर आधारित सॉफ्टवेयर मूल्यांकन मानदंडों को भी प्राथमिकता के आधार पर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

घ. टीईसी को प्रकाशनों के लिए दूरसंचार सॉफ्टवेयर उत्पादों के परीक्षण/प्रमाणन मानदंडों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देने का कार्य सौंपा जाना चाहिए तथा इसके लिए सुविधाएं स्थापित/चिह्नित की जानी चाहिए।

ङ. पीपीपी–एमआईआई आदेश के तहत पात्र दूरसंचार उत्पादों की दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित सूची को उचित रूप से विस्तारित किया जाना चाहिए, ताकि एसडीएन सॉफ्टवेयर नियंत्रकों, एनवीएफ और सीएनएफ सॉफ्टवेयर के खिलाफ तालिका–ए और सी में प्रविष्टियों की तर्ज पर प्रासंगिक दूरसंचार सॉफ्टवेयर को शामिल किया जा सके।

च. वाणिज्यिक रूप से स्वीकृत दूरसंचार सॉफ्टवेयर उत्पादों को दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित डिजाइन–आधारित पीएलआई योजना के दायरे में लाया जाना चाहिए, जहां चालान मूल्य के अनुसार स्थानीय सामग्री 50% से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च स्थानीय सामग्री वाले दूरसंचार सॉफ्टवेयर प्रदाताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है (यदि लाभार्थियों का चयन करते समय यह आवश्यक हो जाता है)।

छ. डिजिटल संचार नवाचार स्क्वायर (डीसीआईएस) योजना के दायरे को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि दूरसंचार सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र वितरण योग्य के रूप में शामिल किया जा

सके। डीसीआईएस के शेष कार्यकाल के लिए निधि को उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कुल अनुदान का कम से कम 25% सॉफ्टवेयर नवाचारों के लिए हो।

10) भारत में NATEM के लिए कौशल विकसित करना

क. सरकार को एआईसीटीई से संबद्ध शीर्ष 10 उन्नत तकनीकी संस्थानों की पहचान करनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, फैबलेस उत्पाद डिजाइन और वीएलएसआई इंजीनियरिंग में उन्नत पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं और इन संस्थानों को संसाधन जुटाने के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान करना चाहिए। यह अनुदान 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक पात्र संस्थान के लिए न्यूनतम ₹ 20 करोड़ होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, फैबलेस उत्पाद डिजाइन और वीएलएसआई इंजीनियरिंग में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 40 छात्रों द्वारा स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट फेलोशिप पाठ्यक्रम के प्रमाणित समापन के अधीन होना चाहिए।

11) NATEM को बढ़ावा देने के लिए सरकारी/विभाग स्तर पर संस्थागत व्यवस्था

क. प्राधिकरण ने 2018 की अपनी पिछली अनुशंसा को भी दोहराया है कि "देश में स्वदेशी दूरसंचार उपकरण विनिर्माण की प्रगति की निगरानी दूरसंचार विभाग (डीओटी) में कम से कम दूरसंचार आयोग के सदस्य के स्तर पर की जानी चाहिए। समयबद्ध प्रगति के लिए, देश में दूरसंचार उपकरण डिजाइन, विकास और विनिर्माण की सुविधा और निगरानी के लिए डीओटी में एक समर्पित इकाई को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए"।

ख. भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कार्यरत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) की तर्ज पर, दूरसंचार विभाग में एक बहुविषयक दूरसंचार उपकरण विकास बोर्ड (टीईडीबी) का गठन किया जाना चाहिए, ताकि देश में दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए प्रोत्साहनों के वित्तपोषण से संबंधित त्वरित और समन्वित निर्णय लिए जा सकें। इसे देश में दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और प्रमाणन तथा विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

ग. यह बोर्ड टीटीडीएफ और टीआरडीएफ (यदि टीआरडीएफ का निर्माण भादूविप्रा की 2018 की पिछली अनुशंसा के अनुरूप किया जाता है) से धन के प्रशासन और वितरण के लिए जिम्मेदार होगा। हितों के टकराव से बचने के लिए सी–डॉट से ऐसी किसी भी संबंधित जिम्मेदारी को वापस लेने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अनुशंसाओं की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.1.9 "भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार" पर दिनांक 22 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ

भादूविप्रा देश के दूरदराज, पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर लगातार काम कर रहा है।

यद्यपि भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं, फिर भी वहां अभी भी हाई–स्पीड मोबाइल–आधारित इंटरनेट और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की कमी है, जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त ट्रांसमिशन बैंडविड्थ (ओएफसी/माइक्रोवेव/सैटेलाइट) है।

प्राधिकरण ने स्वतः टीएसपी (यानी एयरटेल, आरजेआईएल, वीआईएल), इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं, दूरसंचार पीएसयू (यानी बीएसएनएल, रेलटेल, पीजीसीआईएल), राज्य सरकार के विभागों, दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाइयों, यूएसओएफ, ग्राम पंचायत प्रशासन और अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और त्रिपुरा में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श और बातचीत (बैठकें, प्रगति समीक्षा, फील्ड विजिट आदि सहित) की। इन परामर्शों का उद्देश्य दूरसंचार बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति, इसकी तैनाती में आने वाली समस्याओं और पूर्वोत्तर राज्यों के सभी निवासियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आगे सुधार के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों का आकलन करना था।

प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार अवसंरचना को बढ़ाने, डिजिटल विभाजन को पाटने, आर्थिक संभावनाओं को खोलने, सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, भौगोलिक चुनौतियों पर काबू पाने, सहयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये अनुशंसाएँ तैयार की हैं। ये अनुशंसाएँ क्षेत्र की दूरसंचार अवसंरचना को बहुत मजबूत करेंगी, जिससे निर्बाध संचार, कुशल निगरानी और प्रभावी सीमा समन्वय संभव होगा।

अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

(i) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों की संबंधित राज्य सरकारों के साथ बातचीत करना:

क. "भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, 2016" और उसके संशोधनों के अनुरूप अपने–अपने राज्य की आरओडब्ल्यू नीति को यथाशीघ्र सुसंगत बनाएं।

ख. ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पांच वर्ष की अवधि के लिए राइट–ऑफ–वे (आरओडब्ल्यू) शुल्क में छूट लागू करना।

ग. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जहां भी लागू हो, टीएसपी पर लगाए जा रहे अतिरिक्त 25% 'आदिवासी विकास शुल्क' को माफ करना।

घ. मोबाइल टावर और टावर स्थानों के लिए डीजी सेट स्थापित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पर्यावरण मंजूरी देने में तेजी लाने के लिए अपनी नीति में सक्षम प्रावधानों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना।

(ii) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को चाहिए कि वे:

क. दूरसंचार स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर (कनेक्शन अनुरोध के 15 दिनों के भीतर) उपयोगिता/औद्योगिक टैरिफ पर बिजली उपलब्ध कराना।

ख. दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार साइटों तक बिजली कनेक्शन बढ़ाने के लिए अंतिम मील स्थापना शुल्क को माफ करना या सब्सिडी देना।

ग. संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) को उपयोगिता शुल्क निर्धारित करना चाहिए जो औद्योगिक शुल्क से कम होना चाहिए। दूरसंचार सेवा/बुनियादी ढांचा प्रदाताओं को केवल ऐसे उपयोगिता शुल्क के अधीन होना चाहिए।

(iii) यूएसओएफ को ऐसे यूएसओएफ वित्तपोषित स्थलों पर सौर बैकअप स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए, जहां कोई विद्युत कनेक्टिविटी नहीं है और जो केवल डीजी सेटों पर चल रहे हैं।

(iv) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों को एक योजना (रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम चरण–II के अंतर्गत आरडब्ल्यूए/जीएचएस के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के अनुरूप) लानी चाहिए, जिससे दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण (मौजूदा और नए) रणनीतिक दूरसंचार स्थलों पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापना के लिए तत्काल धन मुहैया कराया जा सके।

(v) दूरसंचार विभाग/यूएसओएफ को तत्काल डीएचक्यू या राज्य की राजधानी से उन सभी 119 बीएचक्यू तक, जिनमें ओएफसी कनेक्टिविटी नहीं है, रिंग टोपोलॉजी (प्रत्येक बीएचक्यू पर ऐड–ड्रॉप सुविधा के साथ समान बैंडविड्थ) पर ओएफसी बैकबोन कनेक्टिविटी के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) मॉडल पर कैपेक्स सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए।

(vi) यूएसओएफ एसएलए मॉडल पर आरंभ में 5 वर्षों के लिए इस प्रकार सृजित नेटवर्क के संचालन और रखरखाव का वित्तपोषण करेगा, जिसके बाद इन बीएचक्यू में सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर परिचालन सब्सिडी को आगे जारी रखने के लिए निर्णय लिया जा सकता है।

(vii) टीएसपी के कंसोर्टियम आईपी–आई, प्रस्तावित डीसीआईपी (दिनांक 8 अगस्त 2023 को एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकार की शुरूआत पर भादूविप्रा की अनुशंसाएँ देखें) और टीएसपी को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

(viii) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों को परियोजना निगरानी का कार्य सौंपा जाना चाहिए।

(ix) 4जी संतृप्ति परियोजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि:

क. पहले चरण में, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर की संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से, ऐसे सभी कवर न किए गए/गैर–4जी गांवों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनमें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस स्टेशन, डाकघर, राशन की दुकानें, आंगनवाड़ी केंद्र आदि हों, चाहे गांव की आबादी कुछ भी हो।

ख. अगली प्राथमिकता 250 या उससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों तथा राजमार्ग 4जी कवरेज में सुधार के लिए नियोजित सभी स्थानों को दी जाएगी।

(x) दूरसंचार विभाग/यूएसओएफ को सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के सभी गांवों का सर्वेक्षण करवाना चाहिए तथा अतिरिक्त स्थलों की योजना बनानी चाहिए तथा ऐसे गांवों में स्थापित करना चाहिए, जहां आंशिक कवरेज है या जहां गांव का कुछ हिस्सा छाया क्षेत्र में आता है।

(xi) दूरसंचार विभाग को व्यय विभाग के साथ मिलकर 'वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना के तहत राज्यों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए निष्पादन समयसीमा बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, खासकर भाग V जिसमें OFC का उपयोग करके अंतिम मील कनेक्टिविटी बढ़ाने की गुंजाइश शामिल है। प्रस्तावित विस्तार कम से कम 2–3 साल का होना चाहिए, जो कि इसी तरह की USO वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई समयसीमा के अनुरूप होना चाहिए।

(xii) प्राधिकरण अनुशंसा करता है किः

क. केंद्र को राज्यों (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) को अनुदान के रूप में बजटीय सहायता केवल इस उद्देश्य से उपलब्ध करानी चाहिए कि कुछ ग्राम स्तरीय सरकारी संस्थाओं को भारतनेट कनेक्शन प्राप्त करने, डिजिटल संचार उपकरण खरीदने तथा कनेक्टिविटी के लिए मासिक उपयोग शुल्क का भुगतान करने में सहायता की जा सके।

ख. अनुदान को 25:75 के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें अनुदान का 25% इन संस्थानों द्वारा टर्मिनल एंड डिजिटल संचार उपकरणों की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और अनुदान का 75% बीएसएनएल को कनेक्टिविटी की लागत और उसके मासिक उपयोग शुल्क का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

ग. प्रत्येक राज्य के लिए बीएसएनएल को राज्य सरकार को एक समेकित मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा। बीएसएनएल को केवल ऐसे कनेक्शनों के लिए बिल बनाना चाहिए जहां मीटर रीडिंग में वृद्धि हुई हो या महीने के दौरान डेटा का उपयोग किया गया हो। राज्य सरकार से बीएसएनएल को भुगतान केंद्रीकृत होना चाहिए और सत्यापन के कारण इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सत्यापन आवश्यक हो तो उसे बाद में या केंद्रीकृत ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग भारतनेट परियोजना के उपयोग के लिए अन्य राज्यों में भी उपरोक्त पर विचार कर सकता है। अन्य राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रतिशत दूरसंचार विभाग द्वारा उचित रूप से तय किया जा सकता है।

(xiii) दूरसंचार विभाग को भारतनेट परियोजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के दूर–दराज या सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों तक दूरसंचार कवरेज (ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित) बढ़ाने के लिए बीएसएनएल को एनएफएस नेटवर्क के एक/दो जोड़ी ओएफसी आवंटित करने के लिए रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के साथ बातचीत करनी चाहिए। यदि यह संभव नहीं है, तो ऐसे गांवों तक दूरसंचार कवरेज बढ़ाने के लिए अपने मौजूदा कार्यात्मक ओएफसी पर उपयुक्त बैंडविड्थ आवंटित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है।

(xiv) जिला स्तरीय समितियों का तत्काल गठन किया जाना चाहिए, जैसा कि दिनांक 31 अगस्त 2021 को जारी 'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उन्नत ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप' में पहले ही अनुशंसा की जा चुकी है। दूरसंचार बुनियादी ढांचे की तैनाती की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन के लिए इन समितियों की ऑनलाइन बैठकें हर महीने आयोजित की जानी चाहिए।

(xv) 24 अप्रैल 2023 को "लद्दाख के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल बुनियादी ढांचे में सुधार" के तहत पहले की गई अनुशंसाओं के अनुरूप, प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि–

क. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी प्रचालनरत टीएसपी, जिनके पास बैकहॉल ट्रांसमिशन मीडिया है, को उचित और गैर–भेदभावपूर्ण शर्तों पर, पट्टे/किराए के माध्यम से या पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर, किसी भी पात्र लाइसेंसधारी टीएसपी/आईएसपी को, जिसमें चालू और भावी यूएसओएफ परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियां भी शामिल हैं, अपने अतिरिक्त बैकहॉल ट्रांसमिशन मीडिया संसाधन क्षमता तक पहुंच प्रदान करनी होगी, जो ऐसे संसाधन तक पहुंच चाहते हैं।

ख. संबंधित राज्य/एलएसए स्तर के दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाई के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी संचालित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के उपयुक्त प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, ताकि ऑप्टिकल फाइबर आधारित रिंग निर्माण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच संसाधनों को एकत्रित करने में मदद मिल सके, तथा राज्य/एलएसए स्तर पर ऐसे अभ्यावेदनों की समय–समय पर समीक्षा की जा सके और उनका समाधान किया जा सके।

(xvi) दिनांक 29.11.2022 को "स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग" के माध्यम से की गई पूर्व अनुशंसा को दोहराया गया है जिसमें कहा गया है कि "किसी पट्टाकर्ता टीएसपी को उसके अतिरिक्त बैकहॉल मीडिया ट्रांसमिशन संसाधन क्षमता के उपयोग के लिए पट्टेदार (टीएसपी) द्वारा भुगतान किए गए शुल्क को पट्टाकर्ता टीएसपी के सकल राजस्व से घटाकर ऐसे पट्टाकर्ता टीएसपी का लागू सकल राजस्व (एजीआर) निकाला जाना चाहिए"।

(xvii) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदराज और पहुंच में कठिन स्थानों पर मोबाइल टावर स्थलों तक सैटेलाइट बैकहॉल के प्रावधान पर किए गए विश्लेषण पर विचार करते हुए, प्राधिकरण निम्नलिखित अनुशंसाएँ करता है:

क. दिनांक 12 दिसंबर 2022 को "हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के इलाकों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/बुनियादी ढांचे में सुधार" पर अपनी पिछली अनुशंसाओं के अनुरूप दूरसंचार विभाग को उन सभी साइटों का साइट–वार विश्लेषण करना चाहिए जो किसी भी टीएसपी द्वारा एनईआर के दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में वीसैट पर चलाई जा रही हैं। सरकार की रणनीतिक या सेवा वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने वाली साइटों को चलाने की पूरी परिचालन लागत सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए।

ख. यूएसओएफ/डीओटी द्वारा बीएसएनएल को 4जी संतृप्ति परियोजना के लिए सभी लिंकों के लिए उपग्रह लिंक प्रभारों के लिए 100% प्रतिपूर्ति रखरखाव समझौते की पूरी अवधि के लिए की जाएगी, अर्थात समझौते में निर्धारित वर्तमान फार्मूला–आधारित अवधि के स्थान पर पांच वर्ष के लिए।

ग. यूएसओएफ/डीओटी द्वारा उपग्रह लिंक के लिए सब्सिडी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 4जी कवरेज परियोजना के लिए रखरखाव समझौते की पूरी अवधि के लिए दी जाएगी, अर्थात समझौते में किए गए दो वर्षों के स्थान पर पांच वर्षों के लिए।

(xviii) दिनांक 26 सितंबर 2013 को जारी "पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं में सुधारः एक निवेश योजना" के तहत की गई पिछली अनुशंसा को दोहराया गया है, जिसमें कहा गया है कि "यूएसओएफ/डीओटी को यूएसओ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में कठोर समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यूएसओएफ को परियोजना को लागू करने वाली एजेंसियों के साथ अपने समझौतों में देरी के लिए कठोर दंड के प्रावधान शामिल करने चाहिए। साथ ही, यूएसओएफ को निर्धारित समय सीमा से पहले काम पूरा होने की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए"।

(xix) दूरसंचार विभाग को एसएसबी/आईटीबीपी/सेना/बीएसएफ के अग्रिम चौकियों पर प्राथमिकता के आधार पर कनेक्टिविटी और 4जी कवरेज उपलब्ध करानी चाहिए। दूरसंचार विभाग को

दिनांक 14 जुलाई 2023 के अपने डीओ पत्र संख्या जी–17/(41)/2023–एनएसएल–I के माध्यम से इस बारे में सूचित कर दिया गया है।

(xx) दूरसंचार विभाग को सिक्किम से संबंधित सभी बिंदुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, जैसा कि भादूविप्रा के डीओ पत्र संख्या एम–5/9/(4)/2021–क्यूओएस दिनांक 07 अक्टूबर 2022 में उल्लेख किया गया है, क्योंकि उल्लिखित ये बिंदु अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक हैं और इसलिए इन्हें जल्द से जल्द सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

"भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार" पर अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.1.10 "हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार" पर दिनांक 29 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ

भादूविप्रा समय–समय पर देश के दूरदराज, पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में बैकहॉल और एक्सेस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करता रहा है। प्राधिकरण ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को "हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार" पर अपनी पिछली अनुशंसा में चार चिन्हित जिलों (चंबा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, और मंडी) में सभी तहसीलों/तालुकाओं को कवर करते हुए कोर ट्रांसमिशन बैकहॉल नेटवर्क के लिए एक व्यापक निवेश योजना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, और यह भी कहा था कि इस मुद्दे को संबोधित करते हुए एक अलग अनुशंसा जारी की जाएगी। ये चार जिले राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत दूरदराज और अविकसित हैं, जिससे उचित दूरसंचार और बैकहॉल बुनियादी ढांचे की कमी है।

तदनुसार, एक मजबूत, टिकाऊ और लचीले बैकहॉल दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए "हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार" पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया था।

अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

(i) हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण सैन्य तैनाती वाले सामरिक महत्व के अग्रिम सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई स्पीड 4जी/5जी आधारित सेलुलर मोबाइल कवरेज (बैकहॉल सहित) शुरू करने के लिए यूएसओएफ या केंद्र सरकार से अलग बजटीय सहायता से एक अलग समर्पित राशि निर्धारित की जानी चाहिए। इस निधि से ऐसे स्थलों के परिचालन व्यय को भी पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) बीएसएनएल के माध्यम से यूएसओएफ को जमीनी सर्वेक्षण करना चाहिए तथा तीसा ब्लॉक मुख्यालय से पांगी ब्लॉक मुख्यालय होते हुए उदयपुर तक ओएफसी बैकहॉल कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए धन मुहैया कराना चाहिए।

(iii) दूरसंचार विभाग / यूएसओएफ को रक्षा मंत्रालय के साथ पुनः संपर्क करके किसी भी कैप्टिव ओएफसी मीडिया नेटवर्क (जो एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति भी है) से पांच वर्ष की अवधि के लिए

(पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों व नियमों पर) पट्टे पर ओएफसी का एक जोड़ा प्राप्त करना होगा, ताकि यूएसओएफ से या केंद्र सरकार से अलग बजटीय सहायता से अलग से निर्धारित निधियों का उपयोग करके सीमा क्षेत्रों से सटे अखिल भारतीय अग्रिम स्थानों में 4जी/5जी आधारित सेलुलर मोबाइल सेवाएं और हाई–स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए एक तैयार ओएफसी मीडिया संसाधन प्राप्त किया जा सके, जैसा कि अध्याय 2 के पैराग्राफ 2.28 में प्रस्तावित है। इसके अलावा अनुबंध दस्तावेज में एक खंड अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि यूएसओएफ द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसी के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक होना चाहिए कि वह अनुबंध आवंटन के पांच वर्ष के भीतर अपना स्वयं का ओएफसी फाइबर शुरू करे, ताकि सशस्त्र बलों से पट्टे पर लिए गए ओएफसी मीडिया को पुनः उपयोग की कार्यात्मक स्थिति में पूरी तरह से जारी कर सके।

(iv) बीएसएनएल को आसानी से उपलब्ध डार्क फाइबर के उपयोग के लिए क्रमशः चंबा और लाहौल और स्पीति जिलों के क्षेत्र में आईपी–1 का संचालन करना चाहिए। ये डार्क फाइबर क्रमशः भरमौर, मेहला, तिस्सा, सलूणी और स्पीति (काजा) के ब्लॉक मुख्यालयों में बीएसएनएल के संचालन को रेडियो/सैटेलाइट–आधारित माध्यम से रैखिक ऑप्टिकल फाइबर–आधारित ट्रांसमिशन बैकहॉल में बदलने में मदद करेंगे। यह रणनीतिक दृष्टिकोण न केवल बैकहॉल बुनियादी ढांचे के लिए बीएसएनएल की मौजूदा बैंडविड्थ क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि उच्च वीसैट बैंडविड्थ शुल्क वहन करने की आवश्यकता को समाप्त करके परिचालन व्यय (ओपीईएक्स) में महत्वपूर्ण बचत भी करेगा।

(v) दूरसंचार विभाग को हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर वर्ष 2021 की अपनी राइट ऑफ वे नीति को भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, 2016 संशोधन दिनांक 17 अगस्त 2022 के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिसमें भाग II (पुर्नस्थापना के लिए शुल्क) के पैराग्राफ 6 (3) का प्रावधान दूरसंचार लाइसेंसधारकों को किसी भी भूमिगत टेलीग्राफ अवसंरचना के बिछाने के दौरान हुए किसी भी नुकसान की तुरंत मरम्मत की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी (अचल संपत्तियों के लिए बहाली शुल्क की 20% राशि) द्वारा समर्थित एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने का आदेश देता है।

(vi) दूरसंचार विभाग को अपने दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. 19–1/2019–एसयू–I में संशोधित संशोधन जारी करना चाहिए, जो केंद्र सरकार के अधीन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि पर लागू हो, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों:

क. ऐसे मामलों में जहां किसी भी अखिल भारतीय स्थान पर बीएसएनएल/एमटीएनएल नेटवर्क कवरेज का अभाव है या इंटरनेट/ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन आवश्यकताओं के लिए क्षमता/नेटवर्क अवसंरचना की अनुपलब्धता है, बीएसएनएल/एमटीएनएल आवेदन प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर या बीएसएनएल/एमटीएनएल के किसी भी अवलोकन पर स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, संबंधित मंत्रालय/सरकारी विभाग को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्रदान करेगा और ऐसा न करने पर एनओसी प्रदान किया गया माना जाएगा।

(vii) दिनांक 24 अप्रैल 2023 को "लद्दाख के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल बुनियादी ढांचे में सुधार" पर अपनी पिछली अनुशंसाओं के आधार पर यह अनुशंसा की गई है कि:

क. टीएसपी को अपनी अतिरिक्त बैकहॉल ट्रांसमिशन संसाधन क्षमता तक किसी भी पात्र लाइसेंस प्राप्त टीएसपी/आईएसपी को पहुंच प्रदान करनी चाहिए, जिसमें चालू और भविष्य की यूएसओएफ परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियां भी शामिल हैं। यह पहुंच उचित और गैर–भेदभावपूर्ण शर्तों और नियमों पर, या तो पट्टे/किराए के माध्यम से या पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर प्रदान की जानी चाहिए।

ख. संसाधन पूलिंग और ऑप्टिकल फाइबर आधारित स्व–उपचार रिंग के निर्माण को सुगम बनाने के लिए, प्राधिकरण जल्द से जल्द एक समिति के गठन की अनुशंसा करता है। इस समिति का नेतृत्व एलएसए स्तर पर हिमाचल प्रदेश की दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टीईआरएम) क्षेत्र इकाई के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें एलएसए में संचालित सभी टीएसपी के उपयुक्त प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए। समिति की भूमिका अन्य बातों के साथ–साथ एलएसए स्तर पर संसाधन साझाकरण और पूलिंग से संबंधित अभ्यावेदनों की समय–समय पर समीक्षा करना और उनका समाधान करना होगा।

ग. यदि किसी प्रभावित इकाई को कोई बाधा या समस्या आती है, तो दूरसंचार विभाग मुख्यालय में द्वितीय स्तरीय समिति गठित की जानी चाहिए। यह समिति समय–समय पर ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेगी और यदि आवश्यक हो तो उच्च स्तर पर हस्तक्षेप के माध्यम से समाधान प्रदान करेगी।

(viii) 'स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग' पर दिनांक 29.11.2022 को की गई अपनी पिछली अनुशंसाओं के अनुरूप, प्राधिकरण ने यह अनुशंसा की है कि किसी भी पट्टाकर्ता टीएसपी को उसके स्पेयर बैकहॉल मीडिया ट्रांसमिशन संसाधन क्षमता के उपयोग के लिए पट्टेदार (टीएसपी) द्वारा भुगतान किए गए शुल्क को पट्टाकर्ता टीएसपी के सकल राजस्व से हटा दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे पट्टाकर्ता टीएसपी के लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) पर पहुंचा जा सके। यूएल, एनएलडी और आईएसपी लाइसेंस में भी आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

"हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार" लाने पर अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.1.11 "क्लाउड सेवाओं" पर भादूविप्रा की दिनांक 14 सितंबर 2020 को की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 13 अप्रैल 2023 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 29 सितंबर 2023 की प्रतिक्रिया

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र संख्या 4–41/क्लाउड सर्विसेज/2021–एनटी दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से "क्लाउड सर्विसेज" पर दिनांक 14 सितंबर 2020 की भादूविप्रा की अनुशंसाओं को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। भादूविप्रा ने उचित विचार–विमर्श के बाद बैक रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और अपनी प्रतिक्रिया दिनांक 29 सितंबर 2023 को दूरसंचार विभाग को भेज दिया।

प्राधिकरण द्वारा दी गई प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.1.12 "भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरूआत" पर दिनांक 23 फरवरी 2024 की अनुशंसाएँ

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 21.03.2022 के संदर्भ के माध्यम से प्राधिकरण से भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सुविधा शुरू करने के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया। भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए दिनांक 29 नवंबर 2022 को "दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) की शुरूआत" पर एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र पर वर्चुअल मोड के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2023 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक 23 फरवरी 2024 को सरकार को "भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरूआत" पर अपनी अनुशंसाएँ भेजीं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः

क. भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) पूरक सेवा शुरू की जानी चाहिए।

ख. कॉलिंग लाइन पहचान (सीएलआई) को 1टीयू अनुशंसा के ई.164/आईपी अड्रेस एवं कॉलिंग नाम (सीएनएएम) या लाइसेंसकर्ता द्वारा समय–समय पर निर्धारित किसी अन्य पहचान के अनुसार निर्दिष्ट टेलीफोन नंबर के संदर्भ में कॉलिंग/मूल सब्सक्राइबर की पहचान के रूप में पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए।

ग. सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को अपने टेलीफोन उपभोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) अनुपूरक सेवा उपलब्ध करानी चाहिए।

घ. सीएनएपी के प्रयोजन के लिए टेलीफोन उपभोक्ता द्वारा सब्सक्राइबर आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) में दी गई नाम पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग किया जाना चाहिए।

ङ. भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सीएनएपी के कार्यान्वयन के लिए एक तकनीकी मॉडल की रूपरेखा तैयार की गई है।

च. अनुशंसाओं को स्वीकार करने के बाद, सरकार को उपयुक्त कट–ऑफ तिथि के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी उपकरणों में सीएनएपी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उचित निर्देश जारी करने चाहिए।

छ. थोक कनेक्शन और व्यावसायिक कनेक्शन रखने वाली उपभोक्ता संस्थाओं को सब्सक्राइबर आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) में दिए गए नाम के स्थान पर अपना 'पसंदीदा नाम' प्रस्तुत करने की सुविधा दी जानी चाहिए।

ज. 'पसंदीदा नाम' कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत 'ट्रेडमार्क नाम' हो सकता है, या जीएसटी परिषद के साथ पंजीकृत 'व्यापार नाम' हो सकता है, या सरकार के साथ विधिवत पंजीकृत कोई अन्य ऐसा विशिष्ट नाम हो सकता है, बशर्ते कि सब्सक्राइबर इकाई ऐसे नाम के स्वामित्व को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम हो।

परामर्श पत्र और अनुशंसाओं की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.1.13 "मशीन–टू–मशीन (एम2एम) संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग" पर दिनांक 21 मार्च 2024 की अनुशंसाएँ

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 9 नवंबर 2021 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में ई–सिम की समग्र तैनाती के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत भादूविप्रा की अनुशंसाएँ मांगी थी, जिसमें विभिन्न प्रोफाइल के तहत कार्यान्वयन तंत्र – कॉन्फिगरेशन और टीएसपी द्वारा प्रोफाइल का स्विच ओवर शामिल है। भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए दिनांक 25 जुलाई 2022 को "एम2एम संचार के लिए एम्बेडेड सिम" पर एक परामर्श पत्र जारी किया। उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 21 मार्च 2024 को सरकार को "मशीन–टू–मशीन (एम2एम) संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग" पर अपनी अनुशंसाएँ भेजीं।

इन अनुशंसाओं का उद्देश्य भारत में एम2एम एम्बेडेड सिम (ई–सिम) के विनियामक परिदृश्य को सुव्यवस्थित करना है। इन अनुशंसाओं के माध्यम से, प्राधिकरण ने उचित रूप से अपने सब्सक्राइबर को जानें (केवाईसी) के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है, जो नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने, धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने और एम2एम ई–सिम पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र अखंडता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। प्राधिकरण ने ई–सिम की प्रोफाइल स्विचिंग और एसएम–एसआर की अदला–बदली के लिए एक रूपरेखा की भी अनुशंसा की है। यह एम2एम ई–सिम उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।

इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. भारत में अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर किसी आयातित डिवाइस में लगे किसी भी एम2एम ई–सिम पर सभी संचार प्रोफाइल को ऐसे एम2एम ई–सिम पर अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के सक्रियण की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या डिवाइस के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर, जो भी पहले हो, अनिवार्य रूप से भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के संचार प्रोफाइल में परिवर्तित/पुनः कॉन्फिगर किया जाना चाहिए।

ख. एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस धारक, एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवा प्राधिकरण) धारक, एकीकृत लाइसेंस (मशीन–टू–मशीन प्राधिकरण) धारक, वीएनओ के लिए एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवा प्राधिकरण) धारक, वीएनओ के लिए एकीकृत लाइसेंस (मशीन–टू–मशीन प्राधिकरण) धारक और भारत में सब्सक्रिप्शन मैनेजर–सिक्योर रूटिंग (एसएम–एसआर) के स्वामित्व और प्रबंधन के लिए विशिष्ट अनुमति के साथ एम2एम सेवा प्रदाता (एम2एमएसपी) पंजीकरण रखने वाली कंपनियों को देश में एसएम–एसआर के स्वामित्व और प्रबंधन की अनुमति दी जानी चाहिए।

ग. भारत में आयातित उपकरणों में लगे एम2एम ई–सिम पर भारतीय टीएसपी के प्रोफाइल की स्थापना के लिए, संबंधित मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और एम2एमएसपी को (i) मौजूदा (विदेशी) एसएम–एसआर के माध्यम से भारतीय टीएसपी के सदस्यता प्रबंधक–डेटा तैयारी (एसएम–डीपी) से एम2एम ई–सिम में प्रोफाइल डाउनलोड, या (ii) एसएम–एसआर के विदेशी से भारतीय में स्विच के बाद, नए (भारतीय) एसएम–एसआर के माध्यम से भारतीय टीएसपी के एसएम–डीपी से एम2एम ई–सिम में प्रोफाइल डाउनलोड के बीच चयन करने की लचीलापन दी जानी चाहिए।

घ. एम2एमएसपी पंजीयक/दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारी, जिसका एसएम–एसआर भारत में एम2एम ईसिम को नियंत्रित करता है, को संबंधित ओईएम/एम2एमएसपी के अनुरोध पर लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता के एसएम–डीपी के साथ अपने एसएम–एसआर के एकीकरण से इनकार नहीं करना चाहिए, जिनके प्रोफाइल को ऐसे एम2एम ईसिम में जोड़ा जाना है। एकीकरण जीएसएमए के विनिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए और संबंधित ओईएम/एम2एमएसपी से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

ङ. एम2एमएसपी पंजीयक/दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारी, जिसका एसएम–एसआर भारत में एम2एम ईसिम को नियंत्रित करता है, को संबंधित ओईएम/एम2एमएसपी के अनुरोध पर भारत में एसएम–एसआर रखने के योग्य किसी अन्य इकाई के एसएम–एसआर के साथ अपने एसएम–एसआर को अनिवार्य रूप से स्विच करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह की एसएम–एसआर स्विचिंग जीएसएमए के विनिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए और संबंधित ओईएम/एम2एमएसपी से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी होनी चाहिए।

च. इसके कार्यान्वयन में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा भारतीय संस्थाओं को आवंटित 901.XX.IMSI श्रृंखला के उपयोग को इस स्तर पर भारत में एम2एम सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

परामर्श पत्र और अनुशंसाओं की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.2 प्रसारण क्षेत्र

क्र. सं.	अनुशंसाएँ और बैक रेफरेंस एवं प्रतिक्रियाओं की सूची
1	"दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी" पर दिनांक 2 मई 2023 की अनुशंसाएँ।
2	"मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण" पर भादूविप्रा की दिनांक 29 दिसंबर 2022 की अनुशंसाओं पर एमआईबी से प्राप्त दिनांक 27 अप्रैल 2023 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 27 जून 2023 की प्रतिक्रिया।
3	"डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों" पर दिनांक 21 अगस्त 2023 की अनुशंसाएँ।
4	"एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर दिनांक 5 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ।
5	"लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण" पर दिनांक 21 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ।

अनुशंसाएँ और बैक रेफरेंस पर प्रतिक्रियाएँ

2.5.2.1 "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में आसानी" पर दिनांक 2 मई 2023 की अनुशंसाएँ

दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में "कारोबार में आसानी (ईओडीबी)" पर अनुशंसाएँ दिनांक 2 मई 2023 को जारी की गईं। एक क्षेत्रीय विनियामक के रूप में भादूविप्रा ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र की मौजूदा प्रक्रियाओं की समग्र समीक्षा करने के लिए इस परामर्श प्रक्रिया को स्वयं शुरू किया है। भादूविप्रा ने एंड–टू–एंड अंतर–विभागीय ऑनलाइन प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए लाइसेंस जीवनचक्र के दौरान आवेदन पत्र, अनुपालन, सूचना प्रस्तुत करने और भुगतान प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने सहित एकल

खिड़की प्रणाली की आवश्यकता को पहचाना है। इसका उद्देश्य अनावश्यक प्रक्रियाओं की पहचान करना और उन्हें हटाना तथा आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करना है।

अनुशंसाओं में दूरसंचार विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को शामिल करते हुए सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है। इससे अनावश्यक आवश्यकताओं की पहचान हुई है तथा महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया गया है। भादूविप्रा ने एक स्थायी समिति की स्थापना की भी अनुशंसा की है। यह समिति मौजूदा अनुपालनों की निरंतर समीक्षा करेगी, बाधाओं की पहचान करने के लिए हितधारकों को शामिल करेगी तथा प्रौद्योगिकी–गहन दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर सुधार पेश करेगी।

संपूर्ण अनुशंसा भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.2.2 "मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण" पर भादूविप्रा की दिनांक 29 दिसंबर 2022 की अनुशंसाओं पर एमआईबी से प्राप्त दिनांक 27 अप्रैल 2023 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 27 जून 2023 की प्रतिक्रिया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 के अपने संदर्भ के माध्यम से भादूविप्रा की "मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण" पर दिनांक 29 दिसंबर 2022 को की गई अनुशंसाओं में से कुछ अनुशंसाओं को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया।

भादूविप्रा ने उचित विचार–विमर्श के बाद, बैक रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और दिनांक 27 जून 2023 को एमआईबी को भेज दिया।

प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.2.3 "डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों" पर दिनांक 21 अगस्त 2023 की अनुशंसाएँ

भादूविप्रा ने दिनांक 21 अगस्त 2023 को "डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों" पर अनुशंसाएँ जारी कीं। इन अनुशंसाओं के माध्यम से, भादूविप्रा ने सकल राजस्व, लागू सकल राजस्व और समायोजित सकल राजस्व की संशोधित परिभाषा और फॉर्म–डी का संशोधित प्रारूप प्रदान किया।

भादूविप्रा ने आगे सुझाव दिया है कि डीटीएच लाइसेंसधारकों को एजीआर के 3% के बराबर वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एलएफ) का भुगतान करना चाहिए। डीटीएच लाइसेंसधारकों के लिए एलएफ को अगले तीन वर्षों में शून्य पर लाया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2026–2027 के अंत के बाद उनसे कोई एलएफ नहीं लिया जाना चाहिए।

तदनुसार, भादूविप्रा ने डीटीएच कम्पनियों द्वारा लाइसेंसदाता के पास जमा की जाने वाली बैंक गारंटी राशि को युक्तिसंगत बनाने की अनुशंसा भी की।

संपूर्ण अनुशंसा भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.2.4 "एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर दिनांक 5 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ

भादूविप्रा ने दिनांक 5 सितंबर 2023 को " एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर अनुशंसाएँ जारी की।

अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

(i) एफएम रेडियो चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क को गैर–वापसीयोग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क (नोटईएफ) से अलग किया जाना चाहिए।

(ii) लाइसेंस शुल्क की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान एफएम रेडियो चैनल के सकल राजस्व (जीआर) के 4% के रूप में की जानी चाहिए। सकल राजस्व (जीआर) से जीएसटी को बाहर रखा जाना चाहिए।

(iii) सरकार कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एफएम रेडियो ऑपरेटरों को राहत प्रदान करने के लिए उचित उपाय कर सकती है।

(iv) निजी एफएम रेडियो ऑपरेटरों को प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तक सीमित समाचार और समसामयिक कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(v) समाचार सामग्री के लिए आकाशवाणी पर लागू कार्यक्रम आचार संहिता निजी एफएम रेडियो चैनलों पर भी लागू हो सकती है।

(vi) एफएम रेडियो से संबंधित फ़क्शन या सुविधाएँ आवश्यक हार्डवेयर वाले सभी मोबाइल हैंडसेट पर सक्षम और सक्रिय रहनी चाहिए। मोबाइल हैंडसेट में अंतर्निहित एफएम रेडियो रिसीवर को किसी भी प्रकार की अक्षमता या निष्क्रियता के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) मोबाइल फोन निर्माताओं (या आयातकों) द्वारा अनुपालन की निगरानी और निगरानी के लिए संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति MeitY द्वारा स्थापित की जा सकती है। समिति में एमआईबी, एआरओआई, एमएआइटी और आईसीईए जैसे प्रमुख हितधारक शामिल होने चाहिए।

(viii) ऐसे मोबाइल हैंडसेटों में एफएम रेडियो कार्यक्षमता को सक्षम करने के संबंध में किसी भी गैर–अनुपालन के मामले की सूचना या शिकायत प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल प्रदान किया जाना चाहिए, जिनमें एफएम रिसीवर के लिए आवश्यक कार्यक्षमता हो।

संपूर्ण अनुशंसा भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.2.5 "लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण" पर दिनांक 21 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ

भादूविप्रा ने दिनांक 21 सितंबर 2023 को "लो पावर स्मॉल रेंज के एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर अनुशंसाएँ जारी कीं।

अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

(i) लो पॉवर स्मॉल रेंज वाले एफएम रेडियो के प्रावधान के लिए 'लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग' नामक सेवा प्रदाता की एक नई श्रेणी की शुरूआत की गई।

(ii) लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकरण ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से सरल पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

(iii) लो पॉवर स्मॉल रेंज के एफएम प्रसारण के लिए संचारण उपकरण हेतु दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) द्वारा अनुमोदन।

(iv) 'लो पावर स्मॉल रेंज एफएम प्रसारण' के लिए लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकरण रखने वाली पात्र संस्थाएं।

(v) 'लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण' सेवा के लिए अनुमति अवधि।

(vi) कोई आवेदन/प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(vii) तीस दिनों तक की अनुमति के लिए लाइसेंस/अनुमति/प्राधिकरण शुल्क ₹ 1000/– तथा पांच वर्ष की अनुमति के लिए ₹ 10,000/– प्रति वर्ष है।

(viii) डब्ल्यूपीसी को गहन मूल्यांकन करना चाहिए तथा लो पॉवर स्मॉल रेंज वाले एफएम प्रसारण की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त आवृत्ति स्पॉट आरक्षित करना चाहिए।

(ix) लो पॉवर स्मॉल रेंज के एफएम प्रसारण के लिए फ्रीक्वेंसी का आवंटन आवेदन प्रस्तुत करने के दो दिनों के भीतर डब्ल्यूपीसी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक रूप से किया जाना चाहिए।

(x) लो पॉवर स्मॉल रेंज के एफएम प्रसारण के लिए लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकरण धारकों को किसी भी प्रकार की ट्रांसमिशन तकनीक (एनालॉग/डिजिटल/कोई अन्य) का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(xi) 'लो पॉवर स्मॉल रेंज रेडियो प्रसारण' की अधिकतम स्वीकार्य संचरण सीमा 500 मीटर होनी चाहिए।

(xii) लो पॉवर स्मॉल रेंज के एफएम के मामले में आवृत्ति असाइनमेंट का लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र, इच्छित सेवा स्थान (चाहे वह भवन, स्टेडियम, सम्मेलन केंद्र, प्रदर्शनी क्षेत्र आदि हो) के देशांतर और अक्षांश जैसे सटीक भौगोलिक निर्देशांकों के आधार पर स्थान–विशिष्ट के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

(xiii) लो पॉवर स्मॉल रेंज के एफएम प्रसारण के लिए अधिकतम स्वीकार्य संचरण शक्ति 1 वाट होनी चाहिए।

संपूर्ण अनुशंसा भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.6 वर्ष 2023–24 के दौरान, प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत सौंपे गए अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में निम्नलिखित विनियम बनाए हैं:

2.6.1 दूरसंचार क्षेत्र

क्र.सं.	विनियमों की सूची
1	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 दिनांक 26 जुलाई 2023।
2	सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 दिनांक 11 सितंबर 2023।
3	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2023 दिनांक 20 अक्टूबर 2023।
4	दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 14 मार्च 2024।

2.6.1.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 दिनांक 26 जुलाई 2023

भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए दिनांक 3 अप्रैल 2023 को "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023" पर परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने डायल–अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा की गुणवत्ता पर विनियम को निरस्त करने के लिए, आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 (2023 का 02)" दिनांक 26 जुलाई 2023 को जारी किया।

यह विनियम भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.6.1.2 सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 दिनांक 11 सितंबर 2023

दिनांक 11 सितंबर 2023 को जारी 'सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए आचार संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03)' को दिनांक 12 सितंबर 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। ऑडिट आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश भी दिनांक 19 सितंबर 2023 को जारी किए गए हैं। इन विनियमों पर संक्षिप्त नोट इस प्रकार हैं:

- दूरसंचार सेवाओं की मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विनियामक का मुख्य फोकस रहा है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने पहले दिनांक 21 मार्च 2006 को सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियमन, 2006 को अधिसूचित किया था।
- पिछले दस सालों में दूरसंचार नेटवर्क और उनकी तकनीक में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कई नई सेवाएं पेश की जा रही हैं। टैरिफ पेशकश के साथ–साथ सेवाओं के उपयोग के पैटर्न में भी काफी बदलाव आया है।
- इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने विनियमन की समीक्षा के लिए सार्वजनिक परामर्श किया। परामर्श प्रक्रिया के तहत, "सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए आचार संहिता) विनियम, 2023" पर मसौदा विनियम और दिशानिर्देश दिनांक 24 फरवरी 2023 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर जारी किए गए, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। इसके बाद दिनांक 7 जुलाई 2023 को हितधारकों के साथ ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई।
- हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों, ओएचडी के दौरान आयोजित विचार–विमर्श, सेवा प्रदाताओं की टीम के साथ बाद की चर्चा, सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत और उसके विश्लेषण के आधार पर, सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03) को अंतिम रूप दिया गया और प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया।
- विनियमों को अंतिम रूप देते समय, प्राधिकरण ने दो प्रमुख उद्देश्यों के बीच संतुलन सुनिश्चित किया है अर्थात (i) यह सुनिश्चित करके सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा करना कि सेवा प्रदाता अपने मीटरिंग और बिलिंग सिस्टम में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखें (ii) सेवा प्रदाता पर अनुपालन बोझ को कम करके व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) को बढ़ाया जाए। तदनुसार, प्राधिकरण ने निर्धारित लेखापरीक्षा पद्धति में एकल केंद्रीकृत या कुछ क्षेत्रीय बिलिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन की दिशा में उद्योग में उभरते रुझानों पर विचार किया है।

- नये विनियमन जारी करने से, पूर्व के विनियमन अर्थात् सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए आचार संहिता) विनियमन, 2006 और दिनांक 25 मार्च 2013 को जारी इसके संशोधन निरस्त हो गए हैं।

यह विनियम भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.6.1.3 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2023 दिनांक 20 अक्टूबर 2023

दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2023 जारी किए हैं। यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) को निरस्त करते हुए जारी किया गया है।

2.6.1.4 दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 14 मार्च 2024

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) ने देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए विनियामक ढांचा निर्धारित किया।

हाल ही में दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा को अपने विभिन्न संचारों के माध्यम से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए विनियामक ढांचे के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। दूरसंचार विभाग के सुझाव को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने दिनांक 27 सितंबर 2023 को हितधारकों के परामर्श के लिए मसौदा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 जारी किया। दिनांक 22 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितधारकों के साथ एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।

उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 14 मार्च 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया। इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप या प्रतिस्थापन के माध्यम से मोबाइल नंबर पोर्ट करने की प्रथा पर अंकुश लगाना है। इन संशोधन विनियमों के माध्यम से, UPC के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड पेश किया गया है। विशेष रूप से, यदि UPC के लिए अनुरोध सिम स्वैप या मोबाइल नंबर के प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिनों की समाप्ति से पहले किया गया है, तो UPC आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। ये विनियम दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे।

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

2.6.2 प्रसारण क्षेत्र

क्र.सं.	विनियमों की सूची
1	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2023 दिनांक 14 सितंबर 2023।

2.6.2.1 दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2023 दिनांक 14 सितंबर 2023

दिनांक 14 सितंबर 2023 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का 4) जारी किया।

संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. डिजिटल अधिकार प्रबंधन (डीआरएम) सिस्टम आवश्यकताओं के लिए एक नई अनुसूची एक्स निर्धारित की गई है जिसमें शामिल हैं:

i. डीआरएम आवश्यकताएं जहां तक वे आईपीटीवी सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणालियों (एसएमएस) से संबंधित हैं।

ii. सब्सक्राइबरों द्वारा सशर्त पहुंच के लिए डीआरएम आवश्यकताएं और IPTV सेवाओं के लिए एन्क्रिप्शन।

iii. डीआरएम आवश्यकताएं जहां तक वे आईपीटीवी सेवाओं के लिए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित हैं।

iv. डीआरएम आवश्यकताएं जहां तक वे एसटीबी/विशिष्ट उपभोक्ता सदस्यता से संबंधित हैं।

ख. समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम, प्रौद्योगिकी तटस्थ, सरल विनियामक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है, जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हुए विकास और प्रौद्योगिकीय विकास को सुगम बनाती है।

2.7 टैरिफ आदेश

दूरसंचार क्षेत्र

वर्ष 2023–24 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र के लिए कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किए गए।

प्रसारण क्षेत्र

वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किए गए।

2.8 दिशा–निर्देश

भादूविप्रा ने वर्ष 2023–24 के दौरान अपने आदेश/विनियमों के अनुपालन के लिए सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश और आदेश जारी किए: –

दूरसंचार क्षेत्र

क्र. सं.	दिशा–निर्देशों की सूची
1	दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियमन, 2018 के तहत हेडर और सामग्री टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के उपायों के संबंध में सभी एक्सेस प्रदाताओं को दिनांक 12 मई 2023 को निर्देश जारी किए गए।
2	दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियमन, 2018 के अंतर्गत डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) के कार्यान्वयन के संबंध में सभी एक्सेस प्रदाताओं को दिनांक 2 जून 2023 को निर्देश जारी किए गए।
3	दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम के कार्यान्वयन के संबंध में सभी एक्सेस प्रदाताओं को 13 जून 2023 और 19 जुलाई 2023 को निर्देश जारी किए गए।

2.8.1 दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियमन, 2018 के तहत हेडर और सामग्री टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय करने हेतु सभी एक्सेस प्रदाताओं को दिनांक 12 मई 2023 को निर्देश जारी किए गए

थोक वाणिज्यिक संदेश भेजने से पहले, प्रमुख संस्थाओं (पीई) को एक्सेस प्रदाताओं के साथ पंजीकृत सामग्री टेम्पलेट प्राप्त करना आवश्यक है। इन टेम्पलेट्स में आमतौर पर निश्चित और परिवर्तनशील घटक होते हैं। यह देखा गया है कि कई बार संदेश टेम्पलेट के परिवर्तनशील भागों का दुरुपयोग किया जाता है और प्रचार सामग्री को सामग्री टेम्पलेट के परिवर्तनशील भागों में पारित किया जा रहा है। इसलिए, प्राधिकरण ने दिनांक 12 मई 2023 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किए–

- ➢ सामग्री में तीन से अधिक परिवर्तनीय भागों के उपयोग की अनुमति केवल उचित औचित्य और अतिरिक्त जांच के साथ ही दी जाएगी।
- ➢ प्रत्येक परिवर्तनशील भाग को उस उद्देश्य के लिए पूर्व–टैग किया जाना चाहिए जिसके लिए उसका उपयोग प्रस्तावित है।
- ➢ संदेश का न्यूनतम तीस प्रतिशत भाग निश्चित भाग का होना चाहिए।
- ➢ सामग्री टेम्पलेट में केवल श्वेतसूचीबद्ध यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक/कॉल बैक नंबर की ही अनुमति होगी।

2.8.2 दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियम, 2018 (2018 का 6) के अंतर्गत डिजिटल सहमति अधिग्रहण के कार्यान्वयन के संबंध में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 2 जून 2023 को निर्देश जारी किए गए

मौजूदा सिस्टम में, सहमति प्रिंसिपल एंटिटीज (पीई) द्वारा प्राप्त की जाती है और उसे बनाए रखा जाता है। इसलिए, एक्सेस प्रदाताओं के लिए सहमति की सत्यता की जांच करना संभव नहीं है। इसके अलावा, सहमति को रद्द करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। यह सब्सक्राइबर्स की ओर से कई शिकायतों को जन्म देता है। इसलिए, प्राधिकरण ने दिनांक 2 जून 2023 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) सुविधा विकसित करने और तैनात करने और चरणबद्ध तरीके से इस सिस्टम पर पीई को शामिल करने का निर्देश जारी किया। इससे सहमति प्राप्त करने और ओटीपी के माध्यम से सब्सक्राइबर के सत्यापन के बाद एक्सेस प्रदाता द्वारा डीएलटी प्लेटफॉर्म पर इसकी रिकॉर्डिंग सक्षम हो जाएगी। यह सब्सक्राइबर द्वारा सहमति को रद्द करने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करेगा।

2.8.3 दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम के कार्यान्वयन के संबंध में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 13 जून 2023 और दिनांक 19 जुलाई 2023 को जारी निर्देश

प्राधिकरण ने दिनांक 13 जून 2023 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम को तैनात करने का निर्देश जारी किया, जो अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) द्वारा उपयोग किए जाने वाले नए हस्ताक्षरों, नए पैटर्न और नई तकनीकों से निपटने के लिए लगातार विकसित होने में सक्षम है। वाणिज्यिक संचार का कोई भी प्रेषक जो एक्सेस प्रदाता के साथ टेलीमार्केटिंग के उद्देश्य से पंजीकृत नहीं है, उसे अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) कहा जाता है। यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम का उद्देश्य उन यूटीएम का पता लगाना है जो थोक में अनचाहे वाणिज्यिक संचार भेजते हैं और नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी जांच की जानी चाहिए कि एआई/एमएल आधारित यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम का अनधिकृत उपयोग न हो और सब्सक्राइबर डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम के उपयोग में अत्यधिक सावधानी और एहतियात बरती जाए, इसके लिए प्राधिकरण ने दिनांक 19 जुलाई 2023 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को इसके लिए विशिष्ट उपाय करने के निर्देश जारी किए।

प्रसारण क्षेत्र

वर्ष 2023–24 के दौरान प्रसारण क्षेत्र के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए।

2.9 परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचार जानने के लिए निम्नलिखित परामर्श पत्र जारी किए:

2.9.1 दूरसंचार क्षेत्र

क्र. सं.	परामर्श पत्रों की सूची
1	"ड्राफ्ट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023" पर दिनांक 3 अप्रैल 2023 का परामर्श पत्र।
2	"अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन" पर दिनांक 6 अप्रैल 2023 का परामर्श पत्र।
3	"इंटरनेशनल ट्रैफिक की परिभाषा" पर दिनांक 2 मई 2023 का परामर्श पत्र।
4	"डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करना" पर दिनांक 19 जून 2023 का परामर्श पत्र।
5	"ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र, और ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध" पर दिनांक 7 जुलाई 2023 का परामर्श पत्र।
6	"ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियमन, 2023" पर दिनांक 24 जुलाई 2023 का परामर्श पत्र।
7	"भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं" पर दिनांक 3 अगस्त 2023 का पूरक परामर्श पत्र।
8	"एक्सेस सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) के लिए सेवा गुणवत्ता मानकों की समीक्षा" पर दिनांक 18 अगस्त 2023 का परामर्श पत्र।
9	"पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस के नियमों और शर्तों की समीक्षा" पर दिनांक 29 अगस्त 2023 का परामर्श पत्र।
10	"उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण का मसौदा (संशोधन) विनियम, 2023" पर दिनांक 14 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र।
11	"उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन" पर दिनांक 14 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र।
12	"दूरसंचार, प्रसारण और आईटी (आईसीटी) क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना" पर दिनांक 22 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र।

13	"ड्राफ्ट दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियमन, 2023" पर दिनांक 27 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र।
14	"टेरा हर्ट्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग उत्पादन के लिए अप्रयुक्त या सीमित उपयोग वाले स्पेक्ट्रम बैंड का खुला और डी–लाइसेंस उपयोग" पर दिनांक 27 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र।
15	"ईएंडवी बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन, और माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) & माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) के लिए स्पेक्ट्रम" पर दिनांक 27 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र।
16	"इमारतों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग ढांचे पर विनियमन" पर दिनांक 27 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र।
17	"5जी **इकोसिस्टम** के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन" पर दिनांक 29 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र।
18	"भारतीय रेलवे को उसकी सुरक्षा और संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन" पर दिनांक 7 फरवरी 2024 का परामर्श पत्र।
19	"एक से अधिक एनएसओ से एक्सेस सर्विस वीएनओ तक कनेक्टिविटी" पर दिनांक 23 फरवरी 2024 का परामर्श पत्र।

2.9.1.1 "ड्राफ्ट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023" पर दिनांक 3 अप्रैल 2023 का परामर्श पत्र

दिनांक 10 दिसंबर 2001 को डायल–अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन अधिसूचित किया। यह विनियमन सभी बुनियादी सेवा ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू है, जिसमें मौजूदा ऑपरेटर जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल और वीएसएनएल शामिल हैं। सेवा की गुणवत्ता के मापदंडों को निर्धारित करने का उद्देश्य नेटवर्क प्रदर्शन के मानदंड निर्धारित करके सब्सक्राइबर संतुष्टि सुनिश्चित करना था, जिसे सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क के उचित आयाम द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है; समय–समय पर सेवा की गुणवत्ता को मापना और निर्दिष्ट मानदंडों के साथ इसकी तुलना करना ताकि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए प्रदर्शन के स्तर की निगरानी की जा सके और इंटरनेट सेवाओं के सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा की जा सके।

यह देखा गया है कि ये नियम तब जारी किए गए थे जब डायल अप सेवा कम गति वाले इंटरनेट तक पहुँचने के लिए उपलब्ध एकमात्र सेवा थी। समय बीतने के साथ, वायरलाइन और वायरलेस दोनों तरह के दूरसंचार नेटवर्क XDSL, FTTH, LTE आदि तकनीकों पर उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए विकसित हुए हैं। जबकि लीज्ड लाइन एक्सेस सेवाएँ आम तौर पर इंटरनेट गेटवे सेवा प्रदाताओं (1GSP) द्वारा उद्यमों को ISP लाइसेंस के साथ प्रदान की जाती हैं, यह एक सेवा स्तर समझौता (SLA) आधारित सेवा है। SLA आधारित सेवा होने के कारण, अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच समझौते में सेवा की गुणवत्ता के बारे में चिंताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। इसलिए, डायल–अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन, 2001, वर्तमान संदर्भ में अधिक प्रासंगिक नहीं लगता है।

इस संबंध में, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दिनांक 3 अप्रैल 2023 को "ड्राफ्ट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.2 "अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन" पर दिनांक 6 अप्रैल 2023 का परामर्श पत्र

पूर्व में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 13 सितंबर 2021 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से "अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी)/5जी के लिए पहचानी गई आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया था। उक्त पत्र के माध्यम से, भादूविप्रा से अन्य बातों के साथ–साथ, उपयुक्त आवृत्ति बैंड, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, लागू आरक्षित मूल्य, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और अंतरिक्ष–आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए संबंधित शर्तों पर अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध भी किया गया था।

इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 27 सितंबर 2021 और दिनांक 23 नवंबर 2021 के पत्रों के माध्यम से दूरसंचार विभाग से अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 27 नवंबर 2021 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ यह सूचित किया कि भादूविप्रा द्वारा अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के संबंध में मांगी गई जानकारी में कुछ समय लगेगा; इसलिए, 5जी रोल–आउट में देरी से बचने के लिए, भादूविप्रा दूरसंचार विभाग के दिनांक 13 सितंबर 2021 और दिनांक 23 सितंबर 2021 के संदर्भ में संदर्भित अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं को छोड़कर मुद्दों पर परामर्श/अनुशंसाओं के साथ आगे बढ़ सकता है। दूरसंचार विभाग ने यह भी उल्लेख किया कि दूरसंचार विभाग से सूचना प्राप्त होने पर अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं से संबंधित मुद्दों को अलग से उठाया जा सकता है।

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 16 अगस्त 2022 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2021 और दिनांक 23 नवंबर 2021 के पत्रों के माध्यम से मांगी गई अंतरिक्ष–आधारित संचार सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की। अपेक्षित जानकारी प्रदान करते समय, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से कुछ अतिरिक्त मुद्दों पर अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क. भादूविप्रा परामर्श के माध्यम से अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं की मांग का आकलन कर सकता है और तदनुसार नीलामी के लिए प्रत्येक बैंड में आवश्यक स्पेक्ट्रम की मात्रा पर अनुशंसाएँ दे सकता है।

ख. अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम की नीलामी विशेष आधार पर करने की परिकल्पना की गई है। भादूविप्रा कई सेवा लाइसेंसधारियों के बीच नीलाम किए गए स्पेक्ट्रम को साझा करने की व्यवहार्यता और प्रक्रिया का पता लगा सकता है। भादूविप्रा सैटेलाइट नेटवर्क और स्थलीय नेटवर्क के बीच नीलाम किए गए आवृत्ति बैंड को साझा करने, साझा करने के मानदंड और साझा करने और सह–अस्तित्व के लिए उचित हस्तक्षेप शमन तकनीकों पर अनुशंसाएँ प्रदान कर सकता है।

ग. आवृत्ति बैंड 27.5–28.5 गीगाहर्ट्ज (आईएमटी के लिए पहचाने गए) और 28.5–29.5 गीगाहर्ट्ज (कैप्टिव नॉन–पब्लिक नेटवर्क के लिए अध्ययन किया जा रहा है) में, भादूविप्रा नीलाम आवृत्ति बैंडों को साझा करने के लिए तंत्र की अनुशंसा कर सकता है जिसमें आईएमटी/सीएनपीएन और उपग्रह आधारित सेवाएं (उपयोगकर्ता टर्मिनल और गेटवे दोनों) लचीले तरीके से प्रदान की जा सकती हैं।

घ. चूंकि सेवा प्रदाताओं को उपयोगकर्ता लिंक के साथ–साथ फीडर लिंक दोनों में स्पेक्ट्रम की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए भादूविप्रा हितधारकों से इनपुट ले सकता है और उपयुक्त

नीलामी पद्धति की अनुशंसा कर सकता है ताकि सफल बोलीदाता को उपयोगकर्ता लिंक (लचीलेपन में आईएमटी के साथ साझा) के साथ–साथ फीडर लिंक के लिए भी स्पेक्ट्रम मिल सके।

ङ. इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा से अनुरोध है कि वह इन आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य अनुशंसाएँ प्रदान करे, जिसमें नवीनतम आईटीयू–आर रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित विनियामक/तकनीकी आवश्यकताएं भी शामिल हों।

दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को दूरसंचार विभाग को लिखे पत्र के माध्यम से और जानकारी/ स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ दूरसंचार विभाग से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया कि किस प्रकार की लाइसेंस प्राप्त सेवाओं के लिए अंतरिक्ष आधारित संचार के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से दिए जाने की परिकल्पना की गई है। जवाब में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 को पत्र के माध्यम से बताया कि भादूविप्रा विस्तृत जांच के बाद अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रदान कर सकता है। इसलिए, दूरसंचार विभाग द्वारा इंगित अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए प्रासंगिक सभी स्पेक्ट्रम बैंडों पर विचार करते हुए, भादूविप्रा ने दिनांक 6 अप्रैल 2023 को "अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें हितधारकों से लिखित टिप्पणियां/प्रतिटिप्पणियां मांगी गईं।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.3 "इंटरनेशनल ट्रैफ़िक की परिभाषा" पर दिनांक 2 मई 2023 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 30 अगस्त 2022 के एक संदर्भ के माध्यम से प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस और घरेलू एसएमएस की परिभाषा पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करे।

दूरसंचार नेटवर्क पर वहन किए जाने वाले भार को ट्रैफ़िक या अधिक विशेष रूप से 'दूरसंचार ट्रैफ़िक' कहा जाता है। दूरसंचार ट्रैफ़िक में कई प्रकार के ट्रैफ़िक शामिल होते हैं जैसे वॉयस कॉल, एसएमएस, आदि। इसके अलावा, दूरसंचार ट्रैफ़िक में घरेलू ट्रैफ़िक (यानी, देश के भीतर ट्रैफ़िक) और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक शामिल होते हैं। भारतीय संदर्भ में, घरेलू ट्रैफ़िक में इंट्रा–सर्किल ट्रैफ़िक और इंटर–सर्किल ट्रैफ़िक शामिल होते हैं जिन्हें यूनिफ़ाइड लाइसेंस में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। चूंकि इंट्रा–सर्किल ट्रैफ़िक और इंटर–सर्किल ट्रैफ़िक घरेलू ट्रैफ़िक के केवल दो घटक हैं, इसलिए 'घरेलू ट्रैफ़िक' शब्द को यूनिफ़ाइड लाइसेंस में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। प्राधिकरण ने नोट किया कि 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक' शब्द को यूनिफ़ाइड लाइसेंस में परिभाषित नहीं किया गया है और 'अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस' एक प्रकार का 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक' है। इसलिए, प्राधिकरण का यह विचार है कि यूनिफ़ाइड लाइसेंस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस को परिभाषित करने के बजाय, 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक' शब्द को परिभाषित करना उचित होगा।

इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने हेतु 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा' पर एक परामर्श पत्र दिनांक 2 मई 2023 को जारी किया गया। परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

2.9.1.4 "डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यवसाय मॉडल को प्रोत्साहित करना" पर दिनांक 19 जून 2023 का परामर्श पत्र

प्राधिकरण ने दिनांक 19 जून, 2023 को सैंडबॉक्स ढांचे पर प्रस्तावित मसौदा पर हितधारकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए "डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से अभिनव प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करना" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें ढांचे के लक्ष्य और दायरे, प्रतिभागी पात्रता आवश्यकताओं, आवेदकों के लिए आवश्यक शर्तें, आवेदन के साथ आवश्यक सहायक सामग्री, आवेदन मूल्यांकन मानदंड, आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया, नियमों में छूट या संशोधन, वैधता अवधि, अनुमति का निरसन, रिपोर्टिंग, निरीक्षण निकाय और सामाजिक विकास के लिए नवाचार के वित्तपोषण के बारे में जानकारी शामिल है।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

2.9.1.5 "ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र, और ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध" पर दिनांक 7 जुलाई 2023 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 7 सितंबर 2022 के एक पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से दिनांक 14 सितंबर 2020 को ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे पर अपनी अनुशंसाओं पर पुनर्विचार करने और ओटीटी के लिए एक उपयुक्त विनियामक तंत्र का सुझाव देने का अनुरोध किया, जिसमें इसकी अनुशंसाओं के हिस्से के रूप में 'ओटीटी सेवाओं के चुनिंदा प्रतिबंध' से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

दिनांक 7 सितंबर 2022 के पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि "हाल के दिनों में ओटीटी सेवाओं की भारी वृद्धि और इन सेवाओं के परिपक्व चरण में पहुंचने के मद्देनजर, इन सेवाओं के विनियामक, आर्थिक, सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षा पहलुओं सहित विभिन्न पहलुओं पर समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति–2018 के पैरा 2.2 के अनुरूप भी है, जिसमें "उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए एक समग्र और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करने" के लिए नीति लक्ष्य का उल्लेख किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि 'ओवर द टॉप' सेवाओं के लिए एक नीति ढांचा विकसित किया जाएगा"।

दिनांक 7 सितंबर 2022 के पत्र के जवाब में, भादूविप्रा ने दिनांक 1 नवंबर 2022 के अपने पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग को बताया कि "प्राधिकरण का विचार है कि ओटीटी के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचा तैयार करने के लिए एक नई परामर्श प्रक्रिया शुरू की जा सकती है"।

इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए दिनांक 7 जुलाई 2023 को "ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

2.9.1.6 "ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियमन, 2023" पर दिनांक 24 जुलाई 2023 का परामर्श पत्र

ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2023 पर दिनांक 24 जुलाई 2023 को परामर्श पत्र जारी किया गया। टिप्पणियों की अंतिम तिथि दिनांक 14 अगस्त 2023 थी।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

2.9.1.7 "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं" पर दिनांक 3 अगस्त 2023 का पूरक परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (DoT) ने दिनांक 12 अप्रैल 2022 के अपने पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा है कि VHF डेटा लिंक सेवाओं में उड़ानों की सुरक्षा के लिए विमान को ट्रैक करने का डेटा शामिल हैय संचार मंत्रालय ने विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच VHF डेटा संचार लिंक संचालित करने के लिए मेसर्स सोसाइटी इंटरनेशनल डी टेलीकम्युनिकेशंस एयरोनॉटिक्स, (SITA) और मेसर्स बर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (BCS) को फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट दिए हैं। यह देखते हुए कि विमान संचार पता और रिपोर्टिंग (ACAR) सेवा प्रदान करने के लिए VHF डेटा लिंक सेवाएं वास्तविक समय के आधार पर विमानों को ट्रैक करने और विमानन आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जांच/खोज और बचाव कार्यों में मदद करने के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के खंड 11(1)(a) के तहत भादूविप्रा से निम्नलिखित पर अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया:

i. इन संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र:

ii. 2012 में 2जी मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय – केवल नीलामी के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटित करने के आलोक में, इन संगठनों को फ्रीक्वेंसी आवंटित करने का तरीका।

दूरसंचार विभाग के दिनांक 12 अप्रैल 2022 के पत्र के संदर्भ के संबंध में, प्राधिकरण ने दिनांक 10 दिसंबर 2022 को 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाओं' पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसका उद्देश्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाओं के लिए उपयुक्त विनियामक व्यवस्था पर हितधारकों की टिप्पणियाँ प्राप्त करना था। दिनांक 10 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (OHD) आयोजित की गई।

दिनांक 10 दिसंबर 2022 के परामर्श पत्र पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट की जांच करते समय, यह पाया गया कि विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा लाइसेंस, स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए कार्यप्रणाली और स्पेक्ट्रम चार्जिंग तंत्र से संबंधित कुछ पहलुओं पर विशिष्ट इनपुट प्राप्त नहीं हुए हैं, जो मामले के व्यापक विश्लेषण और अनुशंसाएँ तैयार करने के लिए आवश्यक होंगे। तदनुसार, प्राधिकरण ने ऐसे पहलुओं पर हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए यह पूरक परामर्श पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में, हितधारकों से अतिरिक्त इनपुट प्राप्त करने के लिए, "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं" पर जारी पूरक परामर्श पत्र की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.8 "एक्सेस सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) के लिए सेवा गुणवत्ता मानकों की समीक्षा" पर दिनांक 18 अगस्त 2023 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 18 अगस्त 2023 को हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए "एक्सेस सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड (वायरलेस और वायरलाइन) सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता मानकों की समीक्षा" पर परामर्श पत्र जारी किया।

इस परामर्श पत्र में बेसिक, सेलुलर, वायरलेस डेटा और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवा के विभिन्न सेवा गुणवत्ता मापदंडों के बेंचमार्क की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, सेवा गुणवत्ता के लिए विनियामक ढांचे को सरल बनाने के लिए, सभी वॉयस और डेटा सेवाओं के लिए उनके एक्सेस माध्यम के बावजूद सेवा गुणवत्ता मानकों से निपटने के लिए एकल विनियमन का प्रस्ताव है, यानी वायरलाइन और वायरलेस दोनों सेवाओं के लिए। तदनुसार, वर्तमान तीन विनियमों को एकल विनियमन में विलय करने का प्रस्ताव है।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.9 "पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस के नियमों और शर्तों की समीक्षा" पर दिनांक 29 अगस्त 2023 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 2 जून 2022 के अपने पत्र के माध्यम से, भादूविप्रा से सीएमआरटीएस और पीएमआरटीएस सेवाओं के लिए नए लाइसेंस जारी करने के लिए नियमों और शर्तों पर विशेष रूप से तकनीकी स्थितियों (अर्थात, पीएसटीएन के साथ कनेक्टिविटी, इंटरनेट, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, पीएमआरटीएस को स्पेक्ट्रम का आवंटन, 5जी के तहत नेटवर्क स्लाइसिंग का उपयोग आदि) और वित्तीय पहलुओं आदि के संबंध में अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया। भादूविप्रा से सीएमआरटीएस और पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले किसी भी अन्य मुद्दे पर अपने विचार देने का अनुरोध भी किया गया था। उक्त संदर्भ (पत्र) के साथ, दूरसंचार विभाग ने पीएमआरटीएस लाइसेंसधारियों, उनके संघ और सीएमआरटीएस लाइसेंसधारी से प्राप्त अभ्यावेदन भी संलग्न किए।

इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए "पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस की शर्तों की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट पर जारी किया गया।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.10 "उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण का मसौदा (संशोधन) विनियम, 2023" पर दिनांक 14 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 14 सितंबर 2023 को "उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2023" पर परामर्श पत्र जारी किया। वर्तमान में, प्राधिकरण मुख्य विनियमों के तहत राज्यवार उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत कर रहा है जो विनियमों में उल्लिखित भूमिकाओं का पालन करके प्राधिकरण की सहायता कर सकते हैं। प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिनकी कई राज्यों में उपस्थिति हो। जागरूकता सामग्री विकसित करके अभियान चलाने और थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित करने में क्षमता और अनुभव रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश उपभोक्ताओं और प्राधिकरण के बीच एक इंटरफेस प्रदान कर सकते हैं। प्रस्तावित संशोधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर के पंजीकरण के तहत पाँच से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने के लिए व्यापक पहुँच वाले सक्षम उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने में सक्षम बनाएगा। यह ऐसे उपभोक्ता संगठनों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है।

परामर्श पत्र की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.11 "उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन" पर दिनांक 14 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र

दिनांक 14 सितंबर 2023 को "उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र का उद्देश्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की तीव्र प्रगति द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना और उनका समाधान करना है, जिसमें समाज के सभी वर्गों और उद्योगों विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए समावेशिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। परामर्श पत्र में, भादूविप्रा ने देश में मौजूद डिजिटल समावेशन में विभिन्न अंतरालों का विश्लेषण किया है जैसे कि मोबाइल इंटरनेट उपयोग अंतराल, ग्रामीण शहरी इंटरनेट प्रवेश असमानताएँ, इंटरनेट पहुँच में लैंगिक अंतराल आदि के साथ–साथ कुछ वैश्विक सूचकांकों से पहचाने गए अंतराल। समावेशन को सक्रिय रूप से प्राथमिकता देने से एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बन सकता है जो प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करता है, और अधिक न्यायसंगत और सुलभ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.12 "दूरसंचार, प्रसारण और आईटी (आईसीटी) क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना" पर दिनांक 22 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र

सितंबर 2021 में मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी (ईवाई) को "दूरसंचार, प्रसारण और आईटी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने पर अध्ययन पत्र" तैयार करने के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था। अप्रैल 2023 में, ईवाई ने उसी के संबंध में अध्ययन पत्र प्रस्तुत किया। इसके अलावा, एक ऑनलाइन विचार–मंथन सत्र आयोजित किया गया, और आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद आदि के शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों से इनपुट मांगे गए।

फलस्वरूप, दिनांक 22 सितंबर 2023 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर "दूरसंचार, प्रसारण और आईटी (आईसीटी) क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने" पर परामर्श पत्र प्रकाशित किया गया था। इस परामर्श पत्र का उद्देश्य देश के आईसीटी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आईसीटी क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के विकास और नवाचार के लिए सरकार और निजी भागीदारों द्वारा विधिवत समर्थन किए गए अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिको/इंजीनियरों का एक पूल बनाने के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाएं हैं। परामर्श पत्र उन महत्वपूर्ण मुद्दों का विश्लेषण करता है जिनके लिए तीन फोकस तत्वों के तहत भारत में मौजूदा आरएंडडी पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप की आवश्यकता है: "शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली", "विज्ञान प्रणाली" और "विनियामक ढांचा"।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

2.9.1.13 "ड्राफ्ट दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियमन, 2023" पर दिनांक 27 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) ने देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए विनियामक ढांचा निर्धारित किया। अब तक दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में आठ संशोधन जारी किए जा चुके हैं।

हाल ही में दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा को अपने विभिन्न संचारों के माध्यम से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए विनियामक ढांचे के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। दूरसंचार विभाग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए संशोधन विनियमों का मसौदा जारी करने का निर्णय लिया।

इस संबंध में, हितधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए दिनांक 27 सितंबर 2023 को मसौदा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 जारी किए गए।

ड्राफ्ट विनियम भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है। परामर्श का समापन दिनांक 14 मार्च 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना के साथ हुआ।

2.9.1.14 "टेरा हर्ट्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग उत्पादन के लिए अप्रयुक्त या सीमित उपयोग वाले स्पेक्ट्रम बैंड का खुला और डी–लाइसेंस उपयोग" पर दिनांक 27 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 8 दिसंबर 2022 के पत्र (संदर्भ) के माध्यम से, भादूविप्रा से टेरा हर्ट्ज रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग सृजन के लिए अप्रयुक्त या सीमित उपयोग वाले स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और लाइसेंस–मुक्त उपयोग के परामर्श पत्र पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया।

इस संबंध में, "टेरा हर्ट्ज रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग सृजन के लिए अप्रयुक्त या सीमित उपयोग किए गए स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और लाइसेंस मुक्त उपयोग" पर एक परामर्श पत्र दिनांक 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.15 "ईएंडवी बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन, और माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) के लिए स्पेक्ट्रम" पर दिनांक 27 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 12 अगस्त 2022 के अपने पत्र के माध्यम से निम्नलिखित पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) खंड 11(1)(ए) के अंतर्गत भादूविप्रा से अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया:

क. स्थलीय और/या उपग्रह आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए ई बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, स्पेक्ट्रम की मात्रा, असाइनमेंट की अवधि, सेवाओं/उपयोगों का दायरा, स्पेक्ट्रम कैप, भुगतान शर्तें, पात्रता की शर्त, नीलामी की पद्धति और अन्य संबद्ध शर्तें;

ख. स्थलीय और/या उपग्रह आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए वी बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, स्पेक्ट्रम की मात्रा, असाइनमेंट की अवधि, सेवाओं/उपयोगों का दायरा, स्पेक्ट्रम कैप, भुगतान शर्तें, पात्रता की शर्त, नीलामी की पद्धति और अन्य संबद्ध शर्तें;

ग. ई और वी बैंड में गैर–वाणिज्यिक/कैप्टिव/पृथक उपयोग के लिए निर्धारित स्पेक्ट्रम की मात्रा; तथा जहां नीलामी संभव नहीं है, वहां आवंटन की पद्धति और उसके लिए मूल्य निर्धारण;

घ. स्थलीय और/या उपग्रह आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए, आंशिक या पूर्ण वी बैंड में, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा नीलामी से प्राप्त स्पेक्ट्रम के उपयोग के समानांतर, लाइसेंस–मुक्त आधार पर कम बिजली, इनडोर, उपभोक्ता उपकरण–से–उपभोक्ता उपकरण उपयोग की अनुमति देने के लिए तकनीकी मापदंडों सहित व्यवहार्यता;

ङ. स्थलीय और/या उपग्रह आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के साथ–साथ गैर–वाणिज्यिक/कैप्टिव/पृथक उपयोग के लिए 6/7/13/15/18/21 गीगाहर्ट्ज बैंड में एमडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूबी आरएफ वाहकों के आवंटन पद्धति, मात्रा और मूल्य निर्धारण पर एक नई अनुशंसा;

च. नवीनतम आईटीयू–आर रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित नियामक/तकनीकी आवश्यकताओं सहित इन आवृत्ति बैंडों में (ए) से (ई) के तहत उल्लिखित उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसाएँ प्रदान करें।

इस संबंध में, दिनांक 27 सितंबर 2023 को 'ईएंडवी बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन, और माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) के लिए स्पेक्ट्रम' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें विशिष्ट मुद्दों पर हितधारकों से इनपुट मांगे गए थे।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.16 "इमारतों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग ढांचे पर विनियमन" पर दिनांक 27 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र

"डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर दिनांक 20 फरवरी 2023 की अनुशंसा के अनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 27 सितंबर 2023 को "भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग ढांचे पर विनियमन" पर परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें भवनों के अंदर गुणवत्ता सेवा में सुधार और निर्बाध उपभोक्ता अनुभव के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों और क्षेत्रों के लिए रेटिंग ढांचे के कार्यान्वयन के लिए मसौदा विनियमन पर टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां मांगी गईं।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.17 "5जी इकोसिस्टम के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन" पर दिनांक 29 सितंबर 2023 का परामर्श पत्र

भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत ने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास के लिए मंच तैयार कर दिया है। 5जी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए IOT,AI,AR/VR/MR और मेटावर्स जैसी उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठाने वाले अभिनव उपयोग के मामलों को विकसित करने और तैनात करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगीय इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए, इसमें शामिल चुनौतियों का समाधान करने और 5जी इकोसिस्टम के भीतर इन नई तकनीकों को तेजी से अपनाने और प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए एक दूरदर्शी नीति और विनियामक ढांचे की आवश्यकता है, जो अंततः भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल परिदृश्य में डेटा–संचालित नवाचार द्वारा संचालित समग्र और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

नीतिगत चुनौतियों की पहचान करने और 5जी इकोसिस्टम द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था के समग्र और सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और प्रभावी उपयोग के लिए सही नीति ढांचे का सुझाव देने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 29 सितंबर 2023 को "5जी इकोसिस्टम के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.18 "भारतीय रेलवे को उसकी सुरक्षा और संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन" पर दिनांक 7 फरवरी 2024 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (DoT) ने दिनांक 26 जुलाई 2023 को एक पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा और संरक्षा प्रणालियों को बढ़ाने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त 5 मेगाहर्ट्ज युग्मित स्पेक्ट्रम आवंटित करने का अनुरोध किया है। उक्त पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह इसकी जांच करे और अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करे–

क. भारतीय रेलवे को 5 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन।

ख. भादूविप्रा स्पेक्ट्रम साझा करने की संभावना पर भी विचार कर सकता है। आईआर/एनसीआरटीसी/आरआरटीएस/मेट्रो और अन्य समान नेटवर्क के बीच स्पेक्ट्रम का कुशल उपयोग।

ग. भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी को आवंटित 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज युग्मित स्पेक्ट्रम के लिए भादूविप्रा द्वारा अनुशंसित विभिन्न स्पेक्ट्रम मूल्यांकन पद्धति पर विचार करते हुए, भादूविप्रा इसकी जांच कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो समान स्पेक्ट्रम बैंड में समान उपयोग पर विचार करते हुए एक समान स्पेक्ट्रम मूल्यांकन और चार्जिंग पद्धति की अनुशंसा कर सकता है।

इस संबंध में, "भारतीय रेलवे को उसकी सुरक्षा और संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन" पर दिनांक 7 फरवरी 2024 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया, जिसमें परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गईं।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.9.1.19 "एक से अधिक एनएसओ से एक्सेस सर्विस वीएनओ तक कनेक्टिविटी" पर दिनांक 23 फरवरी 2024 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 7 जुलाई 2023 को एक पत्र के माध्यम से, एक से अधिक एनएसओ से एक्सेस सेवा वीएनओ तक कनेक्टिविटी के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों पर भादूविप्रा से, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11 (1) (ए) के तहत अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया:

(i) नेटवर्क सेवा ऑपरेटरों (एनएसओ) की उचित संख्या जिनके साथ वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) के पास एक्सेस सेवा प्राधिकरण है और जो वायरलाइन सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) में कनेक्टिविटी लेने की अनुमति दी जा सकती है; तथा

(ii) एक्सेस सेवा प्राधिकरण रखने वाले तथा वायरलेस और वायरलाइन दोनों सेवाएं प्रदान करने वाले वीएनओ को वायरलेस सेवाओं के लिए एक एनएसओ से तथा एलएसए में वायरलाइन सेवाओं के लिए अन्य एनएसओ से कनेक्टिविटी लेने की अनुमति दी जा सकती है।

इस संबंध में, दिनांक 23 फरवरी 2024 को "एक से अधिक एनएसओ से एक्सेस सर्विस वीएनओ तक कनेक्टिविटी" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

2.9.2 प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

क्र. सं.	परामर्श पत्रों की सूची
1	"लो पॉवर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" पर दिनांक 17 अप्रैल 2023 का परामर्श पत्र।
2	"प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा" पर दिनांक 8 अगस्त 2023 का परामर्श पत्र।
3	"राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण के लिए इनपुट" पर दिनांक 21 सितंबर 2023 का पूर्व–परामर्श पत्र।

2.9.2.1 "लो पॉवर स्मॉल रेंज वाले एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" पर दिनांक 17 अप्रैल 2023 का परामर्श पत्र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 7 मार्च 2022 के अपने पत्र (संदर्भ) के माध्यम से ड्राइव–इन थिएटर अनुप्रयोग के लिए नए सेवा प्रदाता की शुरूआत की आवश्यकता और समय पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए)(आई) के तहत प्राधिकरण से अनुशंसाएँ मांगी थीं।

लो पॉवर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण सीमित स्थानों और रिसेप्शन क्षेत्रों के लिए अभिप्रेत सेवाओं के लिए ध्वनि प्रसारण का एक प्रभावी तरीका है। ऐसी सेवाओं के कुछ उदाहरणों में ड्राइव–इन थिएटर, अस्पताल रेडियो सेवाएँ, मनोरंजन पार्क, व्यावसायिक परिसर, आवासीय परिसर जैसे बंद समुदाय, छोटी बस्तियाँ, स्थानीय कार्यक्रम जैसे एयर शो और खेल आयोजन आदि शामिल हैं।

तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 17 अप्रैल 2023 को "लो पॉवर स्मॉल रेंज के एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें लो पॉवर स्मॉल रेंज के एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों के विचार मांगे गए। परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

2.9.2.2 "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा" पर दिनांक 8 अगस्त 2023 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 8 अगस्त 2023 को "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ, इंटरकनेक्शन और सेवा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियाँ मांगी गईं। इस पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

(a) प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए टैरिफ से संबंधित मुद्दे

क. नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) की अधिकतम सीमा

ख. मल्टी–टीवी घरों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क

ग. डीपीओ द्वारा बुके की एमआरपी तय करने के लिए ए–ला–कार्टे चैनलों की एमआरपी की राशि पर छूट की अधिकतम सीमा 15% तय की गई।

घ. एक एचडी चैनल के बराबर एसडी चैनलों की संख्या

ङ. डीपीओ द्वारा गठित सभी पैक्स में अनिवार्य एफटीए समाचार चैनल

च. डीडी फ्री डिश के साथ समान अवसर

(b) **प्रसारण और केबल के लिए इंटरकनेक्शन से संबंधित मुद्दे सेवाएं**

क. संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव में संशोधन

ख. इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में चैनलों की सूची बनाना – ईपीजी में भाषा शैली की समस्या

ग. एलसीओ और एमएसओ के बीच राजस्व हिस्सेदारी

घ. कैरिज शुल्क

ङ. मौजूदा इंटरकनेक्शन समझौते की समाप्ति के बाद डीपीओ के प्लेटफॉर्म से चैनल को हटाना

(c) **सेवा की गुणवत्ता के मानकों (क्यूओएस) और उपभोक्ता संरक्षण विनियमों से संबंधित मुद्दे**

क. सेवा गुणवत्ता में सभी निर्धारित शुल्कों की समीक्षा

ख. इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में चैनलों की कीमतों का प्रदर्शन

ग. प्रीपेड बिलिंग चक्र से संबंधित मुद्दे और मासिक सदस्यता रिपोर्ट की आवधिकता की समीक्षा

घ. प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनलों का विनियमन

ङ. टोल–फ्री नंबर, उपभोक्ता कॉर्नर, सब्सक्राइबर कॉर्नर, वेबसाइट की स्थापना और मैनुअल ऑफ प्रैक्टिस आदि के अनिवार्य प्रावधानों की समीक्षा।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

2.9.2.3 "राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण के लिए इनपुट" पर दिनांक 21 सितंबर 2023 का पूर्व–परामर्श पत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 13 जुलाई 2023 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह राष्ट्रीय प्रसारण नीति तैयार करने के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के अंतर्गत अपने विचारित इनपुट दे। अपने पत्र में, एमआईबी ने उल्लेख किया कि प्रसारण नीति को एक कार्यात्मक, जीवंत और लचीले प्रसारण क्षेत्र के विज़न की पहचान करने की आवश्यकता है जो भारत की विविध संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित कर सके और भारत को एक डिजिटल और सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद कर सके। राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संभावनाओं और अंतर्संयोजन के आलोक में, विज़न, मिशन, रणनीतियों और कार्य बिंदुओं को निर्धारित करने वाली एक राष्ट्रीय प्रसारण नीति नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में देश में प्रसारण क्षेत्र के नियोजित विकास और वृद्धि के लिए माहौल तैयार कर सकती है।

इस पृष्ठभूमि के साथ, दिनांक 21 सितंबर 2023 को भादूविप्रा ने "राष्ट्रीय प्रसारण नीति" के निर्माण के लिए इनपुट पर एक पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गईं ताकि उन मुद्दों को उजागर किया जा सके, जिन पर "राष्ट्रीय प्रसारण नीति" के निर्माण के लिए विचार किया जाना आवश्यक है। परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

दूरसंचार के क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और संचालन की समीक्षा

2.10 नीतिगत ढांचे के विशिष्ट संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और संचालन की समीक्षा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है, जो (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क; (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार; (ग) बुनियादी और मूल्यवर्धित सेवा में निजी क्षेत्र का प्रवेश; (घ) सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतर्संयोजन; (ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन; (छ) सेवा की गुणवत्ता; और (ज) सार्वभौमिक सेवा दायित्व के संबंध में है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:–

2.10.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार दिनांक 31 मार्च 2024 को 2.88 (28,75,867) मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 को यह 2.25 (22,47,975) मिलियन था, जो वर्ष के दौरान 27.93% की वृद्धि दर्शाती है।

2.10.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

दिनांक 31 मार्च 2024 को कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 33.79 (3,37,91,014) मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 को यह 28.41 (2,84,09,776) मिलियन सब्सक्राइबर था, जो वर्ष 2023–24 के दौरान 18.94% की वृद्धि दर्शाता है। 33.79 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबर में से 30.92 मिलियन शहरी सब्सक्राइबर हैं और 2.88 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं।

2.10.3 बुनियादी और मूल्यवर्धित सेवा में निजी क्षेत्र का प्रवेश

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की सूची **तालिका–20**, **तालिका–21** और **तालिका–22** में दी गई है:

तालिका–20: दिनांक 31 मार्च 2024 को वायरलेस सेवा प्रदाता

क्र. सं.	सेवा प्रदाताओं	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	भारती एयरटेल समूह	अखिल भारतीय
2	बीएसएनएल	अखिल भारतीय (दिल्ली और मुंबई को छोड़कर)
3	एमटीएनएल	दिल्ली और मुंबई
4	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड.	अखिल भारतीय (असम एवं पूर्वोत्तर को छोड़कर)
5	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड.	अखिल भारतीय
6	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड.	अखिल भारतीय

स्रोतः दूरसंचार विभाग की वेबसाइट

तालिका–21: दिनांक 31 मार्च 2024 को वायरलेस सेवाएं प्रदान करने वाले एक्सेस सेवा प्राधिकरण वाले यूएल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंसधारी

क्र. सं.	सेवा प्रदाताओं	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	एडपे मोबाइल पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
2	सर्फटेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु

स्रोत: सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसाj

तालिका–22: 30 जून 2023 तक यूएल/यूएएसएल/यूएल(वीएनओ) लाइसेंसधारियों की संख्या

क्रम सं.	लाइसेंस का प्रकार	30 जून 2023 तक लाइसेंसधारियों की कुल संख्या*	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जोड़े गए लाइसेंसधारियों की संख्या (30 जून 2023 तक*)
1	यूएल	43	01
2	यूएएसएल	06	0
3	यूएल(वीएनओ)	199	04

* *डेटा दूरसंचार विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किया गया।*

2.10.4 सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतर्संयोजन

इंटरकनेक्शन दूरसंचार सेवाओं की जीवन रेखा है। दूरसंचार सेवाओं के सब्सक्राइबर एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं या अपनी ज़रूरत की सेवाओं से जुड़ नहीं सकते हैं जब तक कि आवश्यक इंटरकनेक्शन व्यवस्था न हो। प्रभावी और त्वरित इंटरकनेक्शन की उपलब्धता दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय वर्ष यानी 2020–21 के दौरान, भादूविप्रा ने दिनांक 10 जुलाई 2020 को दूरसंचार इंटरकनेक्शन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया, जो किसी भी दो सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (आमतौर पर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के रूप में संदर्भित) के बीच और सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) और राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) नेटवर्क के बीच इंटरकनेक्शन को आसान बनाता है।

"दूरसंचार इंटरकनेक्शन विनियम, 2018" में उपरोक्त संशोधनों का सारांश इस प्रकार है:

i) एक ही सेवा क्षेत्र के भीतर, पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए पीओआई का स्थान ऐसे स्थान पर होगा जो अंतर्संयोजन प्रदाता और अंतर्संयोजन चाहने वाले के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो।

ii) यदि इंटरकनेक्शन प्रदाता और इंटरकनेक्शन चाहने वाले के बीच सहमति नहीं बनती है, तो पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए पीओआई का स्थान एलडीसीसी पर होगा। ऐसे मामले में, एलडीसीसी से एसडीसीसी और इसके विपरीत कॉल के लिए कैरिज चार्ज, जैसा भी लागू हो, इंटरकनेक्शन चाहने वाले द्वारा इंटरकनेक्शन प्रदाता को भुगतान किया जाएगा।

iii) पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉलों के लिए एसडीसीसी स्तर पर विद्यमान पीओआई कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक या जब तक कि अंतःसंयोजित सेवा प्रदाता पारस्परिक रूप से ऐसे पीओआई को बंद करने का निर्णय नहीं ले लेते, जो भी पहले हो, प्रचालन में बने रहेंगे।

iv) पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए एसडीसीसी स्तर पर मौजूदा पीओआई को बंद किया जा सकता है, यदि उस एसडीसीए में किसी भी अंतःसंयोजित सेवा प्रदाता की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं।

2.10.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ प्राधिकरण की पहुंच और संपर्क बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित तकनीकी उपाय किए गएः

i. भादूविप्रा को आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन सेवा प्रदाता का पैनल बनानाः

आईटी प्रभाग ने भादूविप्रा को विभिन्न आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने के लिए 10 अनुप्रयोग सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया है, जिससे भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

ii. भादूविप्रा वेबसाइट का पुनर्विकासः

नवीनतम सुरक्षा सुविधाओं, गतिशील सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस), सोशल मीडिया एकीकरण के साथ मौजूदा भादूविप्रा वेबसाइट को नया रूप देने तथा विभिन्न प्लेटफार्मों से पहुंच सुविधाओं में और सुधार करने और नवीनतम सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भादूविप्रा के पैनल में शामिल एप्लीकेशन सेवा प्रदाताओं में से एक को कार्य का आदेश दिया गया है।

iii. डेटा रिपोर्टिंग, विश्लेषण और प्रक्रिया स्वचालन के लिए व्यापक आईटी पारिस्थितिकी तंत्रः

एनआईसीएसआई पैनल वाली एजेंसी को स्टेज–1 यानी डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के लिए लगाया गया है। डीपीआर में मौजूदा प्रक्रियाओं, विभिन्न मौजूदा/नई प्रक्रियाओं/पोर्टल/डेटा, एनालिटिक्स, सुरक्षा, रूपरेखा, हितधारकों द्वारा डेटा प्रस्तुत करने के लिए प्रोटोकॉल आदि के एकीकरण के लिए रोडमैप शामिल होगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आधार बनेगा।

iv. स्पैरो (एसपीएआरआरओडब्ल्यू):

दिनांक 1 जून 2023 से भादूविप्रा ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक आईटी एप्लीकेशन लागू किया है, जिसे एनआईसी द्वारा विकसित स्पैरो (स्मार्ट परफॉरमेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) नाम दिया गया है। वर्ष 2023–24 के लिए स्पैरो पर कुल 220 उपयोगकर्ताओं के खाते बनाए गए हैं।

v. **रिपोर्टिंग स्वचालनः**

विनियमन/निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न हितधारकों द्वारा भादूविप्रा को डेटा रिपोर्टिंग एक नियमित गतिविधि है। हितधारकों से ऑनलाइन डेटा एकत्र करने की एक प्रणाली लागू है। नई रिपोर्ट, यूआई परिवर्तन और सुरक्षा संवर्द्धन को शामिल करके डेटा प्रस्तुत करना आसान बनाने के लिए सिस्टम को अपडेट किया गया है। एनएसएल/बीबीएंडपीए प्रभागों की विभिन्न रिपोर्टों को अपडेट किया गया है और सीए प्रभाग के लिए नई रिपोर्ट विकसित की गई है।

vi. **ऐप्स और पोर्टल्स का क्लाउड प्रबंधन और रखरखावः**

भादूविप्रा ने विभिन्न पोर्टल और ऐप लागू किए हैं। पोर्टल और बैकएंड सेवाएँ क्लाउड पर होस्ट की गई हैं। सभी पोर्टल/ऐप का रखरखाव किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्षमता अपडेट, सिस्टम पैच आदि शामिल हैं। CERT-IN विक्रेताओं के माध्यम से नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट किए जा रहे हैं। NIC, CERT-IN और अन्य संगठनों से प्राप्त अलर्ट के आधार पर उन्हें साइबर हमले से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है

vii. **बुनियादी ढांचे का उन्नयनः**

क. बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, भादूविप्रा ने वायरस, वर्म्स, स्पाइवेयर और अन्य मैलवेयर आदि सहित खतरों से सुरक्षा के लिए एंडपॉइंट सुरक्षा समाधान लागू किया है। यह सुरक्षा, प्रदर्शन, प्रबंधन और अनुपालन क्षमताओं को जोड़ता है, जिससे प्रशासक के लिए भादूविप्रा में संपूर्ण एंडपॉइंट्स का प्रबंधन करना आसान हो जाता है।

ख. आईटी प्रभाग ने कुशल कार्यप्रणाली के लिए भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों के लिए 104 डेस्कटॉप खरीदे हैं।

ग. आईटी टीम ने सलाहकार के साथ मिलकर नए भवन के लिए एंडपॉइंट नेटवर्क (वायर्ड/वायरलेस), सुरक्षा, भंडारण, अतिरेक आदि को कवर करने वाली आईटी अवसंरचना की आवश्यकता को अंतिम रूप दिया है। इससे भादूविप्रा को अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना बनाने में मदद मिलेगी जो भविष्य के लिए तैयार होगी।

घ. भादूविप्रा में सभी सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए, विभिन्न लाइसेंसों जैसे टेबल्यू, एडोब एक्रोबैट, एमएस ऑफिस 365, एसएसएल सर्टिफिकेट आदि की समय पर निगरानी की जा रही है और इनकी समाप्ति पर आवश्यक नवीनीकरण किया जा रहा है।

2.10.6 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

2.10.6.1 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी)–2018 डिजिटल सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल संचार नेटवर्क की परिवर्तनकारी शक्ति को अनलॉक करने की मांग करती है। एनडीसीपी–2018 चौथी औद्योगिक क्रांति को उत्प्रेरित करने के लिए 5जी, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एलओटी), क्लाउड और बीडी सहित उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का दोहन करने की दिशा में प्रेरित करती है। एआई, उभरती प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में इसके उपयोग के लिए एक रोडमैप बनाने के लिए दिनांक 6 जून 2019 के पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एनडीसीपी–2018 के प्रावधान संख्या 2.2(जी) यानी "सेवा की समग्र गुणवत्ता, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, नेटवर्क सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक समन्वित और प्रभावी तरीके से आर्टिफिशियल/इंटेलिजेंस

और बिग डेटा का लाभ उठाना" पर भादूविप्रा की अनुशंसा मांगी थी। भादूविप्रा ने दिनांक 5 अगस्त 2022 को "दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाने" पर परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। परामर्श पत्र (सीपी) में सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया।

हितधारकों की टिप्पणियों, ओपन हाउस चर्चा और उसके विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 20 जुलाई 2023 को "दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाने" पर अपनी अनुशंसाएँ दीं। सभी क्षेत्रों में एआई के प्रभाव को देखते हुए, दूरसंचार के लिए सुझाए जाने वाले ढांचे को अलग–थलग नहीं माना जा सकता है और इसलिए अनुशंसाओं में सभी क्षेत्रों को कवर करने वाला एक सामान्य ढांचा सुझाया गया है। अनुशंसाओं का विवरण रिपोर्ट के भाग II में शामिल किया गया है।

2.10.6.2 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 (NDCP–2018) घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके, निर्यात को बढ़ाकर और नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरणों के संबंध में आयात बोझ को कम करके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के योगदान को अधिकतम करने की परिकल्पना करती है, जिसे संक्षेप में NATE कहा जाता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्रमुख जोर क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति, 2019 (NEP) में वैश्विक व्यापार के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) के आधार पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधाजनक कार्यक्रम और प्रोत्साहन ढांचे का निर्माण करने की भी परिकल्पना की गई है।

एनडीसीपी–2018 के उद्देश्यों और दूरसंचार विभाग (डीओटी) से एनएटीई के निर्माण के कुछ पहलुओं पर प्राप्त संदर्भ के आधार पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने इस विषय पर समग्रता से विचार किया और दिनांक 22 सितंबर 2023 को "भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण (एनएटीईएम) को बढ़ावा देने" पर अनुशंसाएँ जारी कीं। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य 'घरेलू उत्पादन बढ़ाने' की अवधारणा से आगे बढ़ना और 'वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में स्थानीय मूल्य संवर्धन' पर ध्यान केंद्रित करना है। अनुशंसाओं में शामिल कुछ फोकस क्षेत्र इस प्रकार हैंः

(i) देश भर में मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भागीदारी में स्थानीय मूल्य संवर्धन को सुविधाजनक बनाना;

(ii) नई पीढ़ी के नेटवर्क में नेटवर्क तत्वों के समकालीन सॉफ्टवेयरीकरण के अनुसार एक अलग उत्पाद लाइन के रूप में "दूरसंचार सॉफ्टवेयर" पर उचित जोर;

(iii) भारत से निर्यात को सुविधाजनक बनाना

(iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट–अप को बढ़ावा देकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

(v) भारत में एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना

अनुशंसाओं का विवरण रिपोर्ट के भाग II में दिया गया है।

2.10.7 सेवा की गुणवत्ता (QoS)

भादूविप्रा ने निम्नलिखित विनियमों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता के विभिन्न मापदंडों के लिए मानक निर्धारित किए हैंः

क) बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 की सेवा गुणवत्ता के मानक।

(ख) ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2006।

ग) वायरलेस डेटा सेवा विनियम, 2012 के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक।

वायरलाइन, सेलुलर और ब्रॉडबैंड के लिए नियम अनुपालन के लिए नेटवर्क और सब्सक्राइबर पैरामीटर प्रदान करते हैं। बेंचमार्क के मुकाबले सेवा प्रदाताओं के सेवा प्रदर्शन की गुणवत्ता का मूल्यांकन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं, वायरलेस डेटा सेवाओं, बुनियादी सेवाओं (वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवाओं के लिए अनुपालन रिपोर्ट तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

सेवा की गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भादूविप्रा ने निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने, अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी करने तथा गलत रिपोर्टिंग करने पर वित्तीय दंड लगाने की प्रणाली निर्धारित की थी। अनुपालन रिपोर्टों के आधार पर, जहाँ कहीं भी मानकों का अनुपालन न करने की बात सामने आती है, सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण माँगा जाता है तथा सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अनुपालन न करने की गंभीरता, सेवा में सुधार के लिए की गई कार्रवाई पर विचार करने के पश्चात सेवा प्रदाता पर वित्तीय दंड लगाया जाता है।

अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए, प्रतिदिन ₹5,000/– का वित्तीय दंड और गलत रिपोर्टिंग के लिए, सेलुलर, बेसिक (वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवाओं के लिए प्रति पैरामीटर ₹10,00,000/– का वित्तीय दंड निर्धारित किया गया है। गैर–अनुपालन के लिए वित्तीय दंड का विवरण नीचे दिया गया है:

सेलुलर सेवाएँ:

i. नेटवर्क_क्यूएसडी (90,90) और नेटवर्क_क्यूटीडी (97,90) के अलावा अन्य पैरामीटर के लिए:

क. किसी तिमाही में बेंचमार्क का पहली बार अनुपालन न करने पर प्रति पैरामीटर एक लाख रुपये से अधिक नहीं;

ख. लगातार दो या अधिक तिमाहियों में समान पैरामीटर के बेंचमार्क का गैर–अनुपालन, लगातार दूसरे उल्लंघन के लिए डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं और उसके प्रत्येक लगातार उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये से अधिक नहीं;

ग. किसी भी बाद की तिमाही में समान पैरामीटर के लिए बेंचमार्क का गैर–अनुपालन, जो लगातार गैर–अनुपालन नहीं है, प्रति पैरामीटर एक लाख रुपये।

ii. नेटवर्क_क्यूएसडी (90,90) और नेटवर्क_क्यूटीडी (97,90) के अलावा अन्य पैरामीटर के लिए:

क. नेटवर्क_क्यूएसडी (90,90)

त्रैमासिक रिपोर्ट में नेटवर्क/क्यूएसडी (90,90) का मूल्य	वित्तीय दंड की राशि ₹ में
2% से अधिक किन्तु 4% से अधिक नहीं	एक लाख से अधिक नहीं
4% से अधिक किन्तु 6% से अधिक नहीं	दो लाख से अधिक नहीं
6% से अधिक किन्तु 8% से अधिक नहीं	तीन लाख से अधिक नहीं
8% से अधिक किन्तु 10% से अधिक नहीं	चार लाख से अधिक नहीं
10% से अधिक	पांच लाख से अधिक नहीं

ख. नेटवर्क_क्यूटीडी (97,90)

त्रैमासिक रिपोर्ट में नेटवर्क/क्यूटीडी (97,90) का मूल्य	वित्तीय दंड की राशि ₹ में
3% से अधिक किन्तु 5% से अधिक नहीं	एक लाख से अधिक नहीं
5% से अधिक किन्तु 7% से अधिक नहीं	दो लाख से अधिक नहीं
7% से अधिक किन्तु 9% से अधिक नहीं	तीन लाख से अधिक नहीं
9% से अधिक किन्तु 11% से अधिक नहीं	चार लाख से अधिक नहीं
11% से अधिक	पांच लाख से अधिक नहीं

ग. लगातार दो या अधिक अनुवर्ती तिमाहियों में समान पैरामीटर के बेंचमार्क का अनुपालन न करने पर, लगातार उल्लंघन के लिए देय वित्तीय दंड की राशि डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी, तथा उसके बाद होने वाले प्रत्येक लगातार उल्लंघन के लिए उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट वित्तीय दंड की राशि दोगुनी से अधिक नहीं होगी।

घ. पैरामीटर नेटवर्क_क्यूएसडी (90,90) और नेटवर्क_क्यूटीडी (97,90) के लिए वित्तीय दंड के रूप में देय कुल राशि एक तिमाही में दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

बुनियादी सेवाएँ (वायरलाइन):

मानकों का अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड ₹ 50,000/– प्रति पैरामीटर है।

ब्रॉडबैंड वायरलाइन सेवाएँ:

मानकों का अनुपालन न करने पर, पहली बार में प्रति पैरामीटर ₹ 50,000/– का वित्तीय दंड लगाया जाएगा तथा दूसरी बार या उसके बाद ऐसे उल्लंघन पर, प्रत्येक उल्लंघन के लिए प्रति पैरामीटर ₹ 1,00,000/– का वित्तीय दंड लगाया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान भादूविप्रा द्वारा लगाया गया कुल वित्तीय दंड ₹ 2,69,80,000/– है। सेवा की गुणवत्ता विनियमनों के उल्लंघन के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त वित्तीय दंड की कुल राशि ₹ 2,24,85,000/– है।

उपरोक्त के अलावा, मीटरिंग और बिलिंग विनियमन के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिक चार्ज की गई राशि और 60 दिनों की निर्धारित समय अवधि के दौरान उनके द्वारा वापस न किए जाने पर वित्तीय दंड लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान भादूविप्रा द्वारा लगाया गया और प्राप्त कुल वित्तीय दंड ₹2,30,244/– है।

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्टों और भादूविप्रा द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों के आधार पर सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन हर तिमाही में किया जाता है। जहाँ भी सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से बारीकी से निगरानी करके सेवा की गुणवत्ता के मानकों को प्राप्त करने में कमियाँ देखी गई हैं, वहाँ स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता का लेखापरीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है। भादूविप्रा विभिन्न मापदंडों के लिए मानक प्राप्त करने में ऐसी कमियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ संपर्क बनाए हुए है।

इस संबंध में, भादूविप्रा में समय–समय पर सेवा प्रदाताओं के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें और सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण रही हैं।

भादूविप्रा हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता के प्रदर्शन, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा या अपने अधिकारियों के माध्यम से किए गए सेवा की गुणवत्ता के ऑडिट और मूल्यांकन के परिणामों के बारे में जानकारी भी प्रकाशित करता है। सेवा की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी के प्रकाशन से सेवा प्रदाताओं को सेवा की गुणवत्ता के प्रदर्शन में सुधार करने और बेंचमार्क को पूरा करने में कमियों को दूर करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी)

अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) पर अंकुश लगाने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) से निपटने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियमन, 2018 (टीसीसीसीपीआर–2018) अधिसूचित किया। टीसीसीसीपीआर–2018 विनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर कई दिशा–निर्देश जारी किए गए।

टीसीसीसीपीआर–2018 में प्रिंसिपल एंटिटीज (पीई) के पंजीकरण का प्रावधान है, जो एक व्यक्ति, व्यवसाय या कानूनी इकाई है जो एक्सेस प्रदाताओं के साथ वाणिज्यिक संचार भेजती है। वे इकाइयाँ जो पीई को एक्सेस प्रदाताओं से जुड़ने में मदद करती हैं और विनियमों के तहत प्रदान की गई कार्यक्षमताओं को निष्पादित कर सकती हैं, उन्हें पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) कहा जाता है। पीई पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) को शामिल करके या सीधे एक्सेस प्रदाताओं द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित और स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से अपने वाणिज्यिक संचार भेज सकते हैं। पीई और आरटीएम किसी भी एक्सेस प्रदाता के साथ पंजीकृत हो सकते हैं और वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए किसी भी एक्सेस प्रदाता के साथ संपर्क कर सकते हैं।

पीई को एक्सेस प्रदाताओं के साथ कंटेंट टेम्प्लेट पंजीकृत करवाना आवश्यक है। आरटीएम रूट के माध्यम से आने वाले किसी भी वाणिज्यिक संचार को एक्सेस प्रदाता की ओर से सिस्टम द्वारा पंजीकृत कंटेंट टेम्प्लेट के विरुद्ध स्क्रबिंग के अधीन किया जाता है और यदि यह विफल हो जाता है, तो इसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है।

यूसीसी के कारण होने वाली असुविधा से बचने के लिए, एक दूरसंचार सब्सक्राइबर सभी वाणिज्यिक संचारों को ब्लॉक करने का विकल्प चुन सकता है या वरीयता श्रेणियों के अनुसार चुनिंदा वाणिज्यिक संचारों को ब्लॉक कर सकता है। इन विनियमों के अनुसार, प्रत्येक एक्सेस प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार पंजीकृत वरीयताओं या डिजिटल रूप से पंजीकृत सहमति के अलावा किसी भी प्राप्तकर्ता को कोई वाणिज्यिक संचार नहीं किया जाए।

टीसीसीसीपीआर–2018 दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा कार्यक्रम था, जिसमें अनचाही वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) समस्या को संबोधित करने के लिए RegTech ब्लॉकचेन/वितरित लेजर के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया था। DLT प्लेटफ़ॉर्म पर प्रक्रियाओं के ऑनबोर्डिंग के साथ, अब वरीयता पंजीकरण लगभग वास्तविक समय पर है। प्रमुख संस्थाओं, हेडर, सामग्री टेम्पलेट, शिकायत समाधान आदि के पंजीकरण जैसी सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक समय में काफी कमी आई है।

यदि किसी उपभोक्ता को यूसीसी प्राप्त होती है, तो वह एसएमएस भेजकर या 1909 पर वॉयस कॉल करके या भादूविप्रा/एक्सेस प्रदाता के ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है।

टीसीसीसीपीआर–2018 विनियमों के अनुसार, यदि एक्सेस प्रदाता यूसीसी पर अंकुश लगाने में विफल रहता है, तो एक कैलेंडर माह के लिए प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एक्सेस प्रदाता द्वारा आरटीएम से अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को नियंत्रित नहीं करने के लिए वित्तीय दंड नीचे दिया गया है:

	"एक कैलेंडर माह के लिए आरटीएम के लिए यूसीसी की गणना" का मूल्य	वित्तीय दंड की राशि ₹ में
(क)	शून्य से अधिक किन्तु सौ से अधिक नहीं	प्रत्येक पर एक हजार रूपये
(ख)	सौ से अधिक किन्तु एक हजार से अधिक नहीं	अधिकतम वित्तीय दंड (क) सौ से अधिक होने पर प्रत्येक पर पांच हजार रुपये
(ग)	एक हजार से अधिक	अधिकतम वित्तीय दंड (ख) हजार से अधिक होने पर प्रत्येक पर दस हजार रुपये

विनियमन के अंतर्गत वित्तीय दंड के रूप में देय कुल राशि प्रति कैलेंडर माह पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

वाणिज्यिक संचार भेजने वाला, जो एक्सेस प्रदाता के साथ टेलीमार्केटिंग के उद्देश्य से पंजीकृत नहीं है, अपंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) है। यूटीएम के मामले में, एक्सेस प्रदाताओं को यूटीएम के विरुद्ध चेतावनी देकर, उन्हें उपयोग सीमा के अंतर्गत रखकर या बार–बार उल्लंघन करने पर सेवाएँ बंद करके कार्रवाई करनी होती है। उपयोग सीमा का अर्थ है एक टेलीफोन नंबर पर प्रतिदिन अधिकतम 20 आउटगोइंग वॉयस कॉल और प्रतिदिन अधिकतम 20 आउटगोइंग संदेश भेजने की सीमा। यूटीएम के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विनियमों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं–

(क) उल्लंघन की पहली घटना पर चेतावनी जारी की जाएगी और जांच के दौरान अस्थायी उपयोग सीमा लगा दी जाएगी।

(ख) उल्लंघन की दूसरी घटना पर – छह महीने की अवधि के लिए उपयोग सीमा।

(ग) उल्लंघन के तीसरे और उसके बाद के मामलों में – प्रेषक के सभी दूरसंचार संसाधनों को दो साल तक की अवधि के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रोवाइडर (ओएपी) प्रेषक को काली सूची में डाल देगा, इस अवधि के दौरान किसी अन्य सेवा प्रदाता द्वारा कोई नया दूरसंचार संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

2.10.8 सार्वभौमिक सेवा दायित्व

प्राधिकरण देश के सुदूर और दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार संपर्क/बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 24 अप्रैल 2023 को "लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" पर अनुशंसाएँ जारी की हैं। यह अनुशंसा की गई है कि लद्दाख के तीन अछूते गांवों को चल रहे '4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति' परियोजना के 20% विस्तार प्रावधान के तहत यूएसओएफ का उपयोग करके शामिल किया जाना चाहिए। लद्दाख के 19 गांवों में मौजूदा गैर–4जी आधारित सेलुलर मोबाइल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए कैपेक्स और ओपेक्स व्यय भी यूएसओएफ का उपयोग करके किया जाना है, जो यूएसओएफ प्रायोजित "देश भर में अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति" में मौजूद

20% अतिरिक्त दायरे के प्रावधानों के तहत है, ताकि इस सेलुलर बुनियादी ढांचे को 4जी आधारित सेवा में अपग्रेड किया जा सके। इसके अलावा, भादूविप्रा ने दिनांक 22 सितंबर 2023 को "भारत के पूर्वोत्तर राज्य में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार" पर अनुशंसाएँ भी जारी की हैं। अपनी अनुशंसाओं में, प्राधिकरण ने यह अनुशंसा की गई है कि दूरसंचार विभाग/यूएसओएफ को उन सभी बीएचक्यू को ओएफसी कनेक्टिविटी के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) मॉडल पर कैपेक्स सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए, जिनके पास ओएफसी कनेक्टिविटी नहीं है। प्राधिकरण ने दिनांक 29 सितंबर 2023 को 'हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार अवसंरचना में सुधार' पर अनुशंसाएँ भी जारी की हैं, जिसमें चंबा और लाहौल और स्पीति जिलों में क्रमशः एक–एक ब्लॉक मुख्यालय को यूएसओएफ का उपयोग करके ओएफसी से जोड़ने की अनुशंसा की गई है।

2.11. प्रसारण क्षेत्र

2.11.1 भादूविप्रा के विनियमन/आदेशों आदि के गैर–अनुपालन के मामलों की जांच करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को दिनांक 24 अप्रैल 2023 को जारी पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 24 अप्रैल 2023 को एमआईबी को एक पत्र जारी कर निम्नलिखित दो एमएसओ द्वारा भादूविप्रा के विनियमन/आदेश आदि का पालन न करने के मामलों की जांच करने और उनके पंजीकरण को रद्द करने सहित उचित कार्रवाई करने को कहा:

(i) अलवर टेलीलिंक प्राइवेट लिमिटेड, अलवर

(ii) जेंटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर

2.11.2 भादूविप्रा के विनियमन/आदेशों आदि के गैर–अनुपालन के मामलों की जांच करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को दिनांक 15 जून 2023 को जारी पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 15 जून 2023 को एमआईबी को एक पत्र जारी कर निम्नलिखित तीन एमएसओ द्वारा भादूविप्रा के विनियमन/आदेश आदि का पालन न करने के मामलों की जांच करने और उनके पंजीकरण को रद्द करने सहित उचित कार्रवाई करने को कहा:

(i) गुड मीडिया न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड, शिमला

(ii) जीटीपीएल चेलिकम नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, तिरुपति

(iii) सिटी टेलीविजन नेटवर्क, कटनी

2.11.3 भादूविप्रा के विनियमन/आदेशों आदि के गैर–अनुपालन के मामलों की जांच करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को दिनांक 8 अगस्त 2023 को जारी पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 8 अगस्त 2023 को एमआईबी को एक पत्र जारी कर निम्नलिखित चार एमएसओ द्वारा भादूविप्रा के विनियमन/आदेश आदि का पालन न करने के मामलों की जांच करने और उनके पंजीकरण को रद्द करने सहित उचित कार्रवाई करने को कहा:

(i) डिजिटल इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर)

(ii) मनाकुला विनयगर डिजिटल नेटवर्क, पांडिचेरी

(iii) आधार डिजिटल विजन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई

(iv) सृष्टि, त्रिपुरा

2.11.4 भादूविप्रा के विनियमन/आदेशों आदि के गैर–अनुपालन के मामलों की जांच करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को दिनांक 21 सितंबर 2023 को जारी पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 21 सितंबर 2023 को एमआईबी को एक पत्र जारी कर निम्नलिखित दो एमएसओ द्वारा भादूविप्रा के विनियमन/आदेश आदि का अनुपालन न करने के मामलों की जांच करने और उनके पंजीकरण को रद्द करने सहित उचित कार्रवाई करने को कहाः

(i) चैनल नाइन नेट, धारवाड़

(ii) मल्टीसिटी डिजिटल कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर

2.11.5 एमएसओ के पंजीकरण की शर्तों का पालन करने के लिए सभी एमएसओ को दिनांक 23 नवंबर 2023 को जारी पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 23 नवंबर 2023 को सभी एमएसओ को एक पत्र जारी कर एमएसओ के पंजीकरण की शर्तों, दिनांक 29 दिसंबर 2021 के एमआईबी दिशानिर्देशों और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में अनिवार्य डीएएस ऑडिट से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 के विनियमन 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कहा, जो कि एमआईबी द्वारा जारी अलग एमएसओ पंजीकरण वाले उनके सभी जेवी/सहायक एमएसओ के लिए स्वतंत्र/अलग से किया जाएगा।

2.11.6 भादूविप्रा के विनियमन/आदेशों आदि के गैर–अनुपालन के मामलों की जांच करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को दिनांक 12 मार्च 2024 को जारी पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 12 मार्च 2024 को एमआईबी को एक पत्र जारी कर निम्नलिखित दो एमएसओ द्वारा भादूविप्रा के विनियमन/आदेश आदि का अनुपालन न करने के मामलों की जांच करने और उनके पंजीकरण को रद्द करने सहित उचित कार्रवाई करने को कहाः

(i) डीवीआर सिटी डिजिटल, कुरनूल

(ii) वादी टेलीविजन, श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर)

2.11.7 सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस (एससीएन)

- भादूविप्रा ने दिनांक 24 अप्रैल 2023 को यूनीक एलसीएन पर टीवी चैनल की प्लेसमेंट से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियमन के विनियमन 18 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो एमएसओ को कारण बताओ नोटिस जारी कियाः

  (क) मेसर्स वीके डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड

  (ख) मेसर्स थमिझागा केबल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (टीसीसीएल)

- भादूविप्रा ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 को वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए अनिवार्य डीएएस ऑडिट से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियमन के विनियमन 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित चार एमएसओ को कारण बताओ नोटिस जारी कियाः

  (क) श्री साई कम्युनिकेशंस, सिद्दीपेट, मेडक, तेलंगाना

  (ख) एजेके टीवी, नेल्लीथोप, पांडिचेरी

(ग) साहू केबल टीवी, ढेंकनाल (ओडिशा)

(घ) अपना केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई, छत्तीसगढ़

- भादूविप्रा ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 को वर्ष 2021 और 2022 के लिए अनिवार्य डीएएस ऑडिट से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियमन के विनियमन 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित छह एमएसओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया:

(क) एसीएन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, एबी रोड, इंदौर (एमपी)

(ख) सुभोदय डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद

(ग) औरंगाबाद सैटेलाइट केबल सेवा केंद्र, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल

(घ) महाथी वारंगल संचार और केबल टीवी नेटवर्क, वारंगल (एपी)

(ङ) गरुड़ डिजिटल नेटकॉम प्राइवेट लिमिटेड, धर्मपुरी, तमिलनाडु

(च) स्काईविजन मास्टर चैनल, यानम, आंध्र प्रदेश

- भादूविप्रा ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 को वर्ष 2022 के लिए अनिवार्य डीएएस ऑडिट से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियमन के विनियमन 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित 27 एमएसओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया:

(क) फास्टवे ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना, पंजाब

(ख) थमिझागा केबल टीवी कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड, चेन्नई

(ग) इंडसइंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, अंधेरी, मुंबई

(घ) एशियानेट डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, कजाहाकुट्टम, तिरुवनंतपुरम

(ङ) फास्टवे मीडिया केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी, नई दिल्ली

(च) भीमा रिद्धि इंफोटेनमेंट प्रा. लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र

(छ) केबल कम्बाइन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल

(ज) हैथवे सुखामृत केबल एंड डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड, सांताक्रूज़ (पश्चिम), मुंबई

(झ) जेएके कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अन्ना नगर ईस्ट, चेन्नई

(ञ) अक्षय डिजीनेट केबल विजन प्राइवेट लिमिटेड, मुगाप्पैर ईस्ट, चेन्नई

(ट) जगसुमी पर्सपेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी, नई दिल्ली

(ठ) मेघबेला केबल एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटी रोड, कोलकाता

(ड) ग्रैंड विजन, रायपुर, छत्तीसगढ़

(ढ) भूमिका डिजिटल केबल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कलूर, कोच्चि, केरल

(ण) मल्टी स्टार डिजिटल एलएलपी, तंजावुर, तमिलनाडु

(त) ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड, रसूलगढ़, भुवनेश्वर

(थ) आरोहोन केबल टीवी नेटवर्क लिमिटेड, 24 परगना, पश्चिम बंगाल

(द) सैटलिंक्स, शोरानूर, पलक्कड़, केरल

(ध) सीसीएन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा नगर, दिल्ली

(न) शिमला सैटेलाइट केबल प्राइवेट लिमिटेड, कालिनी, शिमला

(न) मछलीपट्टनम कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मछलीपट्टनम, एपी

(प) मलानाड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वायनाड, केरल

(फ) नोवा डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा नगर, मथुरा, यूपी

(ब) कोझिकोड केबल कम्युनिकेशन लिमिटेड, चलप्पुरम, कालीकट (केरल)

(भ) ब्लू स्काई नेटवर्क, देहरादून, उत्तराखंड

(म) सूचना सेवा टेलीविजन नेटवर्क, बीटी रोड, इंफाल, मणिपुर

(य) रीचनेट केबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एजेसी बोस रोड, कोलकाता

➢ भादूविप्रा ने दिनांक 22 जून 2023 को वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए अनिवार्य डीएएस ऑडिट से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियमन के विनियमन 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित 20 एमएसओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया:

(क) टीए डिजिटल केबल नेटवर्क, हैदराबाद

(ख) पावनी डिजिटल कम्युनिकेशंस, जगतियाल, तेलंगाना

(ग) चेलिकम नेटवर्क्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, तिरूपति

(घ) कृष्णा तेजा डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तिरुपति

(ङ) कोल्लम इंटरनेट केबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, त्रिवेंद्रम

(च) हैथवे राजेश मल्टीचैनल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

(छ) नंदयाल डिजिटल टीवी कम्यूनिकेशन, नंद्याल

(ज) शेखावाटी केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, चूरू

(झ) पर्ल मित्तास नेटवर्क, चित्तूर

(ञ) कृष्णा तेजा डिजिटल केबल नेटवर्क, चित्तूर

(ट) एमके मीडिया सर्विसेज, बीजापुर

(ठ) सिक्किम डिजिटल नेटवर्क, गंगटोक

(ड) राम नेट कॉम, कुरनूल

(ढ) श्री मारुति डिजिटल नेटवर्क, खम्मम

(ण) सेंथिल केबल नेटवर्क, तंजावुर

(त) वादी टेलीविजन, श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर)

(थ) डीवीआर सिटी डिजिटल, कुरनूल

(द) केबलकास्ट न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई

(ध) यस इंडिया डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, अनंतपुरम

(न) नोवाबेस डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

- भादूविप्रा ने दिनांक 22 जून 2023 को वर्ष 2021 और 2022 के लिए अनिवार्य डीएएस ऑडिट से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियमन के विनियमन 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित छह एमएसओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया:

(क) दिव्या डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, विजयवाड़ा

(ख) श्री साई डिजिटल कम्युनिकेशंस, नेल्लोर

(ग) होम टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर

(घ) पालमूर डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, घनपुर

(ङ) एबीएस डिजिटल केबल प्राइवेट लिमिटेड, अंधेरी, मुंबई

(च) जय एसडी नेटवर्क्स, कोयंबटूर

- भादूविप्रा ने दिनांक 22 जून 2023 को वर्ष 2022 के लिए अनिवार्य डीएएस ऑडिट से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियमन के विनियमन 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित 17 एमएसओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया:

(क) यस डिजिटल सॉल्यूशन एलएलपी, मल्लापुरम

(ख) श्री केबल टीवी नेटवर्क, कुरनूल

(ग) उत्तरांचल केबल नेटवर्क, देहरादून

(घ) युवराज केबल, पश्चिम गोदावरी

(ङ) नव्या केबल नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, चिराला, एपी

(च) ब्रॉडवे, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

(छ) ब्रंभाणी ट्रेडर्स, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल

(ज) गिल्ड डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, मदुरै

(झ) डिजिमीडिया केबल नेटवर्क एलएलपी, त्रिवेंद्रम

(ञ) टीटीवी केबल नेटवर्क, अंगुल

(ट) डिजिटल केबल टीवी नेटवर्क, बालासोर

(ठ) एरिस्टो टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई

(ड) लकी केबल नेटवर्क, दमन

(ढ) साहू केबल नेटवर्क, जगतसिंहपुर

(ण) वीबी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन केबल नेटवर्क, लखनऊ

(त) राजस्थान इन्फोटेक मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर

(थ) सत्यम तोरी प्राइवेट लिमिटेड, मुर्शिदाबाद

- भादूविप्रा ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट करने के लिए भादूविप्रा के पैनलबद्ध ऑडिटर मेसर्स ज़ेस्टियन एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को पैनल में शामिल करने के लिए ईओआई की शर्तों, पैनल में शामिल करने के प्रस्ताव पत्र की शर्तों और डीएएस ऑडिट मैनुअल 2019 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए दिनांक 4 सितंबर 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

2.11.8 सेवा प्रदाताओं को उनके डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के अनिवार्य वार्षिक ऑडिट से संबंधित संशोधित इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जारी आदेश

- भादूविप्रा ने दिनांक 5 अप्रैल 2023 को कैलेंडर वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए अपने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के अनिवार्य वार्षिक ऑडिट से संबंधित, संशोधित इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 के विनियमन 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित दो मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को वित्तीय दंड के आदेश जारी किए:

(क) मेसर्स मनाकुला विनयगर डिजिटल नेटवर्क, पांडिचेरी

(ख) मेसर्स आधार डिजिटल विजन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई

- भादूविप्रा ने दिनांक 12 मई 2023 को कैलेंडर वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए अपने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के अनिवार्य वार्षिक ऑडिट से संबंधित, संशोधित इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 के विनियमन 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित तीन मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को वित्तीय दंड के आदेश जारी किए:

(क) मेसर्स मल्टीसिटी डिजिटल कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर

(ख) मेसर्स चैनल नाइन नेट, धारवाड़

(ग) मेसर्स सृष्टि, त्रिपुरा

➢ भादूविप्रा ने 9 अगस्त 2023 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के विनियमन 4ए के प्रावधानों के तहत कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) तैनात करने के लिए वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को आदेश जारी किया।

2.12 अन्य गतिविधियाँ

2.12.1 ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी)

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित की गई ओपन हाउस चर्चाएं (ओएचडी) (सभी ओएचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई)

क्र. सं.	विषय	ओ.एच.डी. की तिथि
1.	"भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग ढांचा एवं विनियामक तंत्र" पर परामर्श पत्र।	19.04.2023
2.	"डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामले" पर परामर्श पत्र।	20.04.2023
3.	"एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" पर परामर्श पत्र।	26.04.2023
4.	"एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकार का परिचय" पर परामर्श पत्र।	20.06.2023
5.	सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 की समीक्षा पर ड्राफ्ट विनियमन।	07.07.2023
6.	"अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन" पर परामर्श पत्र।	14.07.2023
7.	"लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" पर परामर्श पत्र।	19.07.2023
8.	"अभिसरण डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का विनियमन – प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के परिवहन के अभिसरण को सक्षम बनाना" पर परामर्श पत्र।	23.08.2023
9.	"अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा" पर परामर्श पत्र।	24.08.2023
10.	ड्राफ्ट दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023	22.02.2024
11.	"टेरा हर्ट्ज रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग उत्पादन के लिए अप्रयुक्त या सीमित उपयोग वाले स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और डी–लाइसेंस उपयोग" पर परामर्श पत्र।	08.03.2024
12.	"डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करना" पर परामर्श पत्र।	18.03.2024
13.	"पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस की शर्तों और नियमों की समीक्षा" पर परामर्श पत्र।	19.03.2024

- "भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग ढांचा एवं विनियामक तंत्र" पर परामर्श पत्र पर दिनांक 19 अप्रैल 2023 को ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी)।

- दिनांक 22 फरवरी 2024 को "ड्राफ्ट दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023" के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी)।

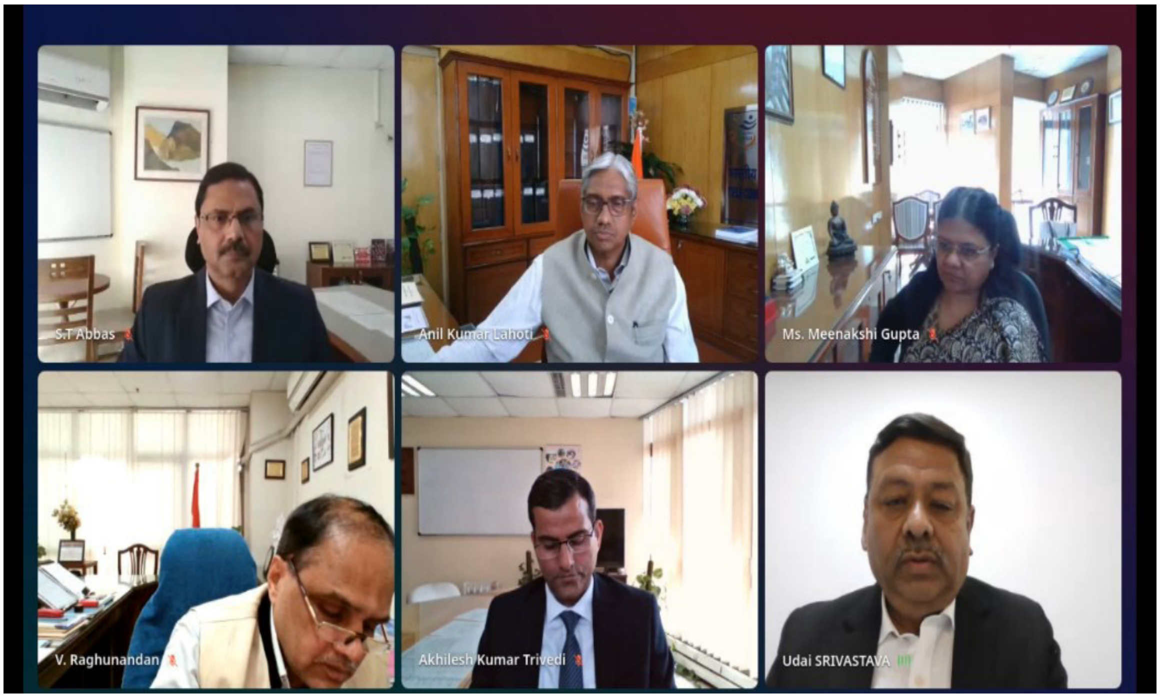

- दिनांक 8 मार्च 2024 को टेरा हर्ट्ज रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग उत्पादन के लिए अप्रयुक्त या सीमित उपयोग वाले स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और डी–लाइसेंस उपयोग पर परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी)।

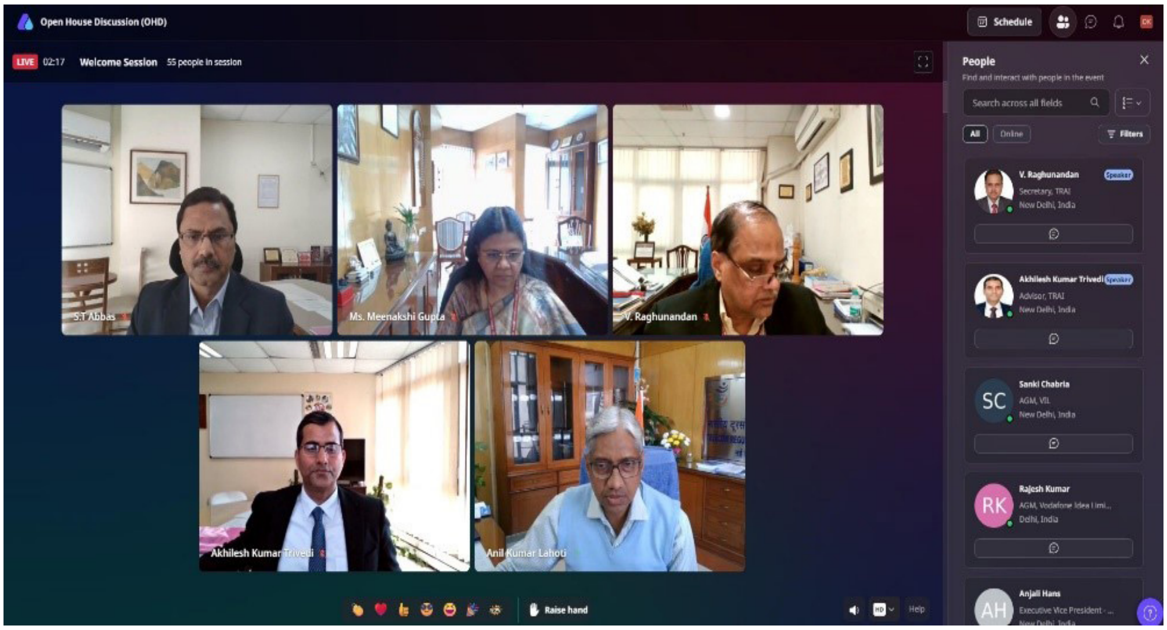

- दिनांक 18 मार्च 2024 को डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करने पर आयोजित ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी)।

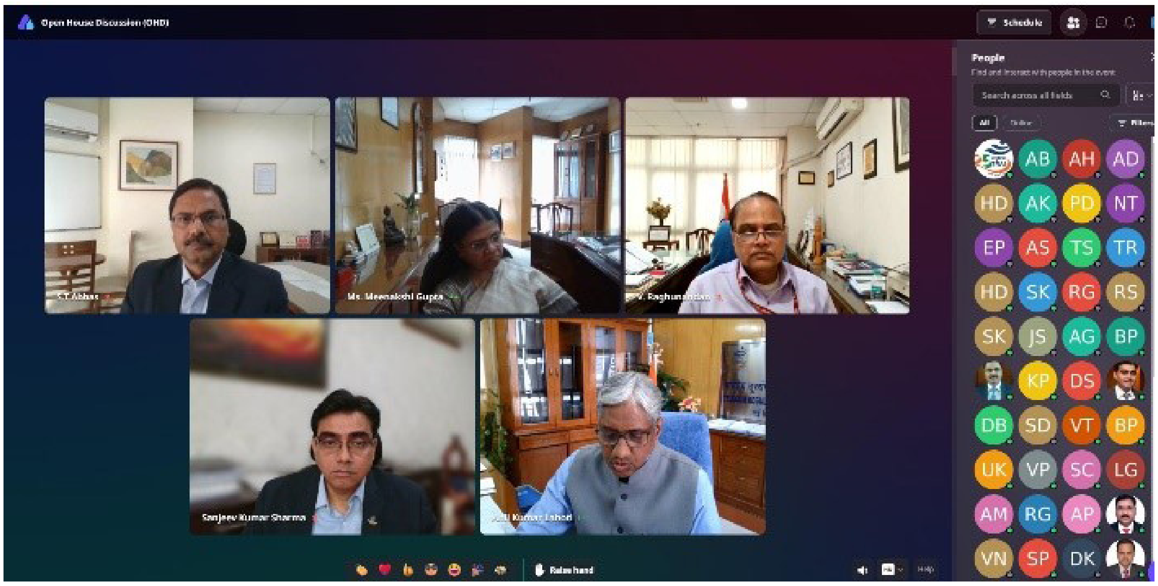

➢ दिनांक 19 मार्च 2024 "पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस के नियमों और शर्तों की समीक्षा" पर आयोजित ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी)।

2.12.2 उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी)

देश भर में उपभोक्ताओं तक पहुँचने के महत्व को देखते हुए, भादूविप्रा ने अपनी वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और देश भर में आयोजित उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से दूरसंचार सब्सक्राइबरों के साथ सार्वजनिक संपर्क स्थापित किया है। भादूविप्रा ने उपभोक्ता समर्थन समूहों (सीएजी) के रूप में उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। पंजीकृत सीओ, उपभोक्ताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भादूविप्रा के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और उपभोक्ता शिक्षा में भादूविप्रा की सहायता करते हैं। भादूविप्रा शैक्षिक/प्रचार सामग्री लाकर और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सेवा–संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए, भादूविप्रा पूरे देश में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित करता है। ये सीओपी, उपभोक्ताओं को भादूविप्रा और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ अपने स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर ऑफ़लाइन/ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 91 उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए। आयोजित सीओपी की सूची अनुलग्नक–I में दी गई है।

सीओ के क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), पश्चिम बंगाल, तिरुवनंतपुरम (केरल), तिरुपति (आंध्र प्रदेश) और माउंट आबू (राजस्थान) में कुल पांच कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

2.12.3 उपभोक्ता संगठनों (सीओ) का पंजीकरण

भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठन (सीओ) अपने क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक भादूविप्रा की गतिविधियों के बारे में जानकारी पहुँचाने में भादूविप्रा के साथ समन्वय और सहायता करते हैं। वे भादूविप्रा द्वारा आयोजित उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। ये सीओ, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अपीलीय प्राधिकरणों की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। उन सीओ के प्रदर्शन की समीक्षा की गई जिनका कार्यकाल दिनांक 1 अप्रैल 2024 से नवीनीकरण के लिए निर्धारित था। अब तक भादूविप्रा में कुल 68 पंजीकृत सीओ हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, भादूविप्रा के साथ पंजीकृत सीओ द्वारा भादूविप्रा से वित्तीय सहायता के साथ कुल 385 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (सीएपी) आयोजित करने की मंजूरी दी गई थी, जिनमें से सीओ द्वारा 346 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2.12.4 उपभोक्ता शिक्षा साहित्य और मीडिया अभियान

- **पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों (सी.ओ.) के लिए समाचार–पत्रः**

  वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 12 मासिक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए।

- **दूरसंचार पर उपभोक्ता पुस्तिका/सूचना सामग्रीः**

वित्तीय वर्ष के दौरान, एमएनपी, यूसीसी, शिकायत निवारण, टावर धोखाधड़ी और मुख्य संपर्क नंबर के लिए पैम्फलेट के रूप में शैक्षिक सामग्री तैयार की गई और मुद्रित की गई। जून 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए त्रैमासिक समाचार पत्र भी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ पायलट आधार पर मुद्रित किया गया था।

- **दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि के उपयोग संबंधी समिति (सीयूटीसीईएफ) की बैठकः**

  1. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (टीसीईपीएफ) के खातों पर विचार एवं अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को सीयूटीसीईएफ की बैठक आयोजित की गई।

  2. वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान की जाने वाली उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 31 जनवरी 2024 को CUTCEF की एक और बैठक आयोजित की गई। बैठक के स्वीकृत कार्यवृत्त CUTCEF सदस्यों और क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिए गए हैं।

2.12.5 उपभोक्ता हितों और संरक्षण पर सेमिनार

भादूविप्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भादूविप्रा समकालीन तकनीकी और उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर सेमिनार आयोजित करता है। ये सेमिनार उपभोक्ताओं को दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में खुद को अपडेट करने का अवसर प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान भादूविप्रा द्वारा कुल 12 सेमिनार आयोजित किए गए। इनका विवरण इस प्रकार हैः

क्र. सं.	विषय	जगह	तारीख
1	डिजिटल समावेशनः लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना	लेह लद्दाख (यूटी)	12.05.2023
2	संचार के भविष्य को बदलना – क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा	बेंगलुरु (कर्नाटक)	09.08.2023
3	एमएसएमई (अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहे हैं – भादूविप्रा मुख्यालय, दिल्ली द्वारा	दिल्ली	25.08.2023

क्र. सं.	विषय	जगह	तारीख
4	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआईएमएल) और 5जी – भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा	पटना (बिहार)	09.10.2023
5	IoT और इसके अनुप्रयोगों में प्रौद्योगिकी रुझान – भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा	चंडीगढ़ (यूटी)	17.10.2023
6	डिजिटल समावेशन, सूचना संचार प्रौद्योगिकी तक सर्वव्यापी पहुंच – भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा	रायपुर (छत्तीसगढ़)	21.11.2023
7	उभरते साइबर सुरक्षा खतरे – शमन रणनीतियाँ, भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा	मैसूर (कर्नाटक)	05.12.2023
8	5जी मोबाइल प्रौद्योगिकी, तैनाती चुनौतियां, उपयोग के मामले और नेटवर्क सुरक्षा – भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	चेन्नई (तमिलनाडु)	04.01.2024
9	साइबर सुरक्षा और साइबर स्पेस में उभरते खतरे – भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा	गांधीनगर (गुजरात)	10.01.2024
10	डिजिटल समावेशनः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सार्वभौमिक पहुंच – भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा	सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	12.01.2024
11	डिजिटल अर्थव्यवस्था – रुझान और विकास, भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	12.02.2024
12	दूरसंचार और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई और एमएल) के उपयोग के मामले – भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा	हैदराबाद (तेलंगाना)	22.02.2024

2.12.6 उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में भादूविप्रा द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों के निपटान की परिकल्पना नहीं की गई है। हालाँकि, भादूविप्रा में प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दिया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल 2023 से दिनांक 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, भादूविप्रा को दूरसंचार सेवाओं से संबंधित 44734 शिकायतें और प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं से संबंधित 5627 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दिया गया।

2.12.7 सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला

❖ **वाई–फाई और IEEE मानकों पर दिनांक 6 जुलाई 2023 को सेमिनार आयोजित किया गया**

भादूविप्रा अध्ययन एवं शोध केंद्र ने दिनांक 6 जुलाई 2023 को भादूविप्रा मुख्यालय में भादूविप्रा अधिकारियों के लिए "वाई–फाई और आईईईई मानक" पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का संचालन आईईईई इंटरनेशनल के वक्ताओं द्वारा किया गया।

❖ **दिनांक 24 जुलाई 2023 को क्लाउड कंप्यूटिंग पर कार्यशाला**

भादूविप्रा अध्ययन एवं शोध केंद्र ने दिनांक 24 जुलाई 2023 को भादूविप्रा मुख्यालय में भादूविप्रा अधिकारियों के लिए "क्लाउड कंप्यूटिंग" पर एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का संचालन अमेज़न वेब सर्विस द्वारा किया गया।

❖ **डिजिटल टेल्को समिट 2023 का आयोजन दिनांक 18 अगस्त 2023 को आईटीसी मौर्या, नई दिल्ली में किया गया**

भादूविप्रा अध्ययन एवं शोध केंद्र द्वारा ईटी टेलीकॉम के सहयोग से दिनांक 18 अगस्त 2023 को आईटीसी मौर्या, नई दिल्ली में डॉ. पीडी वाघेला, पूर्व अध्यक्ष भादूविप्रा की अध्यक्षता में "डिजिटल टेल्को शिखर सम्मेलन 2023" का आयोजन किया गया।

2.12.8 समझौता ज्ञापन

❖ **दिनांक 25 जुलाई 2023 को सी–डॉट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

दूरसंचार और प्रसारण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भादूविप्रा और सी–डॉट इंडिया के बीच दिनांक जुलाई 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर भादूविप्रा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. पीडी वाघेला और डीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और सचिव (दूरसंचार) श्री के. राजारमन भी उपस्थित थे।

2.12.9 दिनांक 25 सितंबर 2023 को "6 गीगाहर्ट्ज बैंड" पर श्वेत पत्र जारी किया गया

भादूविप्रा ने दिनांक 25 सितंबर 2023 को "6 गीगाहर्ट्ज बैंड" पर एक श्वेत पत्र जारी किया। वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के विकास ने हमारे आस–पास की दुनिया से जुड़ने, संवाद करने और बातचीत करने के तरीके को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे–जैसे वायरलेस डिवाइस और नेटवर्क पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, उच्च डेटा दर, बढ़ी हुई क्षमता और बेहतर प्रदर्शन देने में सक्षम स्पेक्ट्रम संसाधनों की आवश्यकता सर्वोपरि हो जाती है।

वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, हाई–डेफिनिशन वीडियो स्ट्रीमिंग और क्लाउड–आधारित सेवाओं जैसे बैंडविड्थ–गहन अनुप्रयोगों के प्रसार के साथ, मौजूदा स्पेक्ट्रम बैंड अधिक से अधिक भीड़भाड़ वाले होने की संभावना है। 6 गीगाहर्ट्ज बैंड इस चिंता को दूर करने और सेवा प्रदाताओं के साथ–साथ उपभोक्ताओं के लिए कई लाभों को अनलॉक करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। यह श्वेत पत्र 6 गीगाहर्ट्ज बैंड से जुड़े तकनीकी पहलुओं और विनियामक विचारों का पता लगाता है। यह वाई–फाई, सेलुलर नेटवर्क और अन्य उभरते वायरलेस मानकों सहित विभिन्न वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के लिए इस आवृत्ति रेंज का उपयोग करने की पेचीदगियों में तल्लीन करता है।

2.13 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भादूविप्रा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) का एक क्षेत्रीय सदस्य है और आईटीयू से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भादूविप्रा कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे कि एपीटी, एसएटीआरसी, आसियान, जीएसएमए, ब्रिक्स आदि की गतिविधियों में भाग लेता है, जिससे उसे अन्य अंतरराष्ट्रीय विनियामकों के साथ जुड़ने के अवसर मिलते हैं। निम्नलिखित पैराग्राफ 2023–24 के दौरान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संबंध गतिविधियों पर एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं।

2.13.1 भादूविप्रा द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते

मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने तथा भादूविप्रा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, भादूविप्रा ने आशय पत्र (एलओआई) और समझौता ज्ञापन (एमओयू) के रूप में कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विचारों, सूचनाओं और अनुभवों के आदान–प्रदान के माध्यम से आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जो पारस्परिक रूप से लाभकारी हैं।

इस वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने दक्षिण अफ्रीकी विनियामक आईसीएएसए (दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र संचार प्राधिकरण) के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए। इस आशय पत्र पर भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी और आईसीएएसए की कार्यवाहक अध्यक्ष सुश्री योलिसा केदामा ने दिनांक 27 फरवरी 2024 को बार्सिलोना, स्पेन में जीएसएमए एमडब्ल्यूसी 24 (मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 24) के दौरान हस्ताक्षर किए।

भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी और आईसीएएसए की कार्यवाहक अध्यक्ष सुश्री योलिसा केदामा द्वारा भादूविप्रा और आईसीएएसए के अधिकारियों की उपस्थिति में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

2.13.2 भादूविप्रा द्वारा आयोजित कार्यक्रम

A. आईटीयू और भादूविप्रा ने संयुक्त रूप से दिनांक 29 अगस्त 2023 को "आईसीटी लचीलापन और सामर्थ्य चेकलिस्ट के सत्यापन" पर विनियामकों के साथ अनौपचारिक बैठक की मेजबानी की।

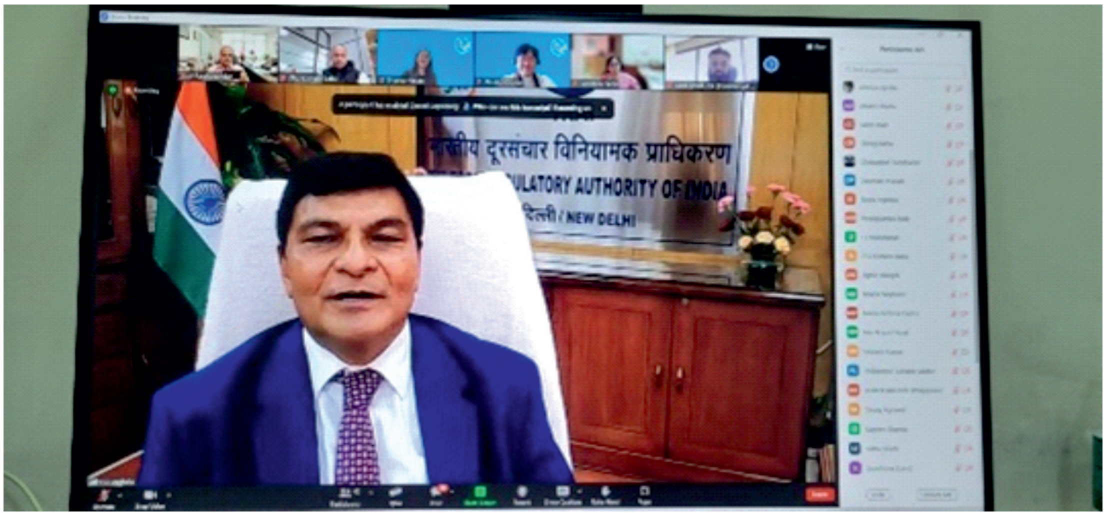

भादूविप्रा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. पी.डी. वाघेला ने मुख्य भाषण दिया।

B. डेटा सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लागत मॉडल पर आईटीयू कार्यशाला और फोकस समूह की बैठक दिनांक 4 से 6 अक्टूबर 2023 तक आयोजित की गई।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 4 से 6 अक्टूबर 2023 तक होटल ललित, नई दिल्ली में डेटा सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लागत मॉडल पर आईटीयू कार्यशाला और फोकस समूह (एफजी) बैठक की मेजबानी की। कार्यशाला और बैठक में कुल 48–50 अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू प्रतिभागियों ने भाग लिया। सुश्री मीनाक्षी गुप्ता, कार्यवाहक अध्यक्ष ने उद्घाटन भाषण दिया और श्री सीज़ो ओनो, निदेशक (टीएसबी), आईटीयू ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से सभा को संबोधित किया।

C. नीति, विनियमन और विकास में क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर, दिनांक 4 से 8 मार्च 2024 तक भादूविप्रा–आसियान कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 4 से 8 मार्च 2024 तक नई दिल्ली में आसियान देशों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए नीति, विनियमन और विकास में क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। परियोजना का उद्देश्य प्रतिभागियों को उनके संबंधित देशों में दूरसंचार क्षेत्र में मौजूद विनियामक चुनौतियों का अध्ययन करने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना था। दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र में दूरसंचार/आईसीटी का विकास विविधतापूर्ण रहा है और प्रत्येक देश में बाजार, सब्सक्राइबर आधार, नई दूरसंचार सेवाओं के प्रवेश के स्तर आदि के मामले में विशिष्टता है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम में आसियान देशों लाओ पीडीआर, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई दारुस्सलाम के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भादूविप्रा और दूरसंचार विभाग के घरेलू प्रतिभागियों ने भी इसमें भाग लिया प्रशिक्षण।

नीति, विनियमन और विकास में क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर आसियान कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र

2.13.3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/विनियामकों द्वारा द्विपक्षीय दौरे

(i) श्री सेज़ो ओनो, निदेशक, टीएसबी, आईटीयू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 9 मई 2023 को भादूविप्रा का दौरा किया और डॉ. पी.डी. वाघेला, पूर्व अध्यक्ष–भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। बैठक में सुश्री अत्सुको ओकुडा, क्षेत्रीय निदेशक–आईटीयू और भादूविप्रा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

(ii) प्रोफेसर जॉन नकोमा, बोर्ड अध्यक्ष, यूनिवर्सल कम्युनिकेशंस सर्विस एक्सेस फंड (यूसीएसएएफ) सरकार तंजानिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्ययन दौरे के एक भाग के रूप में दिनांक 6 जुलाई 2023 को भादूविप्रा का दौरा किया और भादूविप्रा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. पी.डी. वाघेला के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

(iii) मालदीव ब्रॉडकास्टिंग कमीशन (ब्रॉडकॉम), मालदीव के उपाध्यक्ष मोहम्मद फाजीन के नेतृत्व में 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 10 अगस्त 2023 को भादूविप्रा का दौरा किया और डॉ. पी.डी. वाघेला, पूर्व अध्यक्ष–भादूविप्रा और भादूविप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद (आईटीआई), अमेरिका के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जेसन ऑक्समैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भादूविप्रा का दौरा किया और दिनांक 23 अगस्त 2023 को भादूविप्रा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. पी.डी. वाघेला के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

(v) नाइजीरियाई संचार आयोग (एनसीसी), नाइजीरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 30 और 31 अक्टूबर 2023 को भादूविप्रा का दौरा किया और भारत में अपने बेंचमार्किंग अभ्यास दौरे के हिस्से के रूप में भादूविप्रा के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

(vi) संघीय संचार आयोग (एफसीसी), अमेरिका के आयुक्त श्री ब्रेंडन कैर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 22 फरवरी 2024 को भादूविप्रा का दौरा किया और भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

(vii) जीएसएमए के एशिया प्रशांत प्रमुख श्री जूलियन गोर्मन ने दिनांक 12 मार्च 2024 को भादूविप्रा का दौरा किया और भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी से मुलाकात की। बैठक के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

2.13.4 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्राधिकरण की भागीदारी

(i) दिनांक 5 से 8 जून 2023 तक मिस्र में विनियामकों के लिए आईटीयू वैश्विक संगोष्ठी आयोजित की गई।

विनियामकों के लिए आईटीयू वैश्विक संगोष्ठी में अध्यक्ष का संबोधन

(ii) दिनांक 27–28 जून 2023 को स्टॉकहोम, स्वीडन में 'सभी के लिए ब्रॉडबैंड' विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया।

भादूविप्रा की पूर्व सदस्य सुश्री मीनाक्षी गुप्ता ने ब्रॉडबैंड फॉर ऑल विषय पर मुख्य भाषण दिया

(iii) जीएसएमए मोबाइल 360 एपीएसी और पॉलिसी लीडर्स फोरम 2023 का आयोजन दिनांक 7 और 8 सितंबर 2023 को सियोल, कोरिया गणराज्य में किया गया।

360 एपीएसी और पॉलिसी लीडर्स फोरम 2023 में पूर्व अध्यक्ष का मुख्य भाषण

पूर्व अध्यक्ष ने जीएसएमए मोबाइल 360 एपीएसी और पॉलिसी लीडर्स फोरम, 2023 के स्पेक्ट्रम गोलमेज सत्र में वक्ता के रूप में भाग लिया

(iv) एशिया प्रशांत के लिए आईटीयू क्षेत्रीय विकास मंच की बैठक दिनांक 13 से 15 सितंबर 2023 तक जिनेवा में आयोजित किया गया।

पूर्व अध्यक्ष ने आईटीयू कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण दिया

(v) एवीआईए नीति गोलमेज सम्मेलन और ओटीटी शिखर सम्मेलन दिनांक 4 और 5 दिसंबर 2023 को सिंगापुर में आयोजित किया गया।

सदस्य/कार्यवाहक अध्यक्ष ने नीति गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया

सदस्य/कार्यवाहक अध्यक्ष ने ओटीटी शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया

(vi) जीएसएमए मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन दिनांक 26 से 28 फरवरी 2024 तक बार्सिलोना, स्पेन में किया गया।

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के जीएसएमए मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम में पैनेलिस्ट के रूप में भादूविप्रा के अध्यक्ष

पूर्व सदस्य, भादूविप्रा ने GSMA MWC 2024 में महिला नेताओं की गोलमेज बैठक में भाग लिया

2.13.5 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिकारियों की भागीदारी

भादूविप्रा के अधिकारियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया जैसे – दिनांक 27 और 28 जून, 2023 को स्टॉकहोम, स्वीडन में 'सभी के लिए ब्रॉडबैंड' पर वैश्विक वार्षिक सम्मेलन; दिनांक 5 से 8 जून, 2023 तक मिस्र में नियामकों के लिए आईटीयू वैश्विक संगोष्ठी; दिनांक 7 और 8 सितंबर , 2023 को सियोल, कोरिया गणराज्य में जीएसएमए मोबाइल 360 एपीएसी और पॉलिसी लीडर्स फोरम 2023; दिनांक 13 से 15 सितंबर, 2023 तक एशिया प्रशांत के लिए आईटीयू क्षेत्रीय विकास मंच; और दिनांक 26 से 28 फरवरी, 2024 तक बार्सिलोना, स्पेन में जीएसएमए मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस।

2.13.6 प्राधिकरण की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान आयोजित द्विपक्षीय बैठकें

I. दिनांक 5 से 8 जून 2023 तक मिस्र में विनियामकों के लिए आईटीयू वैश्विक संगोष्ठी के अवसर पर प्राधिकरण द्वारा कुछ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

i) सुश्री डोरेन बोगदान–मार्टिन, महासचिव आईटीयू (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ) के साथ द्विपक्षीय बैठक

ii) राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–मिस्र के कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर होसम अल–गमाल के साथ द्विपक्षीय बैठक

iii) स्वीडिश पोस्ट और दूरसंचार प्राधिकरण, स्वीडन के महानिदेशक श्री डैन सोब्लोम के साथ द्विपक्षीय बैठक

iv) जापान के आंतरिक मामले और संचार मंत्रालय के उप मंत्री महामहिम हिरोशी योशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक

II. दिनांक 7 और 8 सितंबर 2023 को सियोल, कोरिया गणराज्य में जीएसएमए मोबाइल 360 एपीएसी और पॉलिसी लीडर्स फोरम 2023 के अवसर पर द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

i) प्रोफेसर (क्लिनिकल) सरना बूनबाइचौयाप्रुक, अध्यक्ष – एनबीटीसी, थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय बैठक

ii) जीएसएमए के मुख्य नियामक अधिकारी श्री जॉन गिउस्टी के साथ द्विपक्षीय बैठक

III. दिनांक 4 और 5 दिसंबर 2023 को सिंगापुर में एवीआईए नीति गोलमेज और ओटीटी शिखर सम्मेलन के दौरान प्राधिकरण—भादूविप्रा द्वारा द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

i) सिंगापुर विनियामक, आईएमडीए (इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) की कनेक्टिविटी डेवलपमेंट एवं विनियमन की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री ऐलीन चिया के साथ द्विपक्षीय बैठक।

IV. दिनांक 26 से 28 फरवरी 2024 तक स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित होने वाले 'जीएसएमए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024' के अवसर पर मलेशियाई संचार और मल्टीमीडिया आयोग (एमसीएमसी), मलेशिया के अध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम फतेह दीन के साथ द्विपक्षीय बैठक।

2.14 दूरसंचार विभाग के विचाराधीन प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे

रिपोर्ट में चर्चा किए गए विभिन्न मामलों के अतिरिक्त, निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे भी हैं, जो दूरसंचार विभाग के विचाराधीन हैं:

(i) भादूविप्रा अधिनियम 1997 में संशोधन का प्रस्ताव

भादूविप्रा की स्थापना भादूविप्रा अधिनियम 1997 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना तथा दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत अपने कार्यों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन के लिए दूरसंचार विभाग को विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं। इस संबंध में प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 5 जुलाई 2023 के द्वारा अंतिम अनुरोध भेजा था।

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन का प्रस्ताव दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है।

(ii) भादूविप्रा और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य के बढ़ते दायरे को देखते हुए, बदलते तकनीकी परिदृश्य और दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में तकनीकी व्यवधानों से उत्पन्न चुनौतियों के कारण, भादूविप्रा के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया है और इस संबंध में एक प्रस्ताव दूरसंचार विभाग को दिनांक 10 मार्च 2023 के पत्र के माध्यम से पुनर्गठन के हिस्से के रूप में भादूविप्रा मुख्यालय और भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में वित्त मंत्रालय/मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने के लिए भेजा गया है। मामला दूरसंचार विभाग में विचाराधीन है और इसे वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जाना है।

अनुलग्नक – I

1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान सीओपी (ऑफ़लाइन/ऑनलाइन) की सूची

क्र. सं.	सीओपी का स्थान	तारीख
1	राजस्थान (ऑनलाइन)	25.04.2023
2	शिलांग, मेघालय	28.06.2023
3	नर्मदापुरम (मध्य प्रदेश)	28.06.2023
4	कुडाल (सिंधुदुर्ग)	05.07.2023
5	दौसा (राजस्थान)	06.07.2023
6	(ऊटी के निकट) तमिलनाडु	06.07.2023
7	आइजोल, मिजोरम	13.07.2023
8	जालंधर (पंजाब)	26.07.2023
9	पापुम पारे (अरुणाचल प्रदेश)	26.07.2023
10	आगरा (उत्तर प्रदेश)	27.07.2023
11	गडग–बेतागेरी, कर्नाटक	27.07.2023
12	फिंगेश्वर, छत्तीसगढ़	03.08.2023
13	छोटा उदयपुर (गुजरात)	11.08.2023
14	अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल)	13.08.2023
15	खम्माम (तेलंगाना)	17.08.2023
16	मुंबई, महाराष्ट्र	18.08.2023
17	मंडला (मध्य प्रदेश)	23.08.2023
18	काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)	24.08.2023
19	करनाल (हरियाणा)	24.08.2023
20	वोडलमोल ककोरा, गोवा	31.08.2023
21	मधुबनी, बिहार	05.09.2023
22	मनंतवाडी (केरल)	08.09.2023
23	इटावा (उत्तर प्रदेश)	14.09.2023
24	पुष्कर (राजस्थान)	20.09.2023
25	धमतरी (छत्तीसगढ़)	25.09.2023
26	दमन और दीव	26.09.2023
27	मैंगलोर (कर्नाटक)	26.09.2023
28	भुवनेश्वर (ओडिशा)	27.09.2023

29	पुडुचेरी (तमिलनाडु)	11.10.2023
30	चिकमगलूर (कर्नाटक)	27.10.2023
31	जनगांव (तेलंगाना)	31.10.2023
32	कछार (असम)	01.11.2023
33	कटरा (जम्मू–कश्मीर)	03.11.2023
34	जैसलमेर (राजस्थान)	03.11.2023
35	गढ़वाल (उत्तराखंड)	03.11.2023
36	जोशीमठ (उत्तराखंड)	04.11.2023
37	सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)	04.11.2023
38	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	09.11.2023
39	संगारेड्डी (तेलंगाना)	17.11.2023
40	धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)	17.11.2023
41	तरन–तारन (पंजाब)	23.11.2023
42	नासिक (महाराष्ट्र)	23.11.2023
43	राजगीर (बिहार)	24.11.2023
44	चित्तूर (आंध्र प्रदेश)	24.11.2023
45	आणंद (गुजरात)	29.11.2023
46	घाटशिला (झारखंड)	30.11.2023
47	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	06.12.2023
48	छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)	07.12.2023
49	पेरनेम (गोवा)	12.12.2023
50	वेल्लोर (तमिलनाडु)	14.12.2023
51	गोमती (त्रिपुरा)	15.12.2023
52	बोटाद (गुजरात)	19.12.2023
53	प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)	20.12.2023
54	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	21.12.2023
55	विजयनगरम (आंध्र प्रदेश)	22.12.2023
56	महावीर नगर (रायपुर)	26.12.2023
57	कैथल (हरियाणा)	27.12.2023
58	पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)	29.12.2023
59	पलायम (तिरुवनंतपुरम)	11.01.2024
60	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	16.01.2024

61	बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	23.01.2024
62	कारवार (कर्नाटक)	23.01.2024
63	कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	23.01.2024
64	मेदिनीनगर (झारखंड)	24.01.2024
65	अमरेली (गुजरात)	24.01.2024
66	पणजी (गोवा)	25.01.2024
67	निजामाबाद (तेलंगाना)	30.01.2024
68	वर्धा (महाराष्ट्र)	06.02.2024
69	दक्षिण अंडमान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)	08.02.2024
70	गुरुग्राम (हरियाणा)	08.02.2024
71	सूर्यपेट (तेलंगाना)	09.02.2024
72	पालघर (महाराष्ट्र)	13.02.2024
73	यमुना नगर (हरियाणा)	16.02.2024
74	वाघई (गुजरात)	20.02.2024
75	उजीरे (कर्नाटक)	20.02.2024
76	सिक्किम	21.02.2024
77	राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश)	27.02.2024
78	रंगारेड्डी (तेलंगाना)	29.02.2024
79	ऋषिकेश (उत्तराखंड)	05.03.2024
80	विदिशा (मध्य प्रदेश)	06.03.2024
81	कोहिमा (नागालैंड)	06.03.2024
82	डूंगरपुर (राजस्थान)	07.03.2024
83	रुड़की (उत्तराखंड)	07.03.2024
84	फरीदाबाद (हरियाणा)	11.03.2024
85	बीदर (कर्नाटक)	13.03.2024
86	मथुरा (उत्तर प्रदेश)	15.03.2024
87	करौली (राजस्थान)	21.03.2024
88	माजुली (असम)	21.03.2024
89	कटक (ओडिशा)	21.03.2024
90	खासा कैंट (पंजाब)	22.03.2024
91	चेंगलपट्टू (तमिलनाडु)	28.03.2024

भाग – III
भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, यथा संशोधित, की धारा–11 में उपबंध है कि–

(1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे–

(क) निम्नलिखित मामलों पर स्वतः अथवा लाइसेन्सदाता के अनुरोध पर संस्तुति करना, नामतः

(i) नए सेवा प्रदाता के प्रवेश की आवश्यकता और समय।

(ii) सेवा प्रदाता को लाइसेन्स प्रदान करने के निबंधन और शर्तें।

(iii) लाइसेन्स के निबंधन और शर्तों का पालन नहीं करने पर लाइसेन्स निरस्त करना।

(iv) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा सुविधाजनक बनाने तथा दक्षता को प्रोत्साहन हेतु उपाय करना, ताकि इन सेवाओं का विकास सुसाध्य बनाया जा सके।

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुधार करना।

(vi) नेटवर्क में प्रयुक्त उपस्करों के निरीक्षण के उपरान्त सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर का प्रकार निर्धारित करना।

(vii) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा ऐसे अन्य मामलों हेतु उपाय करना, जो साधारण रूप में दूरसंचार उद्योग से संबद्ध करने योग्य है।

(viii) उपलब्ध स्पेक्ट्रम का दक्षतापूर्ण प्रबंधन

(ख) निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन, नामतः

(i) लाइसेन्स के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2000 लागू होने से पहले स्वीकृत लाइसेन्स के निबंधन एवं शर्तों में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन के निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करना।

(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी समायोजनीयता तथा कारगर अंतर्संयोजन सुनिश्चित करना।

(iv) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से मिलने वाले राजस्व में सेवा प्रदाताओं के मध्य उनकी हिस्सेदारी के लिए व्यवस्था विनियमित करना।

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करना ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं का हित संरक्षित किया जा सके।

(vi) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लम्बी दूरी के परिपथ उपलब्ध कराने हेतु समयावधि निर्धारित और सुनिश्चित करना।

(vii) अंतर्संयोजन अनुबंधों तथा ऐसे सभी मामलों का रजिस्टर तैयार करना, जिनका प्रावधान विनियमों में किया गया है।

(viii) खंड (vii) के तहत अनुरक्षित रजिस्टर, जनता के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखना, उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान तथा विनियमों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने पर, उपलब्ध करना।

(ix) सर्वसामान्य सेवा दायित्वों का कारगर अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क तथा अन्य प्रभार वसूल करना जैसा कि विनियम में निर्धारित किया गया है।

(घ) इस तरह के प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जो केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपे जा सकते हैं या इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं:

बशर्ते यह भी कि इस उप–धारा के खंड(क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की संस्तुतियां केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी।

बशर्ते यह भी कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को जारी करने हेतु नए लाइसेन्स के संबंध में इस उप–धारा के खंड (क) के उप–खंड (i) एवं (ii) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्राधिकरण की संस्तुतियां मांगेगी तथा प्राधिकरण अपनी संस्तुतियां सरकार द्वारा संस्तुतियां मांगे जाने की तिथि से साठ दिन के भीतर अग्रसारित करेगा:

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण केन्द्र सरकार से ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जो इस उप–धारा के खंड (क) के उप–खंड (i) एवं (ii) के अधीन संस्तुतियां करने हेतु आवश्यक है तथा कि सरकार ऐसी सूचना उस हेतु अनुरोध की प्राप्ति से सात दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी:

बशर्ते यह भी कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को लाइसेन्स जारी कर सकती है, यदि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि अथवा केन्द्र सरकार और प्राधिकरण के बीच परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर कोई संस्तुति प्राप्त नहीं होती है:

बशर्ते यह भी है कि यदि केन्द्र सरकार प्राधिकरण की संस्तुति पर विचार किए जाने के बाद प्रथमदृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राधिकरण की संस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है अथवा कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है, यह संस्तुति प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगी तथा प्राधिकरण, पुनर्विचार अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर, सरकार द्वारा संदर्भित पुनर्विचार के उपरांत अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा। केन्द्र सरकार अतिरिक्त संस्तुति, यदि कोई हो, की प्राप्ति के पश्चात अंतिम निर्णय लेगी।

(2) *भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885(1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण समय–समय पर आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में दरें अधिसूचित कर सकता है, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भारत के भीतर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इनमें वे दर शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है*

बशर्ते यह कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है तथा जहां उपरोक्तानुसार भिन्न दरें निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलेखबद्ध करेगा।

(3) *प्राधिकरण उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के अधीन अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता के हित विरूद्ध कार्य नहीं करेगा।*

(4) *प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा*

3. प्राधिकरण ने, उद्योग का विकास सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसरण में, स्वतः स्फूर्त विधि में अथवा सरकार द्वारा इसके विचारार्थ प्रेषित मामलों पर अनेक संस्तुतियां की हैं; अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विनियम अधिसूचित किए है; लाइसेन्स के निबंधन एवं शर्तें लागू करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की गई है; तथा अन्य अनेक मुद्दों पर कार्य आरंभ किया गया है। विभिन्न संस्तुति संबंधी तथा विनियामक कार्यों के निर्वहन द्वारा भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा पूरे देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदायक नेटवर्क उपलब्ध कराने के रूप में प्रसारण एवं केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के विकास में अपना योगदान दिया है। इन सतत् उपायों के परिणामस्वरूप उपभोक्तागण सेवाओं के विकल्प, दूरसंचार सेवा की घटी दरों, सेवा की बेहतर गुणवत्ता इत्यादि के रूप में समग्र रूप से लाभान्वित हुए हैं। भादूविप्रा द्वारा भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में विभिन्न मामलों के संबंध में निष्पादित कुछ विशिष्ट कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

क) दूरसंचार दरें, भारत के अंदर और भारत से बाहर दोनों के लिए, जिनमें भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजने की दरें सम्मिलित हैं

3.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (संशोधन) भादूविप्रा अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित, की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में ऐसी दरें अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती हैं, जिन पर भारत के अंदर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, इनमें वे दरें सम्मिलित हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए भिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए लागू प्रशुल्क व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अतिरिक्त, भादूविप्रा से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बाजार में विद्यमान प्रशुल्क विनिर्दिष्ट प्रशुल्क व्यवस्था के अनुरूप हैं। इस प्रयोजन हेतु, प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए वसूल की जा रही दरों की निगरानी भी करता है। इसके अतिरिक्त, पे चैनलों के लिए तथा केबल सेवाओं के लिए दरें तय करने हेतु मानदंड निर्धारित करने का कार्य भी भादूविप्रा को सौंपा गया है। वर्ष 2023–24 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र और प्रसारण एवं केबल क्षेत्र में भादूविप्रा द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

3.1.1 मौजूदा टैरिफ ढांचे के अनुसार, मोबाइल सेवाओं और डेटा सेवाओं के लिए टैरिफ में रियायत दी गई है। सेवा प्रदाताओं को अपने संचालन के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए कई संयोजनों के साथ विभिन्न प्रकार की कॉल, एसएमएस या इंटरनेट डेटा ऑफ़र के लिए दरें तय करने की छूट है। हालाँकि, टैरिफ ऑफ़र दूरसंचार टैरिफ आदेश और दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन के अनुसार होने चाहिए।

भादूविप्रा टैरिफ विनियमन के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल करता है। टैरिफ विनियमन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को टैरिफ ऑफर में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना और टैरिफ शुल्क तय करना है, जहां बाजार इष्टतम दरें प्रदान नहीं कर रहा है।

ख) (i) नए सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता और समय; (ii) नए सेवा प्रदाता को लाइसेंस की शर्तें और नियम; तथा (iii) लाइसेंस की शर्तों और नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द करना, पर अनुशंसाएँ

3.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, प्रसारण और केबल सेवाओं के मामले में प्राधिकरण के लिए स्वतः अथवा लाइसेंसप्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग (डीओटी) या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा अनुरोध किए जाने पर अनुशंसाएँ करना अपेक्षित है। वर्ष 2023–24 के दौरान भादूविप्रा द्वारा सरकार को भेजी गई अनुशंसाएँ इस प्रकार हैं: –

(i) स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन के भारित औसत तरीकों के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति पर अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 27 जनवरी 2023 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 2 मई 2023 की प्रतिक्रिया।

(ii) "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी" पर दिनांक 2 मई 2023 की अनुशंसाएँ।

(iii) "भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र" पर दिनांक 19 जून 2023 की अनुशंसाएँ ।

(iv) दिनांक 29 दिसंबर 2022 को "मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण" पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर एमआईबी के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 27 जून 2023 की प्रतिक्रिया ।

(v) "एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकार की शुरूआत" पर दिनांक 8 अगस्त 2023 की अनुशंसाएँ।

(vi) "डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों" पर दिनांक 21 अगस्त 2023 की अनुशंसाएँ।

(vii) "अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए पहचाने गए आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी" की अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 2 अगस्त 2023 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 1 सितंबर 2023 की प्रतिक्रिया।

(viii) "एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर दिनांक 5 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ।

(ix) "लो पावर स्मॉल रेंज वाले एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" पर दिनांक 21 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ।

(x) "भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण (एनएटीईएम) को बढ़ावा देने" पर दिनांक 22 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ।

(xi) "भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरूआत" पर दिनांक 23 फरवरी 2024 की अनुशंसाएँ।

(xii) "मशीन–टू–मशीन (एम2एम) संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग" पर दिनांक 21 मार्च 2024 की अनुशंसाएँ।

इन अनुशंसाओं के विवरण पर इस रिपोर्ट के भाग–II में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

ग) तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संयोजन सुनिश्चित करना

3.3 इंटरकनेक्शन दूरसंचार सेवाओं की जीवन रेखा है। दूरसंचार सेवाओं के सब्सक्राइबर एक–दूसरे से संवाद नहीं कर सकते या अपनी ज़रूरत की सेवाओं से जुड़ नहीं सकते, जब तक कि आवश्यक इंटरकनेक्शन व्यवस्था न हो। प्रभावी और त्वरित इंटरकनेक्शन की उपलब्धता दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भादूविप्रा ने "दूरसंचार इंटरकनेक्शन विनियम, 2018" को अधिसूचित किया है, जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के बीच इंटरकनेक्शन को आसान बनाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय पर इंटरकनेक्शन प्रदान किए जाएं, भादूविप्रा ने डिफॉल्ट करने वाले सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय दंड लगाए हैं।

घ) सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार सेवा प्रदान करने से प्राप्त उनके राजस्व की साझेदारी के लिए उनके बीच व्यवस्था का विनियमन

3.4 इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (आईयूसी) व्यवस्था एक सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों को दूसरे सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इंटरकनेक्शन प्रदान करने में लागत आती है जिसके लिए सेवा प्रदाताओं की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। आईयूसी व्यवस्था न केवल सेवा प्रदाताओं को मिलने वाले राजस्व को निर्धारित करती है बल्कि यह भी निर्धारित करती है कि यह राजस्व उनके बीच कैसे वितरित किया जाएगा। एक कुशल इंटरकनेक्शन और प्रभार व्यवस्था विभिन्न नेटवर्क के बीच कुशल और निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है।

ङ) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लंबी दूरी के सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समय–सीमा

3.5 पीओआई पर प्रारंभिक अंतर्संयोजन और पोर्ट्स के संवर्द्धन के लिए पोर्ट्स के प्रावधान की समय सीमा को वर्ष 2018–19 में ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' दिनांक 05 जुलाई, 2018 के माध्यम से बढ़ाकर 42 दिन कर दिया गया है।

च) लाइसेंस की नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

3.6 भादूविप्रा द्वारा बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से समय–समय पर इस कार्य का निर्वहन किया जाता

है। इनमें से एक दृष्टिकोण सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से विश्लेषण करना है और दूसरा दृष्टिकोण उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संगठनों, विशेषज्ञों आदि से प्राप्त फीडबैक/प्रतिनिधित्व के माध्यम से है।

छ) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम

दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदम निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं:

3.7 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भादूविप्रा के पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों की क्षमता निर्माण पर उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करता है और उपभोक्ता शिक्षा सामग्री प्रकाशित करता है तथा मीडिया अभियान चलाता है। वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों और चलाए गए अभियानों का विस्तृत विवरण रिपोर्ट के भाग–II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदमों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

3.7.1 दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम

3.7.1.1 मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा

दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 11 सितंबर 2023 को सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए आचार संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03) जारी किया। विनियमन में भादूविप्रा द्वारा पैनलबद्ध ऑडिटर के माध्यम से वार्षिक आधार पर बिलिंग और चार्जिंग सिस्टम का लेखापरीक्षा (ऑडिट) अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, भादूविप्रा ने दिनांक 19 सितंबर 2023 को लेखापरीक्षा (ऑडिट) आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

विनियमन में यह भी प्रावधान है कि सेवा प्रदाताओं को अधिक शुल्क लेने के मामलों के मामले में सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी और प्रभावित सब्सक्राइबरों को अधिक शुल्क वाली राशि वापस करने की व्यवस्था करनी होगी। विनियमन में यह भी प्रावधान है कि सेवा प्रदाताओं को लेखा परीक्षक द्वारा बताई गई कमियों, यदि कोई हो, पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी और भादूविप्रा को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। विनियमन में विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में वित्तीय दंड लगाने का भी प्रावधान है।

3.7.1.2 स्पैम नियंत्रण

दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) की समस्या को रोकने के लिए, भादूविप्रा ने रूपरेखा की समीक्षा की है और दिनांक 19 जुलाई 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियमन, 2018 को अधिसूचित किया है, जिसमें नए तकनीकी प्लेटफॉर्म यानी वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) को अपनाना अनिवार्य किया गया है। विनियमनों में प्रेषकों (व्यवसायों और टेलीमार्केटर्स) के पंजीकरण, हेडर, सब्सक्राइबरों की सहमति, संदेश टेम्पलेट आदि और वरीयताओं पर बारीक नियंत्रण का प्रावधान है। यह एक सह–विनियमन है जहां दूरसंचार सेवा प्रदाता/पहुंच प्रदाता रूपरेखा स्थापित और व्यवस्थित करते हैं, जो कानूनी रूप से विनियमन द्वारा समर्थित है।

प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एक कैलेंडर माह के लिए एक्सेस प्रदाता द्वारा आरटीएम से अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को नियंत्रित नहीं करने के लिए वित्तीय दंड नीचे दिया गया है:

	"एक कैलेंडर माह के लिए RTM के लिए UCC की गणना" का मूल्य	वित्तीय दंड की राशि (रुपये में)
(क)	शून्य से अधिक किन्तु सौ से अधिक नहीं	प्रति गिनती एक हजार रुपये
(ख)	सौ से अधिक किन्तु एक हजार से अधिक नहीं	अधिकतम वित्तीय दंड (क) प्लस पांच हजार रुपये प्रति गिनती एक सौ से अधिक
(ग)	एक हजार से अधिक	(बी) में अधिकतम वित्तीय दंड प्लस एक हजार से अधिक प्रति गिनती दस हजार रुपये

विनियमन के अंतर्गत वित्तीय दंड के रूप में देय कुल राशि प्रति कैलेंडर माह 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक तिमाही में सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इन विनियमों के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

3.7.1.3 भादूविप्रा डीएनडी ऐप

यह मोबाइल एप्लीकेशन सब्सक्राइबरों को एक ही तरीके से किसी भी सेवा प्रदाता के साथ अपनी डू–नॉट–डिस्टर्ब (डीएनडी) प्राथमिकता और शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। यह ऐप के भीतर सब्सक्राइबरों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में अपडेट करने में सहायता करता है।

3.7.1.4 शिकायत निवारण

यदि किसी सब्सक्राइबर को अनचाहा संदेश प्राप्त होता है, तो वह अपने एक्सेस प्रदाता के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के विभिन्न तरीके निर्धारित किए गए हैं, जैसे शॉर्ट कोड 1909 पर एसएमएस भेजना, 1909 पर कॉल करना और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना। एक्सेस प्रदाताओं को पूरे वर्ष 24 घंटे X 7–दिन के आधार पर सब्सक्राइबर शिकायत पंजीकरण सुविधा (सीसीआरएफ) उपलब्ध कराना आवश्यक है।

3.7.1.5 हेडर सूचना पोर्टल

हेडर सूचना पोर्टल सब्सक्राइबरों को वाणिज्यिक और सरकारी जागरूकता संचार के प्रेषक के बारे में जानने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल अन्य प्रमुख संस्थाओं को यह जाँचने में भी मदद कर सकता है कि क्या कोई समान दिखने वाला हेडर किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीकृत है।

3.7.1.6 सार्वजनिक हित के एसएमएस भेजने के लिए सरकारी संगठनों को 5 पैसे तक के एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टल

जनहित के एसएमएस भेजने के लिए सरकारी संगठनों को छूट एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टल। यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को TCCCPR, 2018 के विनियमन 35 के तहत पंजीकृत हेडर के लिए 5 पैसे तक के एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देता है। यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को नवीनीकरण तिथियों और 5 पैसे तक के एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट से संबंधित अन्य जानकारी जानने में भी मदद करता है।

3.7.2 प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम

भादूविप्रा टैरिफ विनियमन के माध्यम से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। टैरिफ विनियमन टैरिफ प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। प्रसारण क्षेत्र में, प्राधिकरण ने उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए प्रसारण टैरिफ को विनियमित करने के लिए DAS, DTH आदि के लिए विभिन्न टैरिफ आदेश अधिसूचित किए हैं।

ज) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने तथा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने हेतु उठाए गए कदम जिससे इस तरह की सेवाओं के विकास को सुगम बनाया जा सके

3.8 भादूविप्रा ने हमेशा ऐसी नीतियां बनाने का प्रयास किया है जो समसामयिक हों, मौजूदा घटनाक्रमों के अनुरूप हों, सरल और व्यावहारिक हों। इनका प्रतिस्पर्धा, बुनियादी ढांचे, राजस्व और सब्सक्राइबर कल्याण पर वांछित प्रभाव पड़ा है। यह इस तथ्य के प्रति सचेत रहा है कि उचित व्यावसायिक रणनीतियों के निर्माण, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और इस तरह सब्सक्राइबरों को नवाचार के लाभ देने के लिए विनियामक निश्चितता महत्वपूर्ण है। भादूविप्रा ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को आसान बनाने का काम पूरी गंभीरता से किया है। अनुशंसाओं/विनियमों/टैरिफ आदेशों/निर्देशों आदि के रूप में उपाय उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

दूरसंचार के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 17 अप्रैल 2020 को "दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020" जारी किया। इन विनियमों के माध्यम से, ₹ 0.30 प्रति मिनट की दर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति शुल्क (आईटीसी) की व्यवस्था को ₹ 0.35 प्रति मिनट से ₹ 0.65 प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर संशोधित किया गया है। इसके अलावा, स्टैंडअलोन और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि एक एक्सेस सेवा प्रदाता सभी को यानी अपने स्वयं के संबद्ध आईएलडीओ के साथ–साथ स्टैंडअलोन आईएलडीओ को भी आईटीसी की गैर–भेदभावपूर्ण दर की पेशकश करेगा। ये विनियम दिनांक 1 मई 2020 से लागू हुए।

झ) ऐसी दरों पर और ऐसी सेवाओं के संबंध में फीस और अन्य प्रभार लगाना, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

3.9 भादूविप्रा को दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए टैरिफ नीतियां तय करने का अधिकार है। भादूविप्रा टैरिफ विनियमन के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल करता है। टैरिफ विनियमन का अर्थ है उपभोक्ताओं को टैरिफ ऑफर में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जहां बाजार इष्टतम दरें प्रदान नहीं कर रहा है, वहां टैरिफ शुल्क तय करना।

ञ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.10 प्राधिकरण देश के सुदूर और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क/बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। भादूविप्रा समय–समय पर यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के लिए उपयुक्त उपायों का मूल्यांकन और प्रस्ताव करता है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 24 अप्रैल 2023 को "लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल बुनियादी ढांचे में सुधार" पर अनुशंसाएँ जारी की हैं। यह अनुशंसा की गई है कि लद्दाख के तीन कवर किए गए गांवों को

यूएसओएफ द्वारा '4 जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति' परियोजना के 20% विस्तार प्रावधान के तहत शामिल किया जाना है। लद्दाख के 19 गांवों में मौजूदा गैर–4 जी आधारित सेलुलर मोबाइल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए कैपेक्स और ओपेक्स व्यय यूएसओएफ द्वारा इस सेलुलर बुनियादी ढांचे को 4 जी आधारित सेवा में अपग्रेड करने के लिए यूएसओएफ द्वारा प्रायोजित "देश भर में अनकवर गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति" में मौजूद 20% अतिरिक्त दायरे के प्रावधानों के तहत किया जाना है। इसके अलावा, भादूविप्रा ने दिनांक 22 सितंबर 2023 को "भारत के पूर्वोत्तर राज्य में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार" पर अनुशंसाएँ भी जारी की हैं। अपनी अनुशंसाओं में, भादूविप्रा ने यह अनुशंसा की है कि दूरसंचार विभाग/यूएसओएफ को उन सभी बीएचक्यू को ओएफसी कनेक्टिविटी के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) मॉडल पर कैपेक्स सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए, जिनके पास ओएफसी कनेक्टिविटी नहीं है। प्राधिकरण ने दिनांक 29 सितंबर 2023 को 'हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार अवसंरचना में सुधार' पर अनुशंसाएँ भी जारी की हैं, जिसमें चंबा और लाहौल और स्पीति जिलों में क्रमशः एक–एक ब्लॉक मुख्यालय को यूएसओएफ का उपयोग करके ओएफसी से जोड़ने की अनुशंसा की गई है।

इन अनुशंसाओं के विवरण पर इस रिपोर्ट के भाग–II में चर्चा की गई है।

ट) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित मामले तथा सामान्य रूप से दूरसंचार उद्योग से संबंधित किसी भी अन्य मामले में केंद्र सरकार को दी गई सलाह का विवरण

3.11 दूरसंचार क्षेत्र के विकास से संबंधित मामलों में भादूविप्रा द्वारा केन्द्र सरकार को दी गई सुझाव का विवरण नीचे दिया गया है:

क) "भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण (एनएटीईएम) को बढ़ावा देना" पर दिनांक 22 सितंबर 2023 की अनुशंसाएँ।

ख) "दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाने" पर दिनांक 20 जुलाई 2023 की अनुशंसाएँ।

इन अनुशंसाओं पर पहले ही रिपोर्ट के भाग–II में चर्चा की जा चुकी है।

ठ) सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसी सेवाओं के प्रचारात्मक सर्वेक्षण का विवरण

3.12 सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्ट

3.12.1 बेसिक और सेल्युलर मोबाइल सेवाएँ

भादूविप्रा बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा निष्पादन की निगरानी उपरोक्त निदेशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार करता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की गुणवत्ता के सुधार के क्रम में, भादूविप्रा ने बेसिक टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 8 नवम्बर, 2012 के माध्यम से बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा ऑपरेटरों पर नेटवर्क सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों तथा उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों के लिए मानदंडों का पालन नहीं किए जाने पर वित्तीय दंड निर्धारित किए हैं।

इन विनियमों में सेवा मानदंडों की गुणवत्ता की असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए वित्तीय दंड के रूप में दंडात्मक सुधार की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।

3.12.2 ब्रॉडबैंड सेवा

भादूविप्रा दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 के ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन के तहत तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से, भादूविप्रा द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता मानकों के विरुद्ध सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण, QoS मानक के संबंध में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है।

3.12.3 भादूविप्रा माईकॉल ऐप

"भादूविप्रा माईकॉल ऐप" का उद्देश्य क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से कॉल की गुणवत्ता को मापना है। भादूविप्रा माईकॉल क्राउड सोर्स्ड वॉयस कॉल क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। यह एप्लिकेशन मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में वॉयस कॉल की गुणवत्ता के बारे में उनके अनुभव को रेट करने में मदद करता है और भादूविप्रा को नेटवर्क डेटा के साथ–साथ सब्सक्राइबर अनुभव डेटा इकट्ठा करने में मदद करता है।

3.12.4 भादूविप्रा माईस्पीड ऐप

यह एप्लीकेशन सब्सक्राइबरों को वायरलेस डेटा स्पीड अनुभव को मापने की अनुमति देता है और परिणाम भादूविप्रा को भेजता है। यह एप्लीकेशन कवरेज, डेटा स्पीड और अन्य नेटवर्क जानकारी के साथ–साथ डिवाइस और परीक्षण के स्थान को कैप्चर करता है और भेजता है। माईस्पीड पोर्टल प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं के बीच ऐसे नमूनों से वायरलेस डेटा स्पीड की तुलना प्रदर्शित करता है।

ड) नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का निरीक्षण तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार के संबंध में अनुशंसा

3.13 इस शीर्षक के अंतर्गत उठाए गए विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैं:

"वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण" पर दिनांक 22 अप्रैल 2020 की अनुशंसाएँ।

प्राधिकरण ने उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद "वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण" पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और इसे दिनांक 22 अप्रैल 2020 को दूरसंचार विभाग को उसके विचारार्थ अग्रेषित कर दिया।

भाग–IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य निष्पादन

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य निष्पादन

4.1 यह खंड विशेष रूप से संगठनात्मक संरचना, वित्त पोषण, मानव संसाधन के क्षेत्रों जिसमें भर्ती, क्षमता निर्माण और अन्य सामान्य मुद्दों से संबंधित भादूविप्रा के संगठनात्मक मामलों पर जानकारी प्रदान करता है।

4.2 संगठन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) उपर्युक्त नाम से निगमित एक निकाय है, जिसके पास इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान करने और अनुबंध करने की शक्ति भी प्राप्त है, और उक्त नाम से मुकदमा करने या मुकदमा चलाने की शक्ति है। भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के परिणामतः प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिनांक 31 मार्च 2024 को प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार थी:

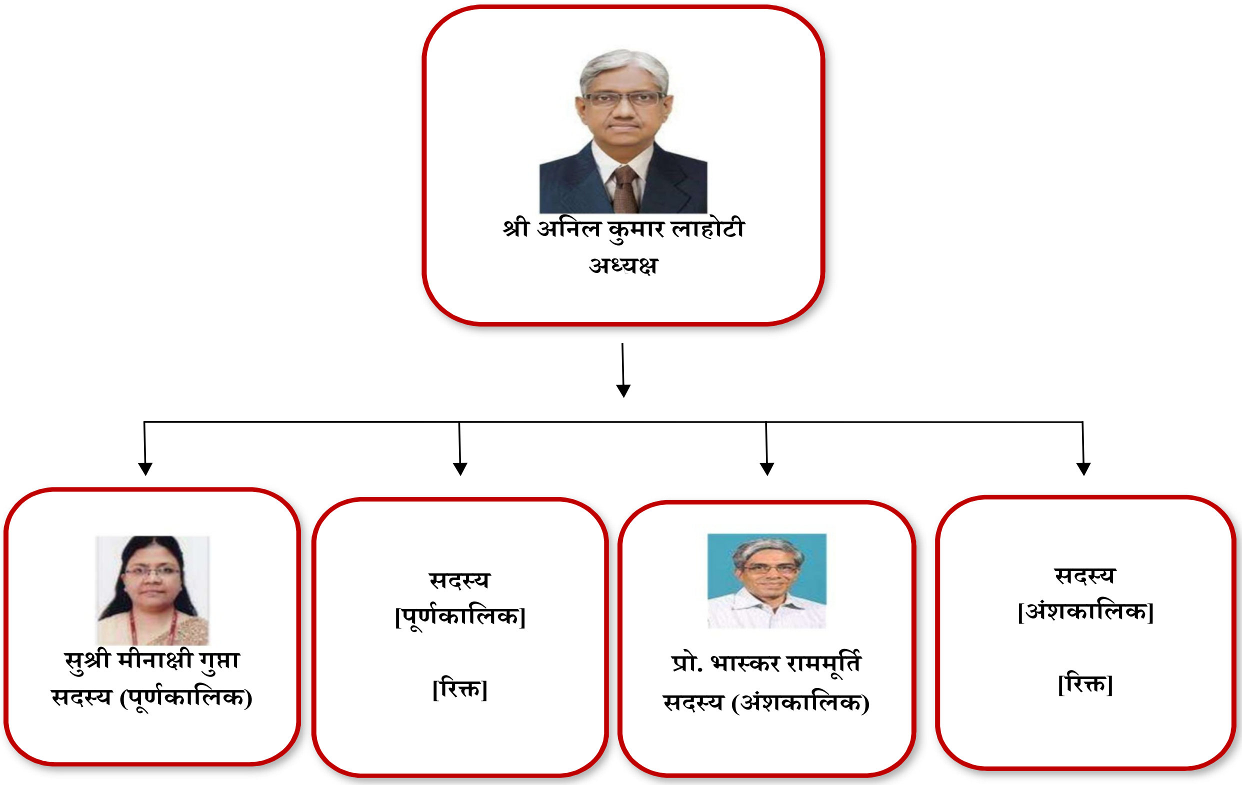

4.3 भादूविप्रा का सचिवालय (मुख्यालय)

प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में एक सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है तथा इस कार्य में उनकी सहायता, सात प्रभागों द्वारा की जाती है, जो इस प्रकार हैं:

(i) प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (प्रशासन एवं आईआर);

(ii) प्रसारण और केबल सेवाएं (बी एंड सीएस);

(iii) उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी विकास (सीए, आईटी और टीडी);

(iv) वित्त और आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए);

(v) विधि;

(vi) नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल); तथा

(vii) सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)।

4.4 प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (प्रशासन एवं आईआर) प्रभाग

प्रशासन प्रभाग सभी प्रशासनिक और कार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जिसमें भादूविप्रा में मानव संसाधन विकास की योजना बनाने और नियंत्रण करने के साथ—साथ प्राधिकरण के उपयोग के लिए सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। प्रशासन प्रभाग के पास प्रशासन और कार्मिक अनुभाग (ए एंड पी), सामान्य प्रशासन अनुभाग (जीए), समन्वय अनुभाग (कोआर्डिनेशन), संचार और जनसंपर्क अनुभाग (कम्युनिकेशन एंड पीआर), राजभाषा अनुभाग (ओएल), प्रबंधन प्रतिनिधि और आरटीआई अनुभाग (एमआर एंड आरटीआई), वित्त अनुभाग की गतिविधियों के प्रबंधन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। प्रभाग एक सुसज्जित पुस्तकालय का भी प्रबंधन करता है। प्रभाग भादूविप्रा के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/निकायों जैसे कि आईटीयू, एपीटी, एसएटीआरसी, आसियान, जीएसएमए, ब्रिक्स और अन्य देशों के विनियामक निकायों के साथ समन्वय शामिल है।

4.5 प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एंड सीएस) प्रभाग

प्रसारण और केबल सेवाएं (बी एंड सीएस) प्रभाग, प्राधिकरण को उपग्रह टीवी चैनलों के प्रसारण, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के माध्यम से केबल टीवी सेवाओं, हेड—एंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवाओं, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं, एफएम रेडियो प्रसारण आदि सहित प्रसारण क्षेत्र के लिए समग्र विनियामक ढांचा तैयार करने के लिए सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग प्रसारण क्षेत्र के आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच करने और विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर अनुशंसाएँ करने और सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस/अनुमतियों के नियमों व शर्तों पर अनुशंसाएँ करने के लिए भी उत्तरदायी है। यह प्रभाग प्रसारण क्षेत्र में सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में प्राधिकरण को सलाह देता है, जिनमें उपभोक्ता की पसंद को सुविधाजनक बनाना, किफायती मूल्यों पर वांछनीय गुणवत्ता की सेवाओं की उपलब्धता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है।

4.6 उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी विकास (सीए, आईटी एवं टीडी) प्रभाग

उपभोक्ता मामले प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता परामर्श के विकास और उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षण करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग देश भर के उपभोक्ता संगठनों और गैर—सरकारी संगठनों को भादूविप्रा के साथ पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है और उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ बातचीत करता है। यह प्रभाग की अन्य गतिविधियों में उपभोक्ता शिक्षा/आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों की क्षमता निर्माण, प्रासंगिक विषयों पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का

आयोजन करना, मीडिया अभियान चलाना, उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ता शिक्षा सामग्री को विकसित करना और प्रकाशित करना आदि शामिल हैं।

भादूविप्रा में सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को दो उद्देश्य सौंपे गए हैं, अर्थात् आईटी परियोजना प्रबंधन (पारदर्शिता को बढ़ावा देना, उपभोक्ता के अनुभव को बेहतर बनाना, प्रक्रियाओं और सूचनाओं के आदान–प्रदान को स्वचालित करना और खुले मानकों को अपनाना) और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन (नेटवर्क और हार्डवेयर बाह्य उपकरणों और तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर लाइसेंस और उन्नयन का अपटाइम सुनिश्चित करना)। इन उद्देश्यों के साथ आईटी प्रभाग विभिन्न आईटी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है जैसे डेटा का विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, विभिन्न पोर्टल और भादूविप्रा वेबसाइट का कार्यान्वयन और रखरखाव, वेब एप्लिकेशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डेटा स्टोरेज, क्लाउड मैनेजमेंट, एसएमएस अलर्ट, लाइसेंस, एनआईसीएनईटी, इंटरनेट लीज लाइन, कंप्यूटर हार्डवेयर संपत्ति, भादूविप्रा का लैन सेटअप आदि।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) का एक कार्य दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उपायों की अनुशंसा करना है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी विकास अनुभाग "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना" नामक परामर्श पत्र पर काम कर रहा है। प्रौद्योगिकी विकास अनुभाग मोबाइल टावरों से संबंधित शिकायतों जैसे कि स्थापना/हटाना, विकिरण खतरा, मौद्रिक धोखाधड़ी, अदालती मामले आदि को भी देखता है"।

4.7 वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफएंडईए) प्रभाग

वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग मुख्य रूप से दूरसंचार टैरिफ आदेशों (टीटीओ) में निहित प्रावधानों, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (टीसीपीआर) में निहित कुछ प्रावधानों और समय–समय पर संबंधित पहलुओं पर प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न परिचालन पहलुओं पर सलाह प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है, जैसे टैरिफ विनियमन (जहां भी आवश्यक हो, वहां दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण, सेवा प्रदाताओं द्वारा पालन किए जाने वाले टैरिफ सिद्धांतों को निर्धारित करना, टैरिफ की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और विनियामक ढांचे के अनुरूप उनकी जांच करना आदि), लागत आधारित इंटरकनेक्शन शुल्क का निर्धारण, मोबाइल पोर्टेबिलिटी के लिए प्रति पोर्ट लेनदेन शुल्क का निर्धारण, दूरसंचार सेवाओं के लिए लागत पद्धति और लागत निर्धारण आदि। यह प्रभाग वित्तीय विवरणों, लेखा पृथक्करण रिपोर्टों (एएसआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) रिपोर्टों आदि की समीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी है ताकि वर्तमान विनियामक ढांचे के साथ इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट" का संकलन भी करता है और इसे तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है।

4.8 विधि प्रभाग

विधि प्रभाग सभी विनियामक मुद्दों पर प्राधिकरण को कानूनी सलाह देने, सभी विधिक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने और पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग उन सभी वाद मामलों का प्रबंधन करता है, जिसमें भादूविप्रा एक पक्षकार होता है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक विभिन्न न्यायालयों में 458 मामले लंबित थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है: –

क्रम सं.	अदालत	दिनांक 31.03.2023 तक लंबित मामले	वर्ष 2023–24 के दौरान दर्ज मामले	वर्ष 2023–24 के दौरान निपटाए गए मामले	दिनांक 31.03.2024 तक लंबित मामलों की संख्या
1	सर्वोच्च न्यायालय	171	2	12	161
2	उच्च न्यायालय	209	29	34	204
3	टीडीसैट	17	4	6	15
4	उपभोक्ता मंच	27	7	2	32
5	जिला न्यायालय	35	2	3	34
6	अन्य न्यायाधिकरण	17	2	7	12
मामलों की कुल संख्या		**476**	**46**	**64**	**458**

वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा सुने गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	अदालत	सुने गए मामलों की संख्या
1	सर्वोच्च न्यायालय	70
2	उच्च न्यायालय	150
3	टीडीसैट	14
4	उपभोक्ता मंच	36
5	जिला न्यायालय	37
6	अन्य न्यायाधिकरण	15
वर्ष 2023–24 के दौरान सुने गए मामलों की कुल संख्या		**322**

वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा सुनाए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

(i) भारत का सर्वोच्च न्यायालय

राजेश्वरी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 का आदेश [डब्ल्यूपी (सी) संख्या 699/2021]

सुश्री राजेश्वरी द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह बताया गया की निष्क्रिय मोबाइल नंबरों के "रीसाइकिलिंग" की नीति के अनुसार नए उपभोक्ताओं को उसी मोबाइल नंबर के आवंटन पर पिछले उपभोक्ताओं के डेटा के दुरुपयोग का खतरा है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि एक नए सब्सक्राइबर को मोबाइल आवंटित करने पर, वह पिछले सब्सक्राइबर के व्हाट्सएप डेटा तक पहुंच सकता है, क्योंकि नए सब्सक्राइबर को उसी मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप एक्सेस करने के लिए ओटीपी प्राप्त होगा। याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि वह प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को रीसाइकिल करना और नए सब्सक्राइबरों को आवंटित करना बंद करें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के आदेश के माध्यम से वर्तमान रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि एक बार उपयोग न करने के कारण निष्क्रिय किया गया सेलुलर मोबाइल टेलीफोन नंबर या सब्सक्राइबर के अनुरोध पर डिस्कनेक्ट किया गया नंबर कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए नए सब्सक्राइबर को आवंटित नहीं किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गोपनीयता बनी रहे, पहले के सब्सक्राइबर को पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि सब्सक्राइबर अपने पिछले मोबाइल नंबर से जुड़े व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करके और लोकल डिवाइस मेमोरी/क्लाउड/ड्राइव पर स्टोर किए गए व्हाट्सएप डेटा को मिटाकर व्हाट्सएप डेटा के दुरुपयोग को रोक सकता है। इसके अतिरिक्त, माननीय न्यायालय ने पाया कि व्हाट्सएप सहायता केंद्र पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार रीसाइकलड फोन नंबरों के मामले में उलझन/भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए, उन खाते की निष्क्रियता की निगरानी करते हैं और जब कोई खाता 45 दिनों तक निष्क्रिय होता है और उसके बाद एक अलग मोबाइल डिवाइस पर खाता सक्रिय होता है, तो पुराना खाते का डेटा हटा दिया जाता है।

(ii) दिल्ली उच्च न्यायालय

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण बनाम कबीर शंकर बोस एवं अन्य [एलपीए 721/2018] के मामले में दिनांक 22 दिसंबर 2023 का आदेश

भादूविप्रा ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठ खंडपीठ के समक्ष माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2018 को पारित निर्णय के खिलाफ अपील दायर की, जिसके तहत माननीय एकल न्यायाधीश ने माननीय सीआईसी द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2018 को पारित आदेश के खिलाफ भादूविप्रा द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ एकल न्यायाधीश और माननीय सीआईसी दोनों ने माना था कि भादूविप्रा अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकरण के पास कोई भी सूचना मांगने, जांच करने आदि का अधिकार है, जहां प्राधिकरण ऐसा करना समीचीन समझता है, और यह सार्वजनिक प्राधिकरण का दायित्व है कि वह निजी निकाय से सूचना प्राप्त करे और उसे आरटीआई आवेदक को प्रदान करे।

एल.डी. डिवीजन बेंच ने दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के अपने फैसले के जरिए अपील को स्वीकार कर लिया और एल.डी. एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित फैसले को खारिज कर दिया और इस तरह, एल.डी. सीआईसी ने अन्य बातों के साथ–साथ यह माना कि मांगी गई जानकारी भादूविप्रा के कार्यों से संबंधित नहीं है, जैसा कि भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में उल्लिखित है, क्योंकि इंटरसेप्शन/निगरानी के लिए कोई भी कार्रवाई भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) और भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419(ए) के अनुसार की जाती है। एल.डी. डिवीजन बेंच ने यह भी माना कि यह मानना कि फोन के इंटरसेप्शन या ट्रैकिंग या टैपिंग के संबंध में जानकारी मांगना भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत भादूविप्रा की शक्ति के अंतर्गत होगा।

(iii) केरल उच्च न्यायालय

ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन एवं अन्य बनाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एवं अन्य के मामले में आदेश दिनांक 04 अप्रैल 2023[डब्ल्यूपी (सी) 193 ऑफ 2023]

ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) द्वारा रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह घोषित करने की मांग की गई है कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल)

सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम 2022 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश 2022 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के विरुद्ध हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1)(जी) का उल्लंघन करते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 04 अप्रैल, 2023 के आदेश के तहत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं है और भादूविप्रा ने हितधारकों के साथ चर्चा करके कानून के तहत आवश्यक पारदर्शिता का पर्याप्त और प्रभावी ढंग से पालन किया है। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि विवादित नियम और टैरिफ आदेश प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक हित की रक्षा और सार्वजनिक भलाई के लिए दूरसंचार सेवाओं को विनियमित और नियंत्रित करने के प्रयोजन से बनाए गए हैं। एल.डी. न्यायालय ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता विवादित नियमों और टैरिफ आदेश में किसी भी अवैधता, मनमानी, शक्ति का निरंकुश प्रयोग, दुर्भावनापूर्ण या इसी तरह की किसी अन्य कानूनी दुर्बलता को साबित करने में विफल रहे हैं।

4.9 नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग

नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग इंटरकनेक्शन की शर्तों और नियमों को तय करने, विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करने, इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (आईयूसी) के निर्धारण सहित सभी इंटरकनेक्शन मुद्दों को संभालने और उसकी नियमित समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों के एक्सेस फैसिलिटेशन और को–लोकेशन शुल्क के विनियमन से संबंधित मुद्दों को भी प्रभाग द्वारा संभाला जाता है। एनएसएल प्रभाग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा को भी विनियमित करता है।

एनएसएल प्रभाग एक्सेस सेवा (वायर्ड और वायरलेस दोनों), इंटरनेट सेवा, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा, मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) सेवा, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस), वर्चुअल नेटवर्क प्रदाता (वीएनओ), कैप्टिव नॉन–पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) और मूल्यवर्धित सेवाओं जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल आदि की लाइसेंस शर्तों से संबंधित मामलों पर अनुशंसाएँ करने के लिए उत्तरदायी है।

यह प्रभाग अंतरिक्ष आधारित संचार, मशीन टू मशीन (एम2एम) संचार, ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार आदि जैसी नई और विकसित प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की शुरूआत से संबंधित मामलों पर अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है।

एनएसएल प्रभाग संबंधित शर्तों, कुशल उपयोग और स्पेक्ट्रम के प्रबंधन के साथ–साथ इसके साझाकरण, व्यापार और री–फार्मिंग सहित स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट पर अनुशंसाएं भी प्रदान करता है। क्रॉस–सेक्टर समन्वय से संबंधित मामले जैसे कि, बुनियादी ढांचे की साझेदारी, सतत दूरसंचार, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) के लिए रेडियो संचार प्रणाली भी प्रभाग द्वारा संभाली जाती हैं। यह सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) और सभी संबंधित मामलों से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएँ प्रदान करता है। कन्वर्जेंस, राइट ऑफ वे और स्ट्रीट फर्नीचर और सैंडबॉक्स के उपयोग करने के लिए नीति जैसे मुद्दों को भी निपटाया जाता है। एनएसएल प्रभाग राष्ट्रीय नंबरिंग योजना, इंटेलिजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवा, कॉलिंग कार्ड और सैटकॉम नीति से संबंधित मुद्दों से भी निपटता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रभाग उपर्युक्त सभी प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस शर्तों के अनुपालन की निगरानी करता है तथा देश में वायरलाइन, वायरलेस, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सदस्यता की भी निगरानी करता है।

4.10 सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रभाग

सेवा की गुणवत्ता प्रभाग, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता (बेसिक टेलीफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल दूरसंचार सेवा, वायरलेस डाटा सेवा और ब्रॉडबैंड सेवा) के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विनियमों को निर्धारित करने, दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए; मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए; दूरसंचार संदेशों/कॉलों, स्पैम के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को रोकने के लिए उत्तरदायी है।

यह प्रभाग विभिन्न निष्पादन संकेतकों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत आवधिक निष्पादन रिपोर्ट के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करता है। सेवा प्रदाताओं की सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन देश भर में किए गए क्षेत्रीय मापनों के माध्यम से भी किया जाता है। यह प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत से पहले प्राप्त संदर्भों पर अनुशंसाओं को संभालता है। यह प्रभाग इंटरकनेक्ट समझौतों और ऐसे सभी अन्य मामलों का रजिस्टर बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है, जो कि विनियमों में प्रदान किए गए हैं।

4.11 ट्राई अध्ययन एवं शोध केंद्र (ट्राई सीएसआर)

भादूविप्रा ने अपना ट्राई अध्ययन एवं शोध केंद्र – ट्राई सीएसआर स्थापित किया है। यह केंद्र उद्योग, शिक्षा जगत और नीति निर्माण संस्थानों के सहयोग से तकनीकी अध्ययनों की अवधारणा तैयार करेगा, समन्वय करेगा और उन्हें सक्षम बनाएगा। ट्राई अध्ययन एवं शोध केंद्र भविष्य के रुझानों की पहचान करने और उभरती नीति/विनियामक चुनौतियों का आकलन करने के लिए निरंतर शोध की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि विभिन्न हितधारकों को जोड़ने और नवाचार को सुविधाजनक बनाने में क्रॉस–इंडस्ट्री दृष्टिकोण को सक्षम किया जा सके। केंद्र, नीति/विनियामक ब्लाइंड स्पॉट्स की पहचान करने और अग्रिम योजना और कार्रवाई के लिए आसन्न तकनीकी विकास के प्रति नीति निर्माताओं को संवेदनशील बनाने का प्रयास करेगा। इस केंद्र का उद्देश्य उपयोगकर्ता विभागों की क्षमता निर्माण की दिशा में शैक्षिक और अनुसंधान केंद्रों के साथ मिलकर कामकाज करना है, जिससे प्रौद्योगिकी–आधारित समाधानों पर उचित ध्यान केंद्रित किया जा सके।

ट्राई सीएसआर की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है:

(i) नई प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकीय व्यवधान आदि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर अध्ययन तथा अनुसंधान एवं सर्वेक्षण करना तथा उनका क्षेत्रों, समग्र अर्थव्यवस्था और समाज पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना और करना।

(ii) इन अध्ययनों/अनुसंधान/सर्वेक्षणों के परिणामों को समीचीन मानकर प्रकाशित करना। नीतिगत अनुशंसाओं और विनियमों के लिए इन–हाउस ऐसे अध्ययनों और रिपोर्टों का उपयोग करना।

(iii) डिजिटल साक्षरता और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में हितधारकों और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सशक्त बनाना।

(iv) नीति आयोग, अन्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों, आईटीयू और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठनों, भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय स्व–शासन एजेंसियों और भारत और विदेशों में अन्य संगठनों जैसे प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रों, मानक विकास संगठनों आदि के साथ सहयोग करना।

(v) सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रासंगिक संवाद को सक्षम बनाना।

4.12 मानव संसाधन

भादूविप्रा के सचिवालय (मुख्यालय) में कार्य संचालन हेतु 184 कर्मचारी (31 मार्च 2024 को) हैं, जो प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है। जहाँ भी आवश्यक हो, परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जाता है।

4.13 भादूविप्रा मुख्यालय में कर्मचारीयों की संख्या (31 मार्च 2024 को)

दिनांक 31 मार्च 2024 को, भादूविप्रा (मुख्यालय) में कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार थीः

क्र. सं.	पद	संस्वीकृत	कार्यरत
1.	सचिव	01	01
2.	प्रधान सलाहकार	14	13*
3.	सलाहकार		
4.	संयुक्त सलाहकार	25	21
5.	उप सलाहकार	10	10
6.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	03
7.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	30#	29
8.	प्रधान निजी सचिव	05	04
9.	तकनीकी अधिकारी	22**	16
10.	अनुभाग अधिकारी	20	16
11।	निजी सचिव	12	10
12.	सहायक	48	33
13.	निजी सहायक	18	06
14	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	00
15.	अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी)	07	00
16.	स्टाफ कार चालक विशेष ग्रेड	01	01
17.	स्टाफ कार चालक ग्रेड–I	04	04
18.	स्टाफ कार चालक ग्रेड–II	04	04
19.	स्टाफ कार चालक साधारण ग्रेड	04	01
20.	पीसीएमओ	02	02
21.	डिस्पैच राइडर	01	01
22.	बहु–कार्य कर्मचारीवृंद (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	05	09
	कुल	**237**	**184**

* इसमें दो भादूविप्रा कैडर सलाहकार भी शामिल हैं जो अन्य सरकारी संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

\# वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पांच (05) पदों को अस्थायी रूप से तकनीकी अधिकारी के रूप में संचालित किया जा रहा है।

** तकनीकी अधिकारी (इंजीनियरिंग) के 5 पद शामिल हैं।

4.14 दिनांक 31 मार्च, 2024 को भादूविप्रा (मुख्यालय) में सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	फोटो
1	श्री वी. रघुनंदन	सचिव	
2	श्री एस.टी. अब्बास	प्रधान सलाहकार (बी एंड सी एस)	
3	श्री शिव भद्र सिंह	प्रधान सलाहकार (एनएसएल)	
4	श्री महेंद्र श्रीवास्तव	प्रधान सलाहकार (क्यूओएसएसीए एंड आईटी) प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)–प्रभारी	
5	श्रीमती वंदना सेठी	सलाहकार (प्रशासन एवं आईआर)	
6	श्री संजीव कुमार शर्मा	सलाहकार (बीबी एंड पीए)	

7	श्री आनंद कुमार सिंह	सलाहकार (सीए, आईटी एंड टीडी)	
8	श्री अमित शर्मा	सलाहकार (एफ एंड ईए–II) सलाहकार (एफ एंड ईए–I) – प्रभारी	
9	श्री राजीव रंजन तिवारी	सलाहकार (विधि)	
10	श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी	सलाहकार (एनएसएल–II)	
11	श्री तेजपाल सिंह	सलाहकार (क्यूओएस–I)	
12	श्री जयपाल सिंह तोमर	सलाहकार (क्यूओएस–II)	

नोटः दो भादूविप्रा कैडर के सलाहकार अन्य सरकारी संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

4.15 भादूविप्रा के अधिकांश कार्मिकों को प्रारंभ में सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है। दूरसंचार, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन आदि के क्षेत्रों में प्रासंगिक अनुभव वाले इन प्रतिनियुक्तियों को शुरू में दो/तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ा दी जाती है। प्राधिकरण ने भादूविप्रा में स्थायी आमेलन के विकल्प के साथ

विशिष्ट विशेषज्ञता और कौशल वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का एक कैडर गठित किया है। तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य और बढ़ते कार्यभार से जुड़ी नई विनियामक चुनौतियों के मद्देनजर, पुनर्गठन और अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव शुरू किया गया है और वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग को भेजा गया है।

4.16 भर्ती

प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को शामिल करके अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना कैडर बनाया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से अपने सचिवालय के लिए कर्मियों की भर्ती कर्मियों की भर्ती के एक तरीके के रूप में जारी है। भादूविप्रा ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित खुली परीक्षा के माध्यम से सहायक और निजी सहायक के कैडर में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है।

4.17 प्रशिक्षण

भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्र में विशेष रूप से टैरिफ और सेवा मानकों की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता तथा उपभोक्ता से संबंधित अन्य मामलों पर सर्वेक्षण के संचालन के क्षेत्र में अपने कर्मचारियों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए मानव संसाधन पहल को अत्यधिक महत्व देता है। सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक संरचित प्रशिक्षण नीति लागू की गई है। भादूविप्रा के कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं:

i. ओरिएंटेशन / प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण

ii. अल्पावधि विषयगत प्रशिक्षण

iii. दीर्घकालिक प्रशिक्षण – अधिकतर ऑनलाइन पाठ्यक्रम

iv. कैरियर मध्य वृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम

v. अन्य – अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के चयन और डिजाइन में, भादूविप्रा का प्रयास मैक्रो–स्तरीय नीति के लिए विविध कौशल प्रदान करना और नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रासंगिक तकनीकी–आर्थिक परिचालन विवरणों को संभालना है। भादूविप्रा की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान/डिजाइन और संचालित किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कुछ भादूविप्रा अधिकारियों को नामित किया गया था। अधिकारियों को इन प्रशिक्षणों के माध्यम से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है और इन जानकारियों ने उनके विनियामक कार्य के संबंधित क्षेत्र में उनके कौशल को समृद्ध किया है। इन प्रशिक्षणों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5जी नेटवर्क के तकनीकी, व्यावसायिक और विनियामक पहलुओं, क्यूओएस प्रौद्योगिकियों पर आईटीयू ई–लर्निंग कोर्स और फिक्स्ड और मोबाइल के लिए विनियमन आदि के प्रमुख पहलू शामिल हैं। भादूविप्रा कर्मियों को विभिन्न घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नियुक्त किया गया था। प्रशिक्षणों की सूची इस रिपोर्ट के भाग–IV के अनुलग्नक–I में दी गई है।

भादूविप्रा ने आंतरिक प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की एक प्रणाली भी स्थापित की है; जिसमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को दूरसंचार क्षेत्र में नवीनतम विकास पर अपने अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है। भादूविप्रा के अधिकारियों ने ऐसे कई कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें प्राधिकरण द्वारा आयोजित और आयोजित कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें "रेगटेक और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सहयोगात्मक विनियमन", "स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद (एसएटीआरसी) कार्य समूह की बैठक", "ब्रॉडबैंड पहुंच और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना", "स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद (एसएटीआरसी) कार्यशाला", "सभी के लिए ब्रॉडबैंड", आदि शामिल हैं।

4.18 सेमिनार / कार्यशालाएं

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू संगोष्ठियों, बैठकों और कार्यशालाओं में नामित किया, जिससे उन्हें अपने स्वयं के नीति निर्माण के लिए मूल्यवान फीडबैक/इनपुट एकत्र करने में मदद मिली और साथ ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ बने रहने में भी मदद मिली। इसने विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण विनियामक पहलों को प्रदर्शित करने के अवसर भी प्रदान किए हैं, जिससे भारत और कई अन्य देशों में प्रमुख नियामक चिंताओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान मिला है और भारत को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है। प्राधिकरण द्वारा कई संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया, जिनका विवरण रिपोर्ट के भाग–II में उपलब्ध है।

4.19 कार्यालय आवास

वर्ष 1997 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) किराए के परिसर से काम कर रहा है। भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के माध्यम से नवंबर 2020 में, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भादूविप्रा के लिए कार्यालय के लिए स्थान की खरीद हेतु मंजूरी दी, जिसे नई दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने फरवरी 2021 में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी), नौरोजी नगर, नई दिल्ली की टॉवर–एफ में चौथी से सातवीं मंजिल तक भादूविप्रा को कुल 115,982 वर्ग फुट सुपर बिल्ट–अप एरिया (85,545 वर्ग फुट कारपेट एरिया) आवंटित किया।

भादूविप्रा और एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बीच नवंबर 2022 में एनबीसीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029 में टॉवर–एफ की चौथी से सातवीं मंजिल पर भादूविप्रा के कार्यालय के लिए स्थान की योजना, डिजाइन और इंटीरियर फिट–आउट/नवीनीकरण/फर्निशिंग कार्यों के लिए एक समझौता ज्ञापन/समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भवन के बाहरी/आंतरिक फिट–आउट कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, और साइट को मई 2024 के अंत तक भादूविप्रा को सौंपा जाना है।

4.20 भादूविप्रा कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर

भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा विशेष लाइसेंस शुल्क का भुगतान पर सामान्य पूल आवास में बने रहने की अनुमति है। प्रतिधारण की अनुमेय अवधि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक या प्राधिकरण के साथ उनके कार्यकाल की अवधि तक जो भी पहले हो, तक होगी।

हालांकि, संपदा निदेशालय (डीओई) न तो सामान्य पूल आवासीय आवास आवंटित करता है और न ही अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पहले से आवंटित आवास को बनाए रखने की अनुमति देता है, जब वे भादूविप्रा में शामिल हो जाते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, भादूविप्रा ने संपदा निदेशालय (डीओई), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर एक प्रस्ताव शुरू किया है, जिसमें सभी भादूविप्रा कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) सुविधा के विस्तार का अनुरोध किया गया है।

यह विस्तार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त या भादूविप्रा में स्थायी रूप से शामिल किए गए कर्मचारियों पर लागू होगा, भले ही प्राधिकरण में शामिल होने से पहले वे जीपीआरए के लिए पात्र हों या नहीं। प्रस्ताव में इस बदलाव को समायोजित करने के लिए मौजूदा नीति के दायरे में संशोधन करने का प्रयास किया गया है।

भादूविप्रा कर्मचारियों के लिए आवास समाधान प्रदान करने के लिए, एमटीएनएल/बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत, एमटीएनएल/बीएसएनएल भादूविप्रा को पट्टे के आधार पर आवासीय क्वार्टरों का एक पूल आवंटित करेगा, जिससे प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार अपने कर्मचारियों को किराए पर देने की अनुमति मिल जाएगी।

4.21 भादूविप्रा में विभिन्न दिवसों का आयोजन

(i) दुनिया भर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" मनाया जाता है। इस उद्देश्य के अनुरूप, भादूविप्रा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने हेतु महिला कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए विभिन्न मुद्दों पर इंटरैक्टिव सत्र और वार्ता आयोजित की।

ii) भादूविप्रा ने दिनांक 21 जून, 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" का 9वां उत्सव मनाया। प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा संचालित योग सत्रों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न प्लेटफार्मों पर समावेशिता और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सभाओं और हाइब्रिड मोड दोनों के माध्यम से भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

iii) भादूविप्रा में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन (31 अक्टूबर) आता है। इस वर्ष दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से 05 नवंबर 2023 तक निम्नलिखित विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया:

"भ्रष्टाचार को न कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हों"

"Say no to corruption; commit to the Nation"

दिनांक 02 नवंबर 2023 को भादूविप्रा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 मनाया गया। भादूविप्रा की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता के नेतृत्व में सत्यनिष्ठा का शपथ लिया गया।

(iv) "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को दिनांक 09 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। भादूविप्रा ने भादूविप्रा कर्मचारियों के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए संवेदनशील कार्यशाला का आयोजन कर, 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह' मनाया।

इस वर्ष दिनांक 07 दिसंबर 2023 को प्रसिद्ध लेखक और वक्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. सैयद मुबीन ज़हरा द्वारा "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

4.22 सेवानिवृत्ति के बाद भादूविप्रा के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा

भादूविप्रा के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा समय–समय पर संशोधित भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–II द्वारा शासित होती है। प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों, चिकित्सा सुविधाओं के लाभ के हकदार हैं।

4.23 वित्तपोषण

भादूविप्रा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक विनियामक संस्था है। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 21 के अनुसार, केंद्र सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा कानून द्वारा किए गए उचित विनियोजन के बाद, प्राधिकरण को ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकती है, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करने के लिए आवश्यक है। अधिनियम की धारा 22(1) (ए) और (बी) में कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि के नाम से एक कोष का गठन किया जाएगा और इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है, इस कोष में जमा की जाएंगी। वर्ष 2023–24 में भादूविप्रा द्वारा किया गया कुल व्यय ₹ 111.60 करोड़ (मूल्यह्रास सहित) था। इस अवधि के दौरान व्यय के प्रमुख मद 'वेतन', 'किराया', 'पेशेवर शुल्क' आदि थे।

4.24 यदि विनियमों से वसूल किए जा रहे लाइसेंस शुल्क का एक छोटे से हिस्से प्रशासनिक शुल्क के रूप में भादूविप्रा के परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो अनुदान सहायता के रूप में सरकारी सहायता की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था भादूविप्रा को एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करेगी। आईआरडीए, सेबी और आरबीआई जैसे विनियामकों को गैर–सरकारी स्रोतों से भी विभिन्न स्तरों पर नई प्रतिभाओं की भर्ती करने और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसी स्वस्थ पद्धतियों का अनुकरण करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि भादूविप्रा को वैश्विक स्तर पर दूरसंचार क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जटिल मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

4.25 भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय

प्राधिकरण ने वर्ष 2012 में देश भर में विभिन्न स्थानों पर भादूविप्रा के 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी। प्राधिकरण ने वर्ष 2014–15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा की और चंडीगढ़, पटना, मुंबई, गुवाहाटी और लखनऊ में स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने और संशोधित क्षेत्राधिकार के साथ हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर और दिल्ली में स्थित 6 (छह) क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी रखने का अनुमोदन किया। भादूविप्रा के ये क्षेत्रीय कार्यालय भादूविप्रा की क्षमता निर्माण परियोजना के एक हिस्से के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर काम कर रहे हैं। भादूविप्रा ने क्षमता निर्माण परियोजना के एक हिस्से के रूप में दिनांक 31 मार्च 2025 तक 06 क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी रखने का निर्णय लिया है। लाइसेंस–सेवा क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान (वर्ष 2023–24 के दौरान) निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति	प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत लाइसेंस सेवा क्षेत्र
1	बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई
2	भोपाल	मध्य प्रदेश, यूपी (पूर्व), यूपी (पश्चिम)
3	दिल्ली	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर
4	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, चेन्नई सहित तमिलनाडु, उड़ीसा
5	जयपुर	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब,
6	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पूर्वोत्तर, असम, बिहार

4.26 भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों की कर्मचारी संख्या (दिनांक 31 मार्च 2024 को)

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, भादूविप्रा (क्षेत्रीय कार्यालयों) के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	पद	संस्वीकृत	कार्यरत
1.	सलाहकार	06	04
2.	संयुक्त सलाहकार / उप सलाहकार	12	10
3.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	12	09
4.	सहायक	06	05
	कुल	**36**	**28**

4.27 भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों में सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण (31 मार्च 2024 को)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का स्थान	अधिकारी का नाम	पद	फोटो
1.	बेंगलुरु	श्री ब्रजेन्द्र कुमार	सलाहकार	
2.	भोपाल	श्री श्याम सुन्दर चांडक	सलाहकार प्रभारी	
3.	दिल्ली*	रिक्त	सलाहकार	सलाहकार (सीए), भादूविप्रा मुख्यालय – प्रभार की देखभाल करते हैं
4.	हैदराबाद	श्री बी. प्रवीण कुमार	सलाहकार	
5.	जयपुर	श्री श्याम सुन्दर चांडक	सलाहकार	
6.	कोलकाता	डॉ. स्वदेश कुमार सामंथा	सलाहकार	

* भादूविप्रा (मुख्यालय) द्वारा संचालित किया जा रहा है

4.28 उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) की भूमिका और कार्य निम्न प्रकार हैं:

(i) टैरिफ संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के खुदरा टैरिफ की प्रभावी निगरानी करना;

(ii) विनियामक और विपणन पहलुओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं के साथ उचित समन्वय;

(iii) सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करना;

(iv) भादूविप्रा की ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी)/उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) की बैठकों का आयोजन करना;

(v) भादूविप्रा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा लेखापरीक्षा और सर्वेक्षण का समन्वय और निगरानी;

(vi) जिला/ब्लॉक स्तर तक सीएजी का विकास और सीएजी के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना;

(vii) उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन;

(viii) दूरसंचार विभाग के टर्म सेल के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना;

(ix) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियमों और अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी;

(x) पोर्टल पर एमएसओ/एलसीओ के पंजीकरण की निगरानी और एलसीओ के पंजीकरण की वैधता की निगरानी;

(xi) ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जो भादूविप्रा के मुख्यालय द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं या जो भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों;

(xii) सेवा प्रदाता पोर्टल (एसपीपी) पर एमएसओ और एलसीओ की सूचना की निगरानी। क्षेत्रीय कार्यालय एमएसओ के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पोर्टल पर प्रविष्टि सभी एमएसओ और उनके एलसीओ द्वारा की गई है;

(xiii) एमएसओ और एलसीओ (एमआईए/एसआईए) के बीच समझौते का विश्लेषण और रखरखाव;

(xiv) एमएसओ के लिए सेवाओं की गुणवत्ता विनियमन की निगरानी और कार्यान्वयन;

(xv) क्षेत्रीय कार्यालयों में डीटीएच ऑपरेटरों और प्रमुख एमएसओ के विरुद्ध प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों को बीसीसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करना;

(xvi) टीसीसीएमएस पोर्टल में उनके द्वारा प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों को अपलोड करना और उपभोक्ता शिक्षण कार्यक्रमों के उचित संचालन के लिए सेवा प्रदाता के साथ समन्वय करना; तथा

(xvii) प्रत्येक तिमाही के लिए डीसीआर मैट्रिक्स का विश्लेषण और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए टीएसपी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

4.29 सूचना का अधिकार अधिनियम

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के तहत विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए कुल 750 आरटीआई आवेदन और 60 अपीलें प्राप्त हुईं। इन सभी आवेदनों का तुरंत निपटारा किया गया और निर्धारित समय अवधि के भीतर जवाब भेज दिया गया है।

4.30 भादूविप्रा को आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) को दिसंबर 2004 में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। इस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण वर्ष 2007 और 2010 में किया गया था। नवंबर 2010 में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करते हुए, बीआईएस ने आईएस/आईएसओ 9001:2008 जारी किया और इसके बाद 2013 और 2016 में इसका नवीनीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, बीआईएस ने 2016 में नवीनीकरण करते हुए आईएसओ प्रमाणन की नवीनतम श्रृंखला यानी आईएसओ 9001:2015 जारी की है और इस प्रमाणन को सितंबर 2021 और जनवरी 2023 में नवीनीकृत किया गया है।

प्रबंधन की प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में, भादूविप्रा ने गुणवत्ता नीति, गुणवत्ता उद्देश्य और कार्य प्रक्रियाओं को परिभाषित किया है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, बीआईएस हर साल एक बार निगरानी ऑडिट आयोजित करता रहा है। भादूविप्रा को गुणवत्ता मैनुअल में उल्लिखित अनुसार वर्ष में दो बार आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट आयोजित करना आवश्यक है। लेखा परीक्षा प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, भादूविप्रा नियमित रूप से अपने अधिकारियों को आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करता है। वर्तमान में, भादूविप्रा के पास आंतरिक ऑडिट करने के लिए 32 आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षक (आईक्यूए) कर्मी हैं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता प्रबंधन समीक्षा बैठकें सचिव द्वारा तिमाही आधार पर ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आईएसओ 9001:2015 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीर्ष प्रबंधन द्वारा वार्षिक प्रबंधन समीक्षा बैठक भी ली जाती है।

4.31 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) में सचिव, भादूविप्रा की देख–रेख में प्राधिकरण का राजभाषा अनुभाग कार्यरत है, जो राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा समय–समय पर इस विषय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक निर्देशों को लागू करता है। भादूविप्रा में संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा हर संभव प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न प्रभागों की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। विनियम, प्रेस विज्ञप्तियाँ, निविदा सूचनाएँ, राजपत्र अधिसूचनाएँ तथा अन्य दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।

भादूविप्रा के सभी प्रभागों और अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी भादूविप्रा के सचिव की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा की जाती है। ओएलआईसी की बैठकें हर तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती है। इन बैठकों में, सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके अलावा, भादूविप्रा में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की जाती है तथा इस संबंध में भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जाती है। राजभाषा से संबंधित कार्य को गति देने के लिए समिति के सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान

ओएलआईसी की 4 बैठकें क्रमशः दिनांक 12 मई 2023, 28 जुलाई 2023, 30 अक्टूबर 2023 तथा 13 फरवरी 2024 को आयोजित की गईं।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) एवं दूरसंचार विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 01 सितम्बर 2023 से 15 सितम्बर 2023 तक "हिंदी पखवाड़ा 2023" का आयोजित किया गया, जिसके दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी प्रश्नोत्तरी, गीत/कविता पाठ, आशुभाषण, टंकण गति, निबंध लेखन, राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, शब्दावली एवं व्याकरण आदि के साथ–साथ भादूविप्रा संवर्ग के ड्राइवरों एवं एमटीएस के लिए हिंदी श्रुतलेख एवं सुलेख प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हिंदी दिवस, 14 सितम्बर 2023 के अवसर पर कार्यालय में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का राजभाषा संदेश प्रसारित किया गया। दिनांक 22 सितम्बर 2023 को सदस्य, भादूविप्रा की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ाने के लिए भादूविप्रा में पिछले 13 वर्षों से अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रोत्साहन योजना अर्थात "वार्षिक प्रोत्साहन योजना" चल रही है। इस योजना के तहत, योजना अवधि के दौरान हिंदी में सरकारी कामकाज करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 10 नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। यह योजना कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुई है और इसने अधिकारियों को पूरे वर्ष अपना अधिकांश सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण और प्रारूपण करने की सुविधा प्रदान करने तथा उन्हें संघ सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान, क्रमशः दिनांक 30 मई 2023, 19 जुलाई 2023, 18 अक्टूबर 2023 तथा 31 जनवरी 2024 को कुल चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

हिंदी पखवाड़ा – 2023, पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 22 सितम्बर 2023 को किया गया।

4.32 आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण का कार्यान्वयन

भादूविप्रा पदोन्नति करते समय पात्र श्रेणियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों का पालन करता रहा है। आरक्षित श्रेणियों के विशेष प्रतिनिधित्व से संबंधित निर्देशों के कार्यान्वयन की देखभाल के लिए निदेशक स्तर के एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

4.33 अन्य विनियामकों के साथ सहयोग

नई आईसीटी प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ, आईसीटी सेवाओं का विनियमन नई चुनौतियां पेश कर रहा है। इस क्षेत्र में नवाचार नई तरह की सेवाएं ला रहा है। 5जी, एआई, एम2एम, एआर/वीआर आदि जैसी तकनीकों का वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा आदि सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। नई प्रौद्योगिकियों के साथ आईसीटी नवाचार इन क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगे। इन सेवाओं द्वारा उत्पन्न अतिव्यापी विनियामक मुद्दों के क्रॉस–सेक्टोरल निहितार्थ होंगे। क्रॉस–सेक्टोरल सहयोगी विनियमन के महत्व को पहचानते हुए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) आईसीटी विनियमन के लिए एक नए दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता की वकालत कर रहा है, जिसे 5जी सहयोगी विनियमन कहा जाता है। आईटीयू ने यह मापने के लिए 5जी बेंचमार्क इंडेक्स विकसित किया है कि कैसे देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में समग्र डिजिटल सहयोगी विनियमन और नीति निर्माण में परिवर्तन करते हैं भादूविप्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र में अंतर–क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है।

4.33.1 भारतीय विनियामकों का मंच (फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स)

भादूविप्रा अगस्त 2016 से फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स (एफओआईआर) का सदस्य रहा है, जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) और अन्य क्षेत्र के विनियामकों जैसे प्रमुख बंदरगाहों के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी), भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) आदि के सदस्यों से मिलकर बना एक संगठन है। भादूविप्रा नियमित रूप से एफओआईआर की सभी गतिविधियों जैसे एजीएम, जीबीएम और एफओआईआर के सदस्यों के लिए संगोष्ठी आदि में भाग लेता है।

प्राधिकरण की पहल पर, फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स (एफओआईआर) ने अपनी 21वीं वार्षिक आम सभा में "दूरसंचार विनियामक और बिजली नियामकों के बीच क्रॉस सेक्टर सहयोगात्मक विनियमन" पर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया था। कार्य समूह में भादूविप्रा के साथ–साथ सीईआरसी, एसईआरसी, डिस्कॉम, दूरसंचार लाइसेंसधारियों और सीटीयू का प्रतिनिधित्व था। कार्य समूह ने कुछ मुद्दों की पहचान की और निम्नलिखित विषयों पर एफओआईआर को अपनी अनुशंसाएँ दीं:

1. एक केंद्रीकृत पोर्टल का विकास और परिसंपत्तियों का जीआईएस मानचित्रण
2. विद्युत उपयोगिता कम्पनियों की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण
3. ट्रांसमिशन टावरों पर दूरसंचार एंटेना और संबंधित उपकरणों की स्थापना
4. विद्युत सबस्टेशन भूमि और भवन जैसी ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों का उपयोग करना
5. बिजली के खंभों पर स्मॉल सेल और एरियल फाइबर की तैनाती।

एफओआईआर की 49वीं शासी निकाय बैठक में कार्य समूह की अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गईं। बैठक के दौरान, एफओआईआर की आम सभा ने इस रिपोर्ट को सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) को प्रसारित करने का निर्णय लिया ताकि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी डिस्कॉम के बीच अनुशंसाओं का प्रसार किया जा सके क्योंकि यह डिस्कॉम का बुनियादी ढांचा होगा जिसका उपयोग 5जी सेल और संबंधित उपकरण स्थापित करने के लिए किया जाएगा।

5जी की अपार क्षमता और संभावित योगदान को देखते हुए, एफओआईआर ने 5जी और संबंधित प्रौद्योगिकियों जैसे एआईएमएल/आईओटी/एम2एम/एआर/वीआर/इंडस्ट्री 4.0 आदि को अपनाने से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए एक समूह की स्थापना की है, जो एफओआईआर में प्रतिनिधित्व वाले विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली क्षेत्र, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रियल एस्टेट, खाद्य उद्योग आदि में क्षेत्र–विशिष्ट अनुप्रयोगों के साथ–साथ विनियामकों के लिए डेटा एनालिटिक्स, कार्यालय प्रबंधन, एमआईएस आदि में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए है।

4.33.2 विनियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर)

डिजिटल दुनिया में भविष्य के विनियामक निहितार्थों का अध्ययन करने और भविष्य के विनियमनों पर सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए भादूविप्रा की पहल पर विनियामकों की एक संयुक्त स्थायी समिति बनाई गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), उपभोक्ता मामले मंत्रालय और भादूविप्रा के प्रतिनिधि समिति के सदस्य हैं। पिछली कुछ बैठकों का केंद्रबिन्दु दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके अवांछित वाणिज्यिक संचार (स्पैम) को रोकने के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार करना था। बैठकों में भाग लेने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है।

अनुलग्नक – I

दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों (ऑफ़लाइन / ऑनलाइन) की सूची

क्र. सं.	संगठन	प्रशिक्षण के विषय	प्रशिक्षण मोड	कार्यक्रम का स्थान	अवधि	
1	आईआईसीए	प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमन में उन्नत व्यावसायिक पाठ्यक्रम	ऑनलाइन	ऑनलाइन	मई–23	अक्टूबर–23
2	एनआईटीएस	जागरूकता कार्यक्रम / दस्तावेज़ीकरण / आंतरिक लेखा	ऑफलाइन	भादूविप्रा	14.06.2023	15.06.2023
3	द आर्ट ऑफ लिविंग	आर्ट ऑफ लिविंग – ध्यान और श्वास कार्यशाला	ऑफलाइन	भादूविप्रा	19.06.2023	23.06.2023
4	द आर्ट ऑफ लिविंग	व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए योग्यताओं का निर्माण	ऑफलाइन	बेंगलुरु	10.07.2023	14.07.2023
5	भादूविप्रा, मुख्यालय	ओरिएंटेशन / प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण	ऑफलाइन	नई दिल्ली	08.08.2023	08.08.2023
6	आईटीयू	बेसिक फोन और मोबाइल के लिए सेवा की गुणवत्ता प्रौद्योगिकी और विनियमन पर ITU ई–लर्निंग पाठ्यक्रम	ऑनलाइन	ऑनलाइन	21.08.2023	28.08.2023
7	एमडीआई	व्यावसायिक सफलता के लिए संचार शैलियाँ	ऑफलाइन	एमडीआई, गुडगाँव	11.09.2023	13.09.2023
8	आईआईसीए	प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमन में उन्नत व्यावसायिक पाठ्यक्रम	ऑनलाइन	ऑनलाइन	15.09.2023	15.02.2024
9	एनपीसी	टीम निर्माण और प्रभावी संचार के माध्यम से उत्पादकता में सुधार	ऑफलाइन	गोवा	18.09.2023	22.09.2023
10	आईआईएम	व्यवसाय के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग	ऑफलाइन	आईआईएम, अहमदाबाद	18.09.2023	23.09.2023
11	एमडीआई	प्रेरक संचार की कला	ऑफलाइन	एमडीआई, गुडगाँव	20.09.2023	22.09.2023
12	आईटीयू	5जी नेटवर्क के तकनीकी, व्यावसायिक और विनियामक पहलू	ऑनलाइन	ऑनलाइन	25.09.2023	02.10.2023
13	सीबीसी	फिनटेक पर क्षमता निर्माण कार्यशाला	ऑफलाइन	नई दिल्ली	26.09.2023	26.09.2023
14	आईआईएम	डिजिटल युग में रणनीतिक नेतृत्व और नवाचार	ऑफलाइन	आईआईएम, बैंगलोर	04.10.2023	06.10.2023
15	एनपीसी	सचिवीय प्रभावशीलता और कार्यालय प्रबंधन पर उन्नत पाठ्यक्रम	ऑफलाइन	गोवा	09.10.2023	13.10.2023
16	एनपीसी	सरकारी संगठनों के लिए सेवाओं में भर्ती नियम और आरक्षण	ऑफलाइन	पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	09.10.2023	17.10.2023

17	दूरसंचार विभाग	जेम की विशेषताओं और कार्यक्षमताओं में नए अपडेट/संवर्द्धन	ऑफलाइन	कॉन्फ्रेंस हॉल, 13वीं मंजिल, संचार भवन	11.10.2023	11.10.2023
18	एनपीसी	संगठनात्मक प्रभावशीलता और उत्पादकता के लिए भावी नेतृत्व विकास कार्यक्रम	ऑफलाइन	उदयपुर	16.10.2023	20.10.2023
19	डीपीआईआईटी	आईएमएफ के माध्यम से सेवाएं पीपीआई	ऑफलाइन	उद्योग भवन	01.11.2023	09.11.2023
20	एफओआईआर	"विनियामक शासन" विषय पर चार माह का सर्टिफिकेट कोर्स	ऑनलाइन	एफओआईआर–आईआईसीए, मानेसर	04.11.2023	04.11.2023
21	एफओआईआर	विनियामक प्रशासन को संचालित करनारू वीयूसीए परिदृश्य में अनुपालन और नवाचार को संतुलित करना	ऑफलाइन	गोवा	21.11.2023	23.11.2023
22	एनएलयू	दूरसंचार क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामान्य कानूनी ढांचा	ऑफलाइन	एनएलयू, दिल्ली	04.12.2023	06.12.2023
23	आईटीयू	इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख पहलू और शासन	ऑनलाइन	ऑनलाइन	11.12.2023	18.12.2023
24	आईआईएम	नेतृत्व के लिए विश्लेषण	ऑफलाइन	आईआईएम, लखनऊ	13.12.2023	15.12.2023
25	नाईलिट	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट,	ऑफलाइन	इंद्रलोक, दिल्ली	18.12.2023	22.12.2023
26	द आर्ट ऑफ लिविंग	व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए योग्यताओं का निर्माण	ऑफलाइन	बेंगलुरु	08.01.2024	12.01.2024
27	एनपीसी, बेंगलुरु	निर्णय लेने और समस्या समाधान के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम	ऑफलाइन	गोवा	08.01.2024	12.01.2024
28	सेनजॉज	ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट और अवार्ड्स (जीएआईएसए) 2024	ऑफलाइन	मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट	18.01.2024	19.01.2024
29	आईआईएम	गैर–वित्तीय अधिकारियों के लिए वित्त	ऑफलाइन	आईआईएम, इंदौर	30.01.2024	02.02.2024
30	एनईजीडी	साइबर सुरक्षित भारत प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑफलाइन	दिल्ली	05.02.2024	09.02.2024
31	एजेएनआईएफएम	उन्नत एमएस–एक्सेल और डेटा विश्लेषण	ऑफलाइन	एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद	19.02.2024	23.02.2024
32	एनपीसी	प्रभावी कार्यालय प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन	ऑफलाइन	पोर्ट ब्लेयर	19.02.2024	23.02.2024
33	एनटीआईपीआरआईटी	गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑफलाइन	हयात रीजेंसी, भीकाजी कामा प्लेस	12.03.2024	13.03.2024
34	एनपीसी, गांधीनगर	व्यवस्थित समस्या समाधान संघर्ष समाधान और परिवर्तन प्रबंधन	ऑफलाइन	गंगटोक, सिक्किम	18.03.2024	22.03.2024
35	आर्थिक कार्य विभाग	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) – एक बुनियादी परिप्रेक्ष्य	ऑफलाइन	एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद हरियाणा	18.03.2024	22.03.2024

ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षित लेखा

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के वार्षिक लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की संलग्न बैलेंस शीट और उस तारीख समाप्त होने वाले वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते और प्राप्तियां एवं भुगतान खातों का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी 2000 में संशोधित) की धारा 23 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों व प्रकटीकरण मानदंडो आदि के अनुसरण में केवल वर्गीकरण के संबंध में लेखा पद्धतियों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां हैं। क्षमता व निष्पादन पहलुओं तथा कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो तो वे अलग से निरीक्षण रिपोर्टों / सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की जाती हैं।
3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यों की गलतबयानी से मुक्त हों। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थित करते प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।
4. **हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:**
   i. हमने वे सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक थे।
   ii. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट तथा आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियां एवं भुगतान खाते को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेखाओं के प्रारूप में तैयार किए गए हैं। लेखा के एक समान प्रपत्र, जो इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त निकायों (एबी) के लिए लागू होता है।
   iii. हमारी राय में, उचित लेखा पुस्तकों और प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया है, जहाँ तक इस प्रकार के खातों के निरीक्षण से प्रतीत होता है।
   iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. आय एवं व्यय खाता

   1. **अचल संपत्तियां (अनुसूची–8)**

   पूंजीगत कार्य प्रगति पर है–शून्य

   दूरसंचार विभाग से प्राप्त अनुदान से नौरोजी नगर, दिल्ली में कार्यालय स्थान खरीदने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और एनएसएल को भुगतान की गई राशि को शामिल न किए जाने के कारण प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य की राशि ₹ 45453.04 लाख कम दर्शाई गई है। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूंजी में भी उतनी ही राशि कम दर्शाई है।

   यह लेखांकन के उपार्जन आधार का उल्लंघन है।

2. **चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11)**

पूर्व भुगतानः ₹ 12,13,618/–

उपरोक्त मद में ₹ 751.56 लाख की राशि कम दर्शाई गई है, क्योंकि इसमें दूरसंचार विभाग से नौरोजी नगर दिल्ली में खरीदे गए कार्यालय स्थान के रखरखाव के लिए दो वर्षों के लिए प्राप्त किए गए अनुदान में से अग्रिम भुगतान को शामिल नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूंजी में भी उतनी ही राशि कम दर्शाई गई है।

3. **चालू देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची–7)**

प्रावधानः ₹ 44,55,33,235/–

वर्ष 2023–24 से संबंधित विभिन्न शीर्षों में व्यय का प्रावधान न किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹ 551.16 लाख की राशि कम दर्शाई गई है।

इसके परिणामस्वरूप आय में भी उतनी ही राशि अधिक दर्शाई गई है।

ख. आकस्मिक देयताएँ और लेखा नोट्स (अनुसूची–25)

पूंजी प्रतिबद्धता

नौरोजी नगर दिल्ली में नए खरीदे गए कार्यालय स्थान में आंतरिक कार्यों के विकास के लिए देय राशि का खुलासा न किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹ 2876.29 लाख की राशि कम दर्शाई गई है।

ग. सहायता अनुदान

(क) राजस्व अनुदानः

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 126.74 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 14.74 करोड़ के अप्रयुक्त शेष सहित) के सहायता अनुदान में से, ट्राई ने ₹ 105.34 करोड़ की राशि का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2024 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में ₹ 21.40 करोड़ का शेष रह गया।

(ख) पूंजी अनुदानः

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 248.26 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 46.71 करोड़ के अप्रयुक्त शेष और बिल्डिंग खाते के एफडीआर पर ब्याज के रूप में प्राप्त ₹ 1.65 करोड़ की राशि सहित) के सहायता अनुदान में से, ट्राई ने ₹ 145.05 करोड़ की राशि का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2024 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में ₹ 103.17 करोड़ का शेष रह गया।

पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट और आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

v. हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा पर लेखागत नीतियों तथा टिप्पणियों के साथ पठित, तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 में उल्लिखित अन्य मामलों तथा ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में एक सही तथा निष्पक्ष परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं:

क. जहां तक यह 31 मार्च 2024 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट से संबंधित है, तथा

ख. जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के आय एवं व्यय खाते से है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह0/–

(पुरुषोत्तम तिवारी)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली

दिनांकः 10.12.2024

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

हमें प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा जांचे गए बही खातों और अभिलेखों और हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. भादूविप्रा की आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए भादूविप्रा की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई और इसे सचिव, ट्राई द्वारा अनुमोदित किया गया। भादूविप्रा की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई का गठन आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए दिनांक 12 जुलाई 2013 के परिपत्र संख्या 1–25/2012–ए एंड पी के माध्यम से किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई को सचिव, ट्राई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईए) इकाई के प्रमुख हों।

इसके अलावा, आईएएन संख्या 50/2012 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई के मुख्य कार्यों के संबंध में भादूविप्रा में वास्तविक स्थिति की तुलना में निम्नलिखित देखा गया:

i. आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई को दिन–प्रतिदिन के वित्तीय लेन–देन की जाँच सुनिश्चित करनी थी और साथ ही दूरसंचार विभाग/ट्राई द्वारा अधिसूचित नियमों सहित सरकारी नियमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था।

   हालांकि, समय–समय पर ट्राई द्वारा जारी किए गए कुछ वित्तीय दंड के आदेशों के संबंध में ट्राई द्वारा लगाए गए वित्तीय दंड को पूरी तरह या आंशिक रूप से वसूला जाना बाकी है। आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस ओर ध्यान नहीं दिलाया गया था। यह दर्शाता है कि उपरोक्त उद्देश्य को ठीक से सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। यह बिंदु वित्त वर्ष 2022–23 के लेखा परीक्षा के दौरान भी उठाया गया था और प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया गया था।

ii. आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा सचिव, ट्राई को मासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना था। रिपोर्ट में वित्तीय लेन–देन में त्रुटियों के साथ–साथ प्रक्रियात्मक कमियों, लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई त्रुटियों/कमियों को दूर करने और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सुझाव/दिशानिर्देश शामिल होने थे।

   मासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सचिव, ट्राई को प्रस्तुत की जा रही थी। हालांकि, यह देखा गया कि मासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट एमआईएस डेटा के रूप में अनुभागों से प्राप्त सीमित इनपुट के आधार पर तैयार की जा रही थी।

iii. इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही है।

यह अपर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को इंगित करता है जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जवाबदेही दायित्वों को पूरा करने, कानूनों और नियमों का पालन करने, नैतिक, किफायती, कुशल और प्रभावी तरीके से संचालन के व्यवस्थित संचालन और नुकसान के खिलाफ परिसंपत्तियों की सुरक्षा का उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कारणों से पर्याप्त नहीं पाई गई है:

i. ट्राई द्वारा लगाए गए वित्तीय दंडों की वसूली के संबंध में कमजोर नियंत्रण।

ii. जीएसटी से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन में कमजोर नियंत्रण।

iii. कोई मासिक बजट निगरानी प्रणाली नहीं है और प्रत्येक गतिविधियों के लिए धन के आवंटन की समीक्षा किए बिना, व्यय किया जा रहा है या पुनर्विनियोजन किया जा रहा है, जिसके परिण ामस्वरूप व्यय में कमी हो सकती है। इसके अलावा, ट्राई वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित राशि वापस नहीं भेज रहा है। ये दी गई प्रथा, मौजूदा नियमों और संबंधित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है और इसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण हो सकता है।

3. अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल सम्पत्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव मैन्युयल रूप से और साथ ही कम्प्यूटरीकृत रूप में रखा जाता है। भौतिक सम्पत्तियों का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है।

हमारी राय में संगठन की अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त और इसके आकार और कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुओं जैसी वस्तुओं की इन्वेंट्री स्टॉक रजिस्टर में रखी जाती है और वर्ष के अंत में भौतिक सत्यापन किया जाता है।

हमारी राय में, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार और इसके कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य वैधानिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं थी।

ह0/–
(पुरुषोत्तम तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 10.12.2024

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में वर्ष 2023–24 के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर संक्षिप्त नोट

वर्ष 2023–24 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के वार्षिक खातों के प्रमाणीकरण के दौरान भादूविप्रा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया तथा इसके संबंध में रिपोर्ट निम्नानुसार हैः

1. संगठनात्मक ढांचा

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्ण–कालिक सदस्य और दो अंश–कालिक सदस्य होते हैं, जिन्हें सचिव द्वारा उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान की जाती है। भादूविप्रा के सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है और वह सात कार्यात्मक प्रभागों अर्थात (i) प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (ए एण्ड आईआर) (ii) प्रसारण एवं केबल सेवा (बी एण्ड सीएस) (iii) वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एण्ड ईए) (iv) नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) (v) सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) (vi) विधि प्रभाग (vii) उपभोक्ता मामले एवं सूचना प्रोद्योगिकी (सीए एण्ड आईटी) के माध्यम से कार्य करता है। इनमें से प्रत्येक प्रभाग का नेतृत्व एक प्रधान सलाहकार/सलाहकार करते हैं और वे सचिव को रिपोर्ट करते हैं। प्रत्येक प्रधान सलाहकार / सलाहकार की सहायता के लिए उप–सलाहकार या संयुक्त सलाहकार होते हैं, जिन्हें संबंधित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2. नीतियां एवं प्रक्रियाएं

कर्मचारियों / अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन निर्धारण, परामर्शदाताओं की अवधि बढ़ाने, व्यक्तिगत दावों के निपटान, यात्रा भत्तों के दावों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों तथा विभिन्न मामलों पर विनियमों का निर्माण भादूविप्रा अधिनियम के अनुसार किया जाता है। जहाँ कहीं भी कुछ कमियां पायी जाती हैं, उन्हें चालू वर्ष के लिए लेन–देन लेखा परीक्षा की निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित किया जाता था।

3. आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और स्वतंत्रता

भादूविप्रा का अपना स्वयं का आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है, जिसका गठन दिनांक 12 जुलाई 2013 के परिपत्र संख्या 1–25/2012–ए एंड पी के माध्यम से किया गया था, जिसमें वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईए) इकाई के प्रमुख हों, जो सीधे सचिव ट्राई को रिपोर्ट करता है। भादूविप्रा का आंतरिक लेखा परीक्षा वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए आयोजित किया गया था और सचिव, ट्राई द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इसके अलावा, आईएएन संख्या 50/2012 में निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई के मुख्य कार्यों के संबंध में भादूविप्रा में वास्तविक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित देखा गयाः

i. आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई को दिन–प्रतिदिन के वित्तीय लेन–देन की जाँच सुनिश्चित करनी थी और साथ ही दूरसंचार विभाग/ट्राई द्वारा अधिसूचित नियमों सहित सरकारी नियमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था।

   हालांकि, समय–समय पर ट्राई द्वारा जारी किए गए कुछ वित्तीय दंड के आदेशों के संबंध में ट्राई द्वारा लगाए गए वित्तीय दंड को पूरी तरह या आंशिक रूप से वसूला जाना बाकी है। आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस ओर ध्यान नहीं दिलाया गया था। यह दर्शाता है

कि उपरोक्त उद्देश्य को ठीक से सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। यह बिंदु वित्त वर्ष 2022–23 के लेखा परीक्षा के दौरान भी उठाया गया था और प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया गया था।

ii. आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा सचिव, ट्राई को मासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना था। रिपोर्ट में वित्तीय लेनदेन में त्रुटियों के साथ–साथ प्रक्रियात्मक कमियों, लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई त्रुटियों/कमियों को दूर करने और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सुझाव/दिशानिर्देश शामिल होने थे।

मासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सचिव, ट्राई को प्रस्तुत की जा रही थी। हालांकि, यह देखा गया कि मासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट एमआईएस डेटा के रूप में अनुभागों से प्राप्त सीमित इनपुट के आधार पर तैयार की जा रही थी।

iii. इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही है।

यह अपर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को इंगित करता है जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

4. नकद प्राप्तियां और संवितरण

नकदी की प्राप्ति और संवितरण से संबंधित कार्य डीडीओ (वित्त) की देखरेख में कैशियर द्वारा किया जाता है। कैश बुक कैशियर की अभिरक्षा में रहती है और नकदी का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित नकद शेष की अधिकतम सीमा रखी जा रही है।

5. भादूविप्रा सामान्य निधि

भादूविप्रा सामान्य कोष का रखरखाव दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा किया जाता है, भादूविप्रा को भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों को इस कोष में अलग से जमा किया जाता है। भादूविप्रा का व्यय दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अनुदानों से पूरा किया जाता है जारी किए गए अनुदानों के संबंध में भादूविप्रा दूरसंचार विभाग को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है।

6. स्थायी सम्पत्तियां

स्थायी सम्पत्तियों के रजिस्टर का रख–रखाव मैन्युअल रूप से और कंप्युटरीकृत रूप द्वारा भी किया जाता है। सम्पत्तियों / स्टोरों का भौतिक सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

7. नकद प्राप्तियां और संवितरण

भुगतान के लिए वित्त प्रभाग के पास अग्रेसित सक्षम प्राधिकारी की सभी स्वीकृतियों का, वर्तमान नियमों/ आदेशों, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन, लेखा मदों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के साथ जांच की जाती है, तदनुसार भुगतान के अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं। प्राधिकारी के आदेश जो कि भारत सरकार के निर्णयों / आदेशों के अनुसार नहीं हैं उन्हें वित्त प्रभाग द्वारा संशोधित किया जाता है।

8. कर्मचारियों के लिए वेतन निधियां / व्यक्तिगत ऋण और अग्रिम

भादूविप्रा के कर्मचारियों को वेतन / ऋण और अग्रिम समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और भुगतान किए जाते हैं।

9. बैंक में जमा / बैंक मिलान

संबंधित विभाग से स्वीकृति के आधार पर चेक जारी किए जाते हैं। भादूविप्रा एक चेक इश्यू रजिस्टर का रखरखाव करता है जिसमें प्राप्त किए गए और जारी किए गए चेकों का विवरण लिखा जाता है। बैंक मिलान विवरणों को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। सरकारी अनुदानों के माध्यम से प्राप्त निधियों को बैंक के चालू खातों में रखा जाता है।

10. एचबीए / एमसीए / कंप्यूटर / स्कूटर अग्रिम का रजिस्टर

भादूविप्रा द्वारा अपने कर्मचारियों को एचबीए / एमसीए / कंप्युटर / स्कूटर अग्रिम का भुगतान किया जा रहा है। अपने कर्मचारियों को इन अग्रिमों का भुगतान करते समय भादूविप्रा उन कर्मचारियों के पैरेंट / मूल कार्योलयों के डेबिट शेष पर विचार करता रहा है।

ह0/–
(पुरुषोत्तम तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 10.12.2024

अस्वीकृतिः "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	राजस्व चालू वर्ष 2023–24	राजस्व पिछला वर्ष 2022–23
बिक्री/सेवाओं से आय	**12**		
अनुदान/सब्सिडी	13	112,00,00,000	97,18,00,000
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों मे किए निवेश से आय – निधियों मे अंतरित)	15	0	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि के लिए आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	2,11,25,084	44,00,852
अन्य आय	18	6,13,219	2,79,457
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) और प्रगति पर कार्य	19	-	-
कुल (क)		**114,17,38,303**	**97,64,80,309**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	57,25,59,306	53,16,80,523
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	52,51,51,989	53,71,31,773
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)		1,82,66,144	1,79,37,025
कुल (ख)		**111,59,77,439**	**108,67,49,321**
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		-	-
विशेष आरक्षित को अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		-	-
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		-	-
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष		**2,57,60,864**	**(11,02,69,012)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	[रिक्त]	ह0/–
सलाहकार (एफ एंड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

	अनुसूची	राजस्व	
		चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
संग्रह/पूंजीगत निधि	1	(12,61,70,284)	(15,19,31,148)
आरक्षित एवं अधिशेष	2		
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3	101,56,29,492	46,71,36,490
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4	-	-
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5	-	-
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	47,40,80,878	42,70,11,627
कुल		**136,35,40,086**	**74,22,16,969**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	8,52,71,365	8,68,19,200
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	127,82,68,721	65,53,97,769
विविध खर्चे			
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**136,35,40,086**	**74,22,16,969**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	[रिक्त]	ह0/–
सलाहकार (एफ एंड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
अनुसूची 1 – संग्रह/पूंजीगत निधि

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
वर्ष के आरंभ में शेष	(15,19,31,148)	(4,16,62,136)
जोड़े/घटाएं: संग्रह/पूंजीगत निधि की ओर योगदान		
जोड़े (कटौतीं): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय /(व्यय) का शेष आय और व्यय खाता	2,57,60,864	(11,02,69,012)
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**(12,61,70,284)**	**(15,19,31,148)**

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि ₹ में)

		राजस्व	
		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	**पूंजी आरक्षितः**	-	-
	पिछले खाते के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2.	**पुनर्मल्यांकन आरक्षितः**	-	-
	पिछले खाते के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3.	**विशेष आरक्षितः**	-	-
	पिछले खाते के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4.	**सामान्य आरक्षितः**	-	-
	पिछले खाते के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	कुल	-	-

हo /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
अनुसूची 3 – निर्धारित / बंदोबस्ती निधि

(राशि ₹ में)

	निधि–वार ब्रेकअप				राजस्व	
	बिल्डिंग निधि	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाइ	निधि जैड जैड	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
क) निधि का आरंभिक शेष	46,71,36,490					
ख) निधि में वृद्धि						
(i) दान / अनुदान						
(ii) निधि के खाते में निवेश से आय						
(iii) अन्य जमा (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)						
(iv) बिल्डिंग के लिए डीओटी से मिली निधि	199,90,00,000					
कुल (क + ख)	**246,61,36,490**					
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय					शून्य	शून्य
– स्थायी परिसंपत्ति						
– अन्य	145,05,06,998					
– बिल्डिंग अग्रिम निधि एनबीसीसी						
कुल						
ii. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि						
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल						
कुल (ग)	**145,05,06,998**					
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)	**101,56,29,492**					

टिप्पणियां

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए।

2) शेष राशि, भादूविप्रा के मौजूदा खाते में पड़ी हुई है जिसे चालू परिसम्पत्तिगत ऋणों और अग्रिमों की अनुसूची 11 में दर्शाया गया है।

ह0 /–

कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
अनुसूची 4 – प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

		राजस्व	
		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	केंद्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3.	वित्तीय संस्थाएं	-	-
4.	बैंक	-	-
	क) सावधि ऋण	-	-
	– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
	ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
	– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5.	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6.	डिबेंचर और बांड	-	-
7.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल	-	-

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 5 – अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

		राजस्व	
		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	केंद्र सरकार	-	-
2.	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3.	वित्तीय संस्थाएं	-	-
4.	बैंक	-	-
	क) सावधि ऋण	-	-
	– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
	ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
	– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5.	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6.	डिबेंचर और बांड	-	-
7.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल	-	-

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि ₹ में)

		राजस्व	
		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क)	पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख)	अन्य	-	-
	कुल	-	-

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता		
2) विविध ऋणदाता	-	-
क) वस्तुओं के लिए	-	-
ख) अन्य	-	-
3) प्राप्त अग्रिम	-	-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:	-	-
क) प्रतिभूति ऋण/उधार	-	-
ख) अप्रतिभूति ऋण/उधार	-	-
5) सांविधिक देयताएं	-	-
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	-	-
6) अन्य चालू देयताएं	-	-
1) भादूविप्रा सामान्य निधि(ईएमडी) के लिए	36,62,308	12,73,442
2) टेलीमार्केटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए	57	2,663
3) टेलीमार्केटर्स से जुर्माना	-	-
4) वित्तीय दंड	2,48,85,278	3,48,49,557
कुल (क)	**2,85,47,643**	**3,61,25,662**
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए	-	-
2. उपदान	13,04,53,912	11,77,99,638
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
4. संचित अवकाश नकदीकरण	14,96,30,746	13,52,60,117
5. व्यापार वारंटी/दावे	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
व्यय के लिए प्रावधान	16,54,48,577	13,78,26,210
कुल (ख)	**44,55,33,235**	**39,08,85,965**
कुल (क+ख)	**47,40,80,878**	**42,70,11,627**

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियाँ

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां:										
	.	.	.	.	.	.		.	.	.
1. भूमि	.	.	.	.	.	.		.	.	.
क) फ्रीहोल्ड	.	.	.	.	.	.	.	.		
ख) लीजहोल्ड										
	.		.	.		.	.	.	.	.
2. भवन	.	.	.	.	.	.		.	.	.
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	.		.	.		.		.	.	.
ख) लीजहोल्ड भूमि पर	.		.	.	.	.	.	.		.
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	.	.	.	.	.		.	.		.
घ) भूमि पर अतिसंरचना										
संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण										
4. वाहन	72,63,697			72,63,697	46,73,332	5,18,515		51,91,847	20,71,850	25,90,365
5. फर्नीचर, फिक्सचर	2,98,80,687	27,272		2,99,07,959	2,58,00,862	7,52,807		2,65,53,669	33,54,290	40,79,825
6. कार्यालय उपस्कर	4,92,76,208	18,26,649		5,11,02,857	4,29,23,819	24,76,219		4,54,00,038	57,02,819	63,52,389
7. कंप्यूटर/ पेरिफिरल	15,16,78,337	1,46,89,914	12,65,650	16,51,02,601	8,44,91,504	1,15,41,154		9,60,32,658	6,90,69,943	6,71,86,833
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन	1,17,82,757	13,23,475		1,31,06,232	1,00,95,310	7,11,507		1,08,06,817	22,99,415	16,87,447
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	45,14,124	1,16,650		46,30,774	44,45,087	56,893		45,01,980	1,28,794	69,037
10 ऑडिटोरियम	2,20,90,493			2,20,90,493	1,72,37,189	22,09,050		1,94,46,239	26,44,254	48,53,304
चालू वर्ष का योग	**27,64,86,303**	**1,79,83,960**	**12,65,650**	**29,32,04,613**	**18,96,67,103**	**1,82,66,145**	**0**	**20,79,33,248**	**8,52,71,365**	**8,68,19,200**
गत वर्ष	**25,62,24,256**	**2,04,98,047**	**2,36,000**	**27,64,86,303**	**17,17,44,561**	**1,79,37,025**	**14,483**	**18,96,67,103**	**8,68,19,200**	**8,44,79,695**
ख)पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10 – निवेश अन्य

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-	-
कुल	-	-

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड	-	-
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह महीने की अवधि से अधिक के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	34,444	95,729
4. बैंक शेषः		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता भादूविप्रा सामान्य निधि पर	25,10,857	14,73,69,502
बिल्डिंग फंड (भादूविप्रा के नए भवन के लिए)	97,91,80,856	9,66,490
– चालू खाता पंजीकरण शुल्क पर	57	2,056
टेलीमार्केटर्स से जुर्माना	0	0
– बचत खाते पर ग्राहक शिक्षा शुल्क	0	0
– बचत खाते पर वित्तीय निवर्तक	2,48,85,278	3,48,49,557
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा (मुख्य खाता)	21,15,00,000	46,61,70,000
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा (भवन खाता)	5,26,80,000	
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता पर	0	0
– जमा खाता पर	0	0
– बचत पर	0	0
5. डाकघर–बचत खाता	0	0
कुल (क)	**127,07,91,492**	**64,94,53,334**

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

जारी...

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण	.	.
क) स्टाफ	-	-
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को टीए, एलटीसी एवं त्यौहार अग्रिम)	57,65,817	32,57,231
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः	-	-
क) पूंजीगत खाते पर		
ख) पूर्व भुगतान	12,13,618	20,97,547
ग) अन्य	-	-
3. प्रोद्भूत आय	-	-
क) निधार्रित/अक्षय निधियों से निवेश पर		
ख) निवेश – अन्य पर		
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	4,97,794	5,68,698
घ) अन्य		
(देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
4. प्राप्तयोग्य दावे	-	20,959
कुल (ख)	**74,77,229**	**59,44,435**
कुल (क+ख)	**127,82,68,721**	**65,53,97,769**

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. बिक्री से आय	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं ब्रोकरेज	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 13 – अनुदान / सब्सिडी

	राजस्व	
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. केंद्र सरकार	112,00,00,000	97,18,00,000
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (स्वच्छ भारत)	-	-
कुल	**112,00,00,000**	**97,18,00,000**

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	-	-
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(राशि ₹ में)

	निर्धारित निधियों से निवेश	
	राजस्व	
(निर्धारित/अक्षयनिधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. ब्याज	-	-
क) सरकारी प्रतिभूति पर	-	-
ख) अन्य बॉन्ड / डिबेंचर्स	-	-
2. लाभांश	-	-
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
निर्धारित / अक्षयनिधियों को अंतरित		

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. विविध से आय	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023.24	पिछला वर्ष 2022.23
1. सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) फ्लेक्सी खाते – मुख्य खाता	45,56,484	44,00,852
ड़) फ्लेक्सी खाते – भवन निधि	165,68,600	-
2. बचत खातों पर	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर	-	-
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-
कुल	**2,11,25,084**	**44,00,852**

टिप्पणी– स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया गया है

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ	-	-
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	4,38,933	2,72,619
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	1,74,286	6,838
5. टेलीमार्किटर्स से पंजीकरण शुल्क	-	-
6. टेलीमार्किटर्स से ग्राहक शिक्षा शुल्क	-	-
7. टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	-	-
8. वित्तीय निवर्तक	-	-
कुल	**6,13,219**	**2,79,457**

अनुसूची 19 – निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/ (कमी)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क) अंतिम स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– प्रगतिशील कार्य	-	-
ख) घटाएँ: आंरभिक स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– प्रगतिशील कार्य	-	-
नवल वृद्धि / (कमी) (क – ख)	-	-

अनुसूची 20– स्थापना व्यय

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क) वेतन एवं मजदूरी	45,06,18,375	41,76,85,587
ख) भत्ते एवं बोनस	4,48,190	4,98,565
ग) भविष्य निधि में योगदान	2,64,66,215	2,36,21,258
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च	16,50,715	12,45,119
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ	7,21,75,873	6,95,07,195
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को एलटीसी, मेडिकल और स्टाफ को ओटीए)	2,11,99,938	1,91,22,799
कुल	**57,25,59,306**	**53,16,80,523**

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क) विद्युत एवं पॉवर	50,16,256	49,12,449
ख) बीमा और बैंक शुल्क	1,54,824	1,53,137
ग) मरम्मत एवं रखरखाव	62,43,072	94,90,467
घ) किराया, दर और कर	33,32,88,151	32,61,58,011
ड़) वाहन चालन एवं रखरखाव	17,66,393	20,19,290
च) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	1,84,04,784	1,00,71,632
छ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	15,48,046	33,73,526
ज) यात्रा एवं परिवहन व्यय	5,03,72,402	5,35,13,154
झ) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय	82,14,472	1,53,06,149
ञ) अंशदान व्यय	68,10,212	75,64,692
ट) पूर्व अवधि के खर्च	(2,08,29,902)	33,51,173
ठ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	5,50,000	2,80,000
ड) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क	23,66,954	7,25,512
ढ़) पेशेवर शुल्क	4,07,46,147	4,12,82,284
ण) परामर्श और प्रशिक्षण	64,31,916	69,69,966
त) सॉफ्टवेयर विकास व्यय	54,88,732	33,38,140
थ) विज्ञापन एवं प्रचार	14,67,964	9,07,109
द) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि के लिए भुगतान)	5,70,91,964	4,77,15,082
ध) लघु एवं अतिरिक्त वसूली	19,602	-
कुल	**52,51,51,989**	**53,71,31,773**

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया सब्सिडी	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 – ब्याज

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष / अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	राजस्व चालू वर्ष 2023-24	राजस्व पिछला वर्ष 2022-23
I. आरंभिक शेष		
क) हाथ में नकदी	95,729	25,844
i) चालू खाते में		21,37,59,848
ii) बिल्डिंग फंड में जमा खाते में	9,66,490	5,42,113
iii) भादूविप्रा सामान्य निधि में	14,73,69,502	
iv) बचत खाते पर जुर्माना		123
v) बिल्डिंग फंड एफडी	46,71,70,000	
पंजीकरण शुल्क	2,056	1,310
ग्राहक शिक्षा शुल्क		
वित्तीय निवर्तक	3,48,49,557	1,13,90,037
II- प्राप्त अनुदान		
क) केंद्र सरकार से	112,00,00,000	97,18,00,000
ख) राज्य सरकार से		
ग) बिल्डिंग फंड के लिए डीओटी से प्राप्त अनुदान	199,90,00,000	135,60,00,000
(पूंजी या राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दर्शाया गया है)		
III. निम्न में निवेश से आय		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	1,65,68,600	1,84,03,798
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)		
IV. प्राप्त ब्याज		
क) बैंक जमा पर	45,56,484	44,00,852
ख) ऋण, अग्रिम आदि	91,863	98,907
ग) विविध		
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
विविध आय के लिए	6,13,219	2,79,457
VI. उधार ली गई राशि		
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)		
प्रतिभूति जमा से	24,38,888	4,35,055
अन्य अग्रिम	8,83,929	
परिसंपत्तियों की बिक्री से		
वाहन की बिक्री पर अग्रिम		
पंजीकरण शुल्क से		746
ग्राहक शिक्षा शुल्क से		
टेलीमार्केटर्स से लिए जुर्माने से		
वित्तीय निवर्तक से	2,48,85,278	2,34,59,519
कुल	**3,81,84,91,595**	**260,05,97,609**

प्राप्ति	राजस्व चालू वर्ष 2023-24	राजस्व पिछला वर्ष 2022-23
I.व्यय		
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	54,13,68,104	49,89,28,925
ख) प्रशासनिक (अनुसूची 21 के अनुरूप)	50,17,45,941	52,30,85,602
II.विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान		
(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
बिल्डिंग फंड के लिए एनबीसीसी को किया गया भुगतान	145,05,06,998	91,04,49,420
III. किए गए निवेश एवं जमा		
क) निर्धारित/अक्षयनिधि से		
ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)		
ग) भवन निधि में से सावधि जमा	97,91,80,856	9,66,490
घ) भादूविप्रा सामान्य निधि में से सावधि जमा	5,26,80,000	46,35,30,000
IV. स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय		
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	1,67,18,310	2,02,96,520
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
ग) टेलीमार्केटर पंजीकरण शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को	2,606	
ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को		
टेलीमॉर्टर्स से जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को		
वित्तीय दंड/जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को	3,48,49,557	
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा	25,08,587	10,23,809
VIII. अंतिम शेष		95,729
क) हाथ में नकदी	34,444	
ख) बैंक शेष		14,73,69,502
1) चालू खाता में – भादूविप्रा सामान्य निधि	25,10,857	2,056
i) चालू खाता में – पंजीकरण शुल्क	57	
ii) भादूविप्रा जमा खाता में	21,15,00,000	
2) बचत खाता		
i) ग्राहक शिक्षा शुल्क		
ii) टेलीमार्किटर्स से दंड		0
iii) वित्तीय निवर्तक	2,48,85,278	3,48,49,556
कुल	**381,84,91,595**	**260,05,97,609**

ह0/–	ह0/–	[रिक्त]	ह0/–
सलाहकार (एफ एंड ईए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 लेखा परंपराएं

(क) वित्तीय विवरण को ''एक समान खाते के प्रारूप'' में तैयार किया गया है जैसा कि लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके दिनांक 23 जुलाई, 2007 के पत्रांक संख्या एफ.सं. 19(1) /Misc-/2005/TA/450-490 के माध्यम से योजनागत तथा गैर–योजनागत दोनों क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से यथा अनुमोदित है।

(ख) चालू वर्ष अर्थात, 2023–24 के लिए लेखा संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) खाता बहियों में सभी निर्विवादित और ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपयों में समेकित कर दिया गया है।

(ड.) तथ्यों और इस मामले में शामिल कानूनी पहलुओं के सावधानी से मूल्यांकन के बाद आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है।

2 स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियों को आवक भाड़े, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष खर्च को समावेशी अधिग्रहण की लागत में दर्शाया गया है।

3 मूल्यह्रास

(क) अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची **II** के भाग ''सी'' में निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति से दिया गया है, जिसमें नीचे वर्णित श्रेणियों की संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन पर मूल्यह्रास उच्च दरों से लगाया गया है।

वर्ग	कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्यह्रास दर	लागू मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	19.00%	19.00% *
फर्निचर और फिक्स्चर	9.50%	10.00%
विद्युत उपस्कर	9.50%	10.00%
एयर कंडीशनर	9.50%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	6.33%	20.00%

* कार्यालय उपस्करों में कार्यालय संबंधी उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को मुहैया कराए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 03.01.2020 के आदेश संख्या 6–13/2019–एएंडपी के माध्यम से इन हैंडसेटों को दो वर्षों में मुहैया / बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 50% की दर से प्रभारित किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि के संबंध में, मूल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

(ग) 5000 / – रुपये या कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती हैं।

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

4 विदेशी मुद्रा निष्पादन

विदेशी मुद्राओं में नामित लेन–देन को लेन–देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5 सेवानिवृत्ति लाभ

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में दिनांक 31 मार्च 2024 के लिए समय–समय पर मौलिक नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान के लिए लेखा बहियों मे प्रावधान किया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, वर्ष 2023–24 के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्यूटी का प्रावधान बीमांकिक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6 सरकारी अनुदान

(क) सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों के आधार पर सरकारी अनुदानों को लेखाबद्ध किया गया है।

(ख) पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्केटर्स और वित्तीय नवर्तक पर दंड के रूप में प्राप्त राशि का हिसाब नकदी आधार पर किया गया है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1 आकस्मिक देयताएं

संस्था के खिलाफ ऋण के रूप स्वीकार नहीं किए गए दावे, वर्तमान वर्ष में (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)
अनुसूची–11 में दर्शाई गई बिल्डिंग फंड बैंक बैलेंस राशि 103.18 करोड़ रुपये है, जिसमें जीएसटी के 56.83 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो जीएसटी परिषद से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए हैं। इसलिए इसे आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाया गया है।

2 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर एक मूल्य है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

3 कराधान

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 32 के अनुसार, भादूविप्रा को संपत्ति और आय पर कर से छूट दी गई है।

4 अनुदान

वित्तीय वर्ष 23–24 के दौरान भादूविप्रा के दिन–प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए डीओटी से 112.00 करोड़ रुपये की राशि सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है।

5 निर्धारित अनुदान

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान भवन निधि के लिए सरकारी अनुदान के रूप में 199.90 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

6 पिछले वर्ष के आंकड़े

जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत / व्यवस्थित किया गया है।

ह0 /–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

7 विदेशी मुद्राओं में लेनदेन

विदेशी मुद्रा में व्ययः शून्य

(क) यात्रा : 1,19,79,431.00 रुपये की राशि विदेश यात्रा व्यय के रूप में खर्च की गई।

: विदेशी संस्थानों के लिए भागीदारी शुल्क के रूप में 63,98,153.00 रुपये की राशि का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया था।

(ख) वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज का भुगतान : शून्य

(ग) अन्य व्ययः : शून्य

8 1 से 25 तक की अनुसूचियों को संलग्न किया गया है और उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2024 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।

ह0/–	ह0/–	[रिक्त]	ह0/–
सलाहकार (एफ एंड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

ग) भादूविप्रा के वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के वार्षिक लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. **परिचय**

हमने दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के संलग्न तुलन–पत्र तथा भारत सरकार के दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) के अधीन जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 में नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान खाता की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना हमारा उत्तरदायित्व है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों व प्रकटन मानदंडो आदि के अनुसरण में केवल वर्गीकरण के संबंध में लेखा पद्धतियों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां हैं। क्षमता व निष्पादन पहलुओं तथा कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो तो वे अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यों की गलतबयानी से मुक्त हों। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थित करते प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   i. हमने वे सभी जानकारीयां व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक थेः

   ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां व भुगतान खाता को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 के नियम 5 के तहत लेखा महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित 'लेखा के एक समान प्रपत्र' में बनाए गए हैं।

   iii. हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता द्वारा उचित लेखा पुस्तकों व अन्य संबंधित रिकार्ड का समुचित रख–रखाव किया गया है।

   iv. हम यह सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान लेखा, लेखा–पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   v. हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः

      क. बैलेंस शीट
      वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11)
      बैंक बैलेंस
      जमा खातों पर (मार्जिन मनी शामिल है): 23,05,00,000/– रुपये

      ट्राई–सीपीएफ ने 189.86 लाख रुपये का ब्याज अर्जित किया, जिसे बैंकों द्वारा पुनर्निवेशित ब्याज राशि के रूप में संचयी सावधि जमा में जोड़ा गया। हालाँकि, इस राशि को ट्राई–सीपीएफ द्वारा सावधि जमा के बजाय अर्जित ब्याज के रूप में दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप सावधि जमाओं को कम करके दिखाया गया और अर्जित ब्याज को उसी राशि से अधिक करके दिखाया गया।

ख. प्राप्ति और भुगतान खाता

जमा खातों का प्रारंभिक और समापन शेष प्राप्ति और भुगतान खातों में नहीं दिखाया गया था। यह प्राप्ति और भुगतान खाते की तैयारी के लिए स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित खातों के समान प्रारूप के विरुद्ध है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची–24)

ट्रस्ट के वित्तीय विवरण निवेश से संबंधित लेखांकन नीति के गैर–प्रकटीकरण की सीमा तक अपूर्ण हैं। यह लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित लेखांकन मानक 1 का उल्लंघन है।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा पर लेखागत नीतियों तथा टिप्पणियों के साथ पठित, तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 में उल्लिखित अन्य मामलों तथा ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में एक सत्य तथा निष्पक्ष परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं:

क. जहां तक ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता के दिनांक 31 मार्च 2024 के मामलों की स्थिति के तुलन–पत्र से संबंधित है; तथा

ख. जहां तक ये उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह0/–
(पुरुषोत्तम तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली
दिनांक : 13.11.2024

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता।

हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरणों, लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा देखी गई पुस्तकों व रिकॉर्ड और हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान व विश्वास के अनुसार, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(1) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके आकार और इसके कार्य की प्रकृति के अनुरूप है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके आकार और इसके कार्य की प्रकृति के अनुरूप है।

ह0/–
(पुरुषोत्तम तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली
दिनांक : 13.11.2024

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता वर्ष 2023–24 के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी।

वर्ष 2023–24 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) – सीपीएफ खाता के संबंध में मौजूदा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन दिनांक 26–07–2024 से 05–08–2024 की अवधि के दौरान किया गया तथा इसके संबंध में रिपोर्ट निम्नानुसार है:

1. परिचय

दिनांक 10 अप्रैल, 2003 की भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 के नियम 3(1) के अनुपालन में दिनांक 5 मई, 2003 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)–अंशदायी भविष्य निधि (भादूविप्रा–सीपीएफ) खाता स्थापित की गई थी। कर्मचारियों की सीपीएफ कटौती सीपीएफ नियमों के अनुसार उनके वेतन से की जाती है और भादूविप्रा द्वारा कर्मचारी और साथ ही नियोक्ता के अंशदान का भुगतान, मासिक आधार पर प्रत्येक कर्मचारी की कटौती के विवरण के साथ भादूविप्रा–सीपीएफ खाते में जमा किया जाता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

भादूविप्रा–सीपीएफ खाते हेतु अलग से कोई कर्मचारी नहीं है। भादूविप्रा–सीपीएफ खाते का समग्र रखरखाव न्यासी मंडल द्वारा किया जाता है, जिनका गठन केवल भादूविप्रा के कर्मचारियों से ही किया जाता है। भादूविप्रा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उप. सलाहकार (एफ एण्ड ईए) न्यासी मंडल के सचिव हैं । मंडल के न्यासी निम्नलिखित हैं:

(i)	सलाहकार (प्रशासन)	:	अध्यक्ष (पदेन) भादूविप्रा सीपीएफ ट्रस्ट
(ii)	उप सलाहकार (मानव संसाधन)	:	न्यासी (पदेन)
(iii)	उप सलाहकार (एफ एंड ईए)	:	न्यासी (पदेन)
(iv)	अनुभाग अधिकारी (आइटी)	:	न्यासी
(v)	सहायक (बीबी एण्ड पीए)	:	न्यासी

न्यासी मंडल के सचिव भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के रखरखाव करने और न्यासी मंडल की बैठकों के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। न्यासी मंडल के सभी निर्णय उनकी आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

3. आंतरिक लेखा का कार्यक्षेत्र तथा स्वतंत्रता

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अपना स्वयं का लेखापरीक्षा प्रभाग है, जिसके प्रमुख वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईएयू) होते हैं। सीपीएफ खातों सहित आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए सचिव को प्रस्तुत की जाती है और तत्पश्चात् अपेक्षित सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित प्रभागों को अग्रेषित की जाती है। प्रभागों द्वारा की जाने वाली कारवाईयों की निरंतर व नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

4. निधियों की प्राप्ति व वितरण

निधियों की प्राप्ति एवं वितरण से संबंधित कार्य न्यासी मंडल के सचिव के अधीक्षण में एक तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाता है। भादूविप्रा सीपीएफ खाते से में कोई नकदी का लेनदेन नहीं किया जाता है क्योंकि सभी प्राप्तियां और भुगतान केवल चेक द्वारा किए जाते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से सीपीएफ कटौतियों की प्राप्तियां तथा भादूविप्रा सीपीएफ–खाते के सदस्यों को सीपीएफ आहरण और अग्रिम के लिए किए गए भुगतान, यदि कोई हों तो, को नियमित रूप से बैंक बही में दर्ज किया जाता है।

5. निवेश

भादूविप्रा सीपीएफ–खाते की निधियों को शासकीय मानदंडों के अनुरूप विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त/प्रोद्भूत ब्याज को ब्याज आय में जमा किया जाता है। निवेश संबंधी निर्णय न्यासी मंडल की आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

6. ब्याज

सदस्यों के सामान्य भविष्य निधि जमा का ब्याज समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज का भुगतान करने हेतु उनके निजी खातों में जमा किया जाता है। सदस्यों को देय ब्याज में यदि कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति भादूविप्रा की सामान्य निधि से की जाती है।

7. सीपीएफ से आहरण/अग्रिम

भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के सदस्य सीपीएफ नियमों के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने खाते से आहरण अथवा अस्थायी अग्रिम राशि आहरित करने के पात्र हैं। सदस्यों को अग्रिम दिये जाने के मामलों में, भादूविप्रा के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रिम की वसूली करने के लिए संबंधित सदस्यों के वेतन से की जाने वाली मासिक कटौती के संबंध में सूचित किया जाता है।

ह0/–
(पुरुषोत्तम तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली
दिनांक : 13.11.2024

अस्वीकृति: "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
बिक्री/सेवाओं से आय	12		
अनुदान /सब्सिडी	13		
शुल्क /अंशदान	14		
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15	1,59,87,703.88	1,55,03,153.99
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17	1,35,69,049.00	1,00,08,080.00
अन्य आय	18	1,69,663.12	6,82,581.01
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19		
कुल (क)		**2,97,26,416.00**	**2,61,93,815.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	20		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	236.00	2,05,250.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22		
ब्याज	23	2,97,26,180.00	2,59,88,565 .00
म्युचुअल फंड में निवेश का मूल्यह्रास			
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में किुल निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)			
कुल (ख)		2,97,26,416.00	2,61,93,815 .00
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		-	-
निवेशों के मूल्यह्रास के कारण विविध व्यय में कुछ सीमा तक अंतरित परंतु बट्टे खातों में नहीं डाला गया			
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		-	-
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
मीतू गुलाटी	अनिल कुमार कौशल	राजी ज्योजो टी	विनय कुमार गोयल	आर. रामानुजम	वंदना सेठी
उप. सलाहकार (एफ एंड ईए) सचिव (सीपीएफ)	सहायक (बीबीएण्डपीए) ट्रस्टी	अनुभाग अधिकारी (आईटी) ट्रस्टी	उप सलाहकार (मा.सं.) पदेन ट्रस्टी	उप सलाहकार (एफ एंड ईए) पदेन ट्रस्टी	सलाहकार (प्रशासन) पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

कॉपर्स/पूंजीगत निधियाँ और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
संग्रह/पूंजीगत निधि			
भादूविप्रा – सीपीएफ सदस्य खाता	1	45,59,68,896.00	41,84,30,377.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	68,21,024.35	68,21,024.35
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	3		
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4		
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5		
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	-	-
कुल		**46,27,89,920.35**	**42,52,51,401.35**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8		
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		
निवेश – अन्य	10	19,75,70,000.00	20,90,70,000.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	26,52,19,920.35	21,61,81,401.35
विविध खर्चे			
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**46,27,89,920.35**	**42,52,51,401.35**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0/– मीतू गुलाटी उप. सलाहकार (एफ एंड ईए) सचिव (सीपीएफ)	ह0/– अनिल कुमार कौशल सहायक (बीबीएण्डपीए) ट्रस्टी	ह0/– राजी ज्योजो टी अनुभाग अधिकारी (आईटी) ट्रस्टी	ह0/– विनय कुमार गोयल उप सलाहकार (मा.सं.) पदेन ट्रस्टी	ह0/– आर. रामानुजम उप सलाहकार (एफ एंड ईए) पदेन ट्रस्टी	ह0/– वंदना सेठी सलाहकार (प्रशासन) पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 – भादूविप्रा – सीपीएफ सदस्य खाता

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
वर्ष के आरंभ में शेष	41,84,30,377.00	35,38,95,741 .00
घटाएं: पिछले वर्ष के लिए समायोजन		
जमा: सदस्यों के खाते में योगदान	3,75,38,519.00	6,45,34,636.00
जोड़ें/(कटौती): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष		
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**45,59,68,896.00**	**41,84,30,377.00**

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. पूंजी आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्मल्यांकन आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामान्य आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	68,21,024.35	68,21,024.35
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
कुल	**68,21,024.35**	**68,21,024.35**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण– अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 3 – निर्धारित / बंदोबस्ती निधिः

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष2022-23
क) निधि का आरंभिक शेष		
ख) निधि में वृद्धि		
(i) दान / अनुदान		
(ii) निधि के खाते में निवेश से आय		
(iii) अन्य जमा (विशेष प्रकृति)		
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय		
–स्थायी सम्पत्ति		
–अन्य		
कुल		
ii. राजस्व व्यय		
–वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि		
–किराया		
–अन्य प्रशासनिक व्यय		
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)		

टिप्पणियांः–

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए।

2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाया जाए और किसी अन्य निधियों के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 4 – प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	केंद्र सरकार		
2.	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3.	वित्तीय संस्थाएं		
4.	बैंक		
	क) सावधि ऋण		
	– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
	ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5.	अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6.	डिबेंचर और बॉण्ड		
7.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल			

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 – अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	केंद्र सरकार		
2.	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3.	वित्तीय संस्थाएं		
4.	बैंक		
	क) सावधि ऋण		
	– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
	ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5.	अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6.	डिबेंचर और बॉण्ड		
7.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल			

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क)	पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		
ख)	अन्य		
	कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क. चालू देयताएं		
1. स्वीकार्यता		
2. विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3. प्राप्त अग्रिम		
4. प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		
क) प्रतिभूति ऋण / उधार		
ख) अप्रतिभूति ऋण / उधार		
5. सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6. अन्य चालू देयताएं		
कुल (क)		-
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी		
3. अधिवर्षिता/पेंशन		
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी / दावे		
6. अन्य (विदेश मंत्रालय/भादूविप्रा को देय)		
कुल (ख)		-
कुल (क)+ कुल (ख)	-	-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. **स्थायी संपत्तियां:**										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीजलोल्ड										
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीजहोल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर										
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयंत्र मशीनें एवं उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, फिक्सचर										
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल										
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन										
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 – निर्धारित/अक्ष्यनिधियों से निवेश

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में		
2.	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5.	सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		-	-

अनुसूची 10 – निवेश अन्य

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में	19,75,70,000.00	20,90,70,000.00
	– दीर्घावधि निवेश		
	– चालू निवेश		
2.	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5.	सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	
6.	अन्य	-	
	कुल	**19,75,70,000.00**	**20,90,70,000.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स		
ख) लूज टूल्स		
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल		
कार्य प्रगति पर		
कच्चा माल		
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट		
ख) अन्य		
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)	23,05,00,000.00	19,53,00,000.00
– बचत खाते पर	4,84,599.80	9,43,504.23
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर		
– बचत खाते पर		
5. डाकघर बचत खाता		
कुल	**23,09,84,599.80**	**19,62,43,504.23**

जारी.....

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ		
ख) संस्थान के समान गतिविधियों /उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूली योग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः		
क) पूंजीगत खाते पर		
ख) पूर्व भुगतान		
ग) अन्य – सीपीएफ सदस्यों से वसूली योग्य अग्रिम राशि	18,99,447.00	
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधार्रित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		
ख) निवेश – अन्य पर	3,21,72,516.43	1,94,84,035.11
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
घ) अन्य		
(देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
4. दावे प्राप्तयोग्य – ट्राई से वसूली योग्य	1,63,357.12	4,53,862.01
कुल (ख)	**3,42,35,320.55**	**1,99,37,897.12**
कुल (क + ख)	**26,52,19,920.35**	**21,61,81,401.35**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्क्रैप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)		
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 13 – अनुदान / सब्सिडी

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)		
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसियां		
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 14 – शुल्क / अंशदान

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	प्रवेश शुल्क		
2.	वार्षिक शुल्क / अंशदान		
3.	सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क		
4.	परामर्श शुल्क		
5.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल			

टिप्पणी: प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(राशि ₹ में)

	(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	ब्याज		
	क) सरकारी प्रतिभूति पर	1,59,87,703.88	1,55,03,153.99
	ख) अन्य बॉण्ड / डिबेंचर्स		
2.	लाभांश		
	क) शेयरों पर		
	ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3.	किराया		
4.	अन्य		
कुल		**1,59,87,703.88**	**1,55,03,153.99**
निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों को अंतरित			

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	रॉयल्टी से आय		
2.	प्रकाशन से आय		
3.	अन्य (निदिष्ट करें)		
कुल			

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	सावधि जमा पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	1,35,04,051.00	99,37,633.00
	ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
	ग) संस्थानों के साथ		
	घ) अन्य		
2.	बचत खातों पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	64,998.00	70,447.00
	ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
	ग) संस्थानों के साथ		
	घ) अन्य		
3.	ऋणों पर		
	क) कर्मचारी/स्टाफ		
	ख) अन्य		
4.	डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज		
कुल		**1,35,69,049.00**	**1,00,08,080.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
	क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		
	ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		
2.	वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3.	विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4.	विविध आय – सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त छूट	7,000.00	2,28,660.00
5.	अन्य आय – अतिरिक्त बैंक शुल्क प्राप्त	26.00	59.00
6.	ट्राई से वसूली योग्य कमी	1,62,637.12	4,53,862.01
कुल		**1,69,663.12**	**6,82,581.01**

अनुसूची 19 – निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क)	अंतिम स्टॉक		
	- तैयार माल		
	- प्रगतिशील कार्य		
	ख) घटाएं: आंरभिक स्टॉक		
	- तैयार माल		
	- प्रगतिशील कार्य		
	निवल वृद्धि/(कमी) (क–ख)		

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क)	वेतन एवं मजदूरी		
ख)	भत्ते एवं बोनस		
ग)	भविष्य निधि में योगदान		
घ)	अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ड़)	स्टाफ कल्याण खर्च		
च)	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ		
छ)	अन्य		
	कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क)	खरीद		
ख)	मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय		
ग)	कार्टेज और कैरिज प्रभार		
घ)	विद्युत एवं पॉवर		
ड़)	जल प्रभार		
च)	बीमा		
छ)	मरम्मत एवं रखरखाव		
ज)	सीमा शुल्क		
झ)	किराया, दर और कर		
ञ)	वाहन चालन एवं रखरखाव		
ट)	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार		
ठ)	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		
ड)	यात्रा एवं परिवहन व्यय		
ण)	सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय		
त)	अंशदान व्यय		
थ)	शुल्क पर व्यय		
द)	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		
ध)	आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क		
न)	पेशवेर शुल्क		
प)	अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान		
फ)	बट्टे खाते डाला गया अवूसलनीय शेष		
भ)	पैकिंग प्रभार		
म)	मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय		
य)	वितरण व्यय		
र)	विज्ञापन एवं प्रचार		
व)	अन्य – सरकारी प्रतिभूतियों पर भुगतान किया गया प्रीमियम	-	2,05,250.00
	डीएलआईएस		-
	बैंक एवं वित्त प्रभार	236.00	
कुल		**236.00**	**2,05,250.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क)	संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान		
ख)	संस्थानों / संगठनों के लिए दी गई सब्सिडी		
कुल			

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 – ब्याज

(राशि ₹ में)

		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
क)	सावधि ऋणों पर		
ख)	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		
ग)	अन्य (निर्दिष्ट करें) – सदस्यों को देय ब्याज	2,97,26,180.00	2,59,88,565.000
	वित्त प्रभार		
कुल		**2,97,26,180.00**	**2,59,88,565.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि ₹ में)

भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
I. आरंभिक शेष			**1. व्यय**		
क) हाथ में नकदी			क) स्थापना व्यय		
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय		
1) चालू खाते में			ग) बैंक प्रभार	236.00	58.41
2) जमा खाते में			घ) वित्तीय प्रभार		
3) बचत खाते	9,43,504.23	45,83,363.29	ड़) सरकारी प्रतिभूतियों को भुगतान किया गया प्रीमियम	–	2,05,250.00
II. प्राप्त अनुदान			**II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**		
क) भारत सरकार से			(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें)					
(पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए)					
III. निम्न में निवेश से आय			**III. किए गए निवेश एवं जमा**		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि			क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से		
ख) स्वयं की निधियां (म्युचूअल फंड में निवेश पर)			**ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)**	**8,26,00,000.00**	**6,92,70,000.00**
			(निवेश – फ्लेक्सी खाता)		
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय**		
क) बैंक जमा पर	7,69,914.00	3,12,979.00	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
ख) ऋण, अग्रिम आदि			**ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय**		
ग) विविध	1,60,33,359.56	1,51,77,174.94			
घ) बचतों पर ब्याज	64,998.00	70,447.00			
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			**V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी**		
विविध आय के लिए			क) भारत सरकार को		
सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त छूट के लिए	7,000.00	2,28,660	ख) राज्य सरकार को		
बैंक शुल्क के लिए	26.00	117.41	ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		
ट्राई से वसूली योग्य	4,53,862.01		**घ) ट्राई को देय**	58,200.00	
ट्राई को देय	58,200.00				
VI. उधार ली गई राशि					
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)			**VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)**		
शुल्क					
पूंजीगत निधि			VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
प्रकाशन की बिक्री			अंतिम भुगतान	2,41,13,106.00	14,43,803.00
परिसंपत्तियों की बिक्री			अग्रिम एवं निकासी	2,04,64,297.00	1,09,39,500.00
सदस्यों से अंशदान	3,88,43,383.00	3,93,72,105	शेष राशि का स्थानांतरण		
भादूविप्रा से अंशदान	1,07,03,072.00	1,06,24,136.00	VIII- अंतिम शेष		
शेष का अंतरण			**क) हाथ में नकदी**		
अग्रिमों का पुनःभुगतान	**9,43,120.00**	**9,33,133.00**	**ख) बैंक शेष**		
एफडी की परिपक्वता/म्युचूअल फंड का नकदीकरण	**5,89,00,000.00**	**1,15,00,000.00**	**i) चालू खाते में**		
			ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते मे	**4,84,599.80**	**9,43,504.23**
कुल	12,77,20,438.80	8,28,02,115.64	कुल	12,77,20,438.80	8,28,02,115.64

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
मीतू गुलाटी	अनिल कुमार कौशल	राजी ज्योजो टी	विनय कुमार गोयल	आर. रामानुजम	वंदना सेठी
उप. सलाहकार (एफ एंड ईए)	सहायक (बीबीएण्डपीए)	अनुभाग अधिकारी	उप सलाहकार (मा.सं.) पदेन ट्रस्टी	उप सलाहकार (एफ एंड ईए)	सलाहकार (प्रशासन)
सचिव (सीपीएफ)	ट्रस्टी	(आईटी) ट्रस्टी		पदेन ट्रस्टी	पदेन अध्यक्ष

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 **लेखा परंपराएं:**

i) वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450–490 दिनांक 23-7-2007 द्वारा अनुमोदित ''खातों के एकसमान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखा चालू वर्ष अर्थात् 2023–24 के लिए संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

iii) बचत बैंक पर ब्याज वास्तविक आधार पर अंकित किया गया है।

iv) जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्गीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएं:

1 **संस्था के खिलाफ कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे – शून्य**

खातों पर टिप्पणियां

1 वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से लागू है, में विनिर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश किए गए हैं।

2 अनुसूची 10 (निवेश – अन्य) में दर्शाए गए सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत 19,75,70,000.00 रुपये के निवेश और अनुसूची 11 (बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एफडी) में दर्शाए गए 23,05,00,000.00 रुपये के जमा शामिल हैं।

3 01.04.2023 तक सीपीएफ के कुल 109 सदस्य थे और 2023–24 में दो अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए, एक अधिकारी ने वीआरएस ले लिया, ट्राई के अध्यक्ष और ट्राई के सदस्य ने ट्राई कार्यालय से पदत्याग कर दिया और 29.01.2024 को ट्राई के नए अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला। इस प्रकार, 31.03.2024 तक सीपीएफ सदस्यों की संख्या 105 हो गई।

4 2023–24 के दौरान 3,88,44,103/– रुपये की सदस्यता राशि और 1,07,03,072/– रुपये का ट्राई अंशदान प्राप्त हुआ। पूर्ण एवं अंतिम भुगतान 2,41,13,106/– रुपये का किया गया।

5 वर्ष के दौरान स्वीकृत निकासी/अग्रिम राशि 2,04,64,297.00 रुपये है। सदस्यों को दिया गया ब्याज 2,97,26,180.00 रुपये है तथा अग्रिम राशि की वापसी 9,43,120.00 रुपये है।

6 आय की तुलना में व्यय की कमी के कारण 1,62,637.12 रुपये की राशि को अनुसूची 11 और 18 में क्रमशः वसूली योग्य और अन्य आय के रूप में शामिल किया गया है।

7 जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
मीतू गुलाटी	अनिल कुमार कौशल	राजी ज्योजो टी	विनय कुमार गोयल	आर. रामानुजम	वंदना सेठी
उप. सलाहकार (एफ एंड ईए)	सहायक (बीबीएण्डपीए)	अनुभाग अधिकारी	उप सलाहकार (मा.सं.)	उप सलाहकार (एफ एंड ईए)	सलाहकार (प्रशासन)
सचिव (सीपीएफ)	ट्रस्टी	(आईटी) ट्रस्टी	पदेन ट्रस्टी	पदेन ट्रस्टी	पदेन अध्यक्ष

अस्वीकृतिः "यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित रिपोर्ट मान्य होगा"।

सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण